करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जुलाई भाग-2

2022

Drishti IAS

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

अंतरराष्ट्रीय संबंध **4**

- काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरज़ थ्रू सेंक्शंस एक्ट (CAATSA) 4
- भारत और बेलारूस 5
- शंघाई सहयोग संगठन 6
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक मंच, 2022 8
- सीआईआई एक्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव में भारत-अफ्रीका 9
- भारत-मालदीव न्यायिक सहयोग 11
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) 13
- चाबहार बंदरगाह 15

आंतरिक सुरक्षा **17**

- वामपंथी उग्रवाद (LWE) 17

जैवविविधता और पर्यावरण **19**

- उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र 19
- ESZ अधिसूचना के खिलाफ केरल का विरोध प्रदर्शन 22
- वनाग्नि 23
- पर्यावरण प्रभाव आकलन 25
- अरावली को हरित संरक्षण 26
- जलवायु वित्त 28
- रामसर साइट्स 29

भारतीय अर्थव्यवस्था **32**

- निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण मॉडल 32
- विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देने के उपाय 34
- आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की 35
- डिजिटल बैंक 36
- भारत: शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्त्ता 37
- जैव अर्थव्यवस्था 39
- भारत नवाचार सूचकांक 2021: नीति आयोग 40
- फार्मास्युटिकल उद्योग को सुदृढ़ बनाना 42
- अघोषित विदेशी आय 43
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 43
- गिफ्ट सिटी और बुलियन एक्सचेंज 45

भारतीय इतिहास **47**

- वैदिक युग में पाइथागोरस ज्यामिति 47

भारतीय राजनीति **49**

- भारत का राजचिह्न 49
- भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति 50
- भारतीय नागरिकता का त्याग 51
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 52
- भारतीय ध्वज संहिता 53
- PMLA तथा सर्वोच्च न्यायालय 54
- राज्य विधानसभा की बैठकें 56

भूगोल **58**

- सकुराजिमा ज्वालामुखी: जापान 58
- भूजल स्तर में कमी 59
- मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता 61

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **63**

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 63
- गगनयान हेतु एबॉर्ट मिशन 64

नोट :

- सिंथेटिक बायोलॉजी 66
- एंटीबायोटिक दवाओं की बढ़ती प्रभावकारिता 67
- मंकीपॉक्स 68
- डीप सी माइनिंग 69

शासन व्यवस्था 71

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 71
- टीकाकरण कवरेज में गिरावट 72
- गोल 2.0 74
- MSP और प्राकृतिक खेती पर सरकारी पैनल 75
- राइट-टू-रिपेयर 76
- स्वास्थ्य का अधिकार 78
- भारत में गर्भपात कानून 79
- नीट और तमिलनाडु का विरोध 80
- 5जी और फाइबरीकरण 82
- स्ट्रीट वेंडर्स 84
- मीडिया ट्रायल 86
- मसौदा चिकित्सा उपकरण विधेयक 87
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 89
- फ्रीबी कल्चर 91
- विश्व हेपेटाइटिस दिवस 92
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 93
- मानव-पशु संघर्ष 95
- स्टार्टअप्स 96
- प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता 97
- कॉफी संवर्द्धन विधेयक 99
- कृषि जनगणना 100
- विस्थापित बच्चों हेतु संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश 102
- विस्थापित बच्चों हेतु संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश 103
- गूगल स्ट्रीट व्यू: राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 105

सामाजिक न्याय 107

- ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 107
- भारत में कुपोषण को रोकना 108

प्रिलिम्स फैक्ट्स 110

- वाई-3023 दूनागिरि 110
- किल स्विच 112
- डिजी यात्रा 113
- विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 114
- जागृति शुभंकर 114
- संकटग्रस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये एक शब्दावली 115
- INS सिंधुध्वज 116
- एनआईआईओ संगोष्ठी 'स्वावलंबन' 116
- ग्रीन पिट वाइपर 117
- कोविड-19 के लिये अपशिष्ट जल निगरानी 118
- तरंगा हिल-अंबाजी- आबू रोड 118
- यूरो - डॉलर समानता 119
- विंडफॉल टैक्स 120
- जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 120
- हट्टी समुदाय 121
- भारत-जापान समुद्री अभ्यास 123
- काराकोरम विसंगति 123
- फेमा और पीएमएलए 124
- मोनार्क तितली 125
- कारगिल विजय दिवस 126
- हिम तेंदुआ 127
- हैज़ा 128
- एमआईएसटी पनडुब्बी केबल प्रणाली 128
- लाइट-मेंटल्ड अल्बाट्रॉस 130
- स्वदेश दर्शन योजना 130
- परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 131
- निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES) 132
- स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर अभियान 133
- काली बेन 133
- कोर सेक्टर आउटपुट 133

रैपिड फायर 135

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरज़ थ्रू सेंक्शंस एक्ट (CAATSA)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव ने नेशनल डिफेंस ऑथराइज़ेशन एक्ट (NDAA) में संशोधन को मंज़ूरी दी है, जिसमें काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरज़ थ्रू सेंक्शंस एक्ट (CAATSA) के तहत भारत को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है।

- यह भारत को स्वतंत्र रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों के भय के बिना रूस की S-400 मिसाइल प्रणाली को खरीदने की अनुमति देगा।
- नेशनल डिफेंस ऑथराइज़ेशन (NDAA) कानून है जिसे कॉन्ग्रेस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राज्य की रक्षा एजेंसियों की नीतियों और संगठन में बदलाव करने के लिये पारित करती है तथा इस पर मार्गदर्शन प्रदान करती है कि सैन्य क्षेत्र को आवंटित राशि को कैसे खर्च किया जा सकता है।

प्रस्तावित संशोधन:

- संशोधन अमेरिकी प्रशासन से आग्रह करता है कि वह चीन जैसे हमलावरों को रोकने में मदद करने हेतु भारत को काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सेंक्शंस एक्ट (CAATSA) के तहत छूट प्रदान करने के लिये अपने अधिकार का उपयोग करे।
- कानून में कहा गया है कि महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत पहल (ICET) कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस तथा अर्द्धचालक विनिर्माण में नवीनतम प्रगति को संबोधित करने के लिये दोनों देशों में सरकारों, शिक्षाविदों एवं उद्योगों के बीच घनिष्ठ साझेदारी विकसित करने हेतु एक स्वागत योग्य और आवश्यक कदम है।

CAATSA

- परिचय:
  - अमेरिकी कानून:
    - CAATSA एक अमेरिकी कानून है जिसे वर्ष 2017 में लागू किया गया था तथा इसका मुख्य उद्देश्य दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है।
    - अका शीर्षक II मुख्य रूप से यूक्रेन में इसके सैन्य हस्तक्षेप और वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में इसके कथित हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि में इसके तेल और गैस उद्योग, रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों जैसे रूसी हितों पर प्रतिबंधों से संबंधित है।
    - अधिनियम की धारा 231 अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ "महत्त्वपूर्ण लेन-देन" में लगे व्यक्तियों पर अधिनियम की धारा 235 में उल्लिखित 12 सूचीबद्ध प्रतिबंधों में से कम-से-कम पाँच प्रतिबंधो को आरोपित करने का अधिकार देती है।
    - अधिनियम की धारा 231 के भाग के रूप में अमेरिकी विदेश विभाग ने 39 रूसी संस्थाओं को अधिसूचित किया है, जिनके साथ संबंध रखने पर तीसरे पक्ष को प्रतिबंधों के लिये उत्तरदायी बनाया जा सकता है।
  - प्रतिबंध जो भारत को प्रभावित कर सकते हैं: केवल दो प्रतिबंध ऐसे हैं जो भारत-रूस संबंधों या भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।
    - बैंकिंग लेन-देन का निषेध: इनमें से पहला, जिसका भारत-रूस संबंधों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, "बैंकिंग लेन-देन का निषेध" है।
    - इसका परिणाम यह होगा कि भारत के लिये एस-400 सिस्टम की खरीद हेतु रूस को अमेरिकी डॉलर में भुगतान करने में कठिनाई होगी। यह भारत की स्पेयर पार्ट्स, घटकों, कच्चे माल और अन्य सेवाओं की खरीद को भी प्रभावित करेगा।
    - वर्ष 2020 में तुर्की को S-400 प्रणाली की खरीद के लिये मंज़ूरी प्रदान की गई थी।
    - निर्यात मंज़ूरी:
    - "निर्यात मंज़ूरी " प्रतिबंध के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें भारत-अमेरिका सामरिक और रक्षा साझेदारी के पूरी तरह से पटरी से उतरने की आशंका है, क्योंकि यह अमेरिका द्वारा नियंत्रित किसी भी वस्तु के लाइसेंस एवं निर्यात को अस्वीकार कर देगा।
  - छूट मानदंड:
    - अमेरिकी राष्ट्रपति को वर्ष 2018 में 'केस-बाइ-केस' आधार पर CAATSA प्रतिबंधों को माफ करने का अधिकार दिया गया।

रूस की S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली:

- परिचय:
  - यह रूस द्वारा डिज़ाइन किया गया एक मोबाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (SAM) है।
  - यह दुनिया में सबसे खतरनाक परिचालन हेतु तैनात 'मॉडर्न लॉन्ग-रेंज एसएएम' (MLR SAM) है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित 'टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस' सिस्टम (THAAD) से काफी उन्नत माना जाता है।

- यह एक मल्टीफंक्शन रडार, ऑटोनॉमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम, एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एकीकृत करता है।
- यह सतही रक्षा के लिये तीन तरह की मिसाइल दागने में सक्षम है।
- यह प्रणाली 30 किमी. तक की ऊँचाई पर 400 किमी. की सीमा के भीतर विमान, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) और बैलिस्टिक तथा क्रूज़ मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है।
- यह प्रणाली 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से छह पर एक साथ निशाना लगा सकती है।

- भारत के लिये महत्त्व:
  - भारत के दृष्टिकोण से चीन भी रूस से रक्षा उपकरण खरीद रहा है। वर्ष 2015 में चीन ने रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। और इसे जनवरी 2018 में शुरू किया गया था।
  - चीन द्वारा S-400 प्रणाली के अधिग्रहण को इस क्षेत्र में "गेम चेंजर" के रूप में देखा गया है। हालाँकि भारत के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता सीमित है।
  - इसका अधिग्रहण दो मोर्चों पर युद्ध में हमलों का मुकाबला करने के लिये महत्त्वपूर्ण है, यहाँ तक कि इसमें उच्च स्तरीय एफ-35 यूएस लड़ाकू विमान भी शामिल है।

भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर CAATSA छूट:

- NDAA संशोधन ने अमेरिका से रूस निर्मित हथियारों पर अपनी निर्भरता से भारत की धुरी को दूर करने में सहायता के लिये और कदम उठाने का भी आग्रह किया।
- यह संशोधन हाल के द्विपक्षीय सामरिक संबंधों की अवधि के अनुरूप है।
  - महत्त्वपूर्ण वर्ष 2008 था और तब से भारत के साथ अमेरिकी रक्षा अनुबंध कम-से-कम 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का है। वर्ष 2008 से पहले की अवधि में यह केवल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - इसके अलावा वर्ष 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी। क्वाड और अब I2U2 जैसे समूहों के माध्यम से रणनीतिक संबंधों को भी मज़बूत किया गया है।
- भारत के लिये रूसी मंचों से दूर जाना उसके सामरिक हित में है।
  - यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद चीन पर रूस की निर्भरता काफी बढ़ गई है, एक ऐसी स्थिति जिसमें भविष्य में बदलाव की संभावना नहीं है।
  - पहले से ही रूस के हथियारों के निर्यात के दूसरे सबसे बड़े प्राप्तकर्त्ता के रूप में चीन भारत के बाद दूसरे स्थान पर है।
  - चीन के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे सीमा प्रबंधन प्रोटोकॉल को देखते हुए रूसी हथियारों पर निर्भरता नासमझी है।

भारत और बेलारूस

चर्चा में क्यों?

भारत ने 3 जुलाई, 2022 को बेलारूस को उसकी 78वीं स्वतंत्रता जश्न के अवसर पर बधाई दी।

भारत-बेलारूस संबंध:

- राजनयिक संबंध:
  - बेलारूस के साथ भारत के संबंध परंपरागत रूप से मधुर और सौहार्दपूर्ण रहे हैं।
  - भारत, वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बेलारूस को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।
- बहुपक्षीय मंचों पर समर्थन:
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) जैसे कई बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच सहयोग दिखाई देता है।
  - बेलारूस उन देशों में से एक था जिनके समर्थन ने जुलाई 2020 में UNSC में अस्थायी सीट के लिये भारत की उम्मीदवारी को मज़बूत करने में मदद की।
  - भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) में बेलारूस की सदस्यता और अंतर-संसदीय संघ (IPU) जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय समूहों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेलारूस का समर्थन किया है।

- व्यापक भागीदारी:
  - दोनों देशों के बीच एक व्यापक साझेदारी है और विदेश कार्यालय परामर्श (FOC), अंतर-सरकारी आयोग (IGC), सैन्य तकनीकी सहयोग पर संयुक्त आयोग के माध्यम से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिये तंत्र स्थापित किया गया है।
  - दोनों देशों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग, संस्कृति, शिक्षा, मीडिया एवं खेल, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, वस्त्र, दोहरे कराधान से बचाव, निवेश को बढ़ावा देने व संरक्षण सहित रक्षा एवं तकनीकी सहयोग जैसे विभिन्न विषयों पर कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।
- व्यापार और वाणिज्य:
  - आर्थिक क्षेत्र में वर्ष 2019 में वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार कारोबार 569.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
  - वर्ष 2015 में भारत ने बेलारूस को बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता से भी आर्थिक क्षेत्र के विकास में मदद मिली है।
    - बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा बेंचमार्क के रूप में स्वीकार किये गए वस्तु का निर्यात करने वाले देश को दिया जाता है। इस स्थिति से पहले देश को गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था (NME) के रूप में माना जाता था।
  - बेलारूसी व्यवसायियों को 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं में निवेश करने के लिये भारत के प्रोत्साहन का लाभ मिल रहा है।
- भारतीय प्रवासी:
  - बेलारूस में भारतीय समुदायं के लगभग 112 भारतीय नागरिक और 906 भारतीय छात्र हैं जो बेलारूस में राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालयों में चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हैं।
  - भारतीय कला और संस्कृति, नृत्य, योग, आयुर्वेद, फिल्म आदि बेलारूसी नागरिकों के बीच लोकप्रिय हैं।
    - कई युवा बेलारूसवासी भी हिंदी और भारत के नृत्य रूपों को सीखने में गहरी रुचि रखते हैं।

आगे की राह:

- वैश्विक भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक आकर्षण केंद्र के एशिया में क्रमिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ सहयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिये अतिरिक्त अवसर पैदा करता है।
- बेलारूस को विविधतापूर्ण एशिया में कई भौगोलिक उप-क्षेत्रों के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। दक्षिण एशिया में भारत ऐसे स्तंभों में से एक बन सकता है, लेकिन बेलारूसी पहल निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रीय हितों और धार्मिक उद्देश्यों (National Interests and Sacred Meanings) के "मैट्रिक्स" में आनी चाहिये।
- साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिये कुछ छिपे हुए आरक्षण भी हैं। बेलारूस भारतीय दवा कंपनियों हेतु यूरेशियन बाज़ार में "प्रवेश बिंदु" बन सकता है।
- साझा विकास सहित सैन्य और तकनीकी सहयोग की संभावना का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया गया है। यह सिनेमा (बॉलीवुड) भारतीय व्यापार समुदाय और पर्यटकों के हित को प्रोत्साहित कर सकता है।
- पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद + योग) के आधार पर बेलारूस में स्थापित किये जा रहे मनोरंजन केंद्रों द्वारा पर्यटन और चिकित्सा सेवाओं के निर्यात में अतिरिक्त वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।
- आपसी हित बढ़ाने के लिये नए नवोन्मेषी विकास बिंदुओं की स्थापना तथा सफल विचारों को प्रोत्साहित करना और सक्रिय विशेषज्ञ कूटनीति संचार का प्रमुख महत्त्व है।

शंघाई सहयोग संगठन

चर्चा में क्यों?

सितंबर 2022 में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से पूर्व वाराणसी को SCO क्षेत्र की पहली "पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी 2022-23" के रूप में चुना गया है।

- SCO शिखर सम्मेलन उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा जहाँ SCO में दो नए सदस्य- ईरान और बेलारूस के शामिल होने की संभावना है। युवा कार्य के क्षेत्र में सहयोग पर SCO के सदस्य देशों द्वारा 17 सितंबर, 2021 को समझौते को अपनाने के परिणामस्वरूप इस समझौते पर युवा मामले और खेल मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे।
- भारत वर्ष 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

पहल:

- सदस्य राज्यों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एक नई आवर्ती पहल के तहत वाराणसी को "सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी (Cultural and Tourism Capital)" बनाने का निर्णय लिया गया है।
- प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश की सांस्कृतिक विरासत का शहर जो संगठन की आवर्ती अध्यक्षता को संभालेगा, उसे इसकी प्रमुखता को उजागर करने के लिये उपाधि प्रदान की जाएगी।
- नई पहल समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद लागू होगी जिसके बाद भारत अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेगा और अगले राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

SCO का विस्तार:

- यह देखा गया है कि SCO का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ रहा है और SCO चार्टर के सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है।
- चीन और रूस समूह को पश्चिम के लिये एक काउंटर के रूप में विशेष रूप से नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) के विस्तार के रूप में तैयार करना चाहते हैं।
- हालाँकि ऐसा माना जाता है कि SCO और नाटो के बीच काफी विरोधाभास है।
    - नाटो का विस्तार पूरी तरह से अलग है क्योंकि SCO गुटनिरपेक्षता पर आधारित एक सहकारी संगठन है और किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करता है।
    - नाटो शीत युद्ध की सोच पर आधारित है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO):

- परिचय:
    - SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
    - यह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है।
    - इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था।
    - SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ।
- उत्पत्ति:
    - वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव (Shanghai Five) के सदस्य थे।
    - शंघाई फाइव (1996) का उद्भव सीमा के सीमांकन और विसैन्यीकरण वार्ता की एक श्रृंखला के रूप में हुआ, जिसे चार पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा चीन के साथ सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आयोजित किया गया था।
    - वर्ष 2001 में संगठन में उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई फाइव का नाम बदलकर SCO कर दिया गया।
    - वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने।
- उद्देश्य:
    - सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मज़बूत करना।
    - राजनैतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।
    - शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना।
    - संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना।
    - लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव-अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।
- सदस्यता:
    - वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं।
- संरचना:
    - राष्ट्र प्रमुखों की परिषद: यह SCO का सर्वोच्च निकाय है जो अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करती है।
    - शासन प्रमुखों की परिषद: SCO के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर वार्ता कर निर्णय लेती है तथा संगठन के बजट को मंज़ूरी देती है।
    - विदेश मंत्रियों की परिषद: यह दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।
    - क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS): आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद तथा चरमपंथ से निपटने के मामले देखती है।
    - शंघाई सहयोग संगठन का सचिवालय: यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु बीजिंग में अवस्थित है।
- आधिकारिक भाषाएँ :
    - रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएँ हैं।

भारत हेतु समूह की प्रासंगिकता:

- समय के साथ SCO मेज़बानों ने सदस्यों के बीच मतभेदों पर चर्चा करने के लिये मंच का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया है।
    - ये ऐसे अवसर थे जब वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक की और विदेश मंत्री ने वर्ष 2020 में मास्को सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष के साथ पाँच सूत्री समझौते पर बातचीत की।
- भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 'चतुर्भुज' समूह का भी हिस्सा है।
    - एक अलग प्रकृति के समूह के साथ इसका जुड़ाव इसकी विदेश नीति का हिस्सा है जो "रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण" के सिद्धांतों पर ज़ोर देता है।

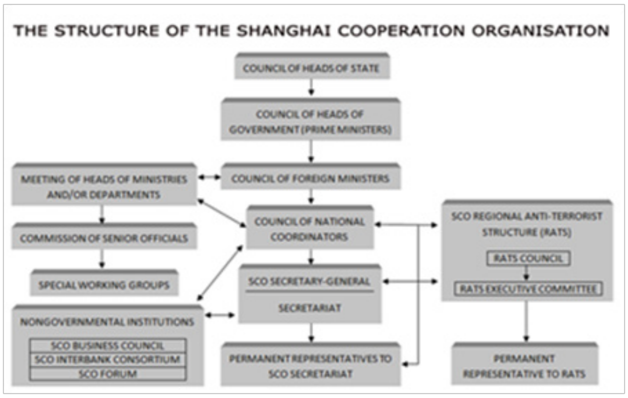

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक मंच, 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक मंच, 2022 (GP DRR 2022) इंडोनेशिया में आयोजित किया गया।

- परिणाम को बाली एजेंडा फॉर रिज़िल्यन्स में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था।

वैश्विक मंच, 2022:

- थीम:
  - जोखिम से लचीलापन तक: कोविड -19 परिवर्तित दुनिया में सभी हेतु सतत् विकास की ओर।
- परिचय:
  - यह कोविड महामारी के बाद से आपदा जोखिम में कमी (DRR) हेतु अभिकर्त्ताओं की पहली वैश्विक सभा थी, जो UNFCCC COP26 और UNFCCC COP27 वार्ता के बीच में ही असफल हो गई।
  - यह एक द्विवार्षिक बहु-हितधारक मंच है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण (2015-2030) के लिये सेंडाई फ्रेमवर्क की निगरानी और कार्यान्वयन प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण घटक है।
    - संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे मान्यता देती है।

DRR 2022 हेतु वैश्विक मंच का महत्त्व:

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिये पूरे समाज के दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पीछे न छूटे।
- सतत् विकास और सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के लिये 2030 एजेंडा को प्राप्त करने हेतु DRR विकास एवं वित्त नीतियों, कानून तथा योजनाओं के मूल में होना चाहिये।
- वर्तमान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का स्तर उनके शमन से कहीं अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप भयावह घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है।
- DRR और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का सामान्य उद्देश्य भेद्यता को कम करना और क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ लचीलापन प्रदान करना है।

लचीलेपन के निर्माण हेतु GP 2022 सुझाव

- स्थानीय स्तर पर कार्रवाई, सरकारी समर्थन और कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के सख्त प्रवर्तन के लिये अधिक संसाधन:
  - यह केंद्र और राज्य स्तरों पर अधिक-से-अधिक बजटीय आवंटन, राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि मानदंडों में संशोधन की मांग करता है।
- सामुदायिक स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए लचीलापन और स्थायी आजीविका के निर्माण पर अधिक ध्यान देना:
  - देश में आपदा संभावित क्षेत्रों में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने की आवश्यकता है लेकिन आजीविका रिकवरी (जलवायु-लचीला, टिकाऊ आजीविका) और तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने की कीमत पर नहीं।
- राहत और पुनर्वास प्रयासों में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता:
  - पारदर्शिता बोर्डों को शामिल करने के लिये पारदर्शिता तंत्र को मानकीकृत करने की आवश्यकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लागत, गुणवत्ता और राहत मदों की मात्रा, सामाजिक लेखापरीक्षा एवं नागरिकों की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है।
    - सरकार और नागरिक समाज दोनों के कार्यकर्त्ताओं द्वारा सभी राहत कार्यों में इसके मानक अभ्यास की आवश्यकता है।
- अन्य सुझाव:
  - दुनिया के अन्य देश कोविड-19 के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।
    - सबसे कमज़ोर लोगों और उनकी जागरूकता, लामबंदी के साथ-साथ पुनर्निर्माण में नेतृत्व पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - अपने सभी निवेशों में DRR को शामिल कर नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिये सामुदायिक स्तर पर पर्याप्त आधार होना चाहिये।
  - महिलाएँ, दिव्यांग, उपेक्षित वृद्ध, युद्ध और संघर्षों से प्रभावित लोग तथा अनौपचारिक श्रम कुछ ऐसे कमज़ोर समूह वर्ग हैं, जिन्हें संवेदनशीलता के साथ लामबंद करने, नेतृत्त्व और उनकी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण:

- वैश्विक स्तर पर:
  - सेंडाई फ्रेमवर्क:
    - इसे वर्ष 2015 में सेंडाई, मियागी, जापान में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।

नोट :

- सेंडाई फ्रेमवर्क ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (HFA) का एक उत्तराधिकारी उपाय है।
- वर्तमान ढाँचा प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों के साथ-साथ संबंधित पर्यावरणीय, तकनीकी और जैविक खतरों तथा जोखिमों के कारण छोटे एवं बड़े पैमाने पर व अचानक और धीमी गति से शुरू होने वाली आपदाओं के जोखिम पर लागू होता है।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर साथ ही साथ सभी क्षेत्रों के विकास में आपदा जोखिम के प्रबंधन का मार्गदर्शन करना है।

- जलवायु जोखिम और पूर्व चेतावनी प्रणाली (CREWS):
  - विशेष जलवायु जोखिम और पूर्व चेतावनी प्रणाली (CREWS) विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तहत एक पहल है, जो अल्प विकसित देशों (LDCs) तथा छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) में मौसम की चेतावनी, जोखिम की जानकारी तक पहुँच के माध्यम से जीवन, संपत्ति एवं आजीविका की रक्षा करती है।
- जलवायु सूचना और पूर्व चेतावनी प्रणाली पर ग्रीन क्लाइमेट फंड की क्षेत्रीय मार्गदर्शिका:
  - यह प्रासंगिक क्षेत्र में देश की ज़रूरतों और साक्ष्य-आधारित अनुभवों का अवलोकन प्रदान करता है।
  - इसका उद्देश्य उच्च प्रभाव के अवसरों की पहचान करना, प्रत्येक क्षेत्र में निवेश में बदलाव करना, GCF के लिये प्रस्ताव विकास का मार्गदर्शन करना, इसकी पहली पुन:पूर्ति अवधि 2020-2023 के दौरान अपने निवेश मानदंड के अनुकूल करना है।

- भारत की पहल:
  - कोलिसन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी (CDRIS):
    - CDRI राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है।
    - इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिये बुनियादी ढाँचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना है, जिससे सतत् विकास सुनिश्चित हो सके।
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP):
    - इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय करना और आपदा से निपटने एवं संकटकालीन प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण करना है।
    - यह आपदाओं के लिये समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये आपदा प्रबंधन हेतु नीतियों, योजनाओं व दिशानिर्देशों को निर्धारित करती है।

सीआईआई एक्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव में भारत-अफ्रीका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी (नई दिल्ली, भारत) पर 17वें भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के एक्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव (EBC) में भारत ने अफ्रीका के साथ व्यापार और निवेश समझौते की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

- इससे पहले भारतीय उपराष्ट्रपति ने सेनेगल का दौरा किया और सांस्कृतिक आदान-प्रदान, युवा मामलों में सहयोग तथा वीज़ा मुक्त शासन के लिये तीन समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी पर CII EBC:

- परिचय:
  - इसे वर्ष 2005 में विदेश मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से लॉन्च किया गया था।
  - इसे "भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी पर CII EXIM बैंक कॉन्क्लेव" नाम दिया गया था, जो "परियोजना साझेदारी" पर पहले के प्रमुख समझौते का विस्तार करता है।
- महत्त्व:
  - कॉन्क्लेव ने न केवल कई नई सीमा पार साझेदारी को जड़ें जमाने के लिये आधार तैयार किया है, बल्कि मौजूदा सहयोगी व्यवस्थाओं का महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन भी किया है जिसके आधार पर भविष्य की अफ्रीका भागीदारी हेतु एक नया रोडमैप तैयार किया जाएगा।
  - इसने भारत सरकार, एक्ज़िम बैंक और उद्योग के नीतिगत संवादों को आकार दिया है।
  - इसने भारतीय निर्यातकों को अफ्रीकी देशों तक पहुँचने के लिये प्रोत्साहित किया है।
  - इसने 4430 से अधिक परियोजनाओं पर चर्चा हेतु एक मंच प्रदान किया है।
  - इसने उन कंपनियों को प्रोत्साहित किया है जो भारत सरकार की ऋण व्यवस्था से परे व्यवसाय के अवसरों को तलाश रही है।
  - इसने भारतीय कंपनियों द्वारा व्यावसायिक प्रयासों का समर्थन करने के लिये प्रतिस्पर्द्धी ऋण सुविधाओं के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान की है।

भारत-अफ्रीका संबंधों के प्रमुख क्षेत्र:

- भारत नई तकनीकों की पेशकश करने में सक्षम होगा जो अफ्रीका के युवाओं के लिये व्यापार, वाणिज्य, निवेश और अवसरों का विस्तार करने में मदद करेंगी।
- अफ्रीका के साथ भारत की विकास साझेदारी ऐसी शर्तों पर होगी और अफ्रीका के लिये सुविधाजनक होंगी, जो इसकी क्षमता को बढ़ाएगी तथा इसके भविष्य को बाधित नहीं करेगी।
- अफ्रीका के विकास का समर्थन करने, शिक्षा, स्वास्थ्य का विस्तार करने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे के लिये डिजिटल क्रांति के साथ भारत के अनुभव का उपयोग किया जा सकता है।
- भारत के स्टार्टअप और डिजिटल नवाचार जैसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), डिजिटल वाणिज्य के लिये ओपन नेटवर्क (ONDC) आदि अफ्रीका को अत्यधिक लाभ पहुँचा सकते हैं।

अफ्रीका-भारत संबंध:

- उच्च स्तरीय दौरे:
  - पिछले आठ वर्षों के दौरान भारत से 36 उच्च स्तरीय यात्राओं और अफ्रीका से 100 से अधिक समान यात्राओं को रिकॉर्ड करते हुए महाद्वीप के साथ जुड़ाव बढ़ा है।
- ऋण और सहायता:
  - भारत ने अफ्रीका को 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रियायती ऋण दिया है।
  - इसके अलावा भारत ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान की है।
- परियोजनाएँ:
  - भारत ने अब तक 197 परियोजनाएँ पूरी कर ली हैं, 65 वर्तमान में निष्पादन के अधीन हैं और 81 पूर्व-निष्पादन चरण में हैं।
  - गाम्बिया में भारत ने नेशनल असेंबली भवन का निर्माण किया है और जल आपूर्ति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में परियोजनाएँ शुरू की हैं।
  - जाम्बिया में भारत एक महत्त्वपूर्ण जल-विद्युत परियोजना, स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और वाहनों की आपूर्ति में शामिल है।
  - मॉरीशस में हाल की उल्लेखनीय परियोजनाओं में मेट्रो एक्सप्रेस, नया सर्वोच्च न्यायालय और सामाजिक आवास शामिल हैं।
  - नामीबिया में आईटी में एक नया उत्कृष्टता केंद्र अभी चालू हुआ है।
  - जबकि दक्षिण सूडान में भारत प्रशिक्षण और शिक्षा पर ध्यान दे रहा है।
- कोविड-19 सहायता:
  - 32 अफ्रीकी देशों को भारत से 150 टन चिकित्सा सहायता प्रदान की गई।
    - उनमें से कई ने भारत से सीधे या अन्यथा प्राप्त 'मेड इन इंडिया' टीकों का भी उपयोग किया।
    - अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने ट्रिप्स छूट सहित टीकों के लिये न्यायसंगत और सस्ती पहुँच हेतु दबाव बनाने के लिये मिलकर काम किया है।
- मानव संसाधन:
  - भारत ने 2015 में भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस)-III के दौरान 50,000 छात्रवृत्तियों की घोषणा की थी, जिसमें से 32,000 से अधिक छात्रवृत्ति स्लॉट का पहले ही उपयोग किया जा चुका है।
  - भागीदारों को उच्च गुणवत्ता वाली आभासी शिक्षा और चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिये, ई-विद्या भारती तथा ई-आरोग्य भारती नेटवर्क को क्रमशः टेली-एजुकेशन एवं टेली-मेडिसिन के लिये वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था।
  - भारत ने अफ्रीकी देशों को IT केंद्रों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्कों और उद्यमिता विकास केंद्रों (EDC) की स्थापना के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने मं् मदद की है।
- राहत एवं सहायता:
  - वर्ष 2019 में चक्रवात इदाई द्वारा प्रभावित मोजाम्बिक की सहायता के लिये ऑपरेशन सहायता, जनवरी 2020 में मेडागास्कर में बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिये ऑपरेशन वनीला, वाकाशियो जहाज़ की ग्राउंडिंग के कारण तेल रिसाव को रोकने में मॉरीशस को सहायता।
- ऊर्जा:
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक उल्लेखनीय मंच है जिसने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास को बढ़ावा दिया है।
  - इसके बाद सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा को और बढ़ावा देने के लिये 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' पहल की शुरुआत की गई है।
  - हाल के वर्षों में भारत, अफ्रीका में विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ तीसरे विश्व के देशों के सहयोग कार्यक्रमों में भी प्रमुख भागीदार रहा है।
- व्यापार एवं अर्थव्यवस्था:
  - वर्ष 2021-22 में अफ्रीका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष के 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 89.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।

नोट :

- वर्ष 1996-2021 तक 73.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ भारत अफ्रीका में निवेश करने वाले शीर्ष पाँच निवेशकों में शामिल है।
- शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता (DFTP) योजना, जो भारत की कुल टैरिफ लाइनों के 98.2% तक शुल्क मुक्त पहुँच प्रदान करती है, के माध्यम से भारत ने अफ्रीकी देशों के लिये अपना बाज़ार खोल दिया है।
- अब तक 33 LDC अफ्रीकी देश इस योजना के तहत लाभ पाने के हकदार हैं।

भारत-अफ्रीका संबंधों की संभावनाएँ:

- खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का समाधान:
  - कृषि और खाद्य सुरक्षा भी दोनों देशों के संबंधों को गहरा करने का एक आधार हो सकता है।
  - अफ्रीका के पास विश्व की कुल कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन वैश्विक कृषि-उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी बहुत कम है।
  - भारत ने कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर ली है, जो कि कई कृषि उपजों का शीर्ष उत्पादक है।
- नव-उपनिवेशवाद का सामना:
  - चीन, अफ्रीका में सक्रिय रूप से 'चेकबुक एंड डोनेशन' कूटनीति का उपयोग कर रहा है।
    - हालाँकि चीनी निवेश को नव-औपनिवेशिक प्रकृति के रूप में देखा जाता है; क्योंकि यह धन, राजनीतिक प्रभाव, विशाल बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं और संसाधनों के दोहन पर केंद्रित है।
    - दूसरी ओर, भारत का दृष्टिकोण स्थानीय क्षमताओं के निर्माण और अफ्रीकी देशों के साथ समान भागीदारी पर केंद्रित है, न कि केवल संबंधित अफ्रीकी अभिजात वर्ग के साथ।
- वैश्विक प्रतिद्वंद्विता को रोकना:
  - हाल के वर्षों में विश्व के कई अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं ने ऊर्जा, खनन, बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी सहित बढ़ते आर्थिक अवसरों की दृष्टि से अफ्रीकी देशों के साथ अपने संपर्क को मज़बूत किया है।

आगे की राह

- खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा:
  - यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।
    - भारत और अफ्रीका आपसी लाभ के लिये मिलकर काम कर सकते हैं।
- सामरिक अभिसरण को सक्षम करना:
  - एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के माध्यम से अफ्रीका के विकास के लिये साझेदारी बनाने में भारत और जापान दोनों के साझा हित हैं।
    - इस संदर्भ में भारत वैश्विक राजनीति के रणनीतिक मानचित्र पर अफ्रीका के विकास के लिये अपनी वैश्विक स्थिति का लाभ उठा सकता है।
- अन्य:
  - उच्च शिक्षा या कौशल विकास, मज़बूत वित्तीय साझेदारी का निर्माण या कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में मूल्य शृंखला को मज़बूत करना, ये सभी भारत एवं अफ्रीका के बीच सहयोग के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं।
  - जैसे-जैसे अफ्रीका में वैश्विक जुड़ाव बढ़ता है, भारत और अफ्रीका को यह सुनिश्चित करना होगा कि अफ्रीका प्रतिद्वंद्वी महत्त्वाकांक्षाओं में न बदल जाए।

भारत-मालदीव न्यायिक सहयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने भारत और मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (MoU) को मंज़ूरी दी है।

- न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच यह आठवाँ समझौता ज्ञापन है।
- इससे पहले भारत के विदेश मंत्री ने मालदीव की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट (NCPLE) का उद्घाटन किया था।
  - द्वीपीय राष्ट्र मालदीव के अड्डू शहर में NCPLE भारत की सबसे बड़ी वित्तपोषित परियोजनाओं में से एक है।

समझौते का महत्त्व:

- यह समझौता ज्ञापन न्यायालयों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा और दोनों देशों की आईटी कंपनियों एवं स्टार्टअप के लिये विकास का एक संभावित क्षेत्र साबित हो सकता है।
- इससे दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को और गति मिलेगी।
- यह समझौता न सिर्फ दोनों देशों के बीच न्यायिक एवं अन्य कानूनी क्षेत्रों में ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को संभव बनाएगा बल्कि "पड़ोसी पहले नीति" के उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाएगा।

नोट :

- भारत-मालदीव संबंध का महत्त्व:
  - मालदीव, हिंद महासागर में एक टोल गेट के रूप में है।
    - इस द्वीप शृंखला के दक्षिणी और उत्तरी भाग में दो महत्त्वपूर्ण 'सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन' (Sea Lines Of Communication- SLOCs) स्थित हैं।
    - ये SLOC पश्चिम एशिया में अदन और होर्मुज़ की खाड़ी तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में मलक्का जलडमरूमध्य के बीच समुद्री व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
    - भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 50% और इसकी ऊर्जा आयात का 80% हिस्सा अरब सागर में इन SLOCs के माध्यम से होता है।
  - महत्त्वपूर्ण समूहों का हिस्सा: इसके अलावा भारत और मालदीव दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) तथा दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) के सदस्य हैं।

भारत-मालदीव संबंध:

- रक्षा सहयोग: दशकों से भारत ने मालदीव की मांग पर उसे तात्कालिक आपातकालीन सहायता पहुँचाई है।
  - वर्ष 1988 में जब हथियारबंद आतंकवादियों ने राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गय्यूम सरकार के तख्तापलट की कोशिश की, तो भारत ने 'ऑपरेशन कैक्टस' (Operation Cactus) के तहत पैराटूपर्स और नेवी जहाज़ों को भेजकर वैध सरकार को पुन: बहाल किया।
  - भारत और मालदीव 'एकुवेरिन' (Ekuverin) नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का संचालन करते हैं।
  - कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, जो भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस का एक समुद्री सुरक्षा समूह है, का उद्देश्य इन हिंद महासागरीय देशों के बीच समुद्री एवं सुरक्षा मामलों पर सहयोग स्थापित करना है।
    - कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पाँचवीं बैठक के दौरान मॉरीशस को कॉन्क्लेव के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।
- आपदा प्रबंधन: वर्ष 2004 में सुनामी और इसके एक दशक बाद मालदीव में पेयजल संकट कुछ अन्य ऐसे मौके थे जब भारत ने उसे आपदा सहायता पहुँचाई।
  - मालदीव, भारत द्वारा अपने सभी पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराई जा रही COVID-19 सहायता और वैक्सीन के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रहा है।
    - मालदीव, भारतीय वैक्सीन मैत्री पहल का पहला लाभार्थी था।
  - COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के अवरुद्ध रहने के दौरान भी भारत ने मिशन सागर (SAGAR) के तहत मालदीव को महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखी।
- नागरिक संपर्क: मालदीव के छात्र भारत के शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और मालदीव के मरीज़ भारत द्वारा विस्तारित उदार वीज़ा-मुक्त व्यवस्था का लाभ लेते हुए उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिये भारत आते हैं।
- आर्थिक सहयोग: पर्यटन, मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वर्तमान में मालदीव कुछ भारतीयों के लिये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और कई अन्य भारतीय वहाँ रोज़गार के लिये जाते हैं।
  - अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी, 'एफकॉन' (Afcons) ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी अवसंरचना परियोजना- ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे।

भारत-मालदीव संबंधों में चुनौतियाँ और तनाव:

- राजनीतिक अस्थिरता: भारत की सुरक्षा और विकास पर मालदीव की राजनीतिक अस्थिरता का संभावित प्रभाव, एक बड़ी चिंता का विषय है।
  - गौरतलब है कि फरवरी 2015 में आतंकवाद के आरोपों में मालदीव के विपक्षी नेता मोहम्मद नशीद की गिरफ्तारी और इसके बाद के राजनीतिक संकट ने भारत की नेबरहुड पालिसी के लिये वास्तव में एक कूटनीतिक संकट खड़ा कर दिया था।
- कट्टरपंथ: मालदीव में पिछले लगभग एक दशक में इस्लामिक स्टेट (IS) जैसे आतंकवादी समूहों और पाकिस्तान स्थित मदरसों तथा जिहादी समूहों की ओर झुकाव वाले नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
  - यह पाकिस्तानी आतंकी समूहों द्वारा भारत और भारतीय हितों के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिये मालदीव के सुदूर द्वीपों को एक लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करने की संभावना को जन्म देता है।
- चीनी पक्ष: हाल के वर्षों में भारत के पड़ोस में चीन के सामरिक दखल में वृद्धि देखने को मिली है। मालदीव दक्षिण एशिया में चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक बनकर उभरा है।
  - चीन-भारत संबंधों की अनिश्चितता को देखते हुए मालदीव में चीन की रणनीतिक उपस्थिति चिंता का विषय है।
  - इसके अलावा मालदीव ने भारत के साथ सौदेबाज़ी के लिये 'चाइना कार्ड' का उपयोग शुरू कर दिया है।

आगे की राह

- यद्यपि भारत मालदीव का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है, किंतु भारत को अपनी स्थिति पर संतुष्ट नहीं होना चाहिये और मालदीव के विकास के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिये।
- दक्षिण एशिया और आसपास की समुद्री सीमाओं में क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारत को हिंद-प्रशांत सुरक्षा क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये।
  - इंडो-पैसिफिक सिक्योरिटी स्पेस को भारत के समुद्री प्रभाव क्षेत्र में अतिरिक्त-क्षेत्रीय शक्तियों (विशेषकर चीन की) की वृद्धि की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया गया है।
- वर्तमान में 'इंडिया आउट' अभियान को सीमित आबादी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसे भारत सरकार द्वारा समर्थन प्रदान नहीं किया जा सकता है।
  - यदि 'इंडिया आउट' के समर्थकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सावधानी से नहीं संभाला जाता है और भारत, मालदीव के लोगों को द्वीप राष्ट्र पर परियोजनाओं के पीछे अपने इरादों के बारे में प्रभावी ढंग से नहीं समझाता है, तो यह अभियान मालदीव में घरेलू राजनीतिक स्थिति को बदल सकता है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने मल्टी-मिलियन डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) में शामिल होने वाले किसी तीसरे देश का स्वागत करने का निर्णय लिया है।

- अफगानिस्तान के संदर्भ में इसने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संपर्क को मज़बूत करने में नवीन आयामों को नज़रअंदाज किया है।
- इससे पहले पाकिस्तान ने 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के दूसरे चरण की शुरुआत के लिये चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किये।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC):

- CPEC चीन के उत्तर-पश्चिमी झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का 3,000 किलोमीटर लंबा मार्ग है।
- यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे एवं पाइपलाइन्स के नेटवर्क द्वारा पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
- यह चीन के लिये ग्वादर बंदरगाह से मध्य-पूर्व और अफ्रीका तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि चीन हिंद महासागर तक पहुँच प्राप्त कर सके तथा चीन बदले में पाकिस्तान के ऊर्जा संकट को दूर करने और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिये पाकिस्तान में विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा।
- CPEC, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक हिस्सा है।
  - वर्ष 2013 में शुरू किये गए 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है।

CPEC का भारत हेतु निहितार्थ:

- भारत की संप्रभुता: भारत CPEC की लगातार आलोचना करता रहा है, क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुज़रता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है।
  - कॉरिडोर को भारत की सीमा पर स्थित कश्मीर घाटी के लिये वैकल्पिक आर्थिक सड़क संपर्क के रूप में भी माना जाता है।
  - भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के अधिकांश प्रमुख अभिकर्त्ताओं ने परियोजना को लेकर आशा व्यक्त की है।
  - स्थानीय व्यापारियों और राजनेताओं द्वारा नियंत्रण रेखा (LoC) के दोनों ओर कश्मीर को 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' घोषित करने का आह्वान किया गया है।
  - हालाँकि गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र, जो औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश को आकर्षित करता है, अगर CPEC सफल साबित होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पाकिस्तानी क्षेत्र के रूप में क्षेत्र की धारणा को और मज़बूत करेगा, जिससे 73,000 वर्ग किमी. भूमि पर भारत का दावा कम हो जाएगा जो 1.8 मिलियन से अधिक लोगों का घर है।
- सागर के माध्यम से व्यापार पर चीनी नियंत्रण: पूर्वी तट पर प्रमुख अमेरिकी बंदरगाह चीन के साथ व्यापार करने के लिये पनामा नहर पर निर्भर हैं।

- एक बार CPEC के पूरी तरह कार्यात्मक हो जाने के बाद चीन अधिकांश उत्तरी और लैटिन अमेरिकी उद्यमों के लिये एक 'छोटा और अधिक किफायती' व्यापार मार्ग की पेशकश करने की स्थिति में होगा।
- यह चीन को उन शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति देगा जिनके द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच माल की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही होगी।

- स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स: चीन 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' की नीति द्वारा हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' अमेरिका द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जो अक्सर भारतीय रक्षा विश्लेषकों द्वारा हवाई क्षेत्रों और बंदरगाहों के नेटवर्क के माध्यम से भारत को घेरने की चीनी रणनीति का उल्लेख करने के लिये उपयोग किया जाता है।
  - चटगांव (बांग्लादेश), हंबनटोटा (श्रीलंका) और सूडान बंदरगाह, मालदीव, सोमालिया तथा सेशेल्स में उपस्थिति के साथ ग्वादर बंदरगाह का चीन द्वारा नियंत्रण करना हिंद महासागर पर उसके पूर्ण प्रभुत्व की महत्त्वाकांक्षा को व्यक्त करता है।
- एक आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में पाकिस्तान का उदय: यह पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति को गति देने के लिये तैयार है।
  - मुख्य रूप से कपड़ा और निर्माण सामग्री उद्योग में पाकिस्तानी निर्यात, दोनों देशों के शीर्ष तीन व्यापारिक भागीदारों में से दो (अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात) भारत के साथ सीधे प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
  - चीन से कच्चे माल की आपूर्ति आसान होने के साथ पाकिस्तान को इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से भारतीय निर्यात मात्रा की कीमत पर एक क्षेत्रीय बाज़ार का अग्रणी बनने के लिये उपयुक्त रूप से देखा जा सकता है।
- BRI द्वारा मज़बूत व्यापार और चीन का प्रभुत्व: चीन की बीआरआई परियोजना जो बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे के नेटवर्क के माध्यम से चीन तथा शेष यूरेशिया के बीच व्यापार संपर्क पर केंद्रित है, को अक्सर इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से हावी होने की चीन की योजना के रूप में देखा जाता है। CPEC इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है।
  - चीन जो कि बाकी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं द्वारा समर्थित और अधिक एकीकृत है, संयुक्त राष्ट्र एवं अलग-अलग राष्ट्रों के साथ बेहतर स्थिति में होगा, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट हासिल करने की योजना को प्रभावित कर सकता है।

वन बेल्ट वन रोड (OBOR):

- परिचय:
  - यह 2013 में शुरू की गई एक मल्टी-मिलियन डॉलर की पहल है।
  - इसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है।
  - इसका उद्देश्य विश्व में बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को शुरू करना है जो बदले में चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाएगी।
- संरचना:
  - इनमें निम्नलिखित छह आर्थिक गलियारे शामिल हैं:
    - न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, जो पश्चिमी चीन को पश्चिमी रूस से जोड़ता है
    - चीन-मंगोलिया-रूस गलियारा, जो मंगोलिया के माध्यम से उत्तरी चीन को पूर्वी रूस से जोड़ता है
    - चीन-मध्य एशिया-पश्चिम एशिया गलियारा, जो मध्य और पश्चिम एशिया के माध्यम से पश्चिमी चीन को तुर्की से जोड़ता है
    - चीन-इंडोचीन प्रायद्वीप गलियारा, जो भारत-चीन के माध्यम से दक्षिणी चीन को सिंगापुर से जोड़ता है
    - चीन-पाकिस्तान गलियारा, जो दक्षिण-पश्चिमी चीन को पाकिस्तान के माध्यम से अरब सागर के मार्गों से जोड़ता है
    - बांग्लादेश-चीन-भारत-म्याँमार गलियारा, जो बांग्लादेश और म्याँमार के रास्ते दक्षिणी चीन को भारत से जोड़ता है
  - इसके अतिरिक्त समुद्री सिल्क रोड सिंगापुर-मलेशिया, हिंद महासागर, अरब सागर और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से तटीय चीन को भूमध्य सागर से जोड़ता है।

आगे की राह

- भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना चाहिये और बहुपक्षीय पहलों में भाग लेने के लिये समान विचारधारा वाले देशों के साथ आगे काम करना चाहिये, जैसे,

नोट :

- एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा तथा भारत-जापान आर्थिक सहयोग समझौता भारत को बड़ा रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकता है और चीन का मुकाबला कर सकता है।
- ब्लू डॉट नेटवर्क, जिसे USA द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - यह वैश्विक अवसंरचना विकास हेतु उच्च-गुणवत्ता एवं विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिये सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाने की एक बहु-हितधारक पहल है।
  - यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ-साथ विश्व स्तर पर सड़क, बंदरगाह एवं पुलों के लिये मान्यता प्राप्त मूल्यांकन एवं प्रमाणन प्रणाली के रूप में काम करेगा।

चाबहार बंदरगाह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान भारत ने इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने में चाबहार बंदरगाह की एक बड़ी भूमिका पर ज़ोर दिया।

- भारत अगले वर्ष SCO की अध्यक्षता संभालेगा।

अन्य बिंदु:

- इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत ने अफगानिस्तान को भुखमरी और खाद्य असुरक्षा से लड़ने में मदद करने के लिये मानवीय सहायता प्रदान की।
- यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट और खाद्य संकट की समस्याओं को उठाया गया।
- आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- संगठन में ईरान के प्रवेश की भी सराहना की गई।
  - ईरान के शामिल होने से SCO फोरम मज़बूत होगा क्योंकि अब सभी सदस्य देशों को ईरान में चाबहार बंदरगाह की सुविधाओं का उपयोग करने का अवसर मिलेगा।

चाबहार बंदरगाह:

- परिचय:
  - चाबहार बंदरगाह दक्षिणपूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है।
  - यह एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुँच है।
  - यह ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है।
  - चाबहार बंदरगाह को मध्य एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा व्यापार के सुनहरे अवसरों का प्रवेश द्वार माना जाता है।

- महत्त्व:
  - चाबहार बंदरगाह सभी को वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग का विकल्प प्रदान करता है, इस प्रकार व्यापार के संबंध में पाकिस्तान के महत्त्व को कम करता है।
  - यह भारत को समुद्री-भूमि मार्ग का उपयोग करके अफगानिस्तान में माल के परिवहन में पाकिस्तान को बायपास करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
    - वर्तमान में पाकिस्तान, भारत को अपने क्षेत्र से अफगानिस्तान तक यातायात की अनुमति नहीं देता है।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे को गति प्रदान करेगा, जिसमें दोनों रूस के साथ प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्त्ता हैं।
    - ईरान इस परियोजना का प्रमुख प्रवेश द्वार है।
    - यह अरब में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करेगा।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):

- परिचय:
  - यह सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में 12 सितंबर, 2000 को स्थापित एक बहु-मॉडल परिवहन परियोजना है।
    - अज़रबैजान आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया और बुल्गारिया पर्यवेक्षक हैं।
  - यह माल परिवहन के लिये जहाज़, रेल और सड़क मार्ग के 7,200 किलोमीटर लंबे मल्टी-मोड नेटवर्क को लागू करता है, जिसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच परिवहन लागत को लगभग 30% कम करना तथा पारगमन समय को 40 दिनों के आधे से अधिक कम करना है।
  - यह कॉरिडोर इस्लामिक गणराज्य ईरान के माध्यम से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है तथा रूसी संघ के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग एवं उत्तरी यूरोप से जुड़ा हुआ है।
  - इस मार्ग से मुख्य रूप से भारत, ईरान, अज़रबैजान और रूस से माल ढुलाई शामिल है।
- उद्देश्य:
  - कॉरिडोर का उद्देश्य मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, अस्त्रखान आदि जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार संपर्क बढ़ाना है।
- महत्त्व:
  - इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के व्यवहार्य और उचित विकल्प के रूप में प्रदान किया जाएगा।
  - इसके अलावा यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा।

आगे की राह

- यह परियोजना व्यापार को बढ़ावा देगी क्योंकि भारत को अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाखस्तान, रूस और यूरोप से आगे तक पहुँच प्राप्त होगी।
- यह परियोजना अरब सागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने में भी महत्त्वपूर्ण है।
- इसके अलावा यह इस क्षेत्र में लोगों के बीच संपर्क और व्यापार एवं निवेश को भी बढ़ावा देगा, भविष्य में इसे यूरोपीय संघ या आसियान जैसे बाज़ार में आकार दिया जा सकता है।

आंतरिक सुरक्षा

वामपंथी उग्रवाद (LWE)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्रालय ने भारत में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराए हैं।

प्रमुख डेटा तथ्य:

- वर्ष 2009 और 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है जबकि छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वर्षों में माओवादी हिंसा के कारण दोगुने से अधिक सुरक्षा बल के जवान मारे गए।
- इसी तरह परिणामी मौतें (नागरिक + सुरक्षा बल) वर्ष 2010 के 1,005 के सर्वकालिक उच्च स्तर से 85% घटकर वर्ष 2021 में 147 हो गई हैं।
- वर्ष 2021 में देश में कुल सुरक्षा कर्मियों की मौत के मामले में 90 प्रतिशत (50 में से 45) मौतें छत्तीसगढ़ में हुई थीं। झारखंड एकमात्र राज्य है जिसने वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के अलावा सुरक्षा कर्मियों की मौत (5) दर्ज की।
- हिंसा के भौगोलिक प्रसार में कमी आई है क्योंकि केवल 46 ज़िलों ने वर्ष 2021 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की सूचना दी, जबकि वर्ष 2010 में 96 ज़िलों में हिंसा हुई थी।
  - इसके कारण सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के अंतर्गत आने वाले ज़िलों की संख्या वर्ष 2018 में 126 से घटकर 90 और वर्ष 2021 में 70 हो गई।
  - इसी तरह LWE हिंसा में लगभग 90 प्रतिशत योगदान वाले ज़िलों की संख्या, जिसे सबसे अधिक LWE प्रभावित ज़िलों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वर्ष 2018 में 35 से घटकर 30 और वर्ष 2021 में 25 हो गई।

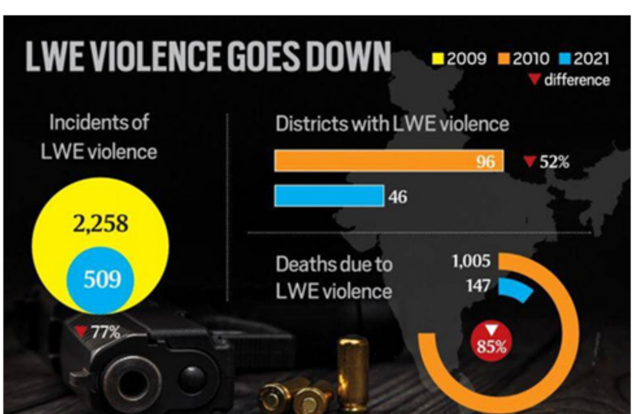

वामपंथी उग्रवाद:

- परिचय:
  - वामपंथी उग्रवादी संगठन वे समूह हैं जो हिंसक क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। वे लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं और ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट करने के लिये हिंसा का इस्तेमाल करते हैं।
  - ये समूह देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में विकास प्रक्रियाओं को रोकते हैं और लोगों को वर्तमान घटनाओं से अनभिज्ञ रखकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास करते हैं।
- कारण:
  - जनजातीय असंतोष:
    - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 आदिवासियों, जो अपने जीवन यापन के लिये वनोपज पर निर्भर हैं, को पेड़ की शाखा काटने से भी वंचित करते हैं।
    - विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों और अन्य कारणों से नक्सल प्रभावित राज्यों में जनजातीय आबादी का भारी विस्थापन।
  - माओवादियों के लिये आसान लक्ष्य: ऐसे लोग जिनके पास जीवन यापन करने का कोई स्रोत नहीं है, उन्हें माओवादी, नक्सलवादी गतिविधियों में शामिल करते हैं।
    - माओवादी ऐसे लोगों को हथियार, गोला-बारूद और पैसा मुहैया कराते हैं।
  - देश की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में अंतराल।
    - सरकार अपनी सफलता को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किये गए विकास के बजाय हिंसक हमलों की संख्या के आधार पर माप रही है।
    - नक्सलियों से लड़ने के लिये मज़बूत तकनीकी खुफिया जानकारी का अभाव।
    - उदाहरण के लिये ढाँचागत समस्याएँ, कुछ गाँव अभी तक किसी भी संचार नेटवर्क से ठीक तरह से नहीं जुड़े हैं।
  - प्रशासन की ओर से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं: यह देखा जाता है कि पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र पर कब्ज़ा करने के बाद भी, प्रशासन उस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है।
  - नक्सलवाद से एक सामाजिक मुद्दे के रूप में या एक सुरक्षा खतरे के रूप में निपटने पर भ्रम।
  - राज्य सरकारें नक्सलवाद को केंद्र सरकार का मुद्दा मान रही हैं और इस तरह इससे लड़ने के लिये कोई पहल नहीं कर रही हैं।

वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिये सरकार की पहल:

- समाधान (SAMADHAN) सिद्धांत: यह वामपंथी उग्रवाद की समस्या का एकमात्र समाधान है। इसमें विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई अल्पकालिक नीति से लेकर दीर्घकालिक नीति तक सरकार की पूरी रणनीति शामिल है। समाधान का अर्थ है-
    - S- स्मार्ट लीडरशिप।
    - A- आक्रामक रणनीति।
    - M- प्रेरणा और प्रशिक्षण।
    - A- एक्शनेबल इंटेलिजेंस।
    - D- डैशबोर्ड आधारित मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPIs) और मुख्य परिणाम क्षेत्र (KRAs)
    - H- हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी।
    - A- प्रत्येक थिएटर/नाटकशाला हेतु कार्ययोजना।
    - N- वित्तपोषण तक पहुँच नहीं।
- वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में वर्ष 2015 में राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था।
- एलडब्ल्यूई संगठनों के खतरे को रोकने के लिये सरकार द्वारा खुफिया साझाकरण और एक अलग 66वीं भारतीय आरक्षित बटालियन (IRB) का गठन किया गया था।
- 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना: इसमें सुरक्षा उपायों, विकास पहलों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल हैं।
    - गृह मंत्रालय (MHA) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के बटालियनों की तैनाती, हेलीकॉप्टरों और यूएवी तथा भारतीय रिज़र्व बटालियनों (IRBs)/विशेष भारत रिज़र्व बटालियनों (SIRBs) की मंज़ूरी के माध्यम से राज्य सरकारों को व्यापक समर्थन प्रदान कर रहा है।
    - राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण हेतु पुलिस बल के आधुनिकीकरण (Modernization of Police Force-MPF), सुरक्षा संबंधी व्यय (Security Related Expenditure-SRE) व विशेष बुनियादी ढाँचा योजनाओं (Special Infrastructure Scheme-SIS) के तहत धन उपलब्ध कराया जाता है।
    - सड़कों के निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना, कौशल विकास, बैंकों और डाकघरों के नेटवर्क में सुधार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं के लिये कई विकास पहलें लागू की गई हैं।
    - विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) योजना के तहत अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (LWE) ज़िलों को विकास के लिये धन भी प्रदान किया जाता है।
- ग्रेहाउंड्स: इसे वर्ष 1989 में विशिष्ट नक्सल विरोधी बल के रूप में स्थापित किया गया था।
- ऑपरेशन ग्रीन हंट: इसे वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी।

आगे की राह:

- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के घने जंगलों में सशस्त्र समूहों का पता लगाने के लिये सरकार को नवीन उपकरणों की आवश्यकता है।
- स्थानीय पुलिस को क्षेत्र की भाषा का ज्ञान और स्थलाकृतिक संरचना की जानकारी होती है, अत: वे सशस्त्र बलों की अपेक्षा बेहतर ढंग से नक्सलवाद से लड़ सकते हैं।
    - आंध्र पुलिस ने राज्य में नक्सलवाद से निपटने के लिये 'ग्रेहाउंड' विशेष बल तैनात किये हैं।
- सरकार को दो प्रमुख बातें सुनिश्चित करने की ज़रूरत है; शांतिप्रिय लोगों की सुरक्षा और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों का विकास।
- राज्य सरकारों को यह समझने की ज़रूरत है कि नक्सलवाद उनकी भी समस्या है और केवल वे ही इससे प्रभावी ढंग से निपट सकती हैं। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें केंद्र सरकार से मदद मिल सकती है।

नोट :

जैवविविधता और पर्यावरण

उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र

चर्चा में क्यों?

हाल के एक अध्ययन के अनुसार, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक नए ओज़ोन छिद्र का पता चला है।

अध्ययन से ज्ञात तथ्य:

- उष्णकटिबंधीय ओज़ोन छिद्र अंटार्कटिक से लगभग सात गुना बड़ा है।
  - उष्णकटिबंधीय ओज़ोन छिद्र सभी मौसमों में दिखाई देता है, जबकि अंटार्कटिक पर बना ओज़ोन छिद्र केवल वसंत ऋतु में ही दिखाई देता है।
- उष्णकटिबंधीय ओज़ोन छिद्र, जो पृथ्वी की सतह का 50% हिस्से का निर्माण करता है, इससे जुड़े जोखिमों के कारण वैश्विक चिंता का कारण बन सकता है।
  - इससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र पर अन्य नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

ओज़ोन परत

- परिचय:
  - यह ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है जिसका रासायनिक सूत्र O_3 है।
    - हम श्वास के लिये जिस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो पृथ्वी पर जीवन के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है, वह O_2 है।
  - अधिकांश ओज़ोन पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किमी. के बीच वायुमंडल में उच्च स्तर पर रहती है। इस क्षेत्र को समताप मंडल (Stratosphere) कहा जाता है और वायुमंडल में पाई जाने वाली समग्र ओज़ोन का लगभग 90% हिस्सा यहाँ पाया जाता है।
- वर्गीकरण:
  - गुड ओज़ोन:
    - ओज़ोन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल (समताप मंडल) में होती है जहाँ यह एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। यह परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है।
    - मानव निर्मित रसायनों जिन्हें ओज़ोन क्षयकारी पदार्थ (ODS) कहा जाता है, के कारण यह ओज़ोन धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC), हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC), हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल हैं।
  - बैड ओज़ोन:
    - ज़मीनी स्तर के पास पृथ्वी के निचले वायुमंडल (क्षोभमंडल) में ओज़ोन का निर्माण तब होता है जब कारों, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, रिफाइनरियों, रासायनिक संयंत्रों और अन्य स्रोतों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं।
    - सतही स्तर का ओज़ोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक है।

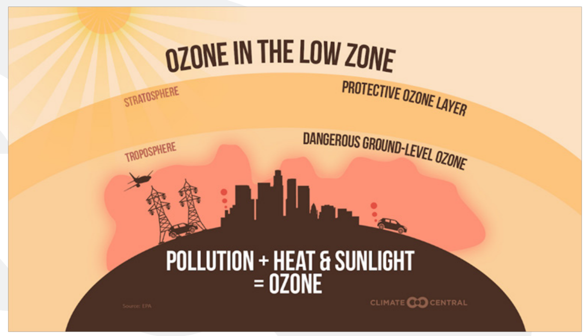

ओज़ोन परत का क्षरण:

- परिचय:
  - ओज़ोन परत का क्षरण प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से परे समताप मंडल की ओज़ोन परत के रासायनिक विनाश को संदर्भित करता है।
  - स्ट्रैटोस्फेरिक ओज़ोन को प्राकृतिक चक्रों के माध्यम से लगातार बनाया और नष्ट किया जा रहा है।
    - विभिन्न ओज़ोन क्षयकारी पदार्थ (ODS) हालाँकि विनाश प्रक्रिया को तेज़ करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य ओज़ोन स्तर में कमी आती है।
    - ODS में क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC), ब्रोमीन युक्त हैलोन और मिथाइल ब्रोमाइड, HCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड (CCl_4) तथा मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल हैं।
    - इन पदार्थों का पहले उपयोग किया जाता था और कभी-कभी अब भी शीतलक, फोमिंग एजेंट, अग्निशामक, सॉल्वैंट्स, कीटनाशकों एवं एरोसोल प्रणोदक में उपयोग किया जाता है।
    - एक बार हवा में छोड़े जाने के बाद इन ओज़ोन-क्षयकारी पधार्थों का बहुत धीरे-धीरे क्षय होता है।

नोट :

- वास्तव में जब तक वे समताप मंडल तक नहीं पहुँच जाते, तब तक क्षोभमंडल से गुज़रते हुए वर्षों तक बरकरार रह सकते हैं।
- वहाँ वे सूर्य की UV-किरणों की तीव्रता से टूट जाते हैं और क्लोरीन एवं ब्रोमीन अणु छोड़ते हैं, जो समताप मंडल के ओज़ोन को नष्ट कर देते हैं।

- क्षरण का प्रभाव:
  - मानव स्वास्थ्य पर:
    - यह UV किरण की मात्रा को बढ़ाता है जो पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है।
    - UV गैर-मेलेनोमा त्वचा कैंसर का कारण बनता है और घातक मेलेनोमा विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है।
    - इसके अलावा UV को मोतियाबिंद के विकास से जोड़ा गया है, जो आँखों के लेंस को धुँधला करता है।
  - पौधों पर:
    - UV विकिरण पौधों की भौतिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। इन प्रभावों को कम करने या सुधारने के तंत्र के बावजूद पौधों की वृद्धि सीधे UV विकिरण से प्रभावित हो सकती है।
    - UV के कारण अप्रत्यक्ष परिवर्तन (जैसे पौधे के रूप में परिवर्तन, पौधे के भीतर पोषक तत्त्व कैसे वितरित किये जाते हैं, विकास के चरणों का समय और द्वितीयक चयापचय) UV के हानिकारक प्रभावों की तुलना में समान रूप से या कभी-कभी अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।
  - समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर:
    - फाइटोप्लांकटन जलीय खाद्य जाल श्रृंखला का निर्माण करते हैं। फाइटोप्लांकटन उत्पादकता यूफोटिक ज़ोन तक सीमित है, जल के ऊपरी सतह जिसमें शुद्ध उत्पादकता के लिये पर्याप्त धूप उपलब्ध होती है।
    - सौर UV विकिरण के संपर्क से फाइटोप्लांकटन में अभिविन्यास और गतिशीलता दोनों को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप इन जीवों के जीवित रहने की दर कम हो गई है।
  - जैव रासायनिक चक्र पर:
    - UV विकिरण में वृद्धि स्थलीय और जलीय जैव-भू-रासायनिक चक्रों को प्रभावित कर सकती है, इस प्रकार ग्रीनहाउस तथा रासायनिक रूप से महत्त्वपूर्ण ट्रेस गैसों (जैसे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल सल्फाइड, ओज़ोन और संभवत: अन्य गैसों) में परिवर्तन कर सकती है।
  - पदार्थों पर:
    - सिंथेटिक पॉलिमर, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बायोपॉलिमर, साथ ही व्यावसायिक हित की कुछ अन्य पदार्थ UV विकिरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं।
    - UV स्तरों में वृद्धि उनके टूटने में तेज़ी लाएगी, जिससे उनकी समय अवधि सीमित हो जाएगी जिसके लिये वे उपयोगी हैं।

ओज़ोन परत संरक्षण हेतु शुरू की गई पहल:

- वियना कन्वेंशन:
  - ओज़ोन परत के संरक्षण के लिये वर्ष 1985 में वियना कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने समताप मंडल की ओज़ोन परत में हो रहे क्षरण को रोकने के लिये मौलिक महत्त्व को मान्यता दी थी।
  - भारत 18 मार्च, 1991 को ओज़ोन परत के संरक्षण के लिये वियना कन्वेंशन का एक पक्षकार बना।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल:
  - ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों पर वर्ष 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तथा इसके सफल संशोधनों को बाद में मानवजनित (ODS) और कुछ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) की खपत एवं उत्पादन को नियंत्रित करने के लिये बातचीत की गई थी।
  - भारत 19 जून, 1992 को ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना।
- किगाली संशोधन:
  - मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन, 2016 को अपनाने से कुछ HFCs के उत्पादन और खपत में कमी आएगी तथा अनुमानित वैश्विक वृद्धि एवं संबंधित जलवायु परिवर्तन से बचा जा सकेगा।
- यूरोपीय संघ विनियमन:
  - ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों पर यूरोपीय संघ का कानून विश्व में सबसे सख्त और सबसे उन्नत कानूनों में से एक है। नियमों की एक श्रृंखला के माध्यम से यूरोपीय संघ ने न केवल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया है, बल्कि आवश्यकता से अधिक खतरनाक पदार्थों को तेज़ी से नष्ट कर दिया है।
  - यूरोपीय संघ ओज़ोन विनियमन ओज़ोन- अवक्षय पदार्थों के सभी निर्यात और आयात हेतु लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है तथा न केवल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (90 से अधिक रसायनों) द्वारा कवर किये गए पदार्थों बल्कि कुछ ऐसे पदार्थ जो कवर नहीं किये गए हैं (पाँच अतिरिक्त रसायन जिन्हें 'नए पदार्थ' कहा जाता है), को भी नियंत्रित व मॉनिटर करता है।

- गैर-ओडीएस विकल्पों के रूप में हाइड्रोकार्बन के सुरक्षित उपयोग हेतु भारत के नियम:
  - आइसोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन सहित हाइड्रोकार्बन एरोसोल, फोम-ब्लोइंग तथा प्रशीतन (Refrigeration) क्षेत्रों में उपयोग के लिये गैर-ओडीएस विकल्पों के रूप में उपलब्ध हैं।
  - हाइड्रोकार्बन का सुरक्षित उपयोग भारत में पेट्रोलियम कानूनों द्वारा विनियमित किया जाता है।
    - पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और पेट्रोलियम नियम, 1976 विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों के संचालन से संबंधित हैं।
    - यह हाइड्रोकार्बन के प्रबंधन हेतु लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट करता है।
    - गैस सिलेंडर नियम, 1981, सिलेंडर भरने, रखने, आयात और परिवहन को संबोधित करता है।

हरित ग्रिड पहल

संदर्भ:

मई 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने CoP26 में हरित ग्रिड पहल (GGI) को लॉन्च करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी; हालाँकि अपशिष्ट निपटान के मुद्दों के कारण इस पहल के कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागत में वृद्धि की समस्या उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है ।

वन सन,वन वर्ल्ड, वन ग्रिड:

- परिचय:
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ साझेदारी में हरित ग्रिड पहल- वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (GGI-OSOWOG) की शुरुआत की घोषणा की है।
- उद्देश्य:
  - 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' की अवधारणा 'द सन नेवर सेट्स' यानी 'सूरज कभी अस्त नहीं होता' और यह किसी भी भौगोलिक स्थान पर, विश्व स्तर पर, किसी भी समय स्थिर रहता है, के विचार पर ज़ोर देती है।
  - इस पहल का उद्देश्य नवीकरणीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर वैश्विक सहयोग के लिये एक ढाँचा तैयार करना और यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि सभी देशों के लिये वर्ष 2030 तक स्वच्छ एवं कुशल ऊर्जा की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक विश्वसनीय विकल्प मौजूद हो।
  - इस परियोजना के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा का दोहन करने और अक्षय ऊर्जा के संक्रमण में तेज़ी लाने के लिये एक वैश्विक इंटरकनेक्टेड बिजली ग्रिड का निर्माण करने की बात कही गई।
  - इस पहल के माध्यम से एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में 80 से अधिक देशों को सूरज की रोशनी के विभिन्न स्तरों से जोड़ने की उम्मीद है। एक संक्रमणकालीन प्रणाली सूर्य के प्रकाश के निम्न स्तर वाले देशों को इसकी अधिकता वाले क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।
- ग्रिड कनेक्शन के विभिन्न चरण:
  - मध्य-पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशियाई (MESASEA) ग्रिड के साथ भारतीय ग्रिड का इंटरकनेक्शन।।
  - MESASEA ग्रिड का अफ्रीकी पावर ग्रिड के साथ इंटरकनेक्शन।
  - अंत में, वैश्विक इंटरकनेक्टिविटी।

GGI-OSOWOG का महत्त्व

- यह पहल सीमा पार नवीकरणीय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिये अधिक तकनीकी, वित्तीय और अनुसंधान सहयोग प्रदान करेगी, जो OSOWOG को वैश्विक बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा।
- यह स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित दुनिया के लिये आवश्यक नए बुनियादी ढाँचे के निर्माण में तेज़ी लाने के लिये राष्ट्रीय सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और तकनीकी संगठनों, व्यवस्थापकों तथा बिजली ऑपरेटरों के संगठनों के बीच मजबूती प्रदान करेगी।
- यह परस्पर लाभ और वैश्विक स्थिरता के लिये साझा किये जाने वाले परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से तेजी से विकास सुनिश्चित करेगी।
- यह कम कार्बन, नवीन सौर परियोजनाओं की दिशा में गति और निवेश का एक पूल प्रदान करेगी तथा कुशल श्रमिकों को सौर ऊर्जा संचालित आर्थिक सुधार के लिये एक साथ लाएगी। यह निवेश को भी बढ़ावा दे सकती है और लाखों नई हरित नौकरियाँ पैदा कर सकती है।
- इससे सभी सहभागी संस्थाओं के लिये कम परियोजना लागत, उच्च दक्षता और बढ़ी हुई संपत्ति का उपयोग होगा।
- इसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ सकारात्मक रूप से गरीबी उन्मूलन और पानी, स्वच्छता, भोजन एवं अन्य सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को कम करने में सहायता मिलेगी।
- भारत में राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों को क्षेत्रीय और वैश्विक प्रबंधन केंद्रों के रूप में विकसित होने में मदद मिलेगी।

भारत के लिये GGI-OSOWOG में चुनौतियाँ और अवसर:

- चुनौतियाँ:
  - GGI का दस्तावेज़ीकरण देश में मौजूदा सौर ऊर्जा बुनियादी ढाँचे की दक्षता में सुधार पर टिप्पणी नहीं करता है।

- अधिकांश सौर ऊर्जा अवसंरचनाएँ रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थित हैं, जो पैनलों पर धूल जमा करती हैं।
- धूल की एक परत सौर ऊर्जा रूपांतरण दक्षता को 40% तक कम कर देती है।
- सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ जैसे- बैटरी और पैनल ऊर्जा-गहन कच्चे माल तथा कई रसायनों एवं भारी धातुओं का उपयोग करते हैं जिन्हें सही ढंग से संभालने और निपटाने की आवश्यकता होती है।
- यह मौजूदा बुनियादी ढाँचे को पुन: चक्रित करने और पुनर्व्यवस्थित करने के लिये रणनीतियों को परिभाषित नहीं करता है, जो कि चक्रीय अर्थव्यवस्था लेंस के माध्यम से देखने के लिये एक रोमांचक तरीका हो सकता है।
- सोलर पैनल की लाइफ 20-25 वर्ष होती है, इसलिये कचरे की समस्या भविष्य में चुनौती बन सकती है।

- अवसर:
  - थर्मल ऊर्जा पर निर्भर देश होने के नाते भारत कई क्षेत्रों में हीटवेव (जब मांग बढ़ जाती है) और कोयले की कमी के कारण विद्युत की गंभीर कमी का सामना करता है।
    - GGI थर्मल पावर प्लांटों को सौर ऊर्जा में बदलकर पारंपरिक ऊर्जा प्रणाली को बदल सकता है, जिससे भारत चरम मौसमी स्थिति के प्रति अधिक लचीला और जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भर हो सकता है।
  - सौर ऊर्जा ग्रामीण भारत में लाखों लोगों के जीवन में सुधार कर रही है, जिससे वे पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों से अपने जीवन स्तर में सुधार करने में सक्षम हो रहे हैं।
    - इसका एक उदाहरण भूजल निकालने के लिये सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप (पीएम-कुसुम) का कार्यान्वयन है, जो पारंपरिक डीज़ल पंपों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल हैं।
    - भारत में डज़जल पंपों की संख्या एक करोड़ है।
    - ऐसा अनुमान है कि 10 लाख डीज़ल पंपों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों में बदलने से कृषि उत्पादन में 30,000 करोड़ रुपए का लाभ हो सकता है, साथ ही डीज़ल के उपयोग को भी कम किया जा सकता है।
    - GGI का कार्यान्वयन कई अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक पहुँच, स्वच्छ पेयजल आदि।

आगे की राह

- सौर ऊर्जा की पर्यावरणीय लागत, दक्षता के मुद्दे, रूपांतरण और हस्तांतरण के कारण ऊर्जा की हानि, तथा अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या आदि ऐसी बाधाएँ हैं जिन्हें कार्यान्वयन निकायों द्वारा तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है।
- भारत में अपशिष्ट निपटान के मुद्दों के कारण GGI के कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागत बढ़ जाती है।
  - मौजूदा बुनियादी ढाँचे के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण के लिये विशिष्ट प्रणालियों को विकसित करके इन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।
- भारत में पहल को सफल बनाने के लिये पहल की लागतों और लाभों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
  - इसके संशोधनों की योजना उन तरीकों से बनाने की आवश्यकता है जो देश की आवश्यकताओं और संसाधन क्षमताओं के अनुरूप हों।
- बहु-देशीय ग्रिड परियोजना की महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिये संस्थान निर्माण महत्त्वपूर्ण है।
  - इस संदर्भ में इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA) एक स्वतंत्र सुपरनेशनल संस्थान के रूप में कार्य कर सकता है ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि ग्रिड को कैसे चलाया जाना चाहिये और विवादों का निपटारा कैसे किया जाना चाहिये।

ESZ अधिसूचना के खिलाफ केरल का विरोध प्रदर्शन

चर्चा में क्यों?

केरल में किसान पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (ESZ) स्थापित करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का विरोध कर रहे हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों सहित प्रत्येक संरक्षित वन की सीमांकित सीमा से न्यूनतम एक किलोमीटर तक के क्षेत्र को अनिवार्य रूप से ESZ घोषित करने का निर्देश दिया है।
- केरल राज्य विधानसभा ने केंद्र से राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करकें ज़ोन्स को अधिसूचित करने की मांग की है, जिसमें राज्य के लगभग 10 संरक्षित क्षेत्रों को शून्य ESZ के रूप में चिह्नित किया गया है।

इको सेंसिटिव ज़ोन:

- परिचय:
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016) ने निर्धारित किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किमी. के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव ज़ोन या पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (ESZ) घोषित करना चाहिये।

- जबकि 10 किमी. के नियम को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है, इसके आवेदन की सीमा भिन्न हो सकती है।
- वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओ से 10 किमी. से अधिक के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, यदि वे पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण "संवेदनशील गलियारे" हैं।

- महत्त्व:
  - ESZs को संरक्षित क्षेत्रों के लिये "शॉक एब्जॉर्बर" के रूप में बनाया गया है ताकि आस-पास होने वाली कुछ मानवीय गतिविधियों के "कमज़ोर पारिस्थितिक तंत्र" पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।
  - ये क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करेंगे।
  - ESZ का उद्देश्य आस-पास रहने वाले लोगों की दैनिक गतिविधियों में बाधा डालना नहीं हैं, बल्कि संरक्षित क्षेत्रों की रक्षा करने और आसपास के वातावरण को परिष्कृत करने में मदद करना है।

पृष्ठभूमि:

- यह आदेश (Order) पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) की रिपोर्ट (गाडगिल रिपोर्ट) के एक दशक बाद आया है, जिसने राज्य में सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक आख्यानों को मौलिक रूप से प्रभावित किया था।
  - हालाँकि यह WGEEP रिपोर्ट से पहले के दिनों में राज्य द्वारा देखी गई उच्च-स्तरीय सार्वजनिक अशांति और विरोध के स्तर तक सीमित नहीं रहा बल्कि ESZ अधिसूचना ने भी राज्यव्यापी विरोध शुरू कर दिया है।
- इससे पहले राज्य सरकार ने अपने मसौदा ESZ अधिसूचना के दायरे से उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों, सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संस्थानों तथा सार्वजनिक संस्थानों को बाहर करने पर ध्यान केंद्रित किया था।
- पड़ोसी राज्यों के साथ वन सीमा साझा करने वाले संरक्षित क्षेत्रों के लिये ESZ का अंकन एक शांतिपूर्ण मामला था क्योंकि बीच में कोई मानव बस्ती नहीं थी।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश ने तस्वीर बदल दी है और राज्य सरकार को कम-से-कम दस संरक्षित क्षेत्रों के ESZ पर पुनर्विचार करने के लिये कहा गया है जिन्हें पहले शून्य ESZ के रूप में चिह्नित किया गया था।

ESZ अधिसूचना:

- इस अधिसूचना से केरल में अप्रिय स्थिति पैदा हो गई है जहाँ भूमि और भूमि उपयोग पैटर्न पर किसी भी नियामक तंत्र का राजनीतिक प्रभाव होगा।
- केरल अपने अनूठे परिदृश्य पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित है।
  - केरल में लगभग 30% वन भूमि है और पश्चिमी घाट राज्य के 48% हिस्से पर उसका कब्ज़ा है।
- अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों के पास मानव आबादी के उच्च घनत्व के कारण किसान समूह और राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि सभी मानव बस्तियों को ESZ नियमों से छूट दी जाए।
- राज्य सरकार को आशंका है कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिसूचना से ज़मीनी स्थिति और खराब हो सकती है क्योंकि इससे राज्य के हितों पर तथा संरक्षित क्षेत्रों के पास रहने वाले लाखों लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आगे की राह

- राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिये एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिये ताकि दीर्घकालिक विकास को प्राप्त किया जा सके।
- सरकार को अपनी भूमिका को राज्य के तत्काल उत्थान के लिये आर्थिक गतिविधियों के सूत्रधार की भूमिका तक सीमित नहीं रखना चाहिये।
- वनीकरण और अवक्रमित वनों का पुनर्वनीकरण, लुप्त आवासों का पुनरुद्धार, कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- संरक्षण तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना, संसाधनों के अत्यधिक दोहन और जनता के बीच इसके प्रतिकूल

वनाग्नि

चर्चा में क्यों ?

हाल के कुछ दिनों में वनाग्नि (Forest Fire) ने यूरोप (विशेष रूप से दक्षिण-पश्चिम यूरोप) को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

- हज़ारों एकड़ भूमि को नष्ट करने वाली भीषण गर्मी ने जहाँ लोगों को अपना घर छोड़ने के लिये मजबूर किया है, वहीं इस आपात स्थिति में कार्य कर रहे कई कर्मियों को अपनी जान भी गँवानी पड़ी है।

वनाग्नि क्या है ?

- परिचय:
  - इसे बुश फायर/वेजिटेशन फायर या जंगल की आग भी कहा जाता है, इसे किसी भी अनियंत्रित और गैर-निर्धारित दहन या प्राकृतिक स्थिति जैसे कि जंगल, घास के मैदान, क्षुपभूमि

(Shrubland) अथवा टुंड्रा में पौधों/वनस्पतियों के जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन का उपयोग करती है और पर्यावरणीय स्थितियों (जैसे- हवा तथा स्थलाकृति आदि) के आधार पर इसका प्रसार होता।
- वनाग्नि के लिये तीन कारकों की उपस्थिति आवश्यक है और वे हैं- ईंधन, ऑक्सीजन एवं गर्मी अथवा ताप का स्रोत।

- कारण:
  - प्राकृतिक कारण:
    - वनाग्नि प्राकृतिक कारणों से भी प्रेरित हो सकती है जैसे कि कई बार तड़ित/आकाशीय बिजली (Lightning) के कारण भी वृक्षों में आग लग जाती है।
    - हालाँकि इस तरह की वनाग्नि को वर्षा ही बुझा देती है तथा बहुत अधिक क्षति नहीं होती। उच्च वायुमंडलीय तापमान और (निम्न आर्द्रता) इस तरह की वनाग्नि के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है।
  - मानवजनित कारण:
    - खुले में किसी प्रकार कि लौ जलाने, सिगरेट अथवा बीड़ी या इलेक्ट्रिक स्पार्क या प्रज्वलन के किसी स्रोत के ज्वलनशील सामग्री के संपर्क में आने पर भी आग लगने की घटना हो सकती है।

वनाग्नि का वर्गीकरण:

- सतही आग:
  - वनाग्नि अथवा दावानल की शुरुआत सतही आग (Surface Fire) के रूप में होती है जिसमें वन भूमि पर पड़ी सूखी पत्तियाँ, छोटी-छोटी झाड़ियाँ और लकड़ियाँ जल जाती हैं तथा धीरे-धीरे इनकी लपटें फैलने लगती हैं।
- भूमिगत आग:
  - कम तीव्रता की आग जो भूमि की सतह के नीचे मौजूद कार्बनिक पदार्थों और वन भूमि की सतह पर मौजूद अपशिष्टों का उपयोग करती है, को भूमिगत आग के रूप में उप-वर्गीकृत किया जाता है। अधिकांश घने जंगलों में खनिज मृदा के ऊपर कार्बनिक पदार्थों का एक मोटा आवरण पाया जाता है।
  - इस प्रकार की आग आमतौर पर पूरी तरह से भूमिगत रूप में फैलती है और यह सतह से कुछ मीटर नीचे तक जलती है।
  - यह आग बहुत धीमी गति से फैलती है और अधिकांश मामलों में इस तरह की आग का पता लगाना तथा उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
  - इस प्रकार की आग महीनों तक जलती रह सकती है और यह मृदा के वानस्पतिक आवरण को नष्ट कर सकती है।
- मैदानी आग:
  - यह उप-सतह जैसे कि वन क्षेत्रों के नीचे मौजूद डफ की परतें, आर्कटिक टुंड्रा या टैगा और दलदल की जैविक मृदा में मौजूद कार्बनिक ईंधन में लगने वाली आग है।
    - मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ को कूड़े का ढेर (Litter) कहते हैं। यह धीरे-धीरे सड़ता है और जब आंशिक रूप से विघटित होता है,तो इसे डफ कहा जाता है।
  - भूमिगत और ज़मीनी सतह की आग के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है।
  - सुलगती भूमिगत आग कभी-कभी मैदानी आग में बदल जाती है।
  - यह आग सतह पर या उसके नीचे जड़ और अन्य सामग्री को जला देती है, यानी अपक्षय के विभिन्न चरणों में कार्बनिक पदार्थों की परत के साथ वन भूमि पर विकसित घास को भी जला देती है।
  - जलवायु में तेज़ी से बदलाव के कारण आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र उच्च तीव्रता वाले वनाग्नि की घटनाओं के लिये सबसे अधिक प्रवण हैं।
  - मिज़ोरम में पिछले दो दशकों में सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएँ हुई हैं, इसके 95% से अधिक ज़िले वनाग्नि के लिये हॉटस्पॉट हैं।
  - जो ज़िले पहले बाढ़ प्रवण थे, वे अब जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप "स्वैपिंग ट्रेंड" कि वजह से सूखा प्रवण बन गए हैं।
  - 75% से अधिक भारतीय ज़िले चरम जलवायु घटना के हॉटस्पॉट हैं और 30% से अधिक ज़िले अत्यधिक वनाग्नि वाले हॉटस्पॉट हैं।
- उठाए गए कदम:
  - वनाग्नि के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPFF), 2018 को वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के लक्ष्य के साथ जंगल के किनारे रह रहे समुदायों को सूचित, सक्षम और सशक्त बनाने तथा उन्हें राज्य वन विभागों से सहयोग के लिये प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया था।
  - वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना (FPM) एकमात्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जो वनाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता के लिये समर्पित है।

वनाग्नि पर काबू पाने के लिये आवश्यक उपाय:

- गर्मियों में जंगल की सीमा के चारों ओर फैले कूड़े को हटाकर आग को रोका जा सकता है।

- जंगल की सीमा के निर्माण से वनाग्नि को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से रोका जा सकता है।
- यह वनाग्नि को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे फैलने से रोकने का कार्य जंगलों में अग्निरोधक के रूप मे छोटी-छोटी खाइयाँ बनाकर किया जा सकता है।
- वनों के निकट के क्षेत्रों में सुरक्षित प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है। कारखानों, कोयले की खानों, तेल भंडारों, रासायनिक संयंत्रों और यहाँ तक कि घरेलू रसोई में भी।
- इसके अलावा आग की घटनाओं में कमी के लिये अग्निशमन तकनीकों और उपकरणों को शामिल करना।

पर्यावरण प्रभाव आकलन

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसमें पर्यावरण मंज़ूरी प्राप्त करने के लिये कई प्रकार की छूट दी गई है।

- किसी क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभावों का आकलन (तद्नुसार कम करने) करने हेतु एक परियोजना या गतिविधि के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारियों की जाँच करने के लिये वर्ष 2006 में MoEFCC द्वारा एक नई EIA अधिसूचना जारी की गई थी जिसमे वर्ष 2016, 2020 और 2021 में संशोधन किये गए थे।

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में वर्ष 2006 में किये गए संशोधन:

- परियोजना मंज़ूरी प्रकिया का विकेंद्रीकरण: इसके तहत विकासात्मक परियोजनाओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:
  - श्रेणी 'A' (राष्ट्रीय स्तरीय मूल्यांकन): इन विकासात्मक परियोजनाओं का मूल्यांकन 'प्रभाव आकलन एजेंसी' और 'विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति' द्वारा किया जाता है।
  - श्रेणी 'B' (राज्य स्तरीय मूल्यांकन): इस श्रेणी की विकासात्मक परियोजनाओं को 'राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण' (SEIAA) और राज्य 'स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति' (SEAC) द्वारा मंज़ूरी प्रदान की जाती है।
- विभिन्न चरणों की शुरुआत: संशोधन के माध्यम से पर्यावरण प्रभाव आकलन में चार चरणों की शुरुआत की गई; स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, जन सुनवाई और मूल्यांकन।
  - श्रेणी 'A' परियोजनाओं को अनिवार्य पर्यावरणीय मंज़ूरी की आवश्यकता होती है, अत: इस प्रकार उन्हें स्क्रीनिंग प्रक्रिया से नहीं गुज़रना पड़ता है।
  - श्रेणी 'B' परियोजनाएँ एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुज़रती हैं और उन्हें 'B1' (अनिवार्य रूप से पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यकता) तथा 'B2' (पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यकता नहीं) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- अनिवार्य मंज़ूरी वाली परियोजनाएँ: खनन, थर्मल पावर प्लांट, नदी घाटी, बुनियादी अवसंरचना (सड़क, राजमार्ग, बंदरगाह और हवाई अड्डे) जैसी परियोजनाओं तथा बहुत छोटे इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फाउंड्री इकाइयों सहित विभिन्न छोटे उद्योगों के लिये पर्यावरण मंज़ूरी प्राप्त करना अनिवार्य होता है।

परियोजनाओं को छूट:

- सामरिक और रक्षा परियोजनाएँ:
  - सामरिक और रक्षा महत्त्व की राजमार्ग परियोजनाएँ, जो नियंत्रण रेखा से 100 किमी. की दूरी पर हैं, को अन्य स्थानों की तुलना में निर्माण से पहले पर्यावरण मंज़ूरी से छूट दी जाती है।
    - सीमावर्ती राज्यों में रक्षा और सामरिक महत्त्व से संबंधित राजमार्ग परियोजनाएँ प्रकृति में संवेदनशील होती हैं और इन्हें कई मामलों में रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता पर निष्पादित करने की आवश्यकता होती है।
    - रणनीतिक महत्त्व के राजमार्गों को दी जाने वाली छूट विवादास्पद चार धाम परियोजना के निर्माण के लिये हरित मंज़ूरी की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिसमें उत्तराखंड के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री मंदिरों से कनेक्टिविटी में सुधार के लिये 899 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करना शामिल है। .
    - फिलहाल मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायलय में चल रही है, जिसने मामले की जाँच के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।
- बायोमास आधारित विद्युत संयंत्र:
  - कोयला, लिग्नाइट या पेट्रोलियम उत्पादों जैसे सहायक ईंधन का उपयोग करने वाले उन बायोमास या गैर-खतरनाक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पर आधारित 15 मेगावाट तक के ताप विद्युत संयंत्रों को भी छूट दी गई है जब तक कि ईंधन मिश्रण पर्यावरण के अनुकूल है।
- मत्स्य प्रबंधन वाले बंदरगाह और डॉकयार्ड:
  - अन्य की तुलना में कम प्रदूषण, मत्स्य प्रबंधन तथा छोटे मछुआरों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले बंदरगाहों और डॉकयार्डों को पर्यावरण मंज़ूरी से छूट दी गई है।

- टोल प्लाज़ा:
  - टोल प्लाज़ा जिन्हें बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही के लिये टोल संग्रह बूथों की स्थापना हेतु अधिक चौड़ाई वाले स्थान की आवश्यकता होती है और मौजूदा हवाई अड्डे, जिन्हें टर्मिनल बिल्डिंग विस्तार से संबंधित गतिविधियों की आवश्यकता होती है, हवाई अड्डों के मौजूदा क्षेत्र में वृद्धि के बिना (रनवे आदि के विस्तार के अतिरिक्त) दो अन्य परियोजनाओं को छूट दी गई है।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन:

- परिचय:
  - संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को किसी परियोजना से संबंधित निर्णय लेने से पूर्व पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने हेतु उपयोग किये जाने वाले उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- लक्ष्य:
  - परियोजना नियोजन और डिज़ाइन के प्रारंभिक चरण में पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी करना, प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के तरीके और साधन खोजना, परियोजनाओं को स्थानीय पर्यावरण के अनुरूप आकार देना तथा निर्णय निर्माताओं के लिये विकल्प प्रस्तुत करना।
- प्रक्रिया:
  - स्क्रीनिंग: EIA का पहला चरण, जो यह निर्धारित करता है कि प्रस्तावित परियोजना के लिये EIA की आवश्यकता है या नहीं और यदि है तो मूल्यांकन के किस स्तर की आवश्यकता होगी।
  - स्कोपिंग: यह चरण उन प्रमुख मुद्दों एवं प्रभावों का निर्धारण करता है जिनकी आगे जाँच की जानी चाहिये। यह चरण अध्ययन की सीमा तथा समय-सीमा को भी परिभाषित करता है।
  - प्रभाव विश्लेषण: EIA का यह चरण प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का निर्धारण एवं पूर्वानुमान प्रदान करता है तथा महत्त्व का मूल्यांकन करता है।
  - मिटिगेशन: EIA का यह कदम विकास गतिविधियों के संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने तथा उनसे बचने के लिये कार्यों की संस्तुति करता है।
  - रिपोर्टिंग: यह चरण निर्णय निर्माण निकाय एवं अन्य इच्छुक पक्षकारों की रिपोर्ट के रूप में EIA के परिणाम प्रस्तुत करता है।
  - जन सुनवाई: EIA रिपोर्ट के पूरा होने पर परियोजना स्थल के करीब रहने वाले सार्वजनिक और पर्यावरण समूहों को सूचित किया जा सकता है तथा उनसे परामर्श किया जा सकता है।
  - EIA की समीक्षा: यह EIA रिपोर्ट की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता की जाँच करती है तथा निर्णय निर्माण के लिये आवश्यक जानकारी प्रदान करती है।
  - निर्णय लेना: यह इस बात को निर्धारित करता है कि परियोजना को अस्वीकार कर दिया गया है, स्वीकृत किया गया है अथवा इसमें और परिवर्तनों की आवश्यकता है।
  - निगरानी के बाद: परियोजना के प्रारंभ होने के पश्चात् यह चरण अस्तित्व में आता है जो यह सुनिश्चित करने के लिये जाँच करता है कि परियोजना के प्रभाव कानूनी मानकों से अधिक नहीं हैं एवं शमन उपायों का कार्यान्वयन EIA रिपोर्ट में वर्णित तरीके से हुआ है।

अरावली को हरित संरक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला में वन भूमि के लिये हरित संरक्षण का विस्तार किया।

- न्यायालय के निर्णय का अर्थ है कि हरियाणा में अरावली और शिवालिक में लगभग 30,000 हेक्टेयर वन भूमि मानी जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हरियाणा में पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA) की धारा 4 के तहत जारी विशेष आदेशों के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि को वन क्षेत्र माना जाएगा तथा यह भूमि 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण की हकदार होगी।
  - धारा 4 के तहत आने वाली ऐसी भूमि में केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोई व्यावसायिक गतिविधि या इसका गैर-वन उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- यह भी कहा गया है कि PLPA की धारा 4 के तहत जारी विशेष आदेशों के अंतर्गत आने वाली भूमि तथा वन अधिनियम की धारा 2 के तहत आने वाली सभी भूमि वन के रूप में शामिल होगी।
- न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन महीने में ऐसी भूमि से किसी भी गैर-वन गतिविधि को हटाने और अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
- पीठ ने सितंबर 2018 के एक निर्णय पर विचार किया जिसमें PLPA के तहत सभी भूमि को वन क्षेत्र माना जा सकता है।
  - हाल के निर्णय ने स्पष्ट किया कि पिछला निर्णय PLPA की धारा 4 और वन अधिनियम की धारा 2 के संबंध में इसके कानूनी प्रभाव की बारीकी से जाँच करने में विफल रहा।

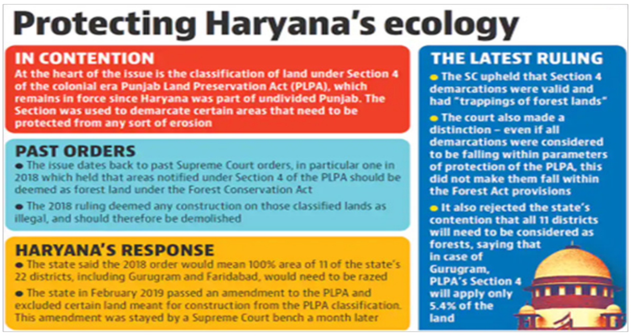

PLPA की धारा 4 और वन अधिनियम की धारा 2:

- पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (PLPA) की धारा 4:
  - PLPA की धारा 4 के तहत विशेष आदेश का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा एक निर्दिष्ट क्षेत्र में वनों की कटाई (जिससे मिट्टी का क्षरण हो सकता है) को रोकने के लिये जारी किये गए प्रतिबंधात्मक प्रावधान से है।
  - जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि बड़े क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले वन क्षेत्र के वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण होने की संभावना है, तो धारा 4 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।
    - इसलिये जिस विशिष्ट भूमि के संबंध में PLPA की धारा 4 के तहत विशेष आदेश जारी किया गया है, उसमें वन अधिनियम द्वारा शासित वन के सभी नियम शामिल होंगे।
  - जबकि PLPA की धारा 4 के विशेष आदेशों के तहत अधिसूचित भूमि वन भूमि होगी, PLPA के तहत सभी भूमि वास्तव में वन अधिनियम के अर्थ में वन भूमि नहीं मानी जाएगी।
- वन अधिनियम की धारा 2:
  - वन अधिनियम की धारा 2 केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वनों के अनारक्षण या गैर-वन उद्देश्यों के लिये वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है।
    - किसी भूमि को वन अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत शामिल करने के बाद चाहे धारा 4 के अंतर्गत विशेष आदेश जारी हो या नहीं, वह वन भूमि ही मानी जाएगी।

अरावली रेंज:

- अवस्थिति:
  - अरावली रेंज का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक लगभग 720 किमी. की दूरी तक है, जो हरियाणा और राजस्थान तक विस्तारित है।
- रचना:
  - अरावली रेंज लाखों साल पुराना है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ।
- आयु:
  - कार्बन डेटिंग से पता चला है कि अरावली रेंज में ताँबे और अन्य धातुओं का खनन लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था।
- विशेषताएँ:
  - अरावली विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, जो अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है, इसकी ऊँचाई 300 मीटर से 900 मीटर के बीच है।
  - अरावली रेंज की सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर (1,722 मीटर) है।
  - यह मुख्य रूप से वलित पर्वत है, जिसका निर्माण दो प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ है।
- विस्तार:
  - पहाड़ों को राजस्थान में दो मुख्य श्रेणियों सांभर सिरोही रेंज और सांभर खेतड़ी रेंज में विभाजित किया गया है, जहाँ उनका विस्तार लगभग 560 किमी. तक है।
  - दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक फैले अरावली का अदृश्य भाग गंगा और सिंधु नदियों के जल के बीच एक विभाजन बनाता है।
- महत्त्व:
  - मरुस्थलीकरण को रोकने में:
    - अरावली पहाड़ी पूर्व में उपजाऊ मैदानों और पश्चिम में रेतीले रेगिस्तान के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करती है।
    - ऐतिहासिक रूप से यह कहा जाता है कि अरावली श्रृंखला ने थार मरुस्थल को गंगा के मैदानों तक विस्तारित होने से रोकने का कार्य किया है जो नदियों और मैदानों के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता था।
  - जैवविविधता में समृद्ध:
    - यह पौधों की 300 स्थानिक प्रजातियों, 120 पक्षी प्रजातियों और सियार तथा नेवले जैसे कई विशिष्ट जानवरों को आश्रय प्रदान करता है।

नोट :

- पर्यावरण पर प्रभाव:
  - अरावली का उत्तर-पश्चिम भारत और उसके बाहर की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है।
  - यह रेंज मानसून के दौरान बादलों को शिमला और नैनीताल की ओर मोड़ने में सहायता करता है, जिससे उप-हिमालयी नदियों को जल प्राप्त होता है और इस जल से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों को पानी की प्राप्ति होती है।
  - सर्दियों के मौसम में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिमी हवाओं से बचाता है।

जलवायु वित्त

चर्चा में क्यों?

हाल ही में UNFCCC COP26 के अध्यक्ष, आलोक शर्मा ने भारत की COP 26 प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिये भारत का दौरा किया।

- उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2023 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्तपोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक तंत्र स्थापित किया जा रहा है।

जलवायु वित्त:

- परिचय:
  - जलवायु वित्त ऐसे स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण को संदर्भित करता है, जो सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों से प्राप्त किया गया हो।
  - UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता के तहत अधिक वित्तीय संसाधनों वाले देशों से ऐसे देशों के लिये वित्तीय सहायता की मांग की जाती है, जिनके पास कम वित्तीय संसाधन हैं और जो अधिक असुरक्षित हैं।
    - यह 'समान लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारी और संबंधित क्षमताओं' (CBDR-RC) के सिद्धांत के अनुसार है।
  - COP26 में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिये नई वित्तीय प्रतिज्ञाएँ की गईं।
    - COP26 में सहमत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार तंत्र के लिये नए नियम अनुकूलन निधि का समर्थन करेंगे।
- महत्त्व:
  - न्यूनीकरण के लिये जलवायु वित्त की आवश्यकता है क्योंकि उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिये बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।
  - अनुकूलन के लिये जलवायु वित्त भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिकूल प्रभावों के अनुकूल होने और बदलती जलवायु के प्रभावों को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
  - जलवायु वित्तपोषण इस बात को स्वीकार करता है कि जलवायु परिवर्तन में देशों का योगदान और इसे रोकने तथा इसके परिणामों से निपटने की उनकी क्षमता में काफी अंतर है।
    - इसलिये विकसित देशों को भी देश-संचालित रणनीतियों का समर्थन करने और विकासशील देशों की पार्टियों की ज़रूरतों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यों के माध्यम से जलवायु वित्त जुटाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये।
  - जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न मुद्दों से निपटने और पूर्व-औद्योगिक स्तरों पर पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जलवायु वित्त महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि वर्ष 2018 की आईपीसीसी की रिपोर्ट में इसकी भविष्यवाणी की गई है।

100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य और इसका महत्त्व:

वर्ष 2009 में UNFCCC COP15 (कोपेनहेगन में आयोजित) में विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये विकसित देशों की पार्टियों ने सार्थक न्यूनीकरण कार्यों और कार्यान्वयन में पारदर्शिता हासिल करने के लिये संयुक्त रूप से वर्ष 2020 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया है।

जलवायु वित्त लक्ष्य को औपचारिक रूप से कानकुन में COP16 में पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन द्वारा मान्यता दी गई थी।

पेरिस COP21 में पार्टियों ने $100 बिलियन के लक्ष्य को वर्ष 2025 तक बढ़ाया।

- COP26 के बाद इस बात पर आम सहमति बनी कि विकसित राष्ट्र अनुकूलन और शमन के बीच संतुलन के लिये 2025 तक वित्तीय अनुकूलन के अपने सामूहिक प्रावधान को वर्ष 2019 के स्तर से दोगुना कर देंगे।

हरित वित्तपोषण:

- जलवायु वित्त के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने हेतु UNFCCC ने विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिये वित्तीय तंत्र की स्थापना की है।
  - वित्त संरचना क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते का भी समर्थन करती है।
- यह निर्दिष्ट करता है कि वित्तीय तंत्र के संचालन को एक या अधिक मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सौंपा जा सकता है, वर्ष 1994 में कन्वेंशन के प्रवेश के बाद से वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) ने वित्तीय तंत्र के संचालन संस्थान के रूप में काम किया है।

- पार्टियों ने वर्ष 2010 में COP16 में ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) की स्थापना की और इसे वर्ष 2011 में वित्तीय तंत्र की एक परिचालन इकाई के रूप में नामित किया।
- वित्तीय तंत्र COP को रिपोर्ट करता है, जो इसकी नीतियों, कार्यक्रम की प्राथमिकताओं और वित्तपोषण पात्रता मानदंड को निर्धारित करता है।

- अन्य वित्त:
  - GEF और GCF को मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा पार्टियों ने दो विशेष फंड स्थापित किये हैं-
    - विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)
    - अल्प विकसित देश कोष (LDCF)
    - दोनों का प्रबंधन GEF और वर्ष 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित अनुकूलन कोष (AF) द्वारा किया जाता है।
  - 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पार्टियों ने सहमति व्यक्त की कि वित्तीय तंत्र की संचालन संस्थाएँ- GCD, GEF, SCCF और LDCF पेरिस समझौते के तहत सेवा करेंगे।

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल:

- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC):
  - इसकी स्थापना वर्ष 2015 में भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की लागत को पूरा करने के लिये की गई थी, जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF):
  - उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के माध्यम से वित्तपोषित स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये इस कोष का निर्माण किया गया था।
  - यह वित्त सचिव (अध्यक्ष के रूप में) के साथ एक अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा शासित किया जाएगा।
  - इसका प्रमुख उद्देश्य जीवाश्म और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षेत्रों में नवीन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास के लिये कोष प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय अनुकूलन कोष:
  - इस कोष की स्थापना वर्ष 2014 में 100 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ की गई थी, इसका उद्देश्य आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच के अंतराल की पूर्ति करना था।
  - यह कोष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत संचालित है।

आगे की राह

- विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिये और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में मदद हेतु काम करना चाहिये इस प्रकार जलवायु लचीला बुनियादी ढाँचे के लिये वित्तपोषण प्राप्त करना चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पूर्व में निर्धारित 100 अरब डॉलर का लक्ष्य पूरा हो।
- इसके अलावा नया वित्त जुटाने के लिये एक राजनीतिक प्रतिबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता है।
  - यह सुनिश्चित करना कि उत्सर्जन और भेद्यता को कम करने के लिये वित्त का लक्षित जगह पर निवेश किया जा रहा है।
  - हाल के अनुभवों से सीखना और सुधार करना विशेष रूप से ग्रीन क्लाइमेट फंड को कम करना।

रामसर साइट्स

चर्चा में क्यों?

भारत की पाँच और आर्द्रभूमियों को रामसर साइट्स, या अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों में शामिल किया गया है, जिससे देश में अब ऐसे स्थलों की संख्या 54 हो गई।

नई रामसर साइट्स:

- करीकिली पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु):
  - यह अभयारण्य पाँच किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है और यह जलकाग, एग्रेट्स, ग्रे हेरॉन, ओपन-बिल स्टॉर्क, डार्टर, स्पूनबिल, व्हाइट एलबनिस, नाइट हेरॉन, ग्रेब्स, ग्रे पेलिकन आदि का घर है।
- पल्लिकरनई मार्श रिज़र्व फॉरेस्ट (तमिलनाडु):
  - पल्लिकरनई मार्श दक्षिण भारत के कुछ और अंतिम शेष प्राकृतिक आर्द्रभूमि में से एक है। यह 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है जिसमें 65 आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं।
- पिचवरम मैंग्रोव (तमिलनाडु):
  - देश के अंतिम मैंग्रोव वनों में से एक।
  - इसमें जल के विशाल विस्तार के साथ मैंग्रोव वनों से आच्छादित एक द्वीप है।
- साख्य सागर (मध्य प्रदेश):
  - वर्ष 1918 में मनियर नदी से निर्मित, साख्य सागर माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है।
- पाला आर्द्रभूमि (मिज़ोरम):
  - यह जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों की एक विस्तृत शृंखला का घर है।

- इसकी भौगोलिक स्थिति इंडो-बर्मा जैवविविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आती है इसलिये यह जानवरों और पौधों की प्रजातियों में समृद्ध है।
- झील पलक वन्यजीव अभयारण्य का एक प्रमुख घटक है और यह अभयारण्य की प्रमुख जैवविविधता का समर्थन करती है।

रामसर मान्यता:

- परिचय:
  - रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की एक आर्द्रभूमि है, जिसे वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर-सरकारी पर्यावरण संधि 'वेटलैंड्स पर कन्वेंशन' के रूप में भी जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहाँ उस वर्ष सम्मेलन पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - रामसर मान्यता दुनिया भर में आर्द्रभूमि की पहचान है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के हैं, खासकर अगर वे जलपक्षी (पक्षियों की लगभग 180 प्रजातियों) को आवास प्रदान करते हैं।
  - ऐसी आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय हित और सहयोग शामिल है।
  - पश्चिम बंगाल में सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है।
  - भारत की रामसर आर्द्रभूमि, 18 राज्यों में देश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र के 11,000 वर्ग किमी. में फैली हुई है।
  - किसी अन्य दक्षिण एशियाई देश में उतने स्थल नहीं हैं, हालाँकि इसका भारत की भौगोलिक विस्तार और उष्णकटिबंधीय विविधता से बहुत कुछ लेना-देना है।
- मानदंड: रामसर साइट होने के लिये नौ मानदंडों में से एक को पूरा किया जाना चाहिये।
  - मानदंड 1: यदि इसमें उपयुक्त जैव-भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक या निकट-प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकार का प्रतिनिधि, दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण है।
  - मानदंड 2: यदि यह कमज़ोर, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करता है।
  - मानदंड 3: यदि यह किसी विशेष जैव-भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण पौधों और/या पशु प्रजातियों की आबादी का समर्थन करता है।
  - मानदंड 4: यदि यह पौधों और/या पशु प्रजातियों को उनके जीवन चक्र में एक महत्त्वपूर्ण चरण में समर्थन देता है या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान आश्रय प्रदान करता है।
  - मानदंड 5: यदि यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलपक्षियों का समर्थन करता है।
  - मानदंड 6: यदि यह नियमित रूप से एक प्रजाति या वाटरबर्ड की उप-प्रजाति की आबादी में 1% व्यक्तियों का समर्थन करता है।
  - मानदंड 7: यदि यह स्वदेशी मछली उप-प्रजातियों, प्रजातियों या परिवारों, जीवन-इतिहास चरणों, प्रजातियों की अंत: क्रिया और/या आबादी के एक महत्त्वपूर्ण अनुपात का समर्थन करता है जो आर्द्रभूमि के लाभ और/या मूल्यों के प्रतिनिधि हैं और इस प्रकार वैश्विक जैविक विविधता में योगदान करते हैं।
  - मानदंड 8: यदि यह मछलियों, स्पॉन ग्राउंड, नर्सरी और/या प्रवास पथ के लिये भोजन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, जिस पर या तो आर्द्रभूमि के भीतर या अन्य जगहों पर मछली का स्टॉक निर्भर करता है।
  - मानदंड 9: यदि यह नियमित रूप से प्रजाति या आर्द्रभूमि-निर्भर गैर एवियन पशु प्रजातियों की उप-प्रजातियों की आबादी के 1% का समर्थन करता है।
- महत्त्व:
  - रामसर टैग आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करने और बनाए रखने में मदद करता है जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण तथा उनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं एवं लाभों के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - स्थलों को अभिसमय के सख्त दिशा-निर्देशों के तहत संरक्षित किया जाता है।

आर्द्रभूमि:

- परिचय:
  - आर्द्रभूमि वे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो मौसमी या स्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं।
  - इनमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र जहाँ निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते तथा इसके अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे- अपशिष्ट जल उपचारित जलाशय शामिल हैं।
  - यद्यपि ये भू-सतह के केवल 6% हिस्से को ही कवर करते हैं। सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का 40% आर्द्रभूमियों में ही पाया जाता है या वे यहाँ प्रजनन करते हैं।
- महत्त्व:
  - जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायक:
    - आर्द्रभूमियाँ जलवायु और भूमि-उपयोग-मध्यस्थ GHG उत्सर्जन को कम करके और वातावरण से CO_2 को सक्रिय रूप से एकत्र करने की क्षमता को बढ़ाकर CO_2

(कार्बन डाइऑक्साइड), CH_4 (मीथेन), N_2O (नाइट्रस ऑक्साइड) तथा ग्रीनहाउस गैस (GHG) सांद्रता को स्थिर करने में सहायता करती हैं।
- आर्द्रभूमियाँ समुद्र तटों की रक्षा करके बाढ़ जैसी आपदाओं के जोखिम को कम करने में भी मदद करती हैं।

- कार्बन संग्रहण:
  - आर्द्रभूमि के रोगाणु, पौधे और वन्यजीव, जल, नाइट्रोजन और सल्फर के वैश्विक चक्रों का हिस्सा हैं।
  - आर्द्रभूमि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ने के बजाय अपने वृक्ष समुदायों और मृदा के भीतर संग्रहीत करती है।
- पीटलैंड का महत्त्व:
  - 'पीटलैंड' शब्द पीट मृदा और सतह पर आर्द्रभूमि को संदर्भित करता है।
  - वे दुनिया की भूमि की सतह का सिर्फ 3% हिस्सा हैं, लेकिन वनों की तुलना में दोगुना कार्बन जमा करते हैं, इस प्रकार जलवायु संकट, सतत् विकास और जैवविविधता पर वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - पीटलैंड दुनिया के सबसे बड़े कार्बन भंडारों में से एक है, जो भारत में विरल है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- प्रवासी पक्षियों हेतु स्वर्ग:
  - लाखों प्रवासी पक्षी भारत में आते हैं और आर्द्रभूमि इस वार्षिक घटना के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - पारिस्थितिक रूप से आर्द्रभूमि पर निर्भर प्रवासी जलपक्षी अपने मौसमी प्रवास के माध्यम से महाद्वीपों, गोलार्द्धों संस्कृतियों और समाजों को जोड़ते हैं।
  - आर्द्रभूमि समुदायों की विविधता पक्षियों के लिये आवश्यक ठहराव की सुविधा प्रदान करती है।
- सांस्कृतिक और पर्यटन महत्त्व:
  - आर्द्रभूमि का भारतीय संस्कृति और परंपराओं से भी गहरा संबंध है।
  - मणिपुर में लोकटक झील स्थानीय लोगों द्वारा "इमा" (माँ) के रूप में पूजनीय है, जबकि सिक्किम की खेचोपलरी झील "इच्छा पूरी करने वाली झील" के रूप में लोकप्रिय है।
  - छठ पूजा का उत्तर भारतीय त्योहार लोगों, संस्कृति, जल और आर्द्रभूमि के जुड़ाव की सबसे अनोखी अभिव्यक्तियों में से एक है।
  - कश्मीर में डल झील, हिमाचल प्रदेश में खज्जियार झील, उत्तराखंड में नैनीताल झील और तमिलनाडु में कोडाइकनाल लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं।

- खतरा:
  - मानव गतिविधियाँ:
    - जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES) के वैश्विक मूल्यांकन के अनुसार, आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी तंत्र को मानव गतिविधियों और ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे अधिक खतरा है।
  - नगरीकरण:
    - शहरी केंद्रों के पास स्थित आर्द्रभूमि को आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक सुविधाओं में वृद्धि के कारण विकासात्मक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
    - नगरीय आर्द्रभूमियों से घिरे क्षेत्रों में समुद्र के स्तर में वृद्धि की स्थिति में तटीय दबाव के बढ़ने से अंततः आर्द्रभूमि का नुकसान हो सकता है।
  - जलवायु परिवर्तन:
    - जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़े कारकों तथा दबावों से आर्द्रभूमि की भेद्यता बढ़ने की अत्यधिक संभावना है।
    - तापमान में वृद्धि, वर्षा में बदलाव, तूफान, सूखा और बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि, वायुमंडलीय CO_2 सांद्रता में वृद्धि और समुद्र के स्तर में वृद्धि भी आर्द्रभूमि को प्रभावित कर सकती है।
  - अनुकूलन क्षमता पर विपरीत प्रभाव:
    - पारिस्थितिक तंत्रों पर प्रतिकूल प्रभावों की आशंका के कारण आर्द्रभूमि की अनोकूलन की क्षमता में भी कमी आने की संभावना है।
    - उदाहरण के लिये नदी के ऊपरी हिस्सों में मीठे या स्वच्छ जल के भंडारण को बढ़ाने के लिये जलीय संरचनाओं का निर्माण, तटीय आर्द्रभूमि में लवणीकरण के जोखिम को और बढ़ा सकता है।

आगे की राह

- विकास नीतियों, शहरी नियोजन और जलवायु परिवर्तन शमन में आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है।
  - इस संदर्भ में स्मार्ट सिटी मिशन और कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन जैसी महानगरीय योजनाओं को आर्द्रभूमि के स्थायी प्रबंधन के पहलुओं से जोड़ने की आवश्यकता है।
  - आगामी विकास और गरीबी उन्मूलन को समायोजित करते हुए सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अनुकूलित शहरों के निर्माण के महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य को प्राप्त करने में आर्द्रभूमि द्वारा प्रदत्त लाभ और सेवाएँ महत्त्वपूर्ण हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण मॉडल

चर्चा में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण (Build-Operate-Transfer) मॉडल का उपयोग करके निजी साझेदारों को कम-से-कम दो राजमार्ग उन्नयन परियोजनाओं की पेशकश करने की योजना बनाई है।

निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण (BOT) मॉडल:

- परिचय:
  - BOT मॉडल के तहत एक निजी साझेदार को निर्दिष्ट अवधि (20 या 30 वर्ष की रियायत अवधि) के लिये एक परियोजना के वित्तीयन, निर्माण और संचालन के लिये रियायत दी जाती है, जिसमें निजी साझेदार उपयोगकर्त्ता शुल्क या सुविधा का उपयोग करने वाले ग्राहकों से टोल के माध्यम से निवेश की भरपाई करता है और इस प्रकार एक निश्चित मात्रा में वित्तीय जोखिम उठाता है।
  - BOT एक निजी-सार्वजनिक भागीदारी (Public Private Partnership) मॉडल है जिसके अंतर्गत निजी साझेदार पर अनुबंधित अवधि के दौरान ढाँचागत परियोजना के डिज़ाइन, निर्माण एवं परिचालन की पूरी ज़िम्मेदारी होती है।
    - निजी क्षेत्र के भागीदार को परियोजना के लिये वित्तीयन के साथ ही इसके निर्माण और रखरखाव की ज़िम्मेदारी लेनी होती है।
  - सरकार ने रियायत अवधि के दौरान पूर्व के प्रति 10 वर्ष की जगह अब प्रति 5 वर्ष पर परियोजना की राजस्व क्षमता का आकलन करने का निर्णय लिया है।
    - इसका अर्थ होगा कि निजी कंपनी के लिये राजस्व की निश्चितता सुनिश्चित करने हेतु रियायत अवधि (या अवधि जब तक सड़क डेवलपर्स टोल एकत्र कर सकते हैं) को अनुबंध अवधि पूर्ण होने से पूर्व बढ़ाया जा सकेगा।
- कार्य प्रक्रिया:
  - निर्माण:
    - इसके अंतर्गत निजी कंपनी (या संघ) सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा परियोजना में निवेश करने के लिये सरकार से सहमत होने पर परियोजना के निर्माण के लिये वित्तपोषण करती है।
  - परिचालन:
    - इसके अंतर्गत निजी साझेदार एक सहमत रियायत अवधि के लिये सुविधा का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन करता है तथा शुल्क या टोल के माध्यम से अपने निवेश की वसूली करता है।
  - हस्तांतरण:
    - इसके अंतर्गत रियायती अवधि के बाद कंपनी सरकार या संबंधित राज्य प्राधिकरण को सुविधा के स्वामित्व और संचालन का हस्तांतरण करती है।

BOT मॉडल का महत्त्व और चुनौतियाँ:

- लाभ:
  - परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिये वित्त जुटाने और सर्वोत्तम प्रबंधन कौशल का उपयोग करने में सरकार को निजी क्षेत्र का लाभ मिलता है।
  - निजी भागीदारी भी सर्वोत्तम उपकरणों का उपयोग करके दक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।
  - BOT उद्यमों को प्रदर्शन-आधारित अनुबंधों और निर्गत-उन्मुख लक्ष्यों के माध्यम से दक्षता में सुधार करने के लिये तंत्र और प्रोत्साहन प्रदान करता है।
  - परियोजनाएँ पूरी तरह से प्रतिस्पर्द्धी बोली की स्थिति में संचालित की जाती हैं और इस प्रकार न्यूनतम संभव लागत पर पूरी की जाती हैं।
  - परियोजना के जोखिम निजी क्षेत्र द्वारा साझा किये जाते हैं।
- चुनौतियाँ:
  - वित्तपोषण के इक्विटी हिस्से में लाभ का घटक निहित है, जो ऋण लागत से अधिक होता है। यह वह कीमत है जो निजी क्षेत्र को जोखिम से निपटने के लिये चुकाई जाती है।
  - BOT वित्तपोषण समझौते को तैयार करने और समाप्त करने में काफी समय एवं अग्रिम खर्च करना पड़ सकता है क्योंकि इसमें कई संस्थाएँ शामिल होती हैं और इसके लिये अपेक्षाकृत जटिल कानूनी तथा संस्थागत ढाँचे की आवश्यकता होती है। ऐसे में छोटी परियोजनाओं के लिये BOT उपयुक्त नहीं है।
  - यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक संस्थागत क्षमता विकसित करने में समय लग सकता है कि BOT के पूर्ण लाभ प्राप्त हों, जैसे कि पारदर्शी और निष्पक्ष बोली और मूल्यांकन प्रक्रियाओं का विकास तथा प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के दौरान संभावित विवादों का समाधान।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):

- परिचय:
  - PPP सार्वजनिक संपत्ति और/या सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिये सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बीच एक व्यवस्था है।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी बड़े पैमाने पर सरकारी परियोजनाओं, जैसे- सड़कों, पुलों और अस्पतालों को निजी वित्तपोषण के साथ पूरा करने की अनुमति देती है।

- इस प्रकार की साझेदारी में निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के लिये निवेश किया जाता है।
- समय पर एवं बजट के भीतर काम पूरा करने के लिये निजी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोत्साहन के संयोजन से इस साझेदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- चूँकि PPP में सेवाएँ प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा ज़िम्मेदारी का पूर्ण प्रतिधारण शामिल है, इसलिये यह निजीकरण के समान नहीं है।
- इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक इकाई के बीच जोखिम का सुपरिभाषित आवंटन शामिल है।

- चुनौतियाँ:
  - PPP परियोजनाओं के समक्ष मौजूदा अनुबंधों में विवाद, पूंजी की अनुपलब्धता और भूमि अधिग्रहण से संबंधित नियामक बाधाएँ जैसे मुद्दे मौजूद हैं।
  - मेट्रो परियोजनाएँ क्रोनी कैपिटलिज़्म से ग्रसित हो जाती हैं और निजी कंपनियों द्वारा भूमि एकत्रण करने का एक साधन बन जाती हैं।
  - माना जाता है कि बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये ऋण प्रदान करने में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा शामिल है।
  - PPP में फर्म कम राजस्व या लागत में वृद्धि जैसे कारणों का हवाला देकर अनुबंधों पर फिर से बातचीत करने के लिये हर अवसर का उपयोग करती है।
  - बार-बार होने वाली बातचीत के परिणामस्वरूप सार्वजनिक संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा इसमें समाप्त हो जाता है।

PPP के कुछ अन्य मॉडल:

- इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC):
  - इस मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। सरकार निजी कंपनियों से इंजीनियरिंग कार्य के लिये बोलियाँ आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM):
  - भारत में नया HAM BOT-एन्युइटी और EPC मॉडल का मिश्रण है। डिज़ाइन के अनुसार, सरकार वार्षिक भुगतान के माध्यम से पहले पाँच वर्षों में परियोजना लागत का 40% योगदान देगी। शेष भुगतान सृजित परिसंपत्तियों और विकासकर्त्ता के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
- बिल्ड-ओन-ऑपरेट (BOO):
  - इस मॉडल में नवनिर्मित सुविधा का स्वामित्व निजी पार्टी के पास रहेगा।
  - पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों पर सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदार परियोजना द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की 'खरीद' करने पर सहमति बनाई जाती है।
- बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOOT):
  - BOOT के इस प्रकार में समय पर बातचीत के बाद परियोजना को सरकार या निजी ऑपरेटर को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
  - BOOT मॉडल का उपयोग राजमार्गों और बंदरगाहों के विकास के लिये किया जाता है।
- बिल्ड-ओन-लीज़-ट्रांसफर (BOLT):
  - इस मॉडल में सरकार निजी साझेदार को सार्वजनिक हित की सुविधाओं के निर्माण हेतु कुछ रियायतें देती है, साथ ही इसके डिज़ाइन, स्वामित्त्व, सार्वजनिक क्षेत्र के पट्टे का अधिकार भी देती है।
- डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट (DBFO):
  - इस मॉडल में अनुबंधित अवधि के लिये परियोजना के डिज़ाइन, उसके विनिर्माण, वित्त और परिचालन का उत्तरदायित्त्व निजी साझीदार पर होता है।
- लीज़-डेवलप-ऑपरेट (LDO):
  - इस प्रकार के निवेश मॉडल में या तो सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के पास नवनिर्मित बुनियादी ढाँचे की सुविधा का स्वामित्व बरकरार रहता है और निजी प्रमोटर के साथ लीज़ समझौते के रूप में भुगतान प्राप्त किया जाता है। इसका पालन अधिकतर एयरपोर्ट सुविधाओं के विकास में किया जाता है।

भारत में बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के लिये पहल:

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
  - NIP बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर आगे के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करेगा जो रोज़गार सृजन, जीवनयापन में सुधार और सभी के लिये बुनियादी ढाँचे तक समान पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा जिससे अधिक समावेशी विकास होगा।
  - इसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाएँ शामिल हैं।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन:
  - इसका उद्देश्य ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करना और उन्हें राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना है, हालाँकि इसके तहत परियोजनाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण

नहीं किया जाएगा, साथ ही इसके माध्यम से उत्पन्न पूंजी का उपयोग देश भर में बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिये किया जाएगा।

- राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक:
  - इसमें पूरी तरह से या आंशिक रूप से भारत में अवस्थित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना, निवेश करना या निवेश को आकर्षित करना शामिल है।
  - इसमें अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये बॉण्ड, ऋण और व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) के बाज़ार के विकास में मदद करना शामिल है।

विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ावा देने के उपाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय रुपए के मूल्यह्रास को देखते हुए विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाने के उपाय किये हैं।

RBI द्वारा विदेशी मुद्रा को बढ़ावा देने के उपाय:

- चालू वित्त वर्ष (2022-23) के दौरान अब तक जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 4.1 फीसदी की गिरावट आई है।
  - चालू वित्त वर्ष (2022-23) में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 4.1% गिरकर 79.30 हो गया है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने छह महीने में 2.32 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं।
- पिछले 9 महीनों में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी के साथ 593.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया है।

विदेशी मुद्रा रिज़र्व

- परिचय:
  - विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से है, जिसमें बॉण्ड, ट्रेज़री बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं।
  - गौरतलब है कि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किये जाते हैं।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:
  - विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ
  - स्वर्ण भंडार
  - विशेष आहरण अधिकार (SDR)
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ रिज़र्व ट्रेंच

उपाय :

- FPI निवेश:
  - विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉण्ड में निवेश कर सकते हैं।
  - इसने FPI के लिये उपलब्ध प्रतिभूतियों की टोकरी का विस्तार करके ऋण पोर्टफोलियो प्रवाह को बढ़ावा देने की भी मांग की है।
    - FPI भारत में विदेशी निवेश का एक मार्ग है। इसमें सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयरों में निवेश, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, घरेलू MF (म्यूचुअल फंड), सरकारी प्रतिभूतियाँ, सुरक्षा रसीदें आदि शामिल हैं।
- उच्च प्राप्ति (रिटर्न):
  - RBI ने बैंकों को विदेशी मुद्रा जमा पर अधिक रिटर्न देने की अनुमति दी है, जिस पर उन्हें कोई भंडार नहीं रखना होगा।
    - तुलनीय घरेलू रुपया सावधि जमा पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज़ दरें अधिक नहीं होनी चाहिये।
- ECB के तहत छूट:
  - कॉरपोरेट्स के लिये बाहरी वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowing- ECB) को नियंत्रित करने वाले नियमों में ढील दी गई है, स्वचालित मार्ग को दोगुना करके 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और उधार लेने की लागत पर 1% बढ़ा दिया गया है।
    - ECB भारत में अनिवासी उधारदाताओं द्वारा विदेशी मुद्रा में भारतीय उधारकर्त्ताओं को दिये गए ऋण हैं। भारतीय निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा विदेशी धन तक पहुँच की सुविधा के लिये इसका उपयोग किया जाता है।
- निर्यात कर:
  - केंद्र सरकार ने बढ़ते चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने के लिये तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्यात कर एवं सोने पर आयात शुल्क में भी वृद्धि की है।
- FCNR (B) और NRI जमाराशियों पर छूट:
  - अनिवासी भारतीयों (NRI) को FCNR (B) और NRI जमा में भारत में विदेशी मुद्रा लाने के लिये उच्च रिटर्न मिलेगा क्योंकि नवीनतम ज़मा के लिये दरों की सीमा हटा दी गई है।
    - FCNR (B) विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग) हैं, जबकि NRI जमा अनिवासी बाह्य जमा हैं।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowings)

- परिचय:
  - ECB एक गैर-निवासी ऋणदाता से न्यूनतम औसत परिपक्वता के लिये भारतीय इकाई द्वारा प्राप्त किया गया ऋण है।
  - इनमें से अधिकतर ऋण विदेशी वाणिज्यिक बैंक खरीदारों के क्रेडिट, आपूर्तिकर्त्ताओं के क्रेडिट, फ़्लोटिंग रेट नोट्स और फिक्स्ड रेट बॉण्ड इत्यादि जैसे सुरक्षित उपकरणों द्वारा प्रदान किये जाते हैं।
- ECB के लाभ:
  - यह बड़ी मात्रा में धन उधार लेने का अवसर प्रदान करता है।
  - इससे प्राप्त धन अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिये उपलब्ध होता है।
  - घरेलू धन की तुलना में ब्याज दर भी कम होती है।
  - यह विदेशी मुद्राओं के रूप में होता है। इसलिये यह मशीनरी के आयात को पूरा करने के लिये कॉर्पोरेट को विदेशी मुद्रा रखने में सक्षम बनाता है।
  - कॉर्पोरेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्रोतों, जैसे- बैंक, निर्यात क्रेडिट एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार इत्यादि से ECB बढ़ा सकते हैं।

आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश के मौद्रिक और राजकोषीय स्वास्थ्य के लिये 'अस्थिर प्रभावों' का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

- चीन ने सभी क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन को प्रभावी ढंग से पूर्ण प्रतिबंध लगाकर अवैध घोषित कर दिया है, जबकि अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अनुमति दी है।

क्रिप्टो की वर्तमान स्थिति:

- फिलहाल भारत में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी रखना अभी भी अवैध नहीं है। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश दिया था, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा लगाया गया था।
- सेंट्रल बैंक वर्ष 2013 से ही लोगों को वर्चुअल करेंसी के इस्तेमाल के प्रति आगाह कर रहा है।
- अप्रैल 2018 में आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं को आभासी मुद्राओं में काम करने या किसी व्यक्ति या संस्था को उनके साथ व्यवहार करने या उन्हें निपटाने में सुविधा प्रदान करने के लिये सेवाएँ प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया था। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश को रद्द कर दिया था।
- इसके बाद मई 2021 में केंद्रीय बैंक ने अपनी विनियमित संस्थाओं को सलाह दी कि वे अपने ग्राहक को जानें (KYC), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 आदि के तहत आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के मानक दायित्व और विदेशी प्रेषण के विनियमन के लिये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) मानदंडों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप, ऐसी विनिमयन प्रक्रियाओं को ग्राहकों के लिये जारी रखें।
- केंद्रीय बजट 2022-2023 में आने वाले वित्तीय वर्ष में एक डिजिटल मुद्रा पेश करने का भी प्रस्ताव है।

आरबीआई की चिंताएँ:

- नॉन-फिएट मुद्रा:
  - क्रिप्टोकरेंसी एक मुद्रा नहीं है क्योंकि हर आधुनिक मुद्रा को केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा जारी करने की आवश्यकता होती है।
- काल्पनिक और अस्थिर:
  - फिएट मुद्राओं का मूल्य मौद्रिक नीति और कानूनी निविदा के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित होता है, हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य पूरी तरह से उच्च रिटर्न के अनुमानों और अपेक्षाओं पर निर्भर करता है, जो स्थिर नहीं होता है, इसलिये किसी देश की स्थिरता पर इसका मौद्रिक एवं राजकोषीय रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

क्रिप्टोकरेंसी:

- परिचय:
  - क्रिप्टोकरेंसी, जिसे कभी-कभी क्रिप्टो-मुद्रा या क्रिप्टो कहा जाता है, मुद्रा का एक ऐसा रूप है जो डिजिटल या वस्तुत: मौजूद है और लेन-देन को सुरक्षित करने के लिये क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है।
  - क्रिप्टोकरेंसी में मुद्रा जारी करने या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। यह लेन-देन को रिकॉर्ड करने और नई इकाइयों को जारी करने के लिये विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करती है।
    - इसका संचालन एक विकेंद्रीकृत पीयर-टू-पीयर नेटवर्क द्वारा होता है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है।

- लाभ:
  - तीव्र एवं किफायती लेन-देन: क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन के लिये बैंक या किसी अन्य मध्यस्थ की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है, अत: इस माध्यम से बहुत ही कम खर्च में लेन-देन किया जा सकता है।
  - निवेश गंतव्य: क्रिप्टोकरेंसी की आपूर्ति सीमित है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अन्य वित्तीय साधनों की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी की कीमत तेज़ी से बढ़ी है।
    - इसके कारण क्रिप्टोकरेंसी एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बन सकता है।
  - मुद्रास्फीति रोधी मुद्रा (Anti-Inflationary Currency): क्रिप्टोकरेंसी की उच्च मांग के कारण इसकी कीमतें काफी हद तक बढ़ती प्रक्षेपवक्र पर बनी हुई हैं। इस परिदृश्य में लोग इसे खर्च करने की तुलना में अधिक क्रिप्टोकरेंसी रखते हैं।
    - इससे मुद्रा पर अपस्फीतिकारी प्रभाव पड़ेगा।

क्रिप्टोकरेंसी संबंधी चुनौतियाँ:

- विज्ञापन की अत्यधिक्ता: क्रिप्टो बाज़ार को त्वरित लाभ कमाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। इसके कारण लोगों को इस बाज़ार में सट्टा लगाने हेतु लुभाने के लिये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विज्ञापनों की लगातार वृद्धि हो रही है।
  - हालाँकि चिंता का कारण यह है कि "अति-वादा" और "गैर-पारदर्शी विज्ञापन" के माध्यम से युवाओं को गुमराह करने के प्रयास किया जा रहा है।
- प्रतिकूल उपयोगिता: अनियमित क्रिप्टो बाज़ार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण का साधन बन सकते हैं।
- क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिरता: बिटकॉइन 40,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 65,000 अमेरिकी डॉलर (जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।
  - यह मई 2021 में गिर गया और पूरे जून माह में 30,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे रहा।
- मैक्रोइकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता हेतु जोखिम: इस अनियमित परिसंपत्ति वर्ग में भारतीय खुदरा निवेशकों के निवेश जोखिम की सीमा मैक्रोइकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के लिये जोखिम है।
  - क्रिप्टो एक्सचेंजों के एक समूह के अनुसार, करोड़ों भारतीयों ने क्रिप्टो संपत्ति में 6,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।
- शेयर बाज़ार के मुद्दे: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई है कि क्रिप्टो मुद्राओं के "समाशोधन और निपटान" पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है और यह प्रतिपक्ष गारंटी की पेशकश नहीं कर सकता जैसा कि शेयरों के लिये किया जा रहा है।
  - इसके अलावा क्या क्रिप्टोकरेंसी एक मुद्रा, वस्तु या सुरक्षा है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है।

आगे की राह

- भारत ने अभी तक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 के लिये क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन को पेश नहीं किया है, जो "आधिकारिक डिजिटल मुद्रा" कि शुरुआत के लिये नियामक ढाँचा तैयार करेगा
  - इस प्रकार बिल को पारित करने में तेज़ी लाने और क्रिप्टोकरेंसी से निपटने के लिये एक नियामक ढाँचा तैयार करने की आवश्यकता है।
- गंभीर समस्याओं को रोकने एवं यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग न हो, साथ ही निवेशकों को बाज़ार की अत्यधिक अस्थिरता और संभावित घोटालों से बचाने के लिये इसका विनियमन आवश्यक है।
- क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित या प्रतिबंधित करने वाला कानून केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो।
  - क्रिप्टोकरेंसी के असीमित उपयोग को देखते हुए इसके लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।
- इसलिये विनियमन या प्रतिबंध के लिये कोई भी कानून इसके जोखिम और लाभों के मूल्यांकन एवं सामान्य वर्गीकरण तथा मानकों के विकास पर महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बाद ही प्रभावी हो सकता है।

डिजिटल बैंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक 'डिजिटल बैंक: ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया' (Digital Banks: A Proposal for Licensing & Regulatory Regime for India) है।

- इसने डिजिटल बैंको के लिये एक लाइसेंसिंग व नियामक ढाँचा स्थापित करने का सुझाव दिया है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- हाल के वर्षों में भारत ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) और इंडिया स्टैक द्वारा उत्प्रेरित वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में तीव्र प्रगति की है।
- हालाँकि ऋण तक पहुँच एक नीतिगत चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से देश के 63 मिलियन MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के लिये।

- वित्तीय समावेशन को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारा आगे बढ़ाया गया है, जिसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया है।
    - UPI ने अक्तूबर 2021 में 7.7 ट्रिलियन रुपए के 4.2 बिलियन से अधिक लेन-देन दर्ज किये हैं।
- FI ने पीएम-किसान जैसे एप, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और पीएम-स्वनिधि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स के लिये सूक्ष्म ऋण सुविधाओं का विस्तार किया।
- भारत अपने स्वयं के 'खुले बैंकिंग ढाँचे' को संचालित करने के करीब है।
- डिजिटल बैंकिंग नियामक और नीति के लिये एक ढाँचा का निर्माण भारत को फिनटेक में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करने के साथ-साथ कई सार्वजनिक नीतिगत चुनौतियों का सामना करने का अवसर प्रदान करेगा।

सिफारिशें:

- लाइसेंस प्राप्त ग्राहकों की मात्रा/मूल्य और इसी तरह के अन्य उदाहरणों के संदर्भ में एक प्रतिबंधित डिजिटल बैंक लाइसेंस जारी करने पर रोक लगे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिनियमित एक नियामक सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क में लाइसेंसधारकों की सूची।
- प्रमुख, विवेकपूर्ण और तकनीकी जोखिम प्रबंधन सहित नियामक सैंडबॉक्स में लाइसेंसधारी के संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर 'पूर्ण पैमाने' वाला डिजिटल बैंक लाइसेंस जारी करना।

डिजिटल बैंक और इसकी आवश्यकता:

- डिजिटल बैंक:
    - इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित किया जाएगा और अपनी बैलेंस शीट के साथ इसका कानूनी अस्तित्व होगा।
    - यह केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में वित्त मंत्री द्वारा घोषित 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU) से अलग होगा, जो कि कम सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान, बैंकिंग और फिनटेक नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिये स्थापित किये जा रहे हैं।
        - DBU विशेष निश्चित बिंदु व्यापार इकाई या डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं को किसी भी समय स्वयं सेवा मोड में डिजिटल रूप से सुविधा प्रदान करने के लिये कुछ न्यूनतम डिजिटल आधारभूत संरचनाओं का हब है।
    - डिजिटल बैंक मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों के समान विवेकपूर्ण और तरलता मानदंडों के अधीन होंगे।

आवश्यकता:

- क्रेडिट गैप:
    - भुगतान के मोर्चे पर भारत ने जो सफलता देखी है, उसे अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों की ऋण ज़रूरतों को पूरा करने में दोहराया जाना बाकी है।
    - क्रेडिट गैप से पता चलता है कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रभावी ढंग से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना साथ ही वंचितों को औपचारिक वित्तीय दायरे में लाने की ज़रूरत है।
- डिजिटल चैनलों पर रिलायंस:
    - डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने वाले बैंक और फिनटेक व्यवसाय मुख्य रूप से डिजिटल चैनलों पर भरोसा करते हैं, जिनमें मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों के सापेक्ष उच्च दक्षता वाले तंत्र होते हैं।
    - यह संरचनात्मक विशेषता उन्हें एक संभावित प्रभावी चैनल बनाती है जिसके माध्यम से नीति निर्माता कम बैंकिंग वाले छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने और खुदरा उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाने जैसे सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
- नियो-बैंक मॉडल चुनौतियों का सामना:
    - मौजूदा साझेदारी-आधारित नियो-बैंक मॉडल राजस्व सृजन और व्यवहार्यता जैसी कई चुनौतियों का सामना करते हैं।
        - नियो-बैंक के पास स्वयं का कोई बैंक लाइसेंस नहीं है, लेकिन बैंक लाइसेंस प्राप्त सेवाएँ प्रदान करने के लिये बैंक भागीदारों पर भरोसा करते हैं।
    - उनके पास सीमित राजस्व क्षमता, पूंजी की उच्च लागत और केवल भागीदार बैंकों के उत्पादों की पेशकश है।

भारत: शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्त्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 'शरणार्थियों और प्रवासियों के स्वास्थ्य पर जारी विश्व रिपोर्ट' के अनुसार, भारत को वर्ष 2021 में प्रेषण (Remittance) द्वारा 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं।

रिपोर्ट के बारे में:

- परिचय:
    - यह स्वास्थ्य और प्रवास की वैश्विक समीक्षा की पेशकश करने वाली पहली रिपोर्ट है और दुनिया भर में शरणार्थियों एवं प्रवासियों को उनकी ज़रूरतों के लिये संवेदनशील स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने हेतु तत्काल और ठोस कार्रवाई करने का आह्वान करती है।

- परिणाम:
  - प्रवासन:
    - रिपोर्ट के अनुसार, 'विश्व स्तर पर प्रत्येक आठ में से लगभग एक व्यक्ति प्रवासी है (कुल 1 अरब प्रवासी हैं)।
    - 1990 से 2020 तक:
    - अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की कुल संख्या 153 मिलियन से बढ़कर 281 मिलियन हो गई है।
    - लगभग 48% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी महिलाएँ हैं और लगभग 36 मिलियन बच्चे हैं।
    - वर्ष 2020 तक यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या मौजूद थी, इसके बाद उत्तरी अफ्रीका एवं पश्चिमी एशिया का स्थान है।
    - वर्ष 2021 की पहली छमाही के दौरान नए मान्यता प्राप्त शरणार्थियों में से आधे से अधिक पाँच देशों से थे:
    - मध्य अफ्रीकी गणराज्य
    - दक्षिण सूडान
    - सीरियाई अरब गणराज्य
    - अफ़ग़ानिस्तान
    - नाइजीरिया
- प्रेषण:
  - वर्ष 2021 में शीर्ष पाँच प्रेषण प्राप्तकर्त्ता (अमेरिकी डॉलर में) निम्न और मध्यम आय वाले देश थे:
    - भारत: 83 अरब
    - वर्ष 2021 में भारत के प्रेषण में 4.8% की वृद्धि हुई। (वर्ष 2020 में प्रेषण 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर था)।
    - चीन: 53 अरब डॉलर
    - मेक्सिको: 53 अरब डॉलर
    - फिलीपींस: 36 अरब डॉलर
    - मिस्र: 33 अरब डॉलर
  - सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के हिस्से के रूप में वर्ष 2021 में शीर्ष पाँच प्रेषण प्राप्तकर्त्ता छोटी अर्थव्यवस्थाएँ थीं:
    - टोंगा: 44%
    - लेबनान: 35%
    - किर्गिज़स्तान: 30%
    - ताजिकिस्तान: 28%
    - होंडुरास: 27%
  - यूरोप और मध्य एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और उप-सहारा अफ्रीका व अधिकांश अन्य क्षेत्रों में म5-10% की वृद्धि दर्ज करते हुए प्रेषण में तीव्र सुधार हुआ है।
  - लेकिन चीन को छोड़कर पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 1.4% की धीमी गति से वृद्धि हुई।

प्रेषण:

- प्रेषित धन या रेमिटेंस का आशय प्रवासियों द्वारा मूल देश में मित्रों और रिश्तेदारों को किये गए वित्तीय या अन्य तरह के हस्तांतरण से है।
- यह मूलतः दो मुख्य घटकों का योग है- निवासी और अनिवासी परिवारों के बीच नकद या वस्तु के रूप में व्यक्तिगत स्थानांतरण और कर्मचारियों का मुआवज़ा, जो उन श्रमिकों की आय को संदर्भित करता है जो सीमित समय के लिये दूसरे देश में काम करते हैं।
- प्रेषण, प्राप्तकर्त्ता देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं, लेकिन यह ऐसे देशों को उन पर अधिक निर्भर भी बना सकता है।
  - यह अक्सर प्रत्यक्ष निवेश और आधिकारिक विकास सहायता की राशि से अधिक होता है।
- प्रेषण परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं।
- भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्तकर्त्ता है।
  - प्रेषण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है और चालू खाते के घाटे को पूरा करने में मदद करता है।

प्रेषण का महत्त्व:

- प्रेषण उपभोक्ता खर्च को बढ़ाते हैं या बनाए रखते हैं और इसने कोविड -19 महामारी के दौरान आर्थिक कठिनाई में मदद की हैं।
  - इन पूर्वानुमानों के बावजूद कि कोविड-19 महामारी (कुछ हद तक यात्रा प्रतिबंधों और आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप) के कारण प्रेषण गिर जाएगा या लचीला हो जाएगा।
- प्रेषण स्वयं प्रवासियों के लिये और अपने मूल देशों में शेष परिवार और दोस्तों के लिये प्रवासन का एक " महत्त्वपूर्ण और सकारात्मक" आर्थिक परिणाम है।
- प्रेषण अब आधिकारिक विकास सहायता से तीन गुना अधिक है और चीन को छोड़कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में 50% से अधिक है।

प्रवासन के नकारात्मक प्रभाव:

- प्रतिभा पलायन:
  - कुशल श्रम के परिणामस्वरूप एक तथाकथित प्रतिभा पलायन हो सकता है आमतौर पर निम्न-आय वाले देशों से और उच्च आय वाले देशों में एक प्रक्रिया में मस्तिष्क लाभ होता है जिसे आमतौर पर मस्तिष्क परिसंचरण के रूप में जाना जाता है।
    - प्रतिभा पलायन का प्रभाव सेवाओं की उपलब्धता को नुकसान पहुँचा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, अत्यधिक कुशल डॉक्टर और नर्स बेहतर आर्थिक अवसर की तलाश में कम आय वाले देशों को छोड़ देते हैं।

- प्रवासन परिवार:
  - प्रवासन न केवल उन लोगों को प्रभावित करता है जो आगे बढ़ते हैं बल्कि उनके परिवार और समुदाय के सदस्यों को भी प्रभावित करते हैं:
    - एक अनुमान के अनुसार लगभग 193 मिलियन प्रवासी श्रमिकों के परिवार के सदस्य अपने मूल देश या स्थान पर ही
  - नौकरी करने के लिये उच्च आय वाले देशों में व्यक्तियों का प्रवास उनके अपने परिवारों के लिये विशेष रूप से बच्चों और वृद्धों लोगों के देखभाल में कमी पैदा कर सकता है।
- भेदभाव और ज़ेनोफोबिया:
  - इससे शरणार्थियों और प्रवासियों को घृणित व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है।
    - ज़ेनोफ़ोबिया लोगों का उनकी भाषा, संस्कृति, उपस्थिति या जन्म स्थान के कारण बाहरी लोगों के प्रति किया गया अनुचित व्यवहार है।
    - ज़ेनोफोबिया मेजबान देशों में शरणार्थियों और प्रवासियों के प्रति भेदभाव, दुर्व्यवहार या हिंसा को बढ़ावा देता है जिसके गंभीर परिणाम परिलक्षित होते हैं।
- मानव तस्करी एवं ह्यूमन ट्रैफिकिंग:
  - अधिकांश प्रवासन की घटना कानूनों या विनियमों के उल्लंघन के रूप में होती है, अत: प्रवासियों के एक बड़े हिस्से का आपराधिक नेटवर्क द्वारा दुरूपयोग एवं शोषण किया जाता है।
    - हालाँकि कानूनी दृष्टि से मानव तस्करी एवं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कई समानताएँ होती हैं , उन्हें जिस प्रकार से अंज़ाम दिया जाता है, कभी-कभी इनमें अंतर कर पाना भी मुश्किल होता है।

जैव अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) ने भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, 2022 जारी की है।

- रिपोर्ट जारी करने के दौरान सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र (BIG-NER) के लिये एक विशेष बायोटेक इग्निशन ग्रांट कॉल की शुरूआत की और बायोटेक समाधान विकसित करने हेतु उत्तर-पूर्व क्षेत्र के 25 स्टार्टअप और उद्यमियों के लिये 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की घोषणा की।
- BIRAC जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी (धारा 8, अनुसूची B) सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के वर्ष 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है।
- वर्ष 2021 में देश की जैव अर्थव्यवस्था 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि वर्ष 2020 के2 बिलियन अमेरीकी डॉलर से 14.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रही है।
- वर्ष 2021 में हर दिन औसतन कम-से-कम तीन बायोटेक स्टार्टअप शामिल किये गए (वर्ष 2021 में कुल 1,128 बायोटेक स्टार्टअप स्थापित किये गए) और उद्योग ने अनुसंधान एवं विकास खर्च में 1 बिलियन अमेरीकी डॉलर को पार कर लिया।
- भारत के पास अमेरिका के बाहर अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन(USFDA) द्वारा अनुमोदित विनिर्माण संयंत्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।
- टीकाकरण
  - भारत ने प्रतिदिन कोविड-19 टीकों की लगभग 4 मिलियन टीके दिये(वर्ष 2021 में दी गई कुल 1.45 बिलियन टीके)।
- कोविड-19
  - देश ने वर्ष 2021 में हर दिन 1.3 मिलियन कोविड -19 परीक्षण किये (कुल 506.7 मिलियन परीक्षण)।

जैव अर्थव्यवस्था (Bioeconomy):

- परिचय:
  - संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, जैव अर्थव्यवस्था को जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोग और संरक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सूचना, उत्पाद, प्रक्रियाएँ प्रदान करना शामिल है ताकि स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के उद्देश्य से सभी आर्थिक क्षेत्रों को जानकारी, उत्पाद, प्रक्रियाओं और सेवाएँ प्रदान की जा सकें।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
  - यूरोपीय संघ (EU) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) द्वारा नए उत्पादों तथा बाज़ार को विकसित करने के लिये जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु अपनाए गए ढाँचे के बाद 21वीं सदी के पहले दशक में जैव अर्थव्यवस्था शब्द लोकप्रिय हो गया।
- उदाहरण:
  - खाद्य प्रणालियाँ जैव-अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थित हैं। इन प्रणालियों में शामिल हैं:
    - संधारणीय कृषि
    - संधारणीय मत्स्य

- वानिकी और जलकृषि
- खाद्य और चारा निर्माण
- जैव आधारित उत्पाद:
  - बायोप्लास्टिक्स
  - बायोडिग्रेडेबल कपड़े

चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था:

- जैव-अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सतत् विकास और चक्रीय अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से चक्रीय अर्थव्यवस्था के पुन: उपयोग,मरम्मत और पुनर्चक्रण का सिद्धांत जैव-अर्थव्यवस्था का मूलभूत हिस्सा है।
- पुन: उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण के माध्यम से अपशिष्ट की कुल मात्रा और उसके प्रभाव को कम किया जाता है। यह ऊर्जा की भी बचत करता है तथा वायु व जल प्रदूषण को कम करता है, इस प्रकार पर्यावरण, जलवायु एवं जैवविविधता की क्षति को रोकने में मदद करता है।

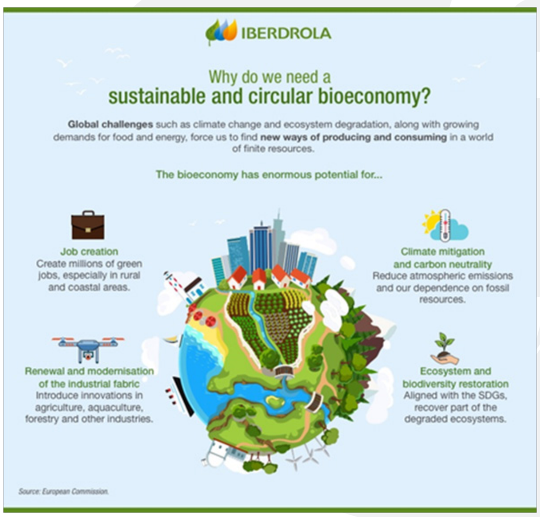

जैव अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति:

- ऐसे कई क्षेत्र हैं जो भारत के जैव अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे रहे हैं जैसे,
  - जैव उद्योग, क्योंकि इस क्षेत्र को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और भारत के वर्ष 2047 तक "ऊर्जा आत्मनिर्भर" बनने के दृष्टिकोण से प्रोत्साहन मिला है।
    - इसके अलावा भारत सरकार ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति में संशोधनों को मंज़ूरी दे दी है और जैव ईंधन उत्पादन बढ़ाने और अप्रैल 2023 से 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की शुरुआत का निर्णय लिया है।
  - अन्य क्षेत्र जैसे- जैव-कृषि जिसमें बीटी कॉटन, कीटनाशक, समुद्री जैव-तकनीक और पशु जैव-तकनीक में जैव अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक 5 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर के योगदान के साथ दोगुना करने की क्षमता है।
  - महामारी से पहले भारत विभिन्न शोध अध्ययनों के अनुसार मात्रा के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा वैक्सीन निर्यातक था।

जैव अर्थव्यवस्था से संबंधित भारतीय पहलें:

- बायोफार्मा के लिये:
  - नेशनल बायोफार्मा मिशन, 'इनोवेट इंडिया' 2017, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) का 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बायोफार्मा में उद्यमशीलता और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिये उद्योग एवं शिक्षा जगत को एक साथ लाना है।
- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये:
  - विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पूरे भारत में 35 बायो इन्क्यूबेटर स्थापित किये गए हैं।
  - DBT और BIRAC द्वारा मिशन इनोवेशन के तहत पहला इंटरनेशनल इन्क्यूबेटर- क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इन्क्यूबेटर स्थापित किया गया है।
  - 23 भाग लेने वाले यूरोपीय संघ के देशों के स्टार्टअप संभावित रूप से भारत में आ सकते हैं और इनक्यूबेट कर सकते हैं, इसी तरह इस इनक्यूबेटर से स्टार्टअप वैश्विक अवसरों तक पहुँच की सुविधा के लिये भागीदार देशों में जा सकते हैं। विभाग 4 बायो-क्लस्टर (NCR, कल्याणी, बंगलूरू और पुणे) का समर्थन कर रहा है।
- जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन: जैव संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच वर्ष 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव-संसाधन एवं सतत् विकास संस्थान द्वारा 'जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन' शुरू किया गया था।

भारत नवाचार सूचकांक 2021: नीति आयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति (National Institution for Transforming India-NITI) आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट, 2021 जारी की गई, जिसमें कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

- यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के ढाँचे को रेखांकित करके देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे पर प्रकाश डालता है।
- इसमें अब संकेतकों की संख्या 36 (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में) से बढ़कर 66 (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में) हो गई है।

भारत नवाचार सूचकांक:

- परिचय:
  - यह देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास हेतु व्यापक उपकरण है।
  - यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने के लिये उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक प्रदान करता है।
- शामिल संस्थाएँ:
  - प्रतिस्पर्द्धात्मकता संस्थान के साथ नीति आयोग।
- प्रयुक्त संकेतक:
  - सूचकांक में 7 स्तंभ हैं, जिनमें से पाँच 'सक्षम' स्तंभ इनपुट को मापते हैं और दो 'प्रदर्शन' स्तंभ आउटपुट को मापते हैं।
  - सर्वेक्षण में जिन संकेतकों का उपयोग किया जाता है उनमें शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता आदि जैसे मानदंड शामिल हैं:
    - पीएचडी छात्रों की संख्या और ज्ञान-गहन रोज़गार।
    - इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में नामांकन तथा अत्यधिक कुशल पेशेवरों की संख्या।
    - अनुसंधान और विकास गतिविधियों (R&D) में निवेश एवं दायर पेटेंट तथा ट्रेडमार्क आवेदनों की संख्या।
    - इंटरनेट सब्सक्राइबर।
    - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह, कारोबारी माहौल और सुरक्षा एवं कानूनी प्रावधान।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- श्रेणियाँ:
  - इनोवेशन इंडेक्स को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है- प्रमुख राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और पहाड़ी एवं उत्तर-पूर्व के राज्य।
- प्रमुख राज्य:
  - शीर्ष राज्य: कर्नाटक 18.05 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा और उसके बाद तेलंगाना तथा हरियाणा का स्थान रहा।
    - कर्नाटक की सफलता का श्रेय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में उसके उच्च स्तरीय प्रदर्शन और बड़ी संख्या में उद्यम पूंजी सौदों को दिया जा सकता है।
  - खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य: बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने सूचकांक में सबसे कम स्कोर किया, जिसने उन्हें "प्रमुख राज्यों" की श्रेणी में सबसे नीचे रखा।
    - छत्तीसगढ़ को 10.97 अंक के साथ अंतिम स्थान मिला है।
- पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्य:
  - इस श्रेणी में मणिपुर सबसे आगे है जिसके बाद उत्तराखंड और मेघालय का स्थान है।
    - नगालैंड अंतिम (10वें) स्थान पर रहा।
- केंद्रशासित प्रदेश/छोटे राज्य:
  - चंडीगढ़ 27.88 अंक के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला प्रदेश रहा है, जिसके बाद दिल्ली, अंडमान और निकोबार का स्थान है।
    - लद्दाख अंतिम (9वें) स्थान पर रहा।
- चुनौतियाँ:
  - औसतन देश ने ज्ञान कार्यकर्त्ता स्तंभ (Knowledge Worker Pillar) में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, जितना मानव पूंजी स्तंभ (Human Capital Pillar) में किया है।
  - मानव पूंजी पर होने वाला खर्च देश में उस ज्ञान का आधार बनाने में असमर्थ रहा है।
  - नवोन्मेष विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित समस्याओं और मिसिंग मिडल के कारण विषम है।
    - मिसिंग मिडल हजारों लोगों को रोज़गार देने के लिये बहुत सारे छोटे, अनौपचारिक उद्यम और बहुत कम बड़े, औपचारिक उद्यम हैं।

सिफारिश:

- GDERD (अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय) में काफी सुधार की आवश्यकता है, जो भारत में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएग।
  - GDERD बढ़ने से अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है तथा उद्योग की माँग और देश अपनी शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से जो उत्पादन करता है, उसके बीच की खाई को कम करता है।
  - GDERD पर कम खर्च करने वाले देश लंबे समय में अपनी मानव पूंजी को बनाए रखने में विफल रहते हैं और नवाचार करने की क्षमता मानव पूंजी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है; सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में भारत का GDERD लगभग 0.7% था।

नोट :

- निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, सार्वजनिक व्यय कुछ हद तक उत्पादक है; एक बार जब विकास एक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करता है, तो यह वांछनीय है कि अनुसंधान एवं विकास को ज़्यादातर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाए।

फार्मास्युटिकल उद्योग को सुदृढ़ बनाना

चर्चा में क्यों?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की रणनीतिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए 'फार्मास्युटिकल उद्योग को सुदृढ़ बनाने' (SPI) के लिये योजनाएँ शुरू की हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह योजना फार्मास्युटिकल क्षेत्र में MSME इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक्ड पूंजी और ब्याज़ सब्सिडी के साथ-साथ फार्मा क्लस्टर्स में रिसर्च सेंटर, टेस्टिंग लैब और ETP (इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) सहित सामान्य सुविधाओं के लिये 20 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान करती है।
  - MSME इकाई के पास पूंजीगत सब्सिडी या इंटरेस्ट छूट में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।
    - SIDBI (लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया) इस योजना को लागू करने के लिये परियोजना प्रबंधन सलाहकार है।
- घटक:
  - फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (PTU-AS):
    - यह फार्मास्युटिकल क्षेत्र में MSME को उनकी तकनीक को उन्नत करने के लिये सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ सुविधा प्रदान करेगा।
    - इसमें तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के साथ अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 10% की पूंजीगत सब्सिडी या शेष राशि को कम करने पर 5% तक ब्याज़ में छूट (SC/ST के स्वामित्व वाली इकाइयों के मामले में 6%) का प्रावधान है।
  - सामान्य सुविधाओं हेतु फार्मास्युटिकल उद्योग को सहायता (APICF):
    - यह निरंतर विकास के लिये मौजूदा फार्मास्युटिकल क्लस्टर्स की क्षमता को मज़बूत करेगा।
    - यह स्वीकृत परियोजना लागत का 70% या 20 करोड़ रुपए, (जो भी कम हो) तक की सहायता प्रदान करता है।
    - हिमालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मामले में सहायता अनुदान 20 करोड़ रुपए प्रति क्लस्टर या परियोजना लागत का 90% (जो भी कम हो) होगा।
  - फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (PMPDS):
    - इसमें भारतीय फार्मा और चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिये महत्त्व के विषयों पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना शामिल होगा।
    - इस योजना का उद्देश्य फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों का डेटाबेस बनाना है।
- उद्देश्य:
  - गुणवत्ता और मूल्य दोनों में और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाते हुए दवा उद्योग में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना तथा भारतीय फार्मा एमएसएमई को प्रोत्साहन देकर वैश्विक आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बनाना है।

महत्त्व:

- यह मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मज़बूत करेगा और भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाएगा।
- इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि क्लस्टर्स का सतत् विकास भी सुनिश्चित होगा।
- यह योजना देश भर में फार्मा उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए फार्मा समूहों और एमएसएमई को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता एवं स्थिरता में सुधार के लिये आवश्यक समर्थन प्रदान करेगी।
- यह योजना निवेश बढ़ाएगी, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी तथा उद्योग को भविष्य के उत्पादों और विचारों को विकसित करने में सक्षम बनाएगी।

फार्मा सेक्टर से संबंधित योजनाएँ:

- बल्क ड्रग पार्क योजना को बढ़ावा देना:
  - सरकार का लक्ष्य देश में थोक दवाओं और उनके निर्माण लागत के लिये अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने हेतु राज्यों के साथ साझेदारी में भारत में 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क विकसित करना है।
  - यह योजना दवाओं की निरंतर आपूर्ति के साथ-साथ नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में भी मदद करेगी।
- उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' योजना:
  - पीएलआई योजना का उद्देश्य देश में क्रिटिकल की-स्टार्टिंग मैटेरियल्स (KSMs)/ड्रग इंटरमीडिएट और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (APIs) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

नोट :

अघोषित विदेशी आय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि गैर-सूचित विदेशी बैंक खातों में 8,468 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय को कर के दायरे में लाया गया है तथा 1,294 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

अघोषित आय:

- परिचय:
  - यह वह आय है जिसे निर्धारिती ने अपने आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया है और उस पर आयकर का भुगतान नहीं किया है।
  - इसमें शामिल हो सकते हैं:
    - पैसा, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या कोई भी आय जो किसी भी आधार पर प्राप्त होती है और उसकी प्रविष्टि बहीखाते या अन्य लेन-देन दस्तावेज़ों में नहीं की जाती है या जिसका आयकर के प्रयोजनों के लिये खुलासा नहीं किया गया है।
- वित्त मंत्री की रिपोर्ट:
  - अघोषित विदेशी आय से निपटने हेतु काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 368 मामलों के आकलन के बाद 14,820 करोड़ रुपए की कर मांग की गई है।
    - अघोषित विदेशी संपत्तियों से जुड़े 4,164 करोड़ रुपए के 648 खुलासे (Disclosures) काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत,30 सितंबर, 2015 तक की अवधि में किये गए।ऐसे मामलों में कर और जुर्माने के रूप में एकत्र की गई राशि लगभग 2,476 करोड़ रुपय थी।
  - अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) के 'स्थानीय बैंकिंग आँकड़े' ने स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों द्वारा जमा राशि में वर्ष 2021 के दौरान 8.3% की गिरावट प्रदर्शित की।

काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिरोपण अधिनियम, 2015:

- यह विदेशी आय को छिपाने पर दंड का प्रावधान करता है और विदेशी आय के संबंध में कर से बचने के प्रयास को आपराध के दायरे में शामिल करता है।
- यदि किसी व्यक्ति के पास अघोषित विदेशी संपत्ति होने का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है तो संबंधित व्यक्ति को 30% की दर से कर का भुगतान और इसी के बराबर दंड राशि का भुगतान करना पड़ता था।
- इसके इतर संपत्ति को घोषित न करने के मामले में 30% की दर से कर अधिरोपण के साथ-साथ छिपाए गए कर की राशि की तीन गुना राशि का भुगतान या अघोषित आय के 90% भाग या परिसंपत्ति के मूल्य का भुगतान का प्रावधान किया गया है।
- अधिनियम में जान-बूझकर की गई कर चोरी के लिये 3-10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है।

अघोषित आय से संबंधित पहल:

- विमुद्रीकरण
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018
- धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002
- बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016

आगे की राह

- बैंक लेन-देन को प्रोत्साहित करना:
  - काले धन के खतरे को रोकने के लिये औद्योगिक निकाय 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' ने बैंकिंग चैनलों के माध्यम से लेनदेन को प्रोत्साहित करने और कृषि आय पर कराधान के लिये एक उपयुक्त ढाँचे का सुझाव दिया है।
- चुनाव सुधार:
  - चुनावों में धनबल को रोकने के लिये उपयुक्त सुधारों की आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव काले धन के उपयोग के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।
- कार्मिक प्रशिक्षण:
  - कर्मचारियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के प्रशिक्षण प्रदान कर संबंधित क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

चर्चा में क्यों?

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश सिंगापुर और अमेरिका ने किया। इसके बाद मॉरीशस, नीदरलैंड एवं स्विट्ज़लैंड का स्थान है।

- UNCTAD विश्व निवेश रिपोर्ट (WIR) 2022 ने FDI के मामले में वर्ष 2021 के लिये शीर्ष 20 मेज़बान अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 7वें स्थान पर रखा है।

शीर्ष प्राप्तकर्त्ता:

- भारत के आँकड़े:
  - भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 84,835 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक FDI प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक था।

नोट :

- वर्ष 2021 में FDI प्रवाह वित्त वर्ष 2019-2020 के 74,391 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 81,973 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- शीर्ष 5 FDI सोर्सिंग राष्ट्र:
  - सिंगापुर:01%
  - अमेरिका:94%
  - मॉरीशस:98%
  - नीदरलैंड:86%
  - स्विट्ज़रलैंड:31%
- शीर्ष क्षेत्र:
  - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर: 60%
  - सेवा क्षेत्र (वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, टेक. परीक्षण और विश्लेषण, अन्य): 12.13%
  - ऑटोमोबाइल उद्योग: 11.89%
  - ट्रेडिंग: 7.72%
  - निर्माण (इन्फ्रास्ट्रक्चर) गतिविधियाँ: 5.52%
- शीर्ष लक्ष्य:
  - कर्नाटक: 37.55%
  - महाराष्ट्र: 26.26%
  - दिल्ली: 13.93%
  - तमिलनाडु: 5.10%
  - हरियाणा: 4.76%
- पिछले वित्त वर्ष 2020-21 (12.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 (21.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में विनिर्माण क्षेत्र में FDI इक्विटी प्रवाह में 76% की वृद्धि हुई है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:

- परिचय:
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है।
    - FDI किसी निवेशक को एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
  - निवेशक कई तरह से FDI का लाभ उठा सकते हैं।
    - दूसरे देश में एक सहायक कंपनी की स्थापना करना, किसी मौजूदा विदेशी कंपनी का अधिग्रहण या विलय अथवा किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी इसके कुछ सामान्य तरीके हैं।
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण चालक होने के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिये एक प्रमुख गैर-ऋण वित्तीय संसाधन भी रहा है।
  - यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है जहाँ विदेशी संस्था केवल किसी कंपनी के स्टॉक और बॉण्ड खरीदती है।
    - FPI निवेशक को व्यवसाय पर नियंत्रण प्रदान नहीं करता है।
- घटक:
  - इक्विटी कैपिटल:
    - यह विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक की अपने देश के अलावा किसी अन्य देश के उद्यम के शेयरों की खरीद से संबंधित है।
  - पुनर्निवेशित आय:
    - इसमें प्रत्यक्ष निवेशकों की कमाई का वह हिस्सा शामिल होता है जिसे किसी कंपनी के सहयोगियों (Affiliates) द्वारा लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता है या यह कमाई प्रत्यक्ष निवेशक को प्राप्त नहीं होती है। सहयोगियों द्वारा इस तरह के लाभ को पुनर्निवेश किया जाता है।
  - इंट्रा-कंपनी ऋण:
    - इसमें प्रत्यक्ष निवेशकों (या उद्यमों) और संबद्ध उद्यमों के बीच अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधार एवं निधियों का उधार शामिल होता है।
- FDI संबंधी मार्ग:
  - स्वचालित मार्ग:
    - इसमें विदेशी संस्था को सरकार या RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
    - भारत में गृह मंत्रालय (MHA) से सुरक्षा मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं होने पर स्वचालित मार्ग के माध्यम से गैर-महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में 100% तक FDI की अनुमति है।
    - पाकिस्तान और बांग्लादेश से किसी भी निवेश के अलावा रक्षा, मीडिया, दूरसंचार, उपग्रहों, निजी सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक उड्डयन तथा खनन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश के लिये गृह मंत्रालय से पूर्व मंज़ूरी या सुरक्षा मंज़ूरी आवश्यक है।
  - सरकारी मार्ग:
    - इसमें विदेशी संस्था को सरकार से मंज़ूरी लेनी होती है।
    - विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) अनुमोदन मार्ग के माध्यम से आवेदनों की एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करता है। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।

FDI को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल:

- भारत सरकार ने हाल के वर्षों में कई पहल की हैं जैसे कि रक्षा, PSU तेल रिफाइनरियों, दूरसंचार, पॉवर एक्सचेंजों और स्टॉक एक्सचेंजों जैसे क्षेत्रों में FDI मानदंडों में ढील देना।
- 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानों के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत के कदम मज़बूत करने से पिछले कुछ वर्षों में FDI प्रवाह को गति मिली है।
- निवेश को आकर्षित करने वाली योजनाओं का शुभारंभ, जैसे, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आदि।
- कोविड-19 महामारी की पहली लहर ने लगभग 1,000 कंपनियों को अपना आधार चीन से बाहर स्थानांतरित करने के लिये प्रेरित किया, जिनमें से लगभग 300 चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल और वस्त्रों के क्षेत्रों में थीं।
    - भारत के लिये 600 से अधिक कर्मचारियों वाली लावा इंटरनेशनल जैसी कंपनियों ने अपना आधार चीन से भारत में स्थानांतरित करने के अपने इरादे को स्पष्ट किया।
- निवेशकों के लिये उदार और आकर्षक नीति व्यवस्था, उचित कारोबारी माहौल तथा कम नियामक ढाँचे के कारण उच्च FDI प्रवाह संभव हुआ है।

भारत विकास को बनाए रखना:

- वैश्विक निवेशकों के लिये अनुकूल माहौल बनाने में सरकारी नीतियाँ/निर्णय महत्त्वपूर्ण हैं। महामारी से प्रेरित व्यवधानों ने भारत को अपने वैश्विक पदचिह्नों का विस्तार करने का अवसर दिया है।
    - सरकार सभी स्तरों पर नीतिगत पहलों और सुधारों की श्रृंखला के माध्यम से FDI वातावरण को मज़बूत करने का प्रयास कर रही है।
    - इसे निर्यात को और बढ़ावा देने, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने और हमारे उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने हेतु मज़बूत व्यापार नीति अपनाई जानी चाहिये।
- FDI में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को सुविधाजनक बनाने की अधिक क्षमता है।
    - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि भारत गंभीर, दीर्घकालिक निवेशकों के लिये आकर्षक, सुरक्षित, पूर्वानुमान योग्य गंतव्य बना रहे।
        - यदि हम निरंतर विदेशी निवेश चाहते हैं तो समान अवसर आवश्यक है। स्थानीय अभिकर्त्ताओं के प्रति मित्रता से बचना चाहिये।

गिफ्ट सिटी और बुलियन एक्सचेंज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के गिफ्ट (GIFT) सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी।

- इमारत को प्रतिष्ठित संरचना के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया है, जो अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में GIFT-IFSC की बढ़ती प्रमुखता और विस्तार को दर्शाता है।
- उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX), GIFT-IFSC में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, NSE IFSC-SGX कनेक्ट भी लॉन्च किया।

बुलियन एक्सचेंज:

- बुलियन:
    - बुलियन उच्च शुद्धता के सोने और चाँदी को संदर्भित करता है जिसे अक्सर बार, सिल्लियाँ या सिक्कों के रूप में रखा जाता है।
    - बुलियन को कभी-कभी कानूनी निविदा माना जा सकता है और इसे अक्सर केंद्रीय बैंकों द्वारा भंडार के रूप में रखा जाता है या संस्थागत निवेशकों द्वारा रखा जाता है।
    - सरकार ने अगस्त 2020 में बुलियन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध और बुलियन डिपॉज़िटरी रसीद (BDR) के बारे में अधिसूचित किया था जिसमें वित्तीय उत्पाद के रूप में बुलियन और वित्तीय सेवाओं के रूप में संबंधित सेवाएँ शामिल थीं।
- बुलियन एक्सचेंज:
    - बुलियन एक्सचेंज एक ऐसा बाज़ार है जिसके माध्यम से खरीदार और विक्रेता सोने और चाँदी के साथ-साथ संबंधित डेरिवेटिव का व्यापार करते हैं।
    - लंदन बुलियन मार्केट के साथ दुनिया भर में विभिन्न बुलियन मार्केट हैं, जिन्हें सोने और चाँदी के लिये प्राथमिक वैश्विक बाज़ार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है।

सरकार ने अगस्त 2020 में बुलियन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध और बुलियन डिपॉज़िटरी रसीद (बीडीआर) के बारे में अधिसूचित किया था जिसमें वित्तीय उत्पाद के रूप में बुलियन और वित्तीय सेवाओं के रूप में संबंधित सेवाएँ शामिल थीं।

इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX):

- परिचय:
    - भारत में ज्वैलर्स द्वारा सोने के आयात को आसान बनाने के लिये पहली बार केंद्रीय बजट वर्ष 2020 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) की घोषणा की गई थी।

- यह एक ऐसा मंच है जो न केवल ज्वैलर्स को एक्सचेंज में व्यापार करने के लिये नामांकित करता है, बल्कि सोने और चाँदी के भंडारण के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा भी स्थापित करता है।
- IIBX भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा ज़िम्मेदार और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करेगा।
  - IFSCA को IIBX के माध्यम से सीधे सोने का आयात करने के लिये भारत में पात्र योग्य जौहरियों को अधिसूचित करने का कार्य सौंपा गया है।

- महत्त्व:
  - यह भारत को वैश्विक सर्राफा बाज़ार (Bullion Market) में अपनी पहुँच सुनिश्चित करने तथा अखंडता और गुणवत्ता के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखला हेतु सशक्त बनाएगा।
  - IIBX भारत को एक प्रमुख उपभोक्ता के रूप में वैश्विक बुलियन कीमतों को प्रभावित करने की दिशा में सक्षम बनाएगा तथा यह भारत सरकार की प्रतिबद्धता को भी फिर से लागू करता है।

गिफ्ट सिटी:

- गिफ्ट (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) सिटी गांधीनगर, गुजरात में स्थित है।
- इसमें एक बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) शामिल है जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) और एक विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) है।
- गिफ्ट सिटी (Gujarat International Finance Tec-City) को न केवल भारत बल्कि विश्व के लिये वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु एक एकीकृत केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है।
  - IFSCA भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिये एकीकृत नियामक है।
- शहर में सामाजिक बुनियादी ढाँचे में स्कूल, चिकित्सा सुविधाएँ, प्रस्तावित अस्पताल, इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं के साथ गिफ्ट सिटी बिज़नेस क्लब शामिल हैं। साथ ही इसमें एकीकृत सुनियोजित आवासीय परियोजनाएँ भी शामिल हैं जो गिफ्ट सिटी को वास्तव में "वॉक टू वर्क" शहर बनाती हैं।

एनएसई-आईएफएससी एसजीएक्स कनेक्ट:

- यह गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर (IFSC) और सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड (SGX) में एनएसई की सहायक कंपनी के बीच एक अवसंरचना है।
- कनेक्ट के तहत सिंगापुर एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा दिये गए निफ्टी डेरिवेटिव पर सभी ऑर्डर एनएसई-आईएफएससी ऑर्डर मैचिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मैच किये जाएंगे।
- भारत और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के ब्रोकर-डीलरों से कनेक्ट के माध्यम से ट्रेडिंग डेरिवेटिव हेतु बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है।
- यह GIFT-IFSC में व्युत्पन्न बाज़ारों में तरलता को मज़बूती तथा वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के साथ ही अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को आकर्षित करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण:

- स्थापना:
  - IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के तहत की गई थी।
    - इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) की गिफ्ट सिटी (GIFT City) में स्थित है।
- कार्य:
  - इसके अंतर्गत IFSC में ऐसी सभी वित्तीय सेवाओं, उत्पादों और संस्थाओं को विनियमित किया जाएगा, जिन्हें वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा IFSCs के लिये पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। प्राधिकरण ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, सेवाओं को भी विनियमित करेगा जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किये जा सकते हैं। यह केंद्र सरकार को ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों की भी सिफारिश कर सकता है जिन्हें IFSC में अनुमति दी जा सकती है।
- शक्तियाँ:
  - अधिनियम के तहत संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामक (भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, IRDAI तथा पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण आदि) द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियाँ प्राधिकरण द्वारा IFSC में वित्तीय रूप से नियमन के अनुसार पूरी तरह से प्रयोग की जाएंगी।
- प्राधिकरण की प्रक्रियाएँ:
  - प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली अन्य प्रक्रियाएँ वित्तीय उत्पादों, सेवाओं या संस्थानों पर लागू भारत की संसद के संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार शासित होंगी।
- केंद्र सरकार द्वारा अनुदान:
  - केंद्र सरकार को इस संबंध में संसद द्वारा कानून के उचित विनियोजन के बाद प्राधिकरण को इस तरह के धन को अनुदान के रूप में देना होगा क्योंकि केंद्र सरकार प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिये इसके उपयोग को समझती है।
- विदेशी मुद्रा में लेन-देन:
- IFSCs के ज़रिये विदेशी मुद्रा में वित्तीय सेवाओं का लेन-देन प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा।

भारतीय इतिहास

वैदिक युग में पाइथागोरस ज्यामिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 पर एक 'स्थिति पत्र' (Position Paper) में पाइथागोरस प्रमेय को "फर्जी समाचार" के रूप में वर्णित किया गया है।

- इसने बौधायन सुल्बसूत्र नामक पाठ का उल्लेख किया है, जिसमें विशिष्ट श्लोक प्रमेय को संदर्भित करता है।

पाइथागोरस:

- परिचय:
  - साक्ष्य के आधार पर यूनानी दार्शनिक की मौजूदगी लगभग 570-490 ईसा पूर्व में मानी जाती है।
  - माना जाता है कि उनके चारों ओर रहस्यमयी तत्त्व मौजूद थे क्योंकि उन्होंने इटली में रहस्यात्मक या गुप्त प्रकृति के स्कूल/समाज की स्थापना की।
  - उनकी गणितीय उपलब्धियों के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी है, क्योंकि वर्तमान में उनके लेखन के बारे में कुछ भी उपलब्ध नहीं है।
- पाइथागोरस प्रमेय:
  - पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं को जोड़ने वाले संबंध का वर्णन करता है (जिसमें एक कोण 90° का होता है)।
  - a2 + b2 = c2
  - यदि एक समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजाएँ ज्ञात हैं, तो प्रमेय आपको तीसरी भुजा की गणना करने में मदद करता है।

वैदिक भारतीय गणितज्ञ के स्रोत:

- सुल्बसूत्रों में पाइथागोरस के संदर्भ बताया गया है, जो वैदिक भारतीयों द्वारा किये गए अग्नि अनुष्ठानों (यजनों) से संबंधित ग्रंथ हैं।
  - इनमें से सबसे पुराना बौधायन शुल्बसूत्र है।
- बौधायन शुल्बसूत्र का काल अनिश्चित है। इसका अनुमान भाषायी और अन्य दूसरे ऐतिहासिक विचारों के आधार पर लगाया गया है।
  - वर्तमान साहित्य में बौधायन शुल्बसूत्र का काल लगभग 800 ईसा पूर्व माना जाता है।
- बौधायन शुल्बसूत्र में एक तथ्य है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है (इसे एक ज्यामितीय तथ्य के रूप में जाना जाता था, न कि 'प्रमेय' के रूप में)।
- यज्ञ अनुष्ठानों में विभिन्न आकारों में अनुष्ठानों और अग्निवेदियों का निर्माण शामिल था जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज, सममित ट्रेपेज़िया और आयत।
  - शुल्बसूत्र इन वेदियों के निर्धारित आकार के निर्माण की दिशा में उठाए गए कदमों का वर्णन करते हैं।

समीकरण का ज्ञान:

- प्राचीनतम प्रमाण पुरानी बेबीलोनियन सभ्यता (1900-1600 ईसा पूर्व) के हैं।
  - उन्होंने इसे विकर्ण नियम के रूप में संदर्भित किया।
- इस संबंध में सबसे पहला प्रमाण शुल्बसूत्रों के बाद के काल में मिलता है।
- प्रमेय का सबसे पुराना स्वयंसिद्ध प्रमाण लगभग 300 ईसा पूर्व के यूक्लिड के तत्त्वों में निहित है।

वेद

- वेद शब्द ज्ञान का प्रतीक है और यह ग्रंथ वास्तव में मानव जाति को पृथ्वी पर और उसके बाहर अपने पूरे जीवन का संचालन करने के लिये ज्ञान प्रदान करने के बारे में हैं।
- चार प्रमुख वेद हैं:
  - ऋग्वेद:
    - यह चारों में सबसे पुराना विद्यमान वेद है।
    - इसमें सांसारिक समृद्धि और प्राकृतिक सुंदरता पर ध्यान दिया गया है।
    - वेद 10 पुस्तकों में व्यवस्थित है जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है।
    - ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता:
    - भगवान इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, आदित्य आदि।
  - यजुर्वेद:
    - यजु नाम त्याग का प्रतीक है।
    - यह विभिन्न प्रकार के यज्ञों के संस्कारों और मंत्रों पर केंद्रित है।
    - इसके दो प्रमुख संशोधन (संहिताएँ) हैं:
    - शुक्ल यजुर्वेद जिसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है।
    - कृष्ण यजुर्वेद जिसे तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है।
  - सामवेद:
    - इसका नाम समन (गान) के नाम पर रखा गया है।

नोट :

- यह गीत-संगीत प्रधान है।
- इसे मंत्रों की पुस्तक भी कहा जाता है।

- अथर्ववेद:
  - इसे ब्रह्मवेद के रूप में भी जाना जाता है
  - इसकी रचना 'अथर्बन' तथा 'आंगिरस' ऋषियों द्वारा की गई है। इसीलिये इसे 'अथर्वांगिरस वेद' भी कहा जाता है।
  - यह मानव समाज में शांति और समृद्धि लाने पर केंद्रित है।
  - इसके दो प्रमुख संशोधन (शाखा) हैं:
  - पैप्पलाद
  - शौनकीय

भारतीय राजनीति

भारत का राजचिह्न

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में निर्माणाधीन नए संसद भवन के शीर्ष पर 6.5 मीटर ऊँचे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया।

सत्यमेव जयते

भारत का राष्ट्रीय चिह्न:

- परिचय:
  - भारत का राज्य प्रतीक भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक है और इसका उपयोग केंद्र सरकार, कई राज्य सरकारों और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
- इतिहास:
  - भारत का राजचिह्न (राष्ट्रीय प्रतीक) सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है।
    - मूल रूप में इसमें चार शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुँह किये खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक बैल और एक सिंह बने हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है।
    - इसे एकाश्म पत्थर को तराशकर बनाया गया है तथा इसके शीर्ष पर धम्म चक्र सुशोभित है।
- अपनाया गया प्रतीक:
  - राष्ट्र के प्रतीक में इसे 26 जनवरी, 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, इसमें केवल तीन सिंह दिखाई देते हैं और चौथा छिपा हुआ है जो दिखाई नहीं देता है।

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत का राज्य चिह्न भारत सरकार की आधिकारिक मुहर है।
- चार जानवरों को चार दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए दर्शाया गया है:
  - एक दौड़ता हुआ घोड़ा: पश्चिम दिशा में
    - घोड़ा कंठक घोड़े का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने राजसी जीवन को छोड़ने के लिये इसका इस्तेमाल किया था।
  - एक हाथी: पूर्व में
    - हाथी रानी माया के सपने को दर्शाता है, जहाँ एक सफेद हाथी उसके गर्भ में प्रवेश करता है।
  - एक बैल: दक्षिण में
    - बैल वृषभ राशि चक्र के संकेत को दर्शाता है, जिस महीने में बुध का जन्म हुआ था।
  - एक शेर: उत्तर में
    - सिंह ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है।
- ऐसा लगता है कि जानवर अनंत काल तक अस्तित्व का पहिया घुमाते हुए एक-दूसरे का अनुसरण करते हैं।
- मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द जिसका अर्थ है 'सत्य की ही जीत होती है (Truth Alone Triumphs)', देवनागरी लिपि में शीर्ष फलक के नीचे अंकित हैं।
- चार सिंह सभी दिशाओं में धर्म का प्रसार करने वाले बुद्ध के प्रतीक हैं।
  - यह बुद्ध द्वारा पहले धर्मोपदेश की स्मृति में बनाया गया था जिसे धर्मचक्रप्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
- कानूनी प्रावधान:
  - भारत का राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 और भारत का राज्य प्रतीक (उपयोग का विनियमन) नियम, 2007:
    - इन नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग केवल भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है और कोई भी अनधिकृत उपयोग कानून के तहत दंडनीय है।
    - कानून का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की सज़ा या 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
- उपयोग:
  - केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों के लेटरहेड पर।
  - भारत की मुद्रा पर।
  - भारत के पासपोर्ट पर।
  - राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र राष्ट्रीय प्रतीक से लिया गया है।

- इमारतों पर:
  - राष्ट्रपति भवन
  - संसद भवन
  - सर्वोच्च न्यायालय
  - उच्च न्यायालय
  - केंद्रीय सचिवालय
  - राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सचिवालय भवन
  - राजभवन/राजनिवास
  - राज्य विधानमंडल
  - विदेशों में भारत के राजनयिक मिशन का परिसर
  - उनकी मान्यता वाले देशों में मिशन प्रमुखों का निवास
  - विदेशों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों के भवनों के प्रवेश द्वार पर

मौर्य स्तंभ:

- मौर्य स्तंभ रॉक कट स्तंभ हैं जो इस प्रकार नक्काशी करने वाले के कौशल को प्रदर्शित करते हैं।
- अशोक द्वारा पत्थर के खंभे बनवाए गए थे, जो मौर्य साम्राज्य के उत्तर भारतीय हिस्से में पाए गए हैं, जिन पर शिलालेख खुदे हुए हैं।
- स्तंभ के शीर्ष भाग पर बैल, सिंह, हाथी आदि की बड़ी आकृतियां उकेरी गई हैं।
- सभी बड़े आकार की आकृतियाँ एक वर्ग या वृत्ताकार अबेकस पर खड़ी और नक्काशीदार हैं।
  - अबेकस को कमल शैली में सजाया गया है।
- मौर्य स्तंभों के कुछ उदाहरण:
  - लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ (पश्चिम चंपारण, बिहार)
  - अशोक स्तंभ (सांची, मध्य प्रदेश)
  - अशोक का सिंह स्तंभ, (सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश)

भारत के कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक:

- राष्ट्रीय ध्वज:
  - राष्ट्रीय ध्वज भारत का एक क्षैतिज तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा समान अनुपात में है। झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात दो से तीन होता है। सफेद पट्टी के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का पहिया होता है जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है।
  - राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन को 22 जुलाई, 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
- राष्ट्रगान:
  - भारत का राष्ट्रीय गान जन-गण-मन, मूल रूप से रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचित है, 24 जनवरी, 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था।
  - इसे पहली बार 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था।
- राष्ट्रीय गीत:
  - बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित वंदे मातरम गीत।
  - 24 जनवरी,1950 को राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा कि "वंदे मातरम गीत जिसने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जन गण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और उसे साथ समान दर्जा प्राप्त होगा।"
- राष्ट्रीय :
  - बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस एक धारीदार जानवर है। इसमें पीले रंग की गहरी धारियाँ होती हैं।
- राष्ट्रीय फूल:
  - कमल (नेलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन) भारत का राष्ट्रीय फूल है।

भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि धार्मिक और भाषायी समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति "राज्य-निर्भर" है।

संबंधित याचिका:

- याचिका में शिकायत की गई है कि लद्दाख, मिज़ोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, पंजाब और उत्तर-पूर्वी राज्यों में यहूदी, वहाबी तथा हिंदू धर्म के अनुयायी वास्तविक अल्पसंख्यक हैं।
- हालाँकि वे राज्य स्तर पर 'अल्पसंख्यक' की पहचान न होने के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनका प्रशासन नहीं कर सकते हैं।
- यहाँ हिंदू जैसे धार्मिक समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से गैर-प्रमुख और कई राज्यों में संख्या में न्यून हैं।

निर्णय:

- भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है।
- एक मराठी अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के बाहर अल्पसंख्यक हो सकता है।
- इसी तरह एक कन्नड़ भाषी व्यक्ति कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक हो सकता है।
- कोर्ट ने संकेत दिया कि एक धार्मिक या भाषायी समुदाय जो किसी विशेष राज्य में अल्पसंख्यक है, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने के अधिकार का दावा कर सकता है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक:

- वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (C) के तहत अधिसूचित समुदायों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है।
  - टीएमए पाई मामले में सर्वोच्च न्यायलय के 11 न्यायाधीशों की बेंच के फैसले, जिसने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर की जानी चाहिये, के बावजूद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2 (C) ने अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने के लिये केंद्र को "बेलगाम शक्ति" दी।
- NCM अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही वर्ष 1992 में MC वैधानिक निकाय बन गया, जिसका नाम बदलकर NCM कर दिया गया।
- वर्ष 1993 में पहला सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था और पाँच धार्मिक समुदाय अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- वर्ष 2014 में जैनियों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।

अल्पसंख्यकों हेतु संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 29:
  - यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।
  - यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषायी अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है।
  - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में 'नागरिकों के वर्ग' शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं।
- अनुच्छेद 30:
  - सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा।
  - अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषायी) तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग (अनुच्छेद 29 के तहत) तक नहीं है।
- अनुच्छेद 350(B):
  - 7वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1956 ने इस अनुच्छेद को सम्मिलित किया जो भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
  - इस विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह संविधान के तहत भाषायी अल्पसंख्यकों हेतु प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करे।

भारतीय नागरिकता का त्याग

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2021 में 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी।

- वर्ष 2020 के कोविड-काल में अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या 85,256 थी और वर्ष 2019 में यह संख्या 1.44 लाख थी।

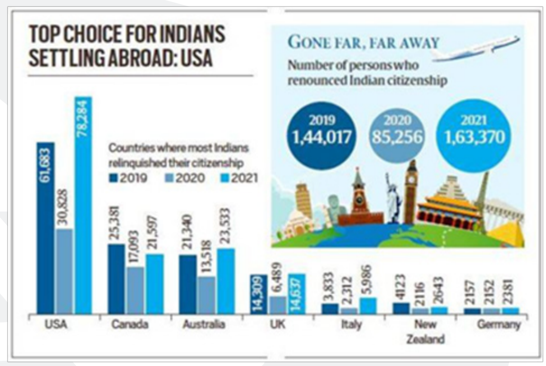

नागरिकता :

- सवैधानिक प्रावधान:
  - नागरिकता को संविधान के तहत 'संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।
  - संविधान 'नागरिक' शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के लिये पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 (अनुच्छेद 5 से 11) में दिया गया है।
- भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण:
  - वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम, नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीकों का उल्लेख करता है, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का समावेश शामिल है।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019:
  - अधिनियम में वर्ष 2015 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू, सिख, बौद्धों, जैन, पारसियों तथा ईसाइयों के लिये नागरिकता में तेज़ी लाने हेतु कानून में संशोधन किया गया।
  - भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन करने से पहले उनके लिये कम-से-कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर पाँच वर्ष कर दिया गया है।

लोगों द्वारा नागरिकता त्यागने का कारण:

- सामान्य कारण:
  - लोग बेहतर रोज़गार और आवास की स्थिति के लिये अपने देशों से प्रवास कर जाते हैं तथा कुछ जलवायु परिवर्तन या देश में प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों के कारण प्रवास कर जाते हैं।
  - ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू, 2020 के अनुसार:
    - दुनिया भर में उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति, जो जन्म के समय प्राप्त नागरिकता का त्याग करते हैं, अपराध दर बढ़ने या देश में व्यावसायिक अवसरों की कमी के कारण ऐसा कर सकते हैं।
    - अन्य कारणों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, जलवायु एवं प्रदूषण जैसे- जीवनशैली कारक, करों सहित वित्तीय चिंताएँ, परिवारों के लिये बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों के लिये शैक्षिक अवसर और दमनकारी शासन से बचने के लिये प्रवास करना शामिल है।
- भारत:
  - नई पीढ़ी में दूसरे देशों के पासपोर्ट रखने वाले भारतीयों में से कुछ विदेश में बसे पुराने भारतीय परिवार के साथ रहने का विकल्प चुन रहे हैं। कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों में भारत छोड़ने वाले लोग कानून से भाग रहे हैं या कथित अपराधों के लिये कानूनी कार्रवाई से डरते हैं।
    - आज़ादी के बाद का प्रवासी समुदाय नौकरियों और उच्च शिक्षा के लिये भारत से बाहर जा रहा है, लेकिन आज़ादी से पहले का प्रवासी आंदोलन पूरी तरह से अलग था, जिसमें जबरन और संविदा श्रम देखा गया था।
  - चूँकि भारत दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता है, इसलिये किसी को दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिये अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करना पड़ता है।
  - जिन देशों में भारतीय लंबे समय से प्रवास कर रहे हैं या जहाँ लोगों के परिवार या दोस्त हैं, उनके लिये अधिक स्वचालित विकल्प होंगे, जैसे कि आसान कागजी कार्रवाई और अधिक स्वागत योग्य सामाजिक एवं जातीय वातावरण।

भारत में नागरिकता छोड़ने के तरीके:

- स्वैच्छिक त्याग:
  - यदि कोई भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग सकता है।
  - जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। हालाँकि जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, तो वह भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त कर सकता है।
- समाप्ति द्वारा:
  - भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि एक भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है।
  - यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। हालाँकि यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब भारत युद्ध में व्यस्त हो।
- सरकार द्वारा वंचित:
  - भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि;
    - नागरिकों ने संविधान का अपमान किया है।
    - धोखे से नागरिकता प्राप्त की है।
    - नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया है।
    - पंजीकरण या देशीयकरण के 5 साल के भीतर किसी भी देश में एक नागरिक को 2 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई हो।
    - नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कानून और न्याय मंत्री ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा भारत में कानूनी सहायता कार्यक्रम के संचालन के लिये विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवंटित धन के विवरण की जानकारी दी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA):

- परिचय:
  - NALSA की स्थापना 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी सहायता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा करने तथा अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये नियमों एवं सिद्धांतों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी।
  - यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और गैर-लाभकारी संगठनों को विधिक सहायता प्रणालियों तथा पहलों को निष्पादित करने में मदद के लिये धन एवं अनुदान का भी वितरण करता है।
- संवैधानिक प्रावधान:
  - भारत के संविधान के अनुच्छेद- 39A में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है

और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं द्वारा या किसी अन्य तरीके से मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

- अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिये विधि के समक्ष समानता तथा सभी के लिये समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं।

- कानूनी सेवा प्राधिकरणों का उद्देश्य:
  - नि:शुल्क कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना।
  - कानूनी जागरूकता का विस्तार करना।
  - लोक अदालतों का आयोजन करना।
  - वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देना।
    - विभिन्न प्रकार के ADR तंत्र हैं जैसे- मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक समझौता जिसमें लोक अदालत के माध्यम से निपटान या मध्यस्थता शामिल है।
  - अपराध के पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करना।

विभिन्न स्तरों पर कानूनी सेवा संस्थान:

- राष्ट्रीय स्तर: नालसा (NALSA) का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। भारत का मुख्य न्यायाधीश पैट्रन-इन-चीफ है।
- राज्य स्तर: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इसकी अध्यक्षता राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है जो इसका मुख्य संरक्षक होता है।
- ज़िला स्तर: ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण। ज़िले का ज़िला न्यायाधीश इसका पदेन अध्यक्ष होता है।
- तालुका/उप-मंडल स्तर: तालुका/उप-मंडल विधिक सेवा समिति। इसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ सिविल जज करता है।
- उच्च न्यायालय: उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति।
- सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति।

नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्राप्त करने हेतु पात्र:

- महिलाएँ और बच्चे
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य
- औद्योगिक कामगार
- सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार।
- विकलांग व्यक्ति
- हिरासत में लिया गया व्यक्ति
- वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है, यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष है, और 5 लाख रुपए से कम है, यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।
- मानव तस्करी के शिकार या बेगार।

संबंधित पहल:

- कानूनी सेवा मोबाइल एप:
  - न्याय तक समान पहुँच को सक्षम करने हेतु नालसा (NALSA) ने आम नागरिकों को कानूनी सहायता तक आसान पहुँच में सक्षम बनाने के लिये एंड्रॉइड और iOS संस्करणों पर कानूनी सेवा मोबाइल एप लॉन्च किया है।
- दिशा योजना:
  - न्याय विभाग (DoJ) ने 2021-26 तक लागू की जा रही "न्याय तक समग्र पहुँच के लिये अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा)" नामक एक योजना के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर न्याय तक पहुँच पर व्यापक, समग्र, एकीकृत और व्यवस्थित समाधान शुरू किया है।
  - सभी न्यायिक कार्यक्रमों को दिशा योजना के तहत मिला दिया गया है तथा इसे अखिल भारतीय स्तर तक बढ़ा दिया गया है।

भारतीय ध्वज संहिता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय ध्वज "जहाँ ध्वज खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।"

- सरकार ने इससे पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडे के उपयोग की अनुमति देने के लिये ध्वज संहिता में संशोधन किया था।
- सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने के साथ ही गृह मंत्रालय ने भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में संशोधन किया है ताकि रात में भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सके।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002:

- इसने ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी।
- ध्वज संहिता, ध्वज के सही प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले पूर्व मौजूदा नियमों को प्रतिस्थापित नहीं करती है।
  - हालाँकि यह पिछले सभी कानूनों, परंपराओं और प्रथाओं को एक साथ लाने का प्रयास था।

नोट :

- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बाँटा गया है:
  - पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है।
  - दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है।
  - संहिता का तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी देता है।
- इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये नहीं किया जा सकता है।
- इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
- आधिकारिक प्रदर्शन के लिये केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप चिह्न वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है।

हर घर तिरंगा अभियान:

- 'हर घर तिरंगा' आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्त्वावधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष पर इसे फहराने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु एक अभियान है।
- ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तिगत से अधिक औपचारिक और संस्थागत रहा है।
- स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहिक रूप से घर पर फहराना न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है, बल्कि यह राष्ट्र-निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन जाता है।
- इस पहल का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

भारत का राष्ट्रीय ध्वज:

- परिचय:
  - 1906:
    - ऐसा माना जाता है कि पहला राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियाँ शामिल थीं, 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में लोअर सर्कुलर रोड के पास पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था।
  - 1921:
    - बाद में वर्ष 1921 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकय्या ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और ध्वज के एक मूल डिज़ाइन का प्रस्ताव रखा, जिसमें दो लाल और हरे रंग की पट्टियाँ शामिल थीं।
  - 1931:
    - कई बदलावों से गुज़रने के बाद वर्ष 1931 में कराची में कॉन्ग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था।
  - 1947:
    - 22 जुलाई, 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक के दौरान भारतीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था।
- भारतीय तिरंगे से संबंधित नियम:
  - प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1950:
    - यह राष्ट्रीय ध्वज, सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किये जाने वाले चिह्न, राष्ट्रपति या राज्यपाल की आधिकारिक मुहर, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री के चित्रमय निरूपण तथा अशोक चक्र के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971:
  - यह राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र सहित देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को प्रतिबंधित करता है।
  - यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत निम्नलिखित अपराधों में दोषी ठहराया जाता है, तो वह 6 वर्ष की अवधि के लिये संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य हो जाता है।
    - राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना।
    - भारत के संविधान का अपमान करना।
    - राष्ट्रगान के गायन को रोकना।
  - संविधान का भाग IV-A:
    - संविधान का भाग IV-A (जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51-A शामिल है) ग्यारह मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है।
    - अनुच्छेद 51 A (a) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे।

PMLA तथा सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक याचिका कि सुनवाई में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

- न्यायालय ने रेखांकित किया कि आरोपी/अपराधी की बेगुनाही के सिद्धांत को एक मानव अधिकार के रूप में माना जाता है, लेकिन इस अवधारणा को संसद/विधायिका द्वारा बनाए गए कानून द्वारा बाधित किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR):
  - प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) की तुलना प्राथमिकी से नहीं की जा सकती।
    - प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति को ECIR की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है और "यह पर्याप्त है यदि प्रवर्तन निदेशालय (ED), गिरफ्तारी के समय, ऐसी गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करता है"।
    - ECIR ईडी का एक आंतरिक दस्तावेज़ है और यह तथ्य कि अनुसूचित अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, ईडी अधिकारियों के जाँच/परीक्षण शुरू करने के मामले में दखल नहीं करता है।
- PMLA अधिनियम की धारा 3:
  - PMLA अधिनियम 2002 की धारा 3 की व्यापक पहुँच है और यह दर्शाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है जो एक अनुसूचित अपराध से संबंधित या उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया था।
  - निर्णय ने यह भी स्पष्ट किया कि:
    - धारा 3 के तहत अपराध "एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति के अवैध लाभ पर निर्भर है"।
    - वर्ष 2002 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति पर काल्पनिक आधार पर या इस धारणा के आधार पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं कि अपराध हुआ है लेकिन यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत नहीं है और सक्षम मंच के समक्ष आपराधिक शिकायत जाँच लंबित है।
- प्रवर्तन निदेशालय (ED):
  - पीठ ने अधिनियम की धारा 5 (अपराध की किसी भी आय की अस्थायी कुर्की का आदेश) के तहत ED की शक्ति को बरकरार रखा।
    - न्यायालय ने कहा कि धारा 5 व्यक्ति के हितों को सुरक्षित करने के लिये एक संतुलन व्यवस्था प्रदान करती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि अपराध अधिनियम, 2002 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निपटने के लिये उपलब्ध रहे।
  - इसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ED अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं और इसलिये अधिनियम की धारा 50 के तहत उनके द्वारा दर्ज बयान संविधान के अनुच्छेद 20 (3) से प्रभावित होगा, जिसमें कहा गया है कि अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाह बनने के लिये मज़बूर नहीं किया जाएगा।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

- यह आपराधिक कानून है जो धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए बनाया गया है।
- यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।
- इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।
- PMLA (संशोधन) अधिनियम, 2012:
  - इसमें 'रिपोर्टिंग इकाई' की अवधारणा शामिल है जिसमें बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ आदि शामिल होंगे।
  - PMLA, 2002 में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान था, लेकिन संशोधन अधिनियम में इस ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है।
  - इसमें गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी कुर्की और ज़ब्ती का प्रावधान किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय:

- संगठनात्मक इतिहास:
  - प्रवर्तन निदेशालय या ED एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो आर्थिक अपराधों की जाँच और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के लिये अनिवार्य है।
  - इस निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई, 1956 को हुई, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा '47) के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया।
  - समय बीतने के साथ, FERA'1947 कानून को FERA'1973 कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 04 साल की अवधि (1973-1977) के लिये निदेशालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रहा। पुन: आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ, FERA'1973 (जो एक नियामक कानून था) निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जून, 2000 से एक नया कानून-विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) लागू किया गया।

- हाल ही में विदेशों में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA) पारित किया है और ED को इसे लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है।

- कार्य:
  - मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 (PMLA):
    - इसके तहत धन शोधन के अपराधों की जाँच करना, संपत्ति की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई करना और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाना हैं।
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA):
    - इसके तहत निदेशालय नामित अधिकारियों द्वारा फेमा के उल्लंघन के दोषियों की जाँच की जाती है और इसमें शामिल राशि का तीन गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
  - भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA):
    - इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों को दंडित करना है जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने के उपाय खोजते हैं।
  - COFEPOSA के तहत प्रायोजक एजेंसी:
    - FEMA के उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा और संरक्षण गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत निवारक निरोध के प्रायोजक मामले देखना।

राज्य विधानसभा की बैठकें

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा "राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा, 2021" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी।

- रिपोर्ट के अनुसार केरल को वर्ष 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें इसकी विधानसभा की बैठक 61 दिनों तक चली, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक है।
- केरल में 144 अध्यादेश भी जारी किये गए, जो पिछले साल देश में सबसे अधिक थे।

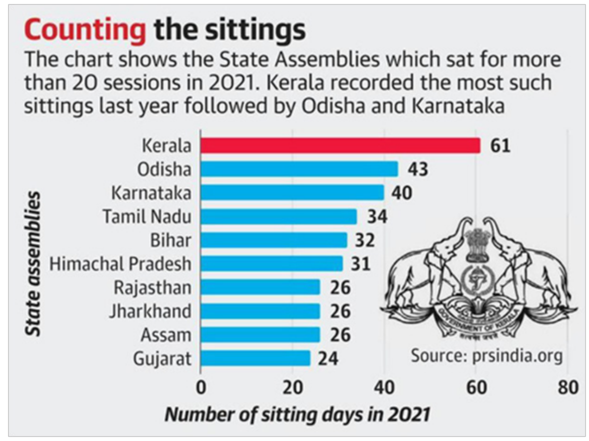

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- बैठकें:
  - मणिपुर, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने प्रक्रिया नियमों के माध्यम से बैठक के दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की है, जो पंजाब में 40 दिनों से लेकर उत्तर प्रदेश में 90 दिनों तक भिन्न-भिन्न है।
  - वर्ष 2005 में कर्नाटक सरकार ने कम-से-कम 60 दिनों तक की बैठक की शर्त के साथ कर्नाटक राज्य विधानमंडल में सरकारी कामकाज का संचालन अधिनियम भी प्रस्तुत किया था।
- अध्यादेश:
  - इस मामले में केरल के बाद 20 अध्यादेशों के साथ आंध्र प्रदेश और 15 के साथ महाराष्ट्र का स्थान रहा, जिनमें से 33 अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिये लाए गए विधेयकों ने अधिनियम का रूप लिया।
  - आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी बजट प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिये अध्यादेश जारी किये।
- विधेयकों के पारित होने की स्थिति:
  - 28 राज्य विधानसभाओं द्वारा अपनाए गए विधेयकों में से 44% विधेयकों को पेश किये जाने के एक दिन के भीतर ही पारित कर दिया गया।
    - गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार उन आठ राज्यों में शामिल थे, जिन्होंने पुर:स्थापन के दिन सभी विधेयकों को पारित किया।
  - कर्नाटक, केरल, मेघालय, ओडिशा और राजस्थान ने अपने अधिकांश विधेयकों को पारित करने में पाँच दिन से अधिक का समय लिया।
    - केरल में 94% विधेयकों को विधायिका में पेश किये जाने के कम-से-कम पाँच दिनों के बाद पारित किया गया।
    - मेघालय के संबंध में यह दर 80% और कर्नाटक के मामले में 70% रही।

- बैठकों के फोकस क्षेत्र:
  - इस विषय से संबंधित वर्ष 2021 में पारित सभी कानूनों में से 21% के साथ शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी।
  - शिक्षा, कराधान और शहरी शासन के बाद वर्ष 2021 में पारित राज्य कानूनों का सबसे बड़ा हिस्सा था।
  - ऑनलाइन गेमिंग, राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के लिये नौकरियों में आरक्षण तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कई अन्य क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कानून शामिल हैं।

एक निष्क्रिय राज्यसभा:

- संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग:
  - संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग (2000-02), जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया ने की थी:
    - विधायिका वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के सदन:
    - 70 से कम सदस्यों (उदाहरण: पुदुचेरी) वाली विधायिका को वर्ष में कम-से-कम 50 दिन की बैठक करनी चाहिये।
    - अन्य राज्यों के सदनों (जैसे-तमिलनाडु) के लिये वर्ष में कम-से-कम 90 दिन की बैठक करना अनिवार्य है।
- पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन:
  - जनवरी 2016 के दौरान गांधीनगर में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने सुझाव दिया:
    - राज्य विधानसभाओं में एक वर्ष में कम-से-कम 60 दिन की बैठक हो।
    - PRS के अनुसार, वर्ष 2016 और 2021 के बीच 23 राज्य विधानसभाओं में औसतन 25 दिनों की बैठक हुई थी।

सदन की बैठकों में वृद्धि से लाभ:

- यथेष्ठ/पर्याप्त चर्चा:
  - सदनों (राज्य या संसद) में बैठक के दिनों में वृद्धि कर सदस्यों को विधेयकों पर चर्चा के लिये अधिक समय मिलेगा, साथ ही तथ्य और तर्क के आधार पर स्वस्थ बहस होगी जो अंततः सदन के स्वस्थ कामकाज को सुनिश्चित करेगी।
- विधेयकों को पारित करने में सुगमता:
  - जैसे-जैसे सदन में बैठकों की संख्या बढ़ती है, किसी विशेष सत्र के दौरान सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयकों की संख्या में वृद्धि होती है, इसके साथ ही पारित होने वाले विधेयकों की संख्या में भी वृद्धि होती है।
    - विभिन्न क्षेत्रों में पारित विधेयकों की संख्या में वृद्धि सरकार को कुशल एवं प्रभावी शासन लाने में सक्षम बनाएगी।
- गिलोटिन समापन:
  - यह तब होता है जब समय की कमी के कारण एक विधेयक (जिस पर चर्चा हो चुकी है) के साथ किसी अन्य विधेयक या प्रस्ताव के ऐसे खंडों को भी मतदान के लिये रखा जाता है जिस पर चर्चा नहीं की गई है (क्योंकि चर्चा के लिये आवंटित समय समाप्त हो चुका होता है)।
    - बैठकों में वृद्धि से चर्चा के लिये अधिक समय मिलेगा और गिलोटिन समापन के मामलों में कमी आएगी।
- निजी सदस्य विधेयक:
  - वर्ष 1952 के बाद से हज़ारों में से केवल 14 निजी सदस्य विधेयक ही कानून बने।
    - बैठकों में वृद्धि से निजी सदस्यों को न केवल विधेयक तैयार करने और सदन में पेश करने के लिये अधिक समय मिलेगा, बल्कि इसके पारित होने हेतु विस्तृत एवं स्वस्थ चर्चा भी होगी।

भूगोल

सकुराजिमा ज्वालामुखी: जापान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान के प्रमुख पश्चिमी द्वीप क्यूशू में सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया।

- वर्ष 2021 में फुकुतोकू-ओकानोबा सबमरीन ज्वालामुखी में जापान से दूर प्रशांत महासागर मंट विस्फोट हुआ था।

सकुराजिमा ज्वालामुखी

- सकुराजिमा जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और इसमें विभिन्न स्तरों के विस्फोट नियमित आधार पर होते रहते हैं।
- यह एक सक्रिय स्ट्रैटो वोलकानो है।
- ऐतिहासिक रूप से सकुराजिमा में सबसे बड़े विस्फोट वर्ष 1471-76 के दौरान और 1914 में हुए थे।
- इसमें विस्फोट 8वीं शताब्दी से दर्ज किया गया है।
- कागोशिमा पर इसकी राख के लगातार जमा होने और इसकी विस्फोटक क्षमता के कारण इसे बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है।

ज्वालामुखी:

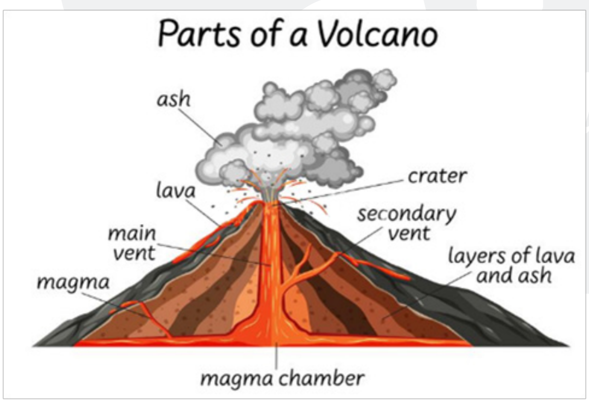

- परिचय:
  - ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन या टूटन है जिसमें मैग्मा के रूप में गर्म तरल और अर्द्ध-तरल चट्टानों, ज्वालामुखीय राख और गैसें बाहर निकलती है।
  - शेष सामग्री ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती है। इसके कारण तीव्र विस्फोट हो सकता है जिससे अत्यधिक मात्रा में पदार्थों का निष्कासन होता है।
  - विस्फोटित सामग्री पृथ्वी पर तरल पदार्थ("लावा" जब यह सतह पर हो, "मैग्मा" जब यह भूमिगत हो), राख और/या गैस हो सकती है।
- मैग्मा में वृद्धि का कारण:
  - मैग्मा का निष्कासन तब होता है जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट अभिसारी गति करते हैं। मैग्मा खाली स्थान को भरने के लिये ऊपर उठता है। जब ऐसा होता है तो जल के भीतर भी ज्वालामुखी निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है।
  - जब ये टेक्टोनिक प्लेट एक-दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो मैग्मा भी ऊपर उठता है और प्लेट के हिस्से इसके आंतरिक भाग में गहराई में चले जाते हैं तो उच्च ताप और दबाव के कारण पर्पटी पिघल जाती है तथा मैग्मा के रूप में ऊपर उठ जाती है।
  - मैग्मा अंतिम रूप से हॉट-स्पॉट से ऊपर उठता है। हॉट-स्पॉट पृथ्वी के अंदर के गर्म क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र मैग्मा को गर्म करते हैं। जब यह मेग्मा कम घना होता है तो ऊपर उठता है। हालाँकि मैग्मा के ऊपर उठने के कारण भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी इनमें प्रत्येक में ज्वालामुखी के निर्माण की क्षमता हो सकती है।

प्रकार:

- शील्ड ज्वालामुखी:
  - यह ज्वालामुखी कम श्यानता, बहता हुआ लावा पैदा करता है जो स्रोत से बहुत दूर फैलता है और हल्का ढलान वाले ज्वालामुखी का निर्माण करता है।
  - अधिकांश शील्ड ज्वालामुखी तरल पदार्थ, बेसाल्टिक लावा प्रवाह से बनते हैं।
    - मौना केआ और मौना लोआ शील्ड ज्वालामुखी हैं। वे हवाई द्वीप के आसपास दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी हैं।

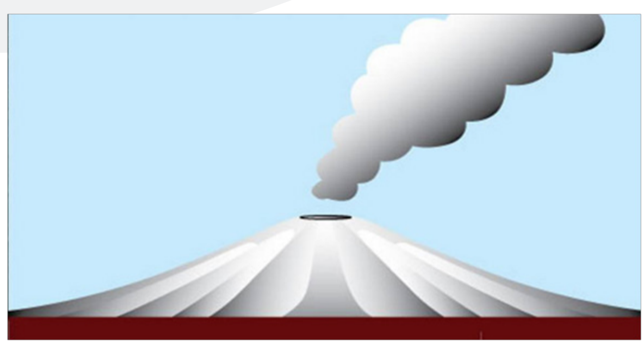

- स्ट्रैटो ज्वालामुखी:
  - स्ट्रैटो ज्वालामुखी में अपेक्षाकृत खड़ी ढलान होती हैं और शील्ड ज्वालामुखियों की तुलना में अधिक शंकु के आकार की होती है।
  - वे श्यान, चिपचिपे लावा से बनते हैं जो आसानी से नहीं बहते हैं।

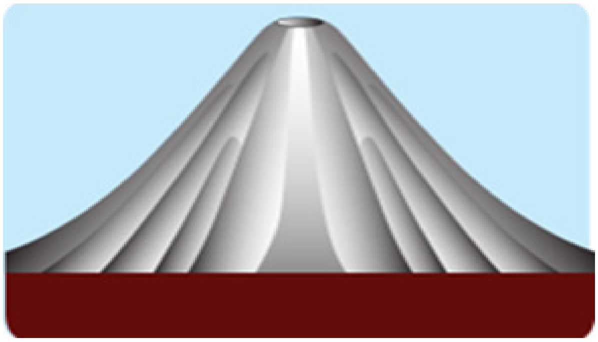

- लावा गुंबद:
  - कैरिबियाई द्वीप मॉन्टसेराट पर स्थित सौफरिएर पहाड़ी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के शिखर पर अपने लावा गुंबद परिसर के लिये जाना जाता है, जो विकास और पतन के चरणों से गुज़रा है। चूँकि चिपचिपा लावा बहुत तरल नहीं होता है, इसलिये जब यह बाहर निष्कासित होता है तो आसानी से निकास छिद्र से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। इसके बजाय यह निकास के शीर्ष पर ढेर के रूप में जमा हो जाता है जो गुंबद के आकार की संरचना बनाता है।

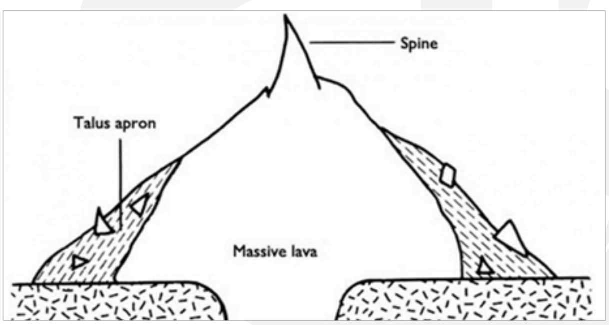

- काल्डेरा:
  - मैग्मा ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा कक्ष में जमा होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मैग्मा कक्ष से बाहर निष्कासित होता है, जिससे मैग्मा कक्ष की छत सतह पर खड़ी दीवारों के साथ अवसाद या कटोरा की भांति संरचना बनाता है।
  - ये काल्डेरा हैं और दसियों मील की दूरी पर हो सकते हैं।

भारत में ज्वालामुखी:

- बैरन द्वीप, अंडमान द्वीप समूह (भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी)
- नार्कोंडम, अंडमान द्वीप समूह
- बारातांग, अंडमान द्वीप समूह
- डेक्कन ट्रैप्स, महाराष्ट्र
- ढिनोधर पहाड़ी, गुजरात
- ढोसी पहाड़ी, हरियाणा

भूजल स्तर में कमी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा हाल ही में किये गए विश्लेषण के अनुसार, देश के कुछ हिस्सों में भूजल स्तर कम हो रहा है।

- नवंबर 2011 से नवंबर 2020 के दशकीय औसत की तुलना में नवंबर 2021 के दौरान CGWB द्वारा एकत्र किये गए आँकड़ों से पता चलता है कि लगभग 70% कुओं ने जल स्तर में वृद्धि दर्ज की है, जबकिं लगभग 30% कुओं में भूजल स्तर में गिरावट (ज़्यादातर 0 - 2 मीटर की सीमा में) दर्ज की गई है।

भारत में भूजल की कमी की वर्तमान स्थिति:

- भूजल की कमी की स्थिति:
  - CGWB के अनुसार, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई के लिये हर साल 230 बिलियन मीटर क्यूबिक भूजल निकाला जाता है, जिससे देश के कई हिस्सों में भूजल का तेज़ी से क्षरण हो रहा है।
  - भारत में कुल अनुमानित भूजल की कमी 122-199 बिलियन मीटर क्यूबिक की सीमा में है।
  - निकाले गए भूजल का 89% सिंचाई क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जिससे यह देश में उच्चतम श्रेणी का उपयोगकर्त्ता बन जाता है।
    - इसके बाद घरेलू उपयोग के लिये भूजल का स्थान आता है जो निकाले गए भूजल का 9% है। भूजल का औद्योगिक उपयोग 2% है। शहरी जल की 50 फीसदी और ग्रामीण घरेलू जल की 85 फीसदी ज़रूरत भी भूजल से ही पूरी होती है।
- कारण:
  - हरित क्रांति: हरित क्रांति ने सूखा प्रवण/जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल गहन फसलों को उगाने में सक्षम बनाया, जिससे भूजल की अधिक निकासी हुई।

- इसकी पुन:पूर्ति की प्रतीक्षा किये बिना ज़मीन से जल को बार-बार पंप करने से इसमें त्वरित कमी आई।
- इसके अलावा बिजली पर सब्सिडी और पानी की अधिक खपत वाली फसलों के लिये उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)।

- उद्योगों की आवश्यकता: लैंडफिल, सेप्टिक टैंक, टपका हुआ भूमिगत गैस टैंक और उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अति प्रयोग से होने वाले प्रदूषण के मामले में जल प्रदूषण के कारण भूजल संसाधनों की क्षति और इनमें कमी आती है।
- अपर्याप्त विनियमन: भूजल का अपर्याप्त विनियमन तथा इसके लिये कोई दंड न होना भूजल संसाधनों की समाप्ति को प्रोत्साहित करता है।
- संघीय मुद्दा: जल एक राज्य का विषय है, जल संरक्षण और जल संचयन सहित जल प्रबंधन पर पहल तथा देश में नागरिकों को पर्याप्त पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना मुख्य रूप से राज्यों की ज़िम्मेदारी है।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB):

- यह जल संसाधन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और राष्ट्रीय शीर्ष एजेंसी है जिसे देश के भूजल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, मूल्यांकन, वृद्धि तथा और विनियमन हेतु वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1970 में कृषि मंत्रालय के अधीन अन्वेषण कार्य ट्यूबवेल संगठन (Exploratory Tubewells Organization) का नाम बदलकर की गई थी जिसे वर्ष 1972 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूजल प्रभाग के साथ विलय कर दिया गया था।
- इसका मुख्यालय भूजल भवन, फरीदाबाद, हरियाणा में है।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत गठित केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा देश में भूजल विकास के नियमन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की देखरेख की जा रही है।

सरकार द्वारा की गई पहलें:

- केंद्र सरकार:
  - यह समुदायों/हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर की जल सुरक्षा योजना के आधार पर सतह और भूजल के संयुक्त उपयोग की अवधारणा को बढ़ावा दे रही है।
  - अटल भूजल योजना (अटल जल): यह सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों के सतत् प्रबंधन के लिये विश्व बैंक की सहायता से 6000 करोड़ रुपए की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  - जल शक्ति अभियान (JSA): इन क्षेत्रों में भूजल की स्थिति सहित पानी की उपलब्धता में सुधार हेतु देश के 256 जल संकटग्रस्त ज़िलों में वर्ष 2019 में इसे शुरू किया गया था।
    - इसमें पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण, पारंपरिक जल निकायों के कायाकल्प, गहन वनीकरण आदि पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
  - जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम: CGWB द्वारा जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (Aquifer Mapping Programme) शुरू किया गया है।
    - कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ जलभृत/क्षेत्र विशिष्ट भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु जलभृत की स्थिति और उनके लक्षण व वर्णन को चित्रित करना है।
  - कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन (AMRUT): मिशन अमृत शहरों में शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि पानी की आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, बेहतर जल निकासी, पर्यावरणीय अनुकूल स्थान और पार्क व गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन आदि।
- राज्य सरकार:
  - राज्य सरकारों द्वारा भी विभिन्न पहलें की गई हैं जैसे:
    - मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, राजस्थान
    - जलयुक्त शिबार, महाराष्ट्र
    - सुजलाम सुफलाम अभियान, गुजरात
    - मिशन काकतीय, तेलंगाना
    - नीरू चेट्टू, आंध्र प्रदेश
    - जल जीवन हरियाली, बिहार
    - जल ही जीवन, हरियाणा
    - कूदीमरामथु (Kudimaramath) योजना, तमिलनाडु

आगे की राह:

- भूजल का कृत्रिम तरीके से संभरण: यह मृदा के माध्यम से अंत:स्पंदन को बढ़ाने के लिये भूमि पर जल का प्रसार करने या उसे अवरुद्ध कर जलभृत में प्रवेश कराने या कुओं से सीधे जलभृत में जल डालने की प्रक्रिया है।
- भूजल प्रबंधन संयंत्र: स्थानीय स्तर पर भूजल प्रबंधन संयंत्र स्थापित करने से लोगों को अपने क्षेत्र में भूजल की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे वे इसका बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग कर सकेंगे।

मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की मंत्रिस्तरीय बैठक में मत्स्य पालन (मात्स्यिकी) सब्सिडी (AFS) पर समझौता हुआ।

WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

- WTO:
  - यह वर्ष1995 में अस्तित्व में आया।
    - विश्व व्यापार संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनज़र स्थापित टैरिफ और व्यापार (GATT) पर सामान्य समझौते के स्थान पर अपनाया गया।
  - इसका उद्देश्य व्यापार प्रवाह को सुचारू, स्वतंत्र और अनुमानित रूप से संचालित करना है।
  - इसमें 164 सदस्य शामिल हैं।
- विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC):
  - यह विश्व व्यापार संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है और आमतौर पर हर दो वर्ष में इसकी बैठक होती है।
  - विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शामिल होते हैं और वे किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत आने वाले सभी मामलों पर निर्णय ले सकते हैं।

समझौते के बारे में:

- परिचय:
  - यह समझौता वैश्विक मछली स्टॉक की बेहतर सुरक्षा के लिये अवैध, गैर-सूचित और अनियमित तरीके (IUU) से मछली पकड़ने के मामले में सब्सिडी पर रोक लगाएगा।
  - यह समझौता गहरे समुद्री क्षेत्र जो कि तटीय देशों और क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों/व्यवस्थाओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, में मछली पकड़ने के मामले में भी सब्सिडी प्रदान करने पर रोक लगाता है।
- संक्रमण अवधि भत्ता:
  - विशेष और विभेदक उपचार (S&DT) के तहत विकासशील देशों तथा अल्प विकसित देशों (LDC) को इस समझौते के लागू होने की तारीख से दो साल की संक्रमण अवधि की अनुमति दी गई है।
    - निर्दिष्ट अवधि के लिये विनियम को लागू करने हेतु उनका कोई दायित्व नहीं होगा।
- छूट प्राप्त क्षेत्र:
  - WTO के किसी सदस्य पर अपने पोत या प्रचालक को सब्सिडी प्रदान करने या बनाए रखने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जब तक कि वह गैर-सूचित और अनियमित तरीके नहीं अपना रहा है।
  - जब तक इस तरह की सब्सिडी को जैविक रूप से टिकाऊ स्तर पर स्टॉक के पुनर्निर्माण के लिये लागू किया जाता है, तब तक मछली पकड़ने हेतु सब्सिडी प्रदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
- लाभ:
  - यह गैर-सूचित और अनियमित तरीके से मछली पकड़ने में लगे जहाज़ों या ऑपरेटरों को दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर देगा।
  - यह बड़े पैमाने पर गैर-सूचित और अनियमित तरीके से मछली पकड़ने की जाँच करेगा जो भारत जैसे तटीय देशों को मत्स्य संसाधनों से वंचित करेगा, जिसका हमारे मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडेगा।

भारत का स्टैंड

- इतनी बड़ी आबादी और मात्स्यिकी संसाधनों का सतत् दोहन करने में अनुशासित राष्ट्रों में से एक होने के बावजूद भारत सबसे कम मात्स्यिकी सब्सिडी देने वाले देशों में से एक है।
- भारत अन्य उन्नत तरीकों से मछली पकड़ने वाले देशों की तरह संसाधनों का दोहन नहीं करता है और भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र मुख्य रूप से कई मिलियन छोटे पैमाने के पारंपरिक मछुआरों पर निर्भर करता है।
  - इसलिये विश्व व्यापार संगठन के वे सदस्य जिन्होंने अतीत में भारी सब्सिडी प्रदान की है और औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के कार्य में लगे हुए हैं तथा जो मछली के स्टॉक में कमी के लिये ज़िम्मेदार है, उन्हें ' प्रदूषणकर्त्ता भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle)' एवं 'सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' के आधार पर सब्सिडी को प्रतिबंधित करने हेतु और अधिक दायित्वों को लेना चाहिये।
- परिचय:
  - समुद्री, तटीय और अंतर्देशीय फिशरीज़ क्षेत्रों में जलीय जीवों का कब्ज़ा है।
  - जलीय कृषि के साथ-साथ समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन, प्रसंस्करण, विपणन तथा वितरण दुनिया भर में लाखों लोगों को भोजन, पोषण व आय का स्रोत प्रदान करते हैं।
  - कई लोगों के लिये यह उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है।
  - वैश्विक मत्स्य संसाधनों की स्थिरता के लिये सबसे बड़े खतरों में से एक अवैध, असूचित और अनियमित रूप से मछली पकड़ना है।

- भारतीय परिदृश्य:
    - भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादक दूसरा प्रमुख देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 7.56% हिस्सा है और देश के सकल मूल्यवर्द्धित (GVA) में लगभग 1.24% और कृषि GVA में 7.28% से अधिक का योगदान देता है।
    - मत्स्य पालन और जलीय कृषि लाखों लोगों के लिये भोजन, पोषण, आय और आजीविका का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
    - भारत का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन करना है।
    - मत्स्य पालन क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में तीन बड़े परिवर्तन देखे हैं:
        - अंतर्देशीय जलीय कृषि का विकास, विशेष रूप से मीठे पानी की जलीय कृषि।
        - मछली पकड़ने में मशीनीकरण का विकास।
        - खारे पानी के झींगा जलीय कृषि की सफल शुरुआत।
- संबंधित सरकारी पहल:
    - फिशिंग हार्बर:
        - पाँच प्रमुख फिशिंग हार्बर (कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, पेटुआघाट) को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करना।
    - समुद्री शैवाल पार्क:
        - तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क एक हब और स्पोक मॉडल पर विकसित गुणवत्तापूर्ण समुद्री शैवाल आधारित उत्पादों के उत्पादन का केंद्र होगा।
    - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना:
        - यह 15 लाख मछुआरों, मत्स्य पालकों आदि को प्रत्यक्ष रोज़गार देने का प्रयास है जो अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसरों के रूप में इस संख्या का लगभग तीन गुना है।
        - इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक मछुआरों, मत्स्य पालकों और मत्स्य श्रमिकों की आय को दोगुना करना है।
    - 'पाक बे' योजना:
        - 'डायवर्सिफिकेशन ऑफ ट्राउल फिशिंग बोट्स फ्रॉम पाक स्ट्रेट्स इनटू डीप सी फिशिंग बोट्स' नामक यह योजना वर्ष 2017 में 'केंद्र प्रायोजित योजना' के तौर पर लॉन्च की गई थी।
        - इसे 'ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम' के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।
    - समुद्री मत्स्य पालन विधेयक, 2021:
        - इस विधेयक में 'मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958' के तहत पंजीकृत जहाज़ों को 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' (EEZ) में मछली पकड़ने के लिये लाइसेंस देने का प्रस्ताव शामिल है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से आकाश के पाँच अलग-अलग क्षेत्रों की छवियों का एक सेट जारी किया।

- इसमें एक आकाशगंगा समूह शामिल है जो आज से करीब 4.6 अरब साल पहले दिखाई दिया था।
- यह अब तक खोजी गई कुछ सबसे दूर और सबसे पुरानी आकाशगंगाओं की सबसे गहरी एवं बेहतरीन अवरक्त छवि है।
- ये विशेषताएँ वैज्ञानिकों को इन प्राचीन आकाशगंगाओं के द्रव्यमान, आयु, इतिहास और संरचना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेंगी।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप:

- परिचय:
  - यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था।
  - यह वर्तमान में अंतरिक्ष में एक बिंदु पर है जिसे सूर्य-पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है।
    - लैग्रेंज प्वाइंट 2 पृथ्वी-सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल के पाँच बिंदुओं में से एक है।
    - इतालवी- फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी-लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया यह बिंदु पृथ्वी और सूर्य जैसे किसी भी घूर्णन करने वाले दो पिंडों में विद्यमान होते हैं जहाँ दो बड़े निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल एक-दूसरे को संतुलित कर देते हैं।
    - इन स्थितियों में रखी गई वस्तुएँ अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं और उन्हें वहाँ रखने के लिये न्यूनतम बाहरी ऊर्जा या ईंधन की आवश्यकता होती है, अन्य कई उपकरण यहाँ पहले से स्थापित हैं।
  - यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इन्फ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है।
  - यह हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है।
  - यह इतनी दूर आकाशगंगाओं की तलाश में बिग बैंग के ठीक बाद के समय में अतीत की ओर देख सकता है जिस प्रकाश को उन आकाशगंगाओं से हमारी दूरबीनों तक पहुँचने में कई अरब वर्ष लग गए।
- उद्देश्य:.
  - यह ब्रह्मांड के अतीत के हर चरण की जाँच करेगा: बिग बैंग से लेकर आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण से लेकर हमारे अपने सौर मंडल के विकास तक।
  - जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की थीम्स को चार विषयों में बाँटा जा सकता है।
    - पहला, यह लगभग 13.5 बिलियन वर्ष पीछे मुड़कर देखें तो प्रारंभिक ब्रह्मांड के अंधेरे से पहले सितारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ।
    - दूसरा, सबसे कमज़ोर, आरंभिक आकाशगंगाओं की तुलना आज के भव्य सर्पिलों से करना और यह समझना कि आकाशगंगाएँ अरबों वर्षों में कैसे एकत्रित होती हैं।
    - तीसरा, यह देखने के लिये कि तारे और ग्रह प्रणालियाँ कहाँ पैदा हो रही हैं।
    - चौथा, एक्स्ट्रासोलर ग्रहों (हमारे सौरमंडल से परे) के वातावरण का निरीक्षण करने के लिये एवं शायद ब्रह्मांड में कहीं और जीवन के निर्माण खंडों का पता लगाए।

हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप:

- तरंग दैर्ध्य:
  - जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (जिसे JWST या वेब भी कहा जाता है) मुख्य रूप से इन्फ्रारेड रेंज में निरीक्षण के साथ 0.6 से 28 माइक्रोन तक कवरेज प्रदान करेगा।
  - हबल के उपकरण मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी और दृश्य भाग में देखते हैं। यह इन्फ्रारेड में 0.8 से 2.5 माइक्रोन तक केवल एक छोटी सी सीमा का निरीक्षण कर सकता है।
- कक्ष:
  - वेब टेलीस्कोप पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करेगा।

- हबल इससे 575 किलोमीटर की ऊँचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है।

- अवलोकन:
  - नासा के अनुसार, हबल सभी आकाशगंगाओं में सबसे छोटी और नवीनतम आकाशगंगाओं को देख सकता है।
  - वेब नई आकाशगंगाओं को भी देख सकेगा।
  - वेब के निकट और मध्य-अवरक्त उपकरण पहले गठित आकाशगंगाओं और एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करने में सहायक होंगे।

अन्य अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन:

- पायनियर (Pioneer):
  - यह सौरमंडल में सबसे अधिक फोटोजेनिक/प्रकाशमान और विशाल गैस भंडार वाले बृहस्पति तथा शनि का दौरा करने वाला पहला अंतरिक्षयान था।
  - पायनियर 10 सौरमंडल के क्षुद्रग्रह बेल्ट के माध्यम से मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रमा करने वाली चट्टानों के एक क्षेत्र के माध्यम से यात्रा करने वाली पहली जाँच थी।
- वोएजर (Voyager):
  - प्रथम अन्वेषक के उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद वोएजर 1 और वोएजर 2 ने जाँच की। उन्होंने बृहस्पति और शनि के बारे में कई महत्त्वपूर्ण खोज की, जिसमें बृहस्पति के चारों ओर के रिंग और बृहस्पति के चंद्रमा पर ज्वालामुखी की उपस्थिति शामिल है।
  - वोएजर 1 वर्तमान में पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु है, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी से सौ गुना से अधिक और प्लूटो से दोगुने से भी अधिक दूर है।
- चंद्रा :
  - वर्ष 1999 से चंद्रा एक्स-रे वेधशाला कुछ सबसे दूर और विचित्र खगोलीय घटनाओं को देखते हुए एक्स-रे प्रकाश में आकाश को स्कैन कर रही है।
  - चूँकि पृथ्वी का अजीब वातावरण अधिकांश एक्स-रे को अवरुद्ध कर देता है, खगोलविद् इस उच्च-ऊर्जा, लघु-तरंग दैर्ध्य प्रकाश में ब्रह्मांड को तब तक नहीं देख सकते जब तक उन्होंने चंद्र को अंतरिक्ष में नहीं भेजा।
- SPHEREx's:
  - स्पेक्ट्रो-फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोच ऑफ रियनाइज़ेशन एंड आईसेस एक्सप्लोरर (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer-SPHEREx) एक दो वर्षीय मिशन है जो दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश में आकाश का सर्वेक्षण करेगा। हालाँकि यह प्रकाश मानव आँख को दिखाई नहीं देता, लेकिन ब्रह्मांडीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिये एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करेगा।
  - इसे वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा।
  - इस मिशन का उपयोग खगोल विज्ञानी 300 मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं के साथ ही अपनी आकाशगंगा में पाए जाने वाले 100 मिलियन से अधिक सितारों के आँकड़े (डेटा) एकत्र करने के लिये करेंगे।

गगनयान हेतु एबॉर्ट मिशन

चर्चा में क्यों?

गगनयान मिशन के दौरान चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) वर्ष 2022 में दो मानव रहित 'एबॉर्ट मिशन ('Abort Mission)' लॉन्च करेगा।

- यह अंतरिक्ष में देश की पहली मानवयुक्त उड़ान के लिये इसरो के रोडमैप का एक हिस्सा है।
- इस उद्देश्य के लिये पहला परीक्षण वाहन सितंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा।

गगनयान से पहले एबॉर्ट मिशन:

- एबॉर्ट मिशन उन प्रणालियों का परीक्षण करने के लिये है जो विफलता के मामले में चालक दल को अंतरिक्षयान की बीच उड़ान में बचने में मदद कर सकते हैं।
  - इसरो ने पहले ही वर्ष 2018 में पैड एबॉर्ट टेस्ट किया था, जहाँ लॉन्च पैड पर आपात स्थिति में चालक दल अंतरिक्षयान से बच सकता है।
- एबॉर्ट मिशनों के लिये इसरो ने परीक्षण वाहन विकसित किये हैं जो सिस्टम को एक निश्चित ऊँचाई तक भेज सकते हैं, विफलता का पता एवं एस्केप सिस्टम की जाँच कर सकते हैं।
  - एस्केप सिस्टम को पाँच "त्वरित-अभिनय" सॉलिड फ्यूल मोटर्स के साथ एक उच्च बर्न रेट प्रोपल्शन सिस्टम और स्थिरता बनाए रखने के लिये फिन के साथ डिज़ाइन किया गया है।
- क्रू एस्केप सिस्टम विस्फोटक नटों को फायर करके क्रू मॉड्यूल से अलग हो जाएगा।
- इसरो का उद्देश्य उस प्रणाली को पूर्ण करने पर है जो भारतीयों को अंतरिक्ष मिशन पर ले जाएगी और मिशन विफल होने पर अंतरिक्ष यात्रियों की रक्षा करेगी।

गगनयान मिशन:

- परिचय:
  - गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) का एक मिशन है।
  - गगनयान वर्ष 2023 में लॉन्च होगा जिसके तहत:
    - तीन अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा।
    - इन तीन मिशनों में से 2 मानवरहित होंगे, जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा।
  - मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला सहित तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे।
  - यह मिशन 5-7 दिनों के लिये पृथ्वी से 300-400 किमी. की ऊँचाई पर निम्न भू-कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा।
- पेलोड:
  - पेलोड में शामिल होंगे:
    - क्रू मॉड्यूल- मानव को ले जाने वाला अंतरिक्षयान।
    - सर्विस मॉड्यूल- दो तरल प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित।
  - यह आपातकालीन निकास और आपातकालीन मिशन अबोर्ट व्यवस्था से लैस होगा।
- प्रमोचन:
  - गगनयान के प्रमोचन हेतु तीन चरणों वाले GSLV Mk III का उपयोग किया जाएगा जो भारी उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि GSLV Mk III को प्रमोचन वाहन मार्क-3 (Launch Vehicle Mark-3 or LVM 3) भी कहा जाता है।
- रूस में प्रशिक्षण:
  - जून 2019 में इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र तथा रूस सरकार के स्वामित्व वाली Glavkosmos ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये, जिसमें उम्मीदवारों के चयन में रूस का समर्थन, चयनित यात्रियों का चिकित्सीय परीक्षण तथा अंतरिक्ष प्रशिक्षण शामिल हैं।
  - अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित उम्मीदवार सोयुज़ (Soyuz) मानव युक्त अंतरिक्षयान की प्रणालियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, साथ ही Il-76MDK विमान में अल्पकालिक भारहीनता मोड में प्रशिक्षित होंगे।
  - सोयुज़ एक रूसी अंतरिक्षयान है जो लोगों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने तथा वापस लाने और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति का कार्य करता है।
  - Il-76MDK एक सैन्य परिवहन विमान है जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षु अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष पर्यटकों की परवलयिक उड़ानों के लिये डिज़ाइन किया गया है।

गगनयान मिशन का महत्त्व:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संवर्द्धन:
  - यह देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने तथा युवाओं को प्रेरित करने में मदद करेगा।
  - गगनयान मिशन में विभिन्न एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों और विभागों को शामिल किया जाएगा
  - यह औद्योगिक विकास में सुधार करने में मदद करेगा।
- औद्योगिक विकास में सुधार:
  - सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने हेतु किये जा रहे सुधारों के क्रम में हाल ही में एक नए संगठन IN-SPACe के गठन की घोषणा की है।
  - यह सामाजिक लाभों के लिये प्रौद्योगिकी के विकास में मदद करेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
  - यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
  - कई देशों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) इसके लिये पर्याप्त नहीं है। अत: गगनयान क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र की ज़रूरतों और भोजन, पानी एवं ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा।

अन्य आगामी परियोजनाएँ:

- चंद्रयान-3 मिशन: भारत ने चंद्रयान-3 नामक एक नए चंद्रमा मिशन की योजना तैयार की है जिसके वर्ष 2022 में लॉन्च होने की संभावना है।
- शुक्रयान मिशन: इसरो भी शुक्र के लिये एक मिशन की योजना बना रहा है, जिसे अस्थायी रूप से शुक्रयान कहा जाता है।
- XpoSat: अंतरिक्ष वेधशाला, XpoSat, जिसे कॉस्मिक एक्स-रे का अध्ययन करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- आदित्य L1 मिशन: यह एक भारतीय अंतरिक्षयान को सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 या लैग्रेंजियन बिंदु तक 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाते हुए देखेगा।
  - किन्हीं दो खगोलीय पिंडों के बीच पाँच लैग्रेंजियन बिंदु होते हैं, जहाँ उपग्रह पर दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ईंधन को खर्च किये बिना उपग्रह को कक्षा में रखने के लिये आवश्यक बल के बराबर होता है, जिसका अर्थ है अंतरिक्ष में एक पार्किंग स्थल।

नोट :

सिंथेटिक बायोलॉजी

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रह पर सभी जानवरों और पौधों की प्रजातियों में से एक-तिहाई वर्ष 2070 तक विलुप्त हो सकते हैं।

- पर्यावरणविद जैव विविधता को संरक्षित करने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिये सिंथेटिक बायोलॉजी या 'सिनबियो' को संभावित उपकरण मानते हैं।

सिंथेटिक बायोलॉजी:

- 'सिंथेटिक बायोलॉजी' शब्द का इस्तेमाल पहली बार 'बारबरा होबोमिन' ने वर्ष 1980 में बैक्टीरिया का वर्णन करने के लिये किया था, जिन्हें पुन: संयोजक डीएनए तकनीक का उपयोग करके आनुवंशिक रूप से निर्मित किया गया था।
- सिंथेटिक बायोलॉजी, अप्राकृतिक जीवों या कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिये आनुवंशिक अनुक्रमण, संपादन और संशोधन प्रक्रिया का उपयोग करने संबंधी विज्ञान को संदर्भित करता है जो जीवित प्रणालियों में कार्य कर सकते हैं।
- सिंथेटिक बायोलॉजी वैज्ञानिकों को स्क्रैच से डीएनए के नए अनुक्रमों को डिज़ाइन और संश्लेषित करने में सक्षम बनाती है।
- इस शब्द का प्रयोग अप्राकृतिक कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण का वर्णन करने के लिये किया गया था जो जीवित प्रणालियों में कार्य करते हैं।
  - इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक रूप से 'जीवन को नया स्वरूप देने' के प्रयासों के संदर्भ में किया गया है।

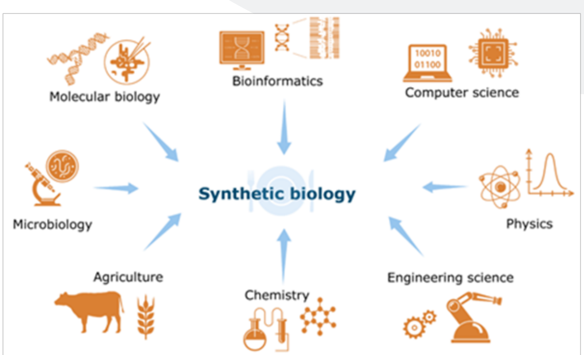

सिंथेटिक बायोलॉजी के अनुप्रयोग:

- यह तकनीक जैव उर्जा, दवाओं और भोजन के सतत् उत्पादन के लिये उपयोग में सहायक हो सकती है।
- सिंथेटिक बायोलॉजी का बेहतर अनुप्रयोग औद्योगिक उत्सर्जन से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिये किया जा सकता है।
  - इसके अलावा कैप्चर की गई गैस को फिर से सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके ईंधन में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। संभावित रूप से इस तरह के परिवर्तनों में लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने से लेकर वन्यजीव उत्पादों के सिंथेटिक विकल्प प्रदान करने तक के लाभ शामिल हैं।
- यह तकनीक हमें संक्रामक बीमारी से बचाव, दवाओं के विकास और साथ ही साथ समाज में स्थिरता स्थापित करने में सहायता करेगी।
- यह वैज्ञानिकों को खोज में मदद कर सकता है और तीव्र एवं कुशल तरीके से उन्हें नवाचार की ओर ले जाता है।

सिंथेटिक जीवविज्ञान से संबंधित चिंताएँ:

- आर्थिक चिंताएँ:
  - यह अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा कर सकता है, जिससे जैव प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्थाओं में अवांछित बदलाव हो सकता है।
  - यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कम आय वाले उष्णकटिबंधीय देशों को प्रभावित करेगा।
  - प्राकृतिक उत्पाद आमतौर पर कम आय वाले देशों में उगाए जाते हैं, सिंथेटिक जीव विज्ञान की प्रगति के क्रम में इसके विस्थापित होने की आशंका विद्यमान है।
- पर्यावरणीय चिंताएँ:
  - जब एक नई प्रजाति का निर्माण किया जाता है या जब एक प्रजाति को तीव्रता से संशोधित किया जाता है, तो प्रजातियों की गतिविधि और अन्य जीवों के साथ उनका सह-अस्तित्व अप्रत्याशित होता है।

आगे की राह

- संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों तक पहुँचने में सक्षम होने के लिये उत्सर्जन को कम करने के परे अतिरिक्त रास्ता तय करने की आवश्यकता है।
- पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना और हमारी औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से प्रदूषण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना समय की मांग है।
- यह पर्यावरण के लिये सबसे गंभीर खतरों के समाधान का एक हिस्सा है, जिसमें रासायनिक और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना तथा पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना शामिल है, लेकिन हमें एक नागरिक के रूप में भी पर्यावरण के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने की आवश्यकता है।

एंटीबायोटिक दवाओं की बढ़ती प्रभावकारिता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता को अधिक सक्रिय बनाने के लिये एक नई विधि विकसित की हैं।

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक एडजुवेंट्स के संयोजन में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया है, ये ऐसे तत्त्व है जो मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध का मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं।
    - एंटीबायोटिक एडजुवेंट्स गैर-एंटीबायोटिक यौगिक हैं जो प्रतिरोध को अवरुद्ध करके या संक्रमण से प्रभावित मेज़बान की प्रतिक्रिया को बढ़ाकर एंटीबायोटिक प्रभाव को बढ़ाते हैं।
- वैज्ञानिकों ने एक ट्रायमाइन युक्त यौगिक में चक्रीय हाइड्रोफोबिक मौएट्स (अणु का हिस्सा) को शामिल किया, इस प्रकार विकसित हुए एडजुवेंट्स बैक्टीरिया की झिल्ली को प्रभावित करते हैं।
    - एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध विभिन्न आणविक तंत्रों के माध्यम से होता है, जिसमें दवा की पारगम्यता में कमी, सक्रिय प्रवाह, दवा के लक्ष्य में परिवर्तन या बाईपास, एंटीबायोटिक-संशोधित एंज़ाइमों का उत्पादन और बायोफिल्म जैसे शारीरिक अवस्थाएँ शामिल हैं जो एंटीबायोटिक गतिविधि के लिये कम संवेदनशील हैं।
    - ट्रायमाइन (Triamine): एक यौगिक जिसमें तीन अमीनो समूह होते हैं।
    - हाइड्रोफोबिक मोएटिस: ये जल से दूर भागते हैं और जल में अघुलनशील हैं।
    - चक्रीय: अणु चक्रीय होता है यदि उसके परमाणु एक वलय संरचना बनाते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप झिल्ली से जुड़े प्रतिरोधक तत्त्वों जैसे- पारगम्यता अवरोध और इफ्लक्स पंपों द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के निष्कासन का सामना किया गया।
    - इफ्लक्स पंप इंट्रासेल्युलर एंटीबायोटिक सांद्रता को कम करता है, जिससे बैक्टीरिया उच्च एंटीबायोटिक सांद्रता में जीवित रह सकते हैं।
- जब इन सहायक पदार्थों का उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं के संयोजन में किया जाता है (जो ऐसे झिल्ली से जुड़े प्रतिरोधक तत्त्वों के कारण अप्रभावी हो गए थे) तो एंटीबायोटिक्स शक्तिशाली हो जाते हैं और संयोजन बैक्टीरिया को मारने में प्रभावी होता है।

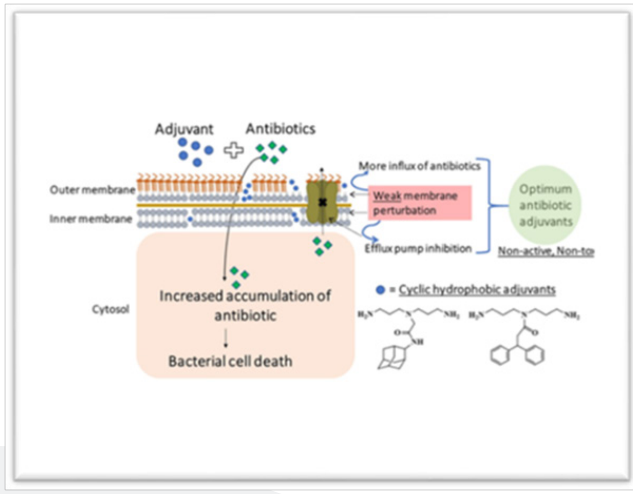

अध्ययन का महत्त्व:

- यह रणनीति बैक्टीरिया के सबसे महत्त्वपूर्ण समूह का मुकाबला कर सकती है जिससे मौजूदा एंटीबायोटिक को जटिल संक्रमणों के लिये फिर से उपयोग किया जा सके। यह रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने में मदद कर सकता है।
- यह अप्रचलित एंटीबायोटिक दवाओं की गतिविधि को मज़बूत करने और जटिल संक्रमणों के इलाज़ के लिये उन्हें वापस उपयोग में लाने में मदद कर सकता है।

एंटीबायोटिक्स और ड्रग प्रतिरोधकता:

- एंटीबायोटिक्स:
    - एंटीबायोटिक्स उल्लेखनीय दवाएँ हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचाए बिना किसी के शरीर में जैविक जीवों को मारने में सक्षम हैं।
    - इनका उपयोग सर्जरी के दौरान संक्रमण को रोकने से लेकर कीमोथेरेपी के दौर से गुज़र रहे कैंसर रोगियों की सुरक्षा तक के लिये किया जाता है।
        - भारत एंटीबायोटिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत द्वारा अत्यधिक एंटीबायोटिक उपयोग बैक्टीरिया में एक शक्तिशाली उत्परिवर्तन पैदा कर रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया।
- दवा प्रतिरोधक क्षमता:
    - दवा प्रतिरोध तब होता है जब मनुष्यों, जानवरों और पौधों के उपचार में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है।
        - जब एक नया एंटीबायोटिक पेश किया जाता है, तो इसके बहुत अच्छे, यहाँ तक कि जीवन रक्षक परिणाम हो सकते हैं लेकिन केवल कुछ समय के लिये। उसके बाद बैक्टीरिया अनुकूल हो जाते हैं और धीरे-धीरे एंटीबायोटिक्स कम प्रभावी हो जाते हैं।

- एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीवन के किसी भी चरण में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जब कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से संक्रमित होता है, तो न केवल उस रोगी का इलाज मुश्किल हो जाता है, बल्कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया अन्य लोगों में भी प्रसारित हो सकता है।
- जब एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, तो यह स्थिति धीरे-धीरे अधिक जटिल बीमारियों, मज़बूत और महँगी दवाओं के उपयोग तथा बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाली मौतों को बढ़ा सकती है।
- दुनिया भर में एंटीबायोटिक प्रतिरोध का प्रसार जीवाणु संक्रमण से लड़ने में दशकों की प्रगति को कमज़ोर कर रहा है।

दवा प्रतिरोध से संबंधित पहलें:

- भारत:
  - AMR नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम: इसे वर्ष 2012 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशालाओं की स्थापना करके AMR निगरानी नेटवर्क को मज़बूत किया गया है।
  - AMR पर राष्ट्रीय कार्ययोजना: यह स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर केंद्रित है और अप्रैल 2017 में विभिन्न हितधारक मंत्रालयों/विभागों को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
  - AMR सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क (AMRSN): इसे वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था ताकि देश में दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के सबूत और प्रवृत्तियों तथा पैटर्न का अनुसरण किया जा सके।
  - AMR अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने AMR में चिकित्सा अनुसंधान को मज़बूत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नई दवाओं को विकसित करने की पहल की है।
  - एंटीबायोटिक प्रबंधन कार्यक्रम: ICMR ने अस्पताल के वार्डों और ICU में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग एवं अति प्रयोग को नियंत्रित करने के लिये पूरे भारत में एक पायलट परियोजना पर एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कार्यक्रम (AMSP) शुरू किया है।

वैश्विक उपाय:

- विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW):
  - वर्ष 2015 से सालाना आयोजित किया जाने वाला WAAW एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के विकास एवं प्रसार को धीमा करने के लिये आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम उपायों को प्रोत्साहित करना है।
- वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (GLASS):
  - वर्ष 2015 में WHO ने ज्ञान अंतराल को समाप्त करने और सभी स्तरों पर रणनीतियों को लागू करने हेतु ग्लास (GLASS) को लॉन्च किया।
  - ग्लास की कल्पना मनुष्यों में AMR की निगरानी, रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग की निगरानी, खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण में AMR डेटा को प्राप्त करने के लिये की गई है।

मंकीपॉक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करते हुए मंकीपॉक्स वायरस को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है।

- अब तक (वर्ष 2022 तक) विश्व में वायरस के 16,000 से अधिक मामले रिपोर्ट किये गए हैं जो कभी अफ्रीका तक ही सीमित थे।

वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आपातकाल:

- परिचय:
  - वैश्विक आपातकाल घोषित करने का मतलब है कि मंकीपॉक्स का प्रकोप एक असाधारण घटना है जो अधिक देशों में फैल सकता है और इसके लिये समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य आपातकाल के मानदंड:
  - वायरस गैर-स्थानिक हो गया है। वायरस का प्रसार उन देशों में तेज़ी से हुआ है जहाँ यह पहले कभी नहीं देखा गया।
  - WHO के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के तीन मानदंडों को पूरा किया गया है।
    - इस तरह की घोषणा के लिये तीन मानदंड हैं:
    - यह "असाधारण घटना" है,
    - यह बीमारी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य देशों के लिये "सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाता है",
    - इसके लिये "संभावित रूप से समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।"
  - एक महीने के भीतर इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पाँच गुना बढ़ गई है।
  - वैज्ञानिक सिद्धांत, साक्ष्य और अन्य प्रासंगिक जानकारी (कई अज्ञात छोड़कर) वर्तमान में अपर्याप्त है।

- मानव स्वास्थ्य के लिये जोखिम के साथ ही इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय यातायात में हस्तक्षेप की संभावना है।

- पूर्व आपातकाल की घोषणा:
    - WHO ने पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जैसे कि कोविड -19 महामारी, वर्ष 2014 में पश्चिम अफ्रीकी इबोला का प्रकोप, वर्ष 2016 में लैटिन अमेरिका में ज़ीका वायरस और पोलियो के उन्मूलन के लिये चल रहे प्रयास हेतु आपात स्थिति की घोषणा की थी।
    - आपातकालीन घोषणा ज़्यादातर वैश्विक संसाधनों और प्रकोप पर ध्यान आकर्षित करने के लिये मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।

मंकीपॉक्स

- परिचय:
    - मंकीपॉक्स एक दुर्लभ, वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण प्रदर्शित होते हैं, हालाँकि यह चिकित्सकीय रूप से कम गंभीर है।
    - मंकीपॉक्स का संक्रमण पहली बार वर्ष 1958 में अनुसंधान के लिये रखे गए बंदरों की कॉलोनियों में चेचक जैसी बीमारी के दो प्रकोपों के बाद खोजा गया जिसे 'मंकीपॉक्स' नाम दिया गया।
- लक्षण:
    - इससे संक्रमित लोगों में चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने निकल आते हैं लेकिन मंकीपॉक्स के कारण होने वाला बुखार, अस्वस्थता और सिरदर्द आमतौर पर चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में अधिक गंभीर है।
    - रोग के प्रारंभिक चरण में मंकीपॉक्स को चेचक से अलग किया जा सकता है क्योंकि इसमें लिम्फ ग्रंथि (Lymph Gland) बढ़ जाती है।
- संचरण:
    - मंकीपॉक्स वायरस ज़्यादातर जंगली जानवरों जैसे- कृन्तकों और प्राइमेट्स से लोगों के बीच फैलता है, लेकिन मानव-से-मानव संचरण भी होता है।
    - संक्रमित जानवरों का अपर्याप्त पका हुआ मांस खाना भी एक जोखिम कारक होता है।
    - मानव-से-मानव संचरण का कारण संक्रमित श्वसन पथ स्राव, संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घावों से या रोगी या घाव से स्रावित तरल पदार्थ द्वारा तथा दूषित वस्तुओं के निकट संपर्क के कारण हो सकता है।
    - इसका संचरण टीकाकरण या प्लेसेंटा (जन्मजात मंकीपॉक्स) के माध्यम से भी हो सकता है।
- भेद्यता:
    - यह तेज़ी से फैलता है और संक्रमित होने पर दस में से एक व्यक्ति की मौत का कारण बन सकता है।
- उपचार और टीका:
    - मंकीपॉक्स के संक्रमण को रोकने के लिये कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है।
        - WHO द्वारा मंकीपॉक्स को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किये जाने के बाद यूरोपीय संघ ने मंकीपॉक्स के इलाज के लिये चेचक के टीके, इम्वेनेक्स की अनुशंसा की है।

डीप सी माइनिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने उन भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया, जिन्होंने मध्य हिंद महासागर में गहरे समुद्र में खनन प्रणाली का दुनिया का पहला लोकोमोटिव परीक्षण किया था।

- मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 16वें स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार प्रदान किया।
- इसके अलावा हिंद महासागर के लिये अपनी तरह का पहला और पूरी तरह से अत्याधुनिक स्वचालित बोया-आधारित तटीय अवलोकन एवं पानी की गुणवत्ता वाली नाउकास्टिंग प्रणाली का उद्घाटन किया, जिसे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ (INCOIS) द्वारा विकसित किया गया था, भारत के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है।

नाउकास्टिंग प्रणाली (Nowcasting System):

इस पद्धति में स्थानीय वायुमंडलीय स्थितियों के रडार और उपग्रह अवलोकनों को संसाधित किया जाता है तथा कंप्यूटर द्वारा कई घंटे पहले मौसम को प्रोजेक्ट करने के लिये तेज़ी से प्रदर्शित किया जाता है। नाउकास्टिंग प्रणाली तटीय निवासियों, मछुआरों, समुद्री उद्योग,

शोधकर्त्ताओं , प्रदूषण, पर्यटन, मत्स्य पालन और तटीय पर्यावरण से निपटने वाली एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों को लाभ पहुँचाने के लिये है।

डीप सी माइनिंग:

- परिचय:
  - समुद्र का वह भाग जो 200 मीटर की गहराई से नीचे स्थित है, उसे गहरे समुद्र के रूप में परिभाषित किया गया है और इस क्षेत्र से खनिज निकालने की प्रक्रिया को डीप सी माइनिंग के रूप में जाना जाता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के अनुसार, गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी के लिये संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत एक एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल, वह क्षेत्र जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से परे है और दुनिया के महासागरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% का प्रतिनिधित्व करता है।

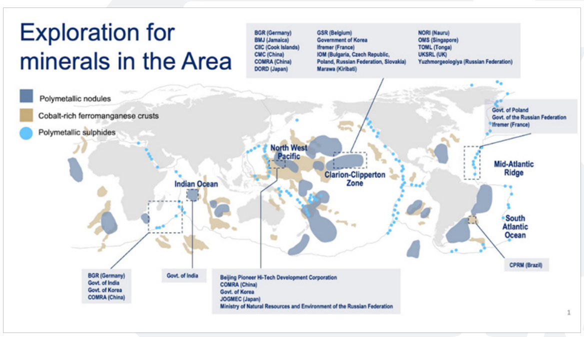

- चुनौतियाँ:
  - यह समुद्री जैवविविधता और पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकता है,
  - मशीनों द्वारा समुद्र तल की खुदाई और मापन गहरे समुद्र के आवासों को बदल या नष्ट कर सकता है।
  - इससे प्रजातियों का नुकसान होता है (जिनमें से कई प्रजातियाँ कहीं और नहीं पाए जाते हैं) और पारिस्थितिकी तंत्र संरचना एवं कार्य का विखंडन या नुकसान होता है।
  - यह समुंदर के तल पर महीन तलछट को उभारेगा, जिससे निलंबित कणों के ढेर बन जाएंगे।
    - यह सतह पर अपशिष्ट जल का निर्वहन करने वाले खनन जहाज़ों द्वारा बढ़ा दिया गया है।
  - व्हेल, टूना और शार्क जैसी प्रजातियाँ खनन उपकरण और सतह के जहाज़ों के कारण होने वाले शोर, कंपन तथा प्रकाश प्रदूषण के साथ-साथ ईंधन एवं ज़हरीले उत्पादों के संभावित रिसाव और फैलाव से प्रभावित हो सकती हैं।

चुनौतियाँ:

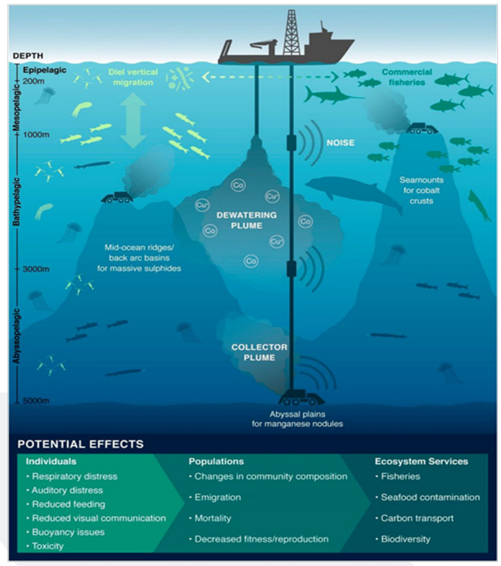

भारत का डीप ओशन मिशन:

- डीप ओशन मिशन खोज करने के लिये आवश्यक तकनीकों को विकसित करने और फिर गहरे समुद्र में खनिजों को निकालने का प्रयास करता है।
- यह मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित करेगा जो वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ तीन लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जा सकती है।
- इसमें एकीकृत खनन प्रणाली शामिल है जिसे गहरे समुद्र से खनिज अयस्कों को निकालने के लिये विकसित किया जाएगा।
- यह गहरे समुद्र में जैवविविधता की खोज और संरक्षण के लिये "गहरे समुद्र के वनस्पतियों और जीवों के जैव-पूर्वेक्षण एवं गहरे समुद्र में जैव-संसाधनों के सतत् उपयोग पर अध्ययन" के माध्यम से तकनीकी नवाचारों को आगे बढ़ाएगा।
- मिशन "अपतटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण (OTEC) संचालित विलवणीकरण संयंत्रों के लिये अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिज़ाइन के माध्यम से समुद्र से ऊर्जा व मीठे जल प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश करेगा।

नीली अर्थव्यवस्था/ब्लू इकॉनमी से संबंधित अन्य पहलें:

- सतत् विकास के लिये नीली अर्थव्यवस्था पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स:
- सागरमाला परियोजना
- ओ-स्मार्ट
- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन
- राष्ट्रीय मत्स्य नीति

शासन व्यवस्था

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2019-20 में फसल बीमा योजना से बाहर निकलने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में फिर से शामिल हो गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):

- परिचय:
  - PMFBY को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया तथा इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
  - इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को परिवर्तित कर दिया।
- पात्रता:
  - अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार/जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिये पात्र हैं।
- उद्देश्य:
  - प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों या किसी भी तरह से फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके।
  - खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये किसानों की आय को स्थिर करना।
  - किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
  - कृषि क्षेत्र के लिये ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना।
- बीमा किस्त:
  - इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त/प्रीमियम- खरीफ की सभी फसलों के लिये 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5% है।
  - वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त 5% है।
  - किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को पूरी बीमा राशि प्रदान करने के लिये शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
  - सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि शेष प्रीमियम 90% है, तो भी वह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
    - इससे पहले प्रीमियम दर को सीमित करने का प्रावधान था जिसके परिणामस्वरूप किसानों को दावों का कम भुगतान किया जाता था।
    - यह कैपिंग प्रीमियम सब्सिडी पर सरकार के खर्च को सीमित करने के लिये किया गया था।
    - इस सीमा को अब हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमा राशि ।
- PMFBY के तहत तकनीक का प्रयोग:
  - फसल बीमा एप:
    - यह किसानों को आसान नामांकन की सुविधा प्रदान करता है।
    - किसी भी घटना के घटित होने के 72 घंटों के भीतर फसल के नुकसान की आसान रिपोर्टिंग की सुविधा।
  - नवीनतम तकनीकी उपकरण: फसल के नुकसान का आकलन करने के लिये सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट-सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है।
  - PMFBY पोर्टल: भूमि रिकॉर्ड के एकीकरण के लिये PMFBY पोर्टल की शुरुआत की गई है।
- हाल ही में हुए बदलाव:
  - यह योजना पहले ऋणी किसानों के लिये अनिवार्य थी, लेकिन वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने इसे सभी किसानों के लिये वैकल्पिक बना दिया है।
    - पहले बिमांकित प्रीमियम दर और किसान द्वारा देय बीमा प्रीमियम दर के बीच के अंतर सहित औसत प्रीमियम सब्सिडी की दर राज्य तथा केंद्र द्वारा साझा की जाती थी एवं राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने बजट से औसत सब्सिडी के अलावा अतिरिक्त सब्सिडी का विस्तार करने के लिये स्वतंत्र थे।
  - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत गैर-सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये बीमा किस्त की दरों पर केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को 30% और सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। पहले, केंद्रीय सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं थी।

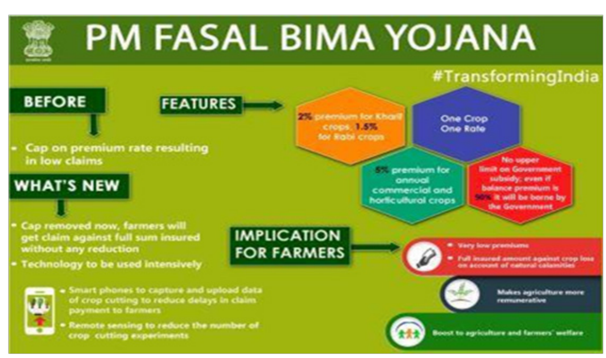

PMFBY से संबंधित मुद्दे:

- राज्यों की वित्तीय बाधाएँ: राज्य सरकारों की वित्तीय बाधाएँ और सामान्य मौसम के दौरान कम दावा अनुपात इन राज्यों द्वारा योजना को लागू न करने के प्रमुख कारण हैं।
    - राज्य ऐसी स्थिति से निपटने में असमर्थ हैं जहाँ बीमा कंपनियाँ किसानों को राज्यों और केंद्र से एकत्र किये गए प्रीमियम दर से कम मुआवज़ा देती हैं।
    - राज्य सरकारें समय पर धनराशि जारी करने में विफल रही हैं जिसके कारण बीमा क्षतिपूर्ति जारी करने में देरी हुई है।
    - इससे किसान समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
- दावा निपटान संबंधी मुद्दे: कई किसान मुआवज़े के स्तर और निपटान में देरी दोनों से असंतुष्ट हैं।
    - ऐसे में बीमा कंपनियों की भूमिका और शक्ति अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कई मामलों में उन्होंने स्थानीय आपदा के कारण हुए नुकसान की जाँच नहीं की जिस कारण दावों का भुगतान नहीं किया गया।
- कार्यान्वयन के मुद्दे: बीमा कंपनियों द्वारा उन समूहों के लिये बोली लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है जो फसल के नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं।
    - बीमा कंपनियाँ अपनी प्रकृति के अनुसार यह कोशिश करती हैं कि फसल कम खराब हो तो मुनाफा कमाया जाए।

आगे की राह

- इस योजना से संबंधित सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिये राज्यों और केंद्र सरकार के बीच व्यापक पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
- इसके अलावा इस योजना के तहत सब्सिडी का भुगतान करने के बजाय राज्य सरकार को उस पैसे को एक नए बीमा मॉडल में निवेश करना चाहिये।

टीकाकरण कवरेज में गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) की एक रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के वैश्विक स्तर पर एवं भारत में टीकाकरण कार्यक्रमों पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया गया है।

- DPT वैक्सीन को पूरे देश में टीकाकरण कवरेज के लिये प्रेरक माना जाता है।

डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (DPT):

- डिप्थीरिया:
    - कारण:
        - डिप्थीरिया मुख्य रूप से कोरिनबैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु के कारण होता है।
    - लक्षण:
        - सामान्य सर्दी, बुखार, ठंड लगना, गर्दन में सूजन ग्रंथि, गले में खराश, नीली त्वचा आदि।
    - प्रसार:
        - यह मुख्य रूप से खाँसने और छींकने या किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से फैलता है।
    - लक्षित जनसंख्या:
        - डिप्थीरिया विशेष रूप से 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है।
        - पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में डिप्थीरिया के मामलों की घटना प्राथमिक डिप्थीरिया टीकाकरण के कम कवरेज को दर्शाती है।
- टेटनस:
    - कारण:
        - टेटनस जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के बीजाणुओं के साथ कट या घाव के संक्रमण के माध्यम से फैलते हैं और ज़्यादातर मामले संक्रमण के 14 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। यह रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से घावों के प्रदूषित होने के कारण होता है।
    - रोकथाम:
        - टेटनस-टॉक्सोइड-युक्त टीके (TTCV) के साथ टीकाकरण के माध्यम से टेटनस को रोका जा सकता है। हालाँकि जो लोग टेटनस से ठीक हो जाते हैं उनमें प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं होती है और वे फिर से संक्रमित हो सकते हैं।
    - लक्षण:
        - जबड़े में ऐंठन या मुँह खोलने में असमर्थता।
        - पीठ, पेट और हाथ-पाँव में अक्सर मांसपेशियों में ऐंठन।
        - अचानक मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन शुरू होती है।
        - दौरे पड़ना।
- पर्टुसिस:
    - कारण:
        - पर्टुसिस, जिसे काली खाँसी के रूप में भी जाना जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन संक्रमण है जो जीवाणु बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। वर्ष 2018 में विश्व स्तर पर पर्टुसिस के 151000 से अधिक मामले थे।

- यह रोग शिशुओं के लिये सबसे खतरनाक है और इस आयु वर्ग में बीमारी एवं मृत्यु का एक महत्त्वपूर्ण कारण है।
- प्रसार:
  - पर्टुसिस मुख्य रूप से खांसने या छींकने से उत्पन्न बूँदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2020 में तीन मिलियन बच्चों को डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (DPT) वैक्सीन की पहली खुराक नहीं मिली।
- दुनिया भर में DPT वैक्सीन की तीन खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों के प्रतिशत में 2019 और 2021 के बीच पाँच प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है।
  - दुनिया भर में मात्र 8% कवरेज के साथ यह बच्चों के टीकाकरण में सबसे बड़ी निरंतर गिरावट है।
- अकेले वर्ष 2021 में विश्व स्तर पर लगभग 25 मिलियन बच्चे या अधिक DPT वैक्सीन की खुराक लेने से छूट गए, जो कि वर्ष 2020 में छूटने वालों की तुलना में दो मिलियन अधिक और वर्ष 2019 की तुलना में छह मिलियन अधिक हैं।
- वर्ष 2021 में 24 मिलियन से अधिक बच्चे खसरे के टीके की अपनी पहली खुराक लेने से छूट गए, जो वर्ष 2019 की तुलना में पाँच मिलियन अधिक हैं।
- वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में 6.7 मिलियन से अधिक बच्चे पोलियो वैक्सीन की तीसरी खुराक लेने से छूट गए और 3.5 मिलियन बच्चे ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीन की पहली खुराक लेने से छूट गए, जो लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाता है।
- टीकों के कवरेज में हर क्षेत्र में गिरावट देखी गई, जबकि पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज़ उलटफेर दर्ज किया गया:
  - वर्ष 2021 में 25 मिलियन बच्चों में से लगभग 18 मिलियन, जिन्हें एक भी DPT खुराक नहीं मिली, वे निम्न और मध्यम आय वाले देशों से हैं, जिनमें भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया एवं फिलीपींस में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है।
  - म्याँमार और मोज़ाम्बिक में उन बच्चों की संख्या में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई, जिन्हें वर्ष 2019 तथा वर्ष 2021 के बीच एक भी टीका नहीं लगा।

गिरावट का कारण:

- प्रतिरक्षण कवरेज में गिरावट की अनेक वजहें थीं जैसे संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि और नाजुक स्थिति जहाँ टीकाकरण पहुँच अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है।
- यह सोशल मीडिया पर टीकाकरण के संबंध में भ्रामक सूचनाओं और कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं तथा आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, प्रतिक्रिया प्रयासों के लिये संसाधन मोड, रोकथाम के उपायों के कारण भी था जिसने टीकाकरण सेवा की पहुँच व उपलब्धता को सीमित किया।

भारत का प्रदर्शन

- भारत अपने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से सालाना 30 मिलियन से अधिक गर्भवती महिलाओं और 27 मिलियन बच्चों का टीकाकरण करता है।
- भारत ने सघन मिशन इंद्रधनुष0 जैसे कैच-अप कार्यक्रम शुरू करके अपने आपको और पीछे होने से रोका, जिसने वर्ष 2021 में पहली खुराक छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को 3 मिलियन से 2.7 मिलियन तक कम करने में मदद की, जबकि वर्ष 2019 की तुलना में 1.4 मिलियन बच्चों को पहली खुराक नहीं मिली थी।
- भारत ने नियमित टीकाकरण सेवाओं की शीघ्र बहाली के साथ-साथ साक्ष्य-आधारित कैच-अप कार्यक्रमों द्वारा कवरेज में गिरावट को प्रभावी ढंग से टाला, जिसने इसे नियमित टीकाकरण कवरेज में गिरावट से बचने में सक्षम बनाया।
- भारत ने टीकाकरण से चूक गई हर गर्भवती महिला और बच्चे का टीकाकरण करने के उद्देश्य से फरवरी 2022 में सघन मिशन इंद्रधनुष0 भी शुरू किया।

संबंधित वैश्विक पहल:

- वैश्विक प्रतिरक्षण रणनीति 2030 (IA2030):
  - यह सभी देशों और प्रासंगिक वैश्विक भागीदारों के लिये एक रणनीति है, जिसका उद्देश्य हर किसी के, हर जगह, किसी भी उम्र में टीकाकरण और वैक्सीन वितरण के माध्यम से रोग की रोकथाम करना है।
  - WHO और UNICEF वैश्विक प्रतिरक्षण रणनीति एजेंडा 2030 (IA2030) को लागू करने के लिये Gavi, वैक्सीन एलायंस एवं अन्य भागीदारों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
- विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह:
  - प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 'विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह' मनाया जाता है।
  - इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने हेतु टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
  - टीकाकरण उस प्रक्रिया को वर्णित करता है, जिससे लोग सूक्ष्मजीवों (औपचारिक रूप से रोगजनकों) से होने वाले संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। 'टीका' शब्द टीकाकरण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को संदर्भित करता है।

नोट :

आगे की राह

- नियमित टीकाकरण से चूकने की समस्या को संबोधित करने के लिये टीकाकरण के प्रयासों को तेज़ करने की आवश्यकता है, इससे प्रक्रिया में छूटे हुए बच्चों तक पहुँचने के लिये वंचित क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार करने और प्रकोप को रोकने के लिये अभियानों को लागू करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, टीकों और टीकाकरण प्रक्रिया में विश्वास बनाने, अफवाहों का मुकाबला करने और विशेष रूप से कमज़ोर समुदायों के बीच टीके के लिये साक्ष्य-आधारित, जन-केंद्रित रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता है।
- इन कार्यक्रमों के अधिकतम प्रभाव के लिये आवश्यक डेटा और निगरानी प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य सूचना एवं रोग निगरानी प्रणाली को मज़बूत बनाने की भी आवश्यकता है।

गोल 2.0

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और मेटा (पूर्व में फेसबुक) ने गोल प्रोग्राम (GOAL 2.0) का दूसरा चरण शुरू किया है।

GOAL कार्यक्रम:

- GOAL (गोइंग ऑनलाइन एज़ लीडर्स) कार्यक्रम को मई 2020 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था और यह दिसंबर 2021 में पूरा हुआ।
- इसका उद्देश्य मेंटॉर (सलाहकार या प्रशिक्षण देने वाला) और मेंटी (प्रशिक्षु) की अवधारणा के माध्यम से जनजातीय युवाओं व महिलाओं का डिजिटल सशक्तीकरण करना है।
- यह कार्यक्रम पूरी तरह से मेटा (फेसबुक इंडिया) द्वारा वित्तपोषित है।
- इस चरण में प्रशिक्षुओं को तीन पाठ्यक्रम आधारों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।
    - संचार व जीवन कौशल
    - डिजिटल उपस्थिति को सक्षम बनाना
    - नेतृत्व व उद्यमिता

GOAL 2.0:

- परिचय:
    - GOAL 2.0 कार्यक्रम जनजातीय समुदाय के सभी लोगों के लिये खुला है।
        - चरण- I में एक प्रशिक्षक को दो प्रशिक्षकों से जोड़कर ऑनलाइन डिजिटल मेंटरशिप प्रदान की गई।
- उद्देश्य:
    - इस कार्यक्रम का उद्देश्य फेसबुक लाइव सत्र और एक डिजिटल शिक्षण उपकरण- मेटा बिज़नेस कोच के माध्यम से जनजातीय युवाओं के कौशल को बढ़ाना और उन्हें डिजिटल रूप में सक्षम बनाना है।
    - 50,000 वन धन स्वंय सहायता समूहों के 10 लाख से अधिक सदस्यों पर विशेष फोकस रहेगा।
        - उन्हें अपने उत्पादों की बाज़ार मांग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन के संबंध में डिजिटल रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।
    - GOAL 2.0 के तहत विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग विशेषज्ञों द्वारा क्रमिक सत्रों के आधार पर प्रशिक्षुओं की आवश्यकताओं के अनुरूप चैटबॉट के प्रावधान के साथ जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकिं वे अधिकतम भागीदारी के साथ लाभान्वित हो सकें।
- शामिल एजेंसियाँ:
    - इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समन्वय से जनजातीय कार्य मंत्रालय इस कार्यक्रम के तहत चुने गए 175 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में से प्रत्येक में 6 डिजिटल कक्षाएँ संचालित करेगा।
    - यह परियोजना ERNET की ओर से कार्यान्वित की जा रही है जो इलेक्ट्रॉनिकी एवं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

कौशल विकास के लिये कुछ अन्य पहलें:

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):
    - स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) इस योजना को लागू कर रहा है।
    - PMKVY 3.0 के तहत डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं उद्योग 4.0 पर कौशल विकास हेतु भी ध्यान दिया गया है।
    - क्षेत्र कौशल परिषदों (SSC) ने नई और उभरती डिजिटल तकनीकों व उद्योग 4.0 कौशल जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) में भी रोज़गार का सृजन किया है।
- ई-स्किल इंडिया पोर्टल:
    - MSDE के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने eSkill India पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है।
    - यह मंच साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, सांख्यिकीय व्यापार विश्लेषिकी, क्लाउड तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती

नोट :

प्रौद्योगिकियों पर सीखने का अवसर प्रदान करता है, साथ ही डिज़ाइन विधि, परियोजना प्रबंधन और डिजिटल मार्केटिंग जैसे पेशेवर कौशल भी प्रदान करता है।

- समग्र शिक्षा:
  - 'समग्र शिक्षा' के व्यावसायिक शिक्षा घटक के तहत आने वाले स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के आदिवासी छात्रों सहित स्कूली छात्रों के लिये राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम पेश किये जाते हैं।
  - इसमें संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल एवं हरित कौशल शामिल हैं।

MSP और प्राकृतिक खेती पर सरकारी पैनल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और प्राकृतिक खेती संबंधी मुद्दों को देखने के लिये पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

समिति के गठन का उद्देश्य:

- इसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद किया गया था।
- विरोध कर रहे किसानों द्वारा स्वामीनाथन आयोग के 'C2+50% फॉर्मूले' के आधार पर MSP को लेकर कानूनी गारंटी की मांग की गई थी।
  - स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि MSP में सरकार को उत्पादन की औसत लागत के कम-से-कम 50% की वृद्धि करनी चाहिये। इसे C2+50% सूत्र के रूप में भी जाना जाता है।
  - इसमें किसानों को 50% प्रतिफल/रिटर्न देने के लिये पूंजी पर अध्यारोपित लागत एवं भूमि पर लगान (जिसे 'C2' कहा जाता है) को भी शामिल किया गया है।
- यह तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की उनकी मांग के अतिरिक्त था :
  - किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020
  - मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण व संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020
  - आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

समिति की भूमिका:

- MSP पर:
  - यह घरेलू उत्पादन और निर्यात का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य के माध्यम से उच्च मूल्य सुनिश्चित करने हेतु देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली के लिये कार्य करेगी।
  - व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाकर देश के किसानों को MSP उपलब्ध कराने के लिये सुझाव देना।
  - कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) को अधिक स्वायत्तता देने के लिये सुझाव देना तथा इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय करना।
- प्राकृतिक खेती:
  - भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली के तहत मूल्य श्रृंखला विकास, प्रोटोकॉल सत्यापन और भविष्य की ज़रूरतों के लिये अनुसंधान तथा क्षेत्र विस्तार हेतु सहयोग कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सुझाव प्रदान करेगी।
  - इसके अलावा प्रचार के माध्यम से और किसान संगठनों की भागीदारी एवं योगदान के माध्यम से भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली के तहत क्षेत्र के विस्तार के लिये समर्थन को बढ़ावा देना।
- फसल विविधीकरण:
  - यह उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों में कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के मौजूदा फसल पैटर्न की जाँच एवं मानचित्रण करेगा।
  - देश की बदलती ज़रूरतों के अनुसार फसल पैटर्न को बदलने के लिये विविधीकरण नीति दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):

- परिचय:
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कृषि कीमतों में किसी भी तेज़ गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा बाज़ार में हस्तक्षेप का एक रूप है।
  - कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिये बुवाई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।
  - वर्तमान में सरकार 23 फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है।
  - MSP द्वारा कवर की जाने वाली फसलों में शामिल हैं:
    - 7 प्रकार के अनाज (धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ)।

- 5 प्रकार की दालें (चना, अरहर/तूर, उड़द, मूँगऔर मसूर)।
- 7 तिलहन (रेपसीड-सरसों, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजरसीड)।
- 4 व्यावसायिक फसलें (कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट)।

- उद्देश्य:
  - MSP भारत सरकार द्वारा उत्पादक-किसानों को बंपर उत्पादन वर्षों के दौरान कीमतों में अत्यधिक गिरावट से बचाने के लिये निर्धारित मूल्य है।
  - इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को संकटग्रस्त बिक्री में सहयोग करना और सार्वजनिक वितरण के लिये खाद्यान्न की खरीद करना है।
    - यदि बंपर उत्पादन और बाज़ार में वस्तुओं की भरमार के कारण वस्तु का बाज़ार मूल्य घोषित न्यूनतम मूल्य से कम हो जाता है, तो सरकारी एजेंसियाँ किसानों द्वारा दी गई पूरी मात्रा को घोषित न्यूनतम मूल्य पर खरीद लेती हैं।
- MSP निर्धारित करने के वाले कारक:
  - किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति।
  - इसकी उत्पादन लागत।
  - बाज़ार मूल्य रुझान (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों)।
  - अंतर-फसल मूल्य समता।
  - कृषि और गैर-कृषि के बीच व्यापार की शर्तें (अर्थात् कृषि आदानों एवं कृषि उत्पादों की कीमतों का अनुपात)।
  - उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50%।
  - उस उत्पाद के उपभोक्ताओं पर MSP के संभावित प्रभाव।

प्राकृतिक खेती:

- परिचय:
  - इसे "रसायन मुक्त कृषि (Chemical-Free Farming) और पशुधन आधारित (livestock based)" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
  - कृषि-पारिस्थितिकी के मानकों पर आधारित यह एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे कार्यात्मक जैवविविधता के इष्टतम उपयोग की अनुमति मिलती है।
  - यह मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या न्यून करने जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है।
    - कृषि के इस दृष्टिकोण को एक जापानी किसान और दार्शनिक मासानोबू फुकुओका (Masanobu Fukuoka) ने वर्ष 1975 में अपनी पुस्तक द वन-स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में पेश किया था।
- लाभ:
  - अन्य कृषि प्रणालियों की तुलना में वास्तविक शारीरिक कार्य और श्रम में 80% तक की कमी आई है।
  - मृदा की गुणवत्ता में सुधार।
  - ह्यूमस का निर्माण।
  - जल प्रतिधारण में सुधार होता है, इसलिये यह 60 से 80% जल बचाता है।
  - पौधों के आसपास सूक्ष्म जलवायु।
  - लाभकारी कीटों को आकर्षित किया जाता है।

राइट-टू-रिपेयर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने घोषणा की कि उसने 'राइट-टू-रिपेयर' पर व्यापक ढाँचा विकसित करने के लिये अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।

राइट-टू-रिपेयर:

- परिचय:
  - 'राइट-टू-रिपेयर' एक ऐसे अधिकार अथवा कानून को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करना और उन्हें संशोधित करने की अनुमति देना है, जहाँ अन्यथा ऐसे उपकरणों के निर्माता उपभोक्ताओं को केवल उनके द्वारा प्रस्तुत सेवाओं के उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
    - जब ग्राहक कोई उत्पाद खरीदते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि उनके पास उस वस्तु पर पूर्ण स्वामित्व हो जाता है, जिसके लिये उपभोक्ताओं को मरम्मत हेतु निर्माताओं द्वारा आसानी से और उचित लागत पर उत्पाद की मरम्मत और संशोधन करने में सक्षम होना चाहिये।
  - 'राइट-टू-रिपेयर' का विचार मूल रूप से अमेरिका से उत्पन्न हुआ था, जहाँ 'मोटर व्हीकल ओनर्स राइट-टू-रिपेयर एक्ट, 2012' किसी भी व्यक्ति को वाहनों की मरम्मत करने में सक्षम बनाने के लिये वाहन निर्माताओं के लिये सभी आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

- प्रस्तावित ढाँचा:
    - इस नियामक ढांचे के तहत निर्माताओं के लिये अपने उत्पाद विवरण को ग्राहकों के साथ साझा करना अनिवार्य होगा ताकि वे मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं या तीसरे पक्ष द्वारा उनकी मरम्मत करा सकें।
    - कानून का उद्देश्य मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) और तीसरे पक्ष के खरीदारों तथा विक्रेताओं के बीच व्यापार में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करना है, साथ ही इस प्रकार नए रोज़गार का सृजन भी करना है।
- वैश्विक स्थिति:
    - अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित दुनिया भर के कई देशों में मरम्मत के अधिकार को मान्यता दी गई है।
    - अमेरिका में संघीय व्यापार आयोग ने निर्माताओं को अनुचित प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं को दूर करने का निर्देश दिया है और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि उपभोक्ता स्वयं या किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा मरम्मत करा सकें।
- संभावित लाभ:
    - यह छोटी मरम्मत की दुकानों के लिये व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
    - यह इलेक्ट्रिक कचरे (e-waste) के विशाल ढेर को कम करने में मदद करेगा।
    - इससे उपभोक्ताओं का पैसा बचेगा।
    - यह उपकरणों के जीवन काल, रखरखाव, पुनः उपयोग, उन्नयन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों में योगदान देगा।
- कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र:
    - कृषि उपकरण
    - मोबाइल फोन/टैबलेट
    - उपभोक्ता के लिये टिकाऊ वस्तुएँ
    - ऑटोमोबाइल/ऑटोमोबाइल उपकरण

राइट-टू-रिपेयर की आवश्यकता:

- आमतौर पर निर्माता अपने डिज़ाइन सहित स्पेयर पार्ट्स पर मालिकाना नियंत्रण बनाए रखते हैं, रिपेयर प्रक्रियाओं पर इस तरह का एकाधिकार ग्राहक के "चुनने के अधिकार" का उल्लंघन करता है।
- कई उत्पादों के वारंटी कार्ड में उल्लेख किया जाता है कि गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों रिपेयर कराने की स्थिति में ग्राहक वारंटी लाभ से वंचित हो जाएंगे।
- कंपनियाँ मैनुअल के प्रकाशन से भी बचती हैं जो उपयोगकर्त्ताओं को आसानी से रिपेयर करने में मदद कर सकती हैं।
- तकनीकी सेवा/उत्पाद कंपनियाँ मैनुअल, स्कीमैटिक्स और सॉफ्टवेयर अपडेट के लिये पूर्ण ज्ञान एवं पहुँच प्रदान नहीं करती हैं।
- निर्माता "नियोजित अप्रचलन" की संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
    - यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत किसी भी गैजेट का डिज़ाइन ऐसा होता है कि वह एक विशेष समय तक ही रहता है और उस विशेष अवधि के बाद उसे अनिवार्य रूप से बदलना पड़ता है।
    - एक उत्पाद जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है या नियोजित अप्रचलन के अंतर्गत आता है अर्थात।
    - कृत्रिम रूप से सीमित उपयोगी जीवन वाले उत्पाद को डिजाइन करना
    - न केवल ई-कचरा बन जाता है बल्कि उपभोक्ताओं को किसी मरम्मत के अभाव में नए उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करता है ताकि इसका पुनः उपयोग किया जा सके।
    - एक उत्पाद जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है या नियोजित अप्रचलन के तहत आता है यानी कृत्रिम रूप से सीमित उजीवनकाल के लिये उपयोगी उत्पाद को डिज़ाइन करना न केवल ई-कचरा को बढ़ाएगा बल्कि उपभोक्ताओं को रिपेयर करने की अपेक्षा नए उत्पाद खरीदने के लिये मज़बूर करेगा।
- भारत ने हाल ही में LiFE आंदोलन (पर्यावरण के लिये जीवन शैली) की अवधारणा शुरू की है।
    - इसमें विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण की अवधारणा शामिल है।
    - राइट-टू-रिपेयर, लाइफ मूवमेंट के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा।

आगे की राह

- नैदानिक उपकरणों सहित सेवा संबंधी उपकरणों को व्यक्तियों सहित तीसरे पक्ष को उपलब्ध कराए जाने चाहिये ताकि मामूली गड़बड़ियों के मामले में उत्पाद की रिपेयरिंग की जा सके।
    - 'राइट-टू-रिपेयर' कानून भारत जैसे देश में विशेष रूप से मूल्यवान हो सकता है, जहाँ सेवा नेटवर्क अक्सर असमान (Spotty) होते हैं और अधिकृत कार्यशालाएँ कम होने के साथ ही दूर के इलाकों में होती हैं।

भारत मेंअनौपचारिक रिपेयरिंग क्षेत्र की स्थिति मज़बूत है।

- लेकिन अगर इस तरह के कानून को अपनाया जाता है तो मरम्मत और रखरखाव सेवाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है।

नोट :

स्वास्थ्य का अधिकार

प्रिलिम्स के लिये:
स्वास्थ्य का अधिकार, सातवीं अनुसूची, निजी विधेयक, सार्वजनिक विधेयक
मेन्स के लिये:
अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य क्षेत्र का महत्त्व, समावेशी स्वास्थ्य प्राप्त करने में चुनौतियाँ, सरकारी पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा में एक निजी सदस्य के विधेयक "स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक" पर गहन चर्चा हुई।

- इसका लक्ष्य सभी विकास नीतियों में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल अभिविन्यास के माध्यम से सभी उम्र के सभी लोगों हेतु स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करना है।
- विधेयक सभी नागरिकों के लिये स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार बनाने और गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु अनुकूल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के मानक के समान पहुँच तथा रखरखाव सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

स्वास्थ्य का अधिकार:

- परिचय:
  - अन्य अधिकारों की तरह स्वास्थ्य के अधिकार में भी स्वतंत्रता एवं पात्रता दोनों घटक शामिल हैं:
  - स्वतंत्रता में स्वयं के स्वास्थ्य और शरीर को नियंत्रित करने का अधिकार (उदाहरण के लिये यौन एवं प्रजनन अधिकार) तथा हस्तक्षेप से मुक्ति का अधिकार शामिल है (उदाहरण के लिये यातना एवं गैर-सहमति चिकित्सा उपचार और प्रयोग से मुक्ति)।
  - 'पात्रता' के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा की एक प्रणाली का अधिकार शामिल है, जो सभी को स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर का लाभ प्राप्त करने का अवसर देता है।.
- भारत में संबंधित प्रावधान:
  - अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय:
    - भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा (1948) के अनुच्छेद-25 का हस्ताक्षरकर्त्ता है जो भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यक सामाजिक सेवाओं के माध्यम से मनुष्यों को स्वास्थ्य कल्याण के लिये पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार देता है।
  - मूल अधिकार:
    - भारत के संविधान का अनुच्छेद-21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
    - स्वास्थ्य का अधिकार गरिमायुक्त जीवन के अधिकार में निहित है।
  - राज्य नीति के निदेशक तत्त्व (DPSP):
    - अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47 ने स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्यों का मार्गदर्शन किया है।
  - न्यायिक उद्घोषणा:
    - पश्चिम बंगाल खेत मज़दूर समिति मामले (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है।
    - परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले (1989) में अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हर डॉक्टर चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या फिर अन्य कहीं, जीवन की रक्षा के लिये उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाएँ देना उसका पेशेवर दायित्व है।
- महत्त्व:
  - स्वास्थ्य सेवा आधारित अधिकार:
    - लोग स्वास्थ्य के अधिकार के हकदार हैं और सरकार द्वारा इस दिशा में कदम उठाना उसका उत्तरदायित्व है।
  - स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुँच:
    - यह सभी को सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है और सुनिश्चित करता है कि सेवाओं की गुणवत्ता उन लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिये पर्याप्त है।
  - व्यय को कम करना:
    - लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय करने के वित्तीय परिणामों से बचाता है और उन्हें गरीबी में धकेलने जैसे जोखिम को कम करता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियाँ:

- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में कमी:
  - देश में मौजूदा सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का दायरा सीमित है।
  - यहाँ तक कि एक अच्छी तरह से कार्यरत सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी केवल गर्भावस्था देखभाल, सीमित चाइल्ड केयर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित कुछ सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- अपर्याप्त धन:
  - भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निधि पर व्यय लगातार कम रहा है (सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.3%)।

- OECD के अनुसार, भारत का कुल 'आउट-ऑफ-पॉकेट' खर्च जीडीपी का लगभग 2.3% है।
- उप-इष्टतम सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली:
    - स्वास्थ्य प्रणाली में त्रुटियों के कारण गैर-संचारी रोगों से निपटना चुनौतीपूर्ण है, जो कि रोकथाम और रोगों का शीघ्र पता लगाने से संबंधित है।
    - यह कोविड-19 महामारी जैसे नए एवं उभरते खतरों की तैयारियों में कमी और इनके प्रभावी प्रबंधन को कमज़ोर करता है।

आगे की राह

- अधिक धन आवंटित करना:
    - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में की गई परिकल्पना के अनुसार, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक वित्त को जीडीपी के कम-से-कम 2.5% तक बढ़ाया जाना चाहिये।
    - इस संबंध में स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करने वाला एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून संसद द्वारा पारित किया जा सकता है।
- नोडल स्वास्थ्य एजेंसी का निर्माण:
    - रोग की निगरानी के लिये नामित और स्वायत्त एजेंसी बनाने की आवश्यकता है, जो प्रमुख गैर-स्वास्थ्य संबंधी विभागों की नीतियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव की जानकारी एकत्र करे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आँकड़ों का रखरखाव करे ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों का प्रवर्तन और इससे संबंधित सूचनाओं का प्रसार जनता तक हो।
- अन्य उपाय:
    - स्वास्थ्य को संविधान के तहत सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिये। वर्तमान में 'स्वास्थ्य' राज्य सूची के अंतर्गत है।
    - स्वास्थ्य देखभाल निवेश के लिये एक समर्पित विकासात्मक वित्त संस्थान (DFI) की आवश्यकता है।

भारत में गर्भपात कानून

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह में गर्भपात की अनुमति दी थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (MTP) अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए ऐसें मामले में गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थिति

- गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम अधिनियम ने केवल विवाहित महिलाओं को 20 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति दी थी, इसलिये अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने की अनुमति नहीं होगी।
    - इसमें गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति नियम, 2003 के नियम 3B का उल्लेख है, क्योंकि यह महिला की वैवाहिक स्थिति में बदलाव की बात करता है और इसमें लिव-इन रिलेशनशिप तथा अविवाहित महिलाएँ शामिल नहीं थी।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- पीठ ने कहा कि वर्ष 2021 में संशोधित MTP अधिनियम के प्रावधानों की धारा 3 के स्पष्टीकरण में "पति" के बजाय "पार्टनर" शब्द शामिल है, जो संसद की मंशा को दर्शाता है कि यह केवल वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न स्थितियों को सीमित करने के लिये नहीं था।
- इसने यह भी कहा कि याचिकाकर्त्ता को इस आधार पर कानून के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह अविवाहित थी और ऐसा करना कानून के 'उद्देश्य एवं भावना' के विपरीत होगा।
- इसके अलावा पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के निदेशक को महिला की जाँच करने के लिये दो डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया (MTP अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार) जिसका कार्य यह निर्धारित करना है कि यह सुरक्षित है या नहीं तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि गर्भपात करने पर माँ की जान को खतरा न हो।
    - अगर उनकी राय है कि ऐसा करना सुरक्षित है, तो AIIMS उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकता है।

भारतीय संदर्भ में गर्भपात कानून:

- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:
    - 1960 के दशक तक भारत में गर्भपात अवैध था और ऐसा करने पर एक महिला के लिये भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 312 के तहत तीन वर्ष की कैद और/अथवा जुर्माने का प्रावधान किया गया था।
    - 1960 के दशक के मध्य में सरकार ने शांतिलाल शाह समिति का गठन किया और डॉ. शांतिलाल शाह की अध्यक्षता वाले समूह को गर्भपात के मामले की जाँच करने तथा यह तय करने के लिये कहा गया कि क्या भारत को इसके लिये एक कानून की आवश्यकता है अथवा नहीं।
    - शांतिलाल शाह समिति की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में एक चिकित्सकीय समापन विधेयक पेश किया गया था और अगस्त 1971 में इसे संसद द्वारा पारित किया गया था।

नोट :

- 1 अप्रैल, 1972 को गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MPT) अधिनियम, 1971 लागू हुआ जो जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ।
- इसके अलावा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 312, गर्भवती महिला की सहमति से गर्भपात किये जाने पर भी स्वेच्छा से "गर्भपात का कारण" अपराध है, सिवाय इसके कि जब गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के लिये किया जाता है।
  - इसका अर्थ यह है कि स्वयं महिला पर या चिकित्सक सहित किसी अन्य व्यक्ति पर गर्भपात का मुकदमा चलाया जा सकता है।

- परिचय:
  - गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (MTP) 1971, एक्ट ने दो चरणों में एक चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी:
    - गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद तक के गर्भपात के लिये एक डॉक्टर की राय ज़रूरी थी।
    - इस कानून के अनुसार, कानूनी तौर पर गर्भपात केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसे- जब महिला की जान को खतरा हो, महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, बलात्कार के कारण गर्भधारण हुआ हो, पैदा होने वाले बच्चे का गर्भ में उचित विकास न हुआ हो और उसके विकलांग होने का डर हो। 12 से 20 सप्ताह के बीच के गर्भधारण के संदर्भ में इन सभी बातों का निर्धारण करने के लिये दो डॉक्टरों की राय आवश्यक होती थी।
- हाल के संशोधन:
  - वर्ष 2021 में संसद ने 20 सप्ताह तक के गर्भधारण के लिये एक डॉक्टर की सलाह के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने के लिये कानून में बदलाव किया।
    - संशोधित कानून के तहत 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिये दो डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती है।
    - इसके अलावा 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिये, नियम महिलाओं की सात श्रेणियों को निर्दिष्ट करते हैं जो MTP अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों की धारा 3 बी के तहत समाप्ति की मांग करने के लिये पात्र होंगी।
    - यौन हमले या बलात्कार की स्थिति में
    - अवयस्क
    - विधवा और तलाक होने जैसी परिस्थितियों अर्थात् वैवाहिक स्थिति में बदलाव के समय की गर्भावस्था
    - शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएँ (विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख विकलांगता)
    - मानसिक मंदता सहित मानसिक रूप से बीमार महिलाएँ
    - भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम होता है या यदि बच्चा पैदा होता है तो वह गंभीर रूप से विकलांग, शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है,
    - मानवीय आधार या आपदाओं या आपात स्थितियों में गर्भावस्था वाली महिलाएँ।

MTP अधिनियम से संबंधित चुनौतियाँ:

- जबकि कानून गर्भवती महिला की वैवाहिक स्थिति में उसके पति या पत्नी के साथ तलाक और विधवापन में बदलाव को मान्यता देता है, लेकिन यह अविवाहित महिलाओं की स्थिति को संबोधित नहीं करता है।
- यह उच्च विनियमित प्रक्रिया है जिसके तहत कानून गर्भवती महिला की निर्णय लेने की शक्ति को मान्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर (RMP) को हस्तांतरित करता है और यह RMP के विवेक पर निर्भर है कि गर्भपात किया जाना चाहिये या नहीं।

आगे की राह

- गर्भपात पर भारत के कानूनी ढाँचे को काफी हद तक प्रगतिशील माना जाता है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों की तुलना में जहाँ गर्भपात गंभीर रूप से प्रतिबंधित हैं।
- इसके अलावा सार्वजनिक नीति निर्माण पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, साथ ही सभी हितधारकों को महिलाओं और उनके प्रजनन अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये शामिल करने की आवश्यकता है, न कि उन चिकित्सकों पर नियंत्रण करना है जो गर्भपात की सेवा प्रदान करते हैं।

नीट और तमिलनाडु का विरोध

चर्चा में क्यों?

NEET के खिलाफ कानूनी लड़ाई तमिलनाडु द्वारा आज भी जारी है सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में NEET से और छूट देने से इनकार कर दिया था।

राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET):

- परिचय:
  - राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) जिसे पहले अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (AIPMT) भी कहा जाता था, भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेज में MBBS एवं BDS प्रोग्राम के लिये योग्यता परीक्षा है।

- इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किया जाता है।

- ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:
  - भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा प्रतिस्थापित) ने वर्ष 2009 में NEET का प्रस्ताव रखा था।
  - अगले वर्ष MCI ने एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देश में MBBS और BDS प्रवेश को विनियमित करने के लिये एक अधिसूचना जारी की।
    - वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने NEET को असंवैधानिक करार दिया था और निर्णय दिया कि MCI के पास मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश को विनियमित करने के लिये अधिसूचना जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।
    - अप्रैल 2016 में न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे (जिन्होंने वर्ष 2013 में असहमति का फैसला सुनाया) की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 2013 के अपने निर्णय को दोहराया और अंततः NEET के संचालन को अनिवार्य कर दिया।
    - कुछ हितधारकों के अनुरोधों के बाद केंद्र सरकार ने मई 2016 में एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें राज्य द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों को एक वर्ष के लिये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के दायरे से छूट दी गई थी।
    - NEET को वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के आधार पर पूरे देश में लागू किया गया था।
    - तमिलनाडु सरकार ने शुरू से ही प्रवेश परीक्षा का पुरज़ोर विरोध किया और शुरूआत में नीट आधारित दाखिले से छूट मिल गई।

तमिलनाडु के विरोध का कारण:

- तमिलनाडु ने NEET आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभावों का अध्ययन करने के लिये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के राजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
  - न्यायमूर्ति ए के राजन ने बताया कि:
    - मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिये एकमात्र मानदंड के रूप में NEET की शुरुआत ने उन सीटों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जो ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन (TNBSE) उत्तीर्ण करने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त किये गए थे।
    - इसने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के छात्रों के लाभ के लिये काम किया।
    - NEET के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले अधिकांश छात्र कोचिंग लिये हुए थे।
    - किसी विषय को सीखने के विपरीत कोचिंग छात्रों को केवल विशेष परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिये तैयार करने पर केंद्रित होती है।
    - NEET की शुरुआत यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि केवल मेडिकल सीटों की तलाश करने वाले मेधावी छात्रों को ही मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिले और साथ ही कैपिटेशन फीस जमा करने की प्रथा को समाप्त किया जाए, जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया।
    - हालाँकि यह मानता है कि सभी उम्मीदवार एक ही स्थिति से और समान बाधाओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।
    - राजन की रिपोर्ट इसे एक त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में उजागर करती है।

- राजनेताओं का तर्क
  - NEET परीक्षा के दोहराव के कारण मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले छात्रों का प्रतिशत वर्ष 2016-17 के 47% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 71.42% हो गया।
  - दूसरी या तीसरी बार परीक्षा देना और प्रतिष्ठित मेडिकल सीट प्राप्त करने के लिये वित्तीय एवं सामाजिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।
    - यह गरीब सामाजिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों की पहुँच से बहुत दूर है।

NEET में संभावित चुनौतियाँ:

- कोचिंग उद्योग:
  - इससे NEET छात्रों के उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रयासों पर बोझ पड़ता है, साथ ही यह कई अरब डॉलर के कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा दे रहा है।
    - इसने उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों में महारत हासिल करने के बजाय 'बी-ऑल-एंड-ऑल' परीक्षा को पास करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।
- संचालन
  - प्रतिरूपण के मामलों की रिपोर्ट के साथ NEET के संचालन में विसंगतियाँ रही हैं।
  - हाल ही में आयोजित NEET परीक्षा में भी CBI ने प्रतिरूपण रैकेट का खुलासा किया और आठ लोगों को गिरफ्तार किया।
    - इस तरह के रैकेट/गिरोह योग्यता की अवधारणा को ही चुनौती देते हैं।
- आर्थिक असमानता:
  - यद्यपि इसने राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में योग्यता आधारित प्रवेश सुनिश्चित की है जहाँ फीस कम है।

- समृद्ध आर्थिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार NEET में खराब अंक प्राप्त करके भी डीम्ड विश्वविद्यालयों और निजी कॉलेजों में गरीब, निम्न एवं मध्यम वर्ग के परिवारों से संबंधित मेधावी उम्मीदवारों को छात्र बाहर कर रहे हैं।

वर्तमान स्थिति:

- राष्ट्रपति ने वर्ष 2017 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित दो विधेयकों को मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिये NEET आधारित प्रवेश से छूट की मांग की गई थी।
- वर्ष 2021 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा केवल बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर MBBS/BDS पाठ्यक्रमों हेतु छात्रों को प्रवेश देने के लिये एक नया विधेयक अपनाया गया था।
  - फरवरी 2022 में राज्यपाल द्वारा विधेयक वापस किये जाने के बाद विधेयक को सदन द्वारा फिर से अपनाया गया और राज्यपाल को वापस भेज दिया गया।
  - उसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिये गृह मंत्रालय (MHA) को भेज दिया गया है।
  - गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा को सूचित किया कि नीट विरोधी विधेयक पर तमिलनाडु सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
  - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने विधेयक पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत की थीं जिन्हें तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ उसकी टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के लिये साझा किया गया है।

5जी और फाइबरीकरण

चर्चा में क्यों?

भारत देश में 5जी सेवाओं को शुरू करने के लिये ऑफ एयरवेव्स की नीलामी करने की तैयारी कर रहा है।

- इस तरह के रोलआउट के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे हेतु मौजूदा रेडियो टॉवरों को ऑप्टिकल-फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ा जाना आवश्यक है।

ऑप्टिकल फाइबर:

- परिचय:
  - ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल अवसंरचना की रीढ़ है, डेटा पतले फाइबर के लंबे स्ट्रैंड के माध्यम से यात्रा करने वाले प्रकाश-स्पंदों (Light Pulses) द्वारा प्रेषित होता है।
  - फाइबर कम्युनिकेशन में संचरण के लिये धातु के तारों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें सिग्नल कम हानि के साथ यात्रा करते हैं।
    - ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection- TIR) के सिद्धांत पर कार्य करता है।
  - प्रकाश किरणों का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा संचारित करने के लिये किया जा सकता है (बिना किसी मोड़ के लंबे सीधे तार के मामले में)।
    - तार में मोड़ वाले ऑप्टिकल केबलों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वे सभी प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़ते हैं (TIR का उपयोग कर)।

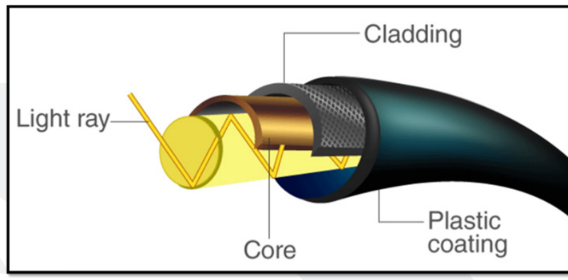

- लाभ:
  - हाई स्पीड:
    - फाइबर अधिक बैंडविड्थ प्रदान करता है और 10 Gbps तथा उससे अधिक तक मानकीकृत प्रदर्शन करता है। तांबे के उपयोग के साथ इसे प्राप्त कर पाना असंभव है।
    - अधिक बैंडविड्थ का मतलब है कि फाइबर तांबे के तार की तुलना में कहीं अधिक दक्षता के साथ अधिक सूचनाओं का वहन कर सकता है।
  - ट्रांसमिशन की रेंज:
    - चूँकि फाइबर-ऑप्टिक केबल्स में डेटा प्रकाश के रूप में गुज़रता है, ट्रांसमिशन के दौरान अत्यंत कम सिग्नल हानि होती है और डेटा उच्च गति से तथा अधिक दूरी तक स्थानांतरित हो सकता है।
  - व्यतिकरण के प्रति अतिसंवेदनशील नहीं:
    - फाइबर ऑप्टिक केबल कॉपर केबल की तुलना में शोर और विद्युत-चुंबकीय व्यतिकरण के प्रति कम संवेदनशील है।
    - यह वास्तव में इतना कुशल है कि ज़्यादातर मामलों में लगभग 99.7% सिग्नल राउटर तक पहुँचता है।
  - सहनशीलता:
    - फाइबर-ऑप्टिक केबल कॉपर केबल को प्रभावित करने वाले कई पर्यावरणीय कारकों से पूर्णतया प्रतिरक्षित है।
    - केबल का कोर भाग काँच से बना होता है, जो एक इन्सुलेटर का कार्य करता है, इसलिये इसमें विद्युत प्रवाह प्रवाहित नहीं हो सकता है।

फाइबरीकरण:

- परिचय:
  - ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टॉवरों को एक-दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया को फाइबरीकरण कहा जाता है।
  - बैकहॉल बड़े परिवहन का एक घटक है जो पूरे नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिये ज़िम्मेदार है।
    - यह नेटवर्क के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो नेटवर्क के कोर को एज (edge) से जोड़ता है।
  - उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बेहतर कवरेज प्रदान करने के लिये मोबाइल टॉवरों का घनत्व बढ़ाना आवश्यक है।
- फाइबरीकरण में चुनौतियाँ:
  - संसाधन:
    - फाइबरीकरण के लक्षित स्तर तक पहुँचने के लिये भारत को 70% टॉवरों को फाइबर केबल से जोड़ने के लिये लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है।
    - अगले चार वर्षों में 15 लाख टावर लगाने के लिये करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी।
  - मांग:
    - भारतनेट और स्मार्ट सिटीज़ जैसे सरकारी कार्यक्रम फाइबर को बिछाने की मांग को बढ़ाते हैं, जिससे एक पूर्ण टॉवर फाइबराइजेशन की आवश्यकता होती है।
    - भारत ने वर्ष 2020 में देश के हर गाँव को 1,000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) से जोड़ने का लक्ष्य रखा था।
    - इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये केबलों को एक दिन में 1,251 किमी. की गति से बिछाया जाना चाहिये, जो वर्तमान की 350 किमी. प्रति दिन की औसत गति के लगभग 3.6 गुना है।
  - राइट ऑफ़ वे (RoW) नियम:
    - भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (RoW), नियम 2016 को दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था।
    - इसके नियमों का उद्देश्य देश में कहीं भी ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन (OTL) की स्थापना के लिये सांकेतिक एकमुश्त मुआवजा और एक समान प्रक्रिया को शामिल करना है।
    - जबकि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन नियमों को लागू करने की आवश्यकता है, वे पूर्ण संरेखण में नहीं हैं और अभी भी संरेखित करने के लिये कुछ संशोधनों की आवश्यकता है।
    - कई ज़िलों और स्थानीय निकायों ने उन संबंधित राज्यों में अधिसूचित RoW नीतियों के लिये सहमति नहीं दी है और RoW नियमों, 2016 के साथ संरेखित राज्य RoW नीतियों को अधिभावी करते हुए अपने स्वयं के उपनियमों का पालन कर रहे हैं।

फाइबराइजेशन में भारत की स्थिति:

- ऑप्टिकल फाइबर और केबल में विशेषज्ञता वाली एक प्रौद्योगिकी कंपनी STL के अनुमान के मुताबिक, 5जी में बदलाव के लिये भारत को कम-से-कम 16 गुना ज़्यादा फाइबर की ज़रूरत है।
- पूरे भारत में फाइबर कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में भारत के केवल 30% दूरसंचार टॉवरों को जोड़ता है।
  - भारत ने अप्रैल 2020 और नवंबर 2021 के बीच 132 से अधिक देशों को 138 मिलियन डॉलर के ऑप्टिकल फाइबर का निर्यात किया।
  - भारतीय ऑप्टिकल फाइबर केबल की खपत वर्ष 2021 में 17 मिलियन फाइबर किमी. से बढ़कर वर्ष 2026 तक 33 मिलियन फाइबर किमी. हो जाने का अनुमान है।
  - लगभग 30% मोबाइल टॉवरों में ही फाइबर कनेक्टिविटी है; इसे कम-से-कम 80% तक बढ़ाने की ज़रूरत है।
- भारत में प्रति व्यक्ति फाइबर किलोमीटर (fkm) अन्य प्रमुख बाज़ारों की तुलना में कम है।
  - आदर्श रूप से एक देश को अच्छा फाइबराइजेशन सुनिश्चित करने के लिये प्रति व्यक्ति 1.3 किमी फाइबर की आवश्यकता होती है।
    - जापान में 1.35, अमेरिका में 1.34 और चीन में 1.3 की तुलना में भारत का fkm सिर्फ 0.09 है।
- ये टॉवर साइट जो फाइबर के माध्यम से जुड़ी हुई हैं उन्हें फाइबर पॉइंट ऑफ प्रेज़ेंस (POP) कहा जाता है।
  - वर्तमान में टॉवर साइट पर ये फाइबर POP एक से पाँच Gbps की गति से डेटा को संभाल सकते हैं।

5G परिनियोजन में सैटेलाइट संचार

- चूँकि प्रसंस्करण शक्ति को केंद्रीकृत डेटा केंद्रों से उपयोगकर्त्ताओं के करीब सर्वरों तक वितरित करने की आवश्यकता होती है, उपग्रह संचार व्यापक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में एज सर्वरों को उच्च क्षमता वाला बैकहॉल कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है।
- यह उन क्षेत्रों में 5जी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान कर सकता है जहाँ स्थलीय बुनियादी ढाँचे को तैनात करना संभव नहीं है जैसे दूर-दराज़ के गाँवों, द्वीपों या पहाड़ी क्षेत्रों में।

- सैटेलाइट-आधारित नेटवर्क कारों, हवाई जहाज़ों और हाई-स्पीड ट्रेनों सहित जलपोतों पर उपयोगकर्त्ताओं तक 5G ब्रॉडबैंड पहुँचाने का एकमात्र साधन है।
    - अंतरिक्ष-आधारित प्रसारण क्षमताएँ कनेक्टेड कारों के लिये दुनिया में कहीं भी ओवर-द-एयर सॉफ़्टवेयर अपडेट का समर्थन करती हैं।

आगे की राह

- उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन:
    - ऑप्टिकल फाइबर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये सरकार को एक PLI योजना शुरू करने पर विचार करना चाहिये, जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित ऑप्टिकल फाइबर से बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।
- मार्ग का अधिकार (RoW) नियम:
    - गतिशक्ति संचार ऑनलाइन पोर्टल 5जी सहित दूरसंचार अवसंरचना परियोजनाओं के लिये RoW अनुमोदन के केंद्रीकरण को सक्षम कर सकता है और आगामी 5जी रोलआउट के लिये समयबद्ध तरीके से आवश्यक बुनियादी ढाँचे को तैनात करने हेतु सहायक ऑपरेटरों को सक्षम बना सकता है।
    - हाल ही में DoT ने RoW नियमों को संशोधित किया, जिससे देश में एरियल ऑप्टिकल फाइबर केबल को स्थापित करना आसान हो गया।
        - यह आधारभूत प्रदाताओं को स्ट्रीट लाइट पोल और ट्रैफिक लाइट पोस्ट के माध्यम से केबल ओवरहेड तैनात करने में सक्षम बना सकता है।
- फाइबरयुक्त टॉवरों में डेटा क्षमता बढ़ाने की भी ज़रूरत है।

स्ट्रीट वेंडर्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने "अतिक्रमणकारियों से स्व-रोज़गार तक (From Encroachers to Self-Employed)" विषय पर आयोजित नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) की छठी बैठक को संबोधित किया।

स्ट्रीट वेंडर्स:

- परिचय:
    - स्ट्रीट वेंडर ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान की बिक्री के लिये एक स्थायी निर्मित संरचना के बिना जनता को बड़े पैमाने पर वस्तुओं की बिक्री की पेशकश करते हैं।
    - स्ट्रीट वेंडर सामान को बेचने के लिये स्थायी रूप से फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक/निजी स्थानों पर कब्ज़ा कर लेते हैं या अस्थायी तौर पर अपने सामान को ठेले (Push Carts) या सिर पर टोकरियों में लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
- जनसंख्या
    - दुनिया भर के प्रमुख शहरों में विशेष रूप से एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के विकासशील देशों में स्ट्रीट वेंडर की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
    - भारत में लगभग 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है।
        - उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 8.49 लाख, उसके बाद मध्य प्रदेश में 7.04 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं।
        - दिल्ली में केवल 72,457 स्ट्रीट वेंडर हैं।
        - सिक्किम में किसी स्ट्रीट वेंडर की पहचान नहीं की गई है।
- संवैधानिक प्रावधान:
    - व्यापार करने का अधिकार:
        - अनुच्छेद 19 (1) (g) भारतीय नागरिकों को किसी भी पेशे को अपनाने या व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का मौलिक अधिकार देता है।
    - कानून के समक्ष समानता:
        - संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
    - सामाजिक न्याय:
        - भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और अपने समस्त नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता सुनिश्चित करेगा।
    - निदेशक सिद्धांत:
        - अनुच्छेद 38(1) के तहत राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देना है, जिस्में राष्ट्रीय संस्थाओं में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।
        - अनुच्छेद 38 (2) 'आय की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने' का निर्देश देता है।
        - अनुच्छेद 39 (A) राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिये नीति तैयार करने का निर्देश देता है कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों तक पहुँच का अधिकार हो।

- अनुच्छेद 41 विशेष रूप से राज्य की आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर 'काम करने का अधिकार' प्रदान करता है।

स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या बढ़ने का कारण:

- पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के साथ-साथ लाभकारी रोज़गार की कमी ने लोगों को शहरों में बेहतर जीवन की तलाश में अपने गाँवों से बाहर जाने को मजबूर किया है।
  - इन प्रवासियों के पास संगठित क्षेत्र में बेहतर वेतन, सुरक्षित रोज़गार पाने के लिये कौशल या शिक्षा का अभाव होता है, अत: उन्हें असंगठित क्षेत्र में काम के लिये समझौता करना पड़ता है।
- दूसरा, देश में आबादी का एक और वर्ग है जो रोज़गार हेतु असंगठित क्षेत्र में जाने के लिये मज़बूर है।
  - ये वे श्रमिक हैं जो कभी संगठित क्षेत्र में कार्यरत थे।
    - उद्योगों के बंद होने, आकार घटने या विलय के कारण उन्होंने अपनी नौकरी खो दी और उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को जीवन-यापन लिये असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम की तलाश करनी पड़ी।

स्ट्रीट वेंडर्स के समक्ष चुनौतियाँ:

- स्थान की कमी:
  - हमारे शहरों के लिये तैयार किये गए मास्टर प्लान विक्रेताओं/हॉकरों को स्थान आवंटित नहीं करते हैं, क्योंकि नियोजक भारतीय परंपराओं की अनदेखी करते हुए विपणन की पश्चिमी अवधारणा की नकल करते हैं।
- कई प्राधिकरणों से निवारण:
  - विक्रेताओं को कई प्राधिकरणों से निपटना पड़ता है- नगर निगम, पुलिस (थाना के साथ-साथ यातायात), क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, ज़िला प्रशासन, स्थानीय पंचायत आदि।
- शोषण और ज़बरन वसूली:
  - कई मामलों में एक प्राधिकारी द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम दूसरों के कार्यों की वजह से निष्प्रभावी हो जाते हैं।
  - विक्रेताओं को विनियमित करने के बजाय नगर निगम उन्हें एक अतिक्रमणकारी और बाधा के रूप में मानते हैं, उनकी नीतियों और कार्यों का उद्देश्य विनियमन के बजाय उन्हें हटाना और परेशान करना अधिक है।
- बार-बार बेदखली:
  - ज़िला या नगरपालिका प्रशासन द्वारा नियमित निष्कासन किया जाता है।
  - वे निष्कासन टीम की कार्यवाही से डरते हैं जिसे स्थानीय रूप से अलग-अलग नामों से जाना जाता है।
- रंगदारी रैकेट:
  - 'रंगदारी टैक्स' और 'हफ्ता वसूली' के मामले आम हैं।
  - कई शहरों में विक्रेताओं को अपना व्यापार चलाने के लिये पर्याप्त धन देना पड़ता है।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिये सरकार की पहल:

- स्वनिधि योजना:
  - स्वनिधि (SVANidhi) योजना शहरी क्षेत्रों के 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिये शुरू की गई थी, जिनमें आसपास के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे।
  - इसका उद्देश्य 1,200 रुपए प्रतिवर्ष की राशि तक कैश-बैक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है।
- नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया:
  - NASVI एक ऐसा संगठन है जो देश भर के हज़ारों स्ट्रीट वेंडर्स के आजीविका अधिकारों की सुरक्षा के लिये कार्य कर रहा है।
  - NASVI की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में स्ट्रीट वेंडर संगठनों को एक साथ लाना था ताकि वृहद् स्तर पर बदलावों के लिये सामूहिक रूप से प्रयास किया जा सके।
- स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) अधिनियम, 2014:
  - इस अधिनियम को सार्वजनिक क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को विनियमित करने और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने हेतु लागू किया गया था।
  - यह अधिनियम स्ट्रीट वेंडर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो किसी भी सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र पर, किसी अस्थायी जगह पर बने ढाँचे से या जगह-जगह घूमकर, आम जनता के लिये रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करता है।

आगे की राह

- स्ट्रीट वेंडर्स के लिये कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, किंतु इसके बावजूद इन योजनाओं के कार्यान्वयन, पहचान, जागरूकता और पहुँच से संबंधित विभिन्न चरणों में अंतराल देखा जा रहा है, जिन्हें समयबद्ध ढंग से दूर किया जाना आवश्यक है।
- इसके अलावा महिला स्ट्रीट वेंडर्स को मातृत्व भत्ता, दुर्घटना राहत, उच्च शिक्षा हेतु वेंडर के बच्चों को सहायता और किसी भी संकट के दौरान पेंशन जैसे लाभ प्रदान किये जाने चाहिये।
- राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा जाना चाहिये कि अधिकारियों द्वारा रेहड़ी-पटरी वालों को परेशान न किया जाए क्योंकि वे केवल आजीविका का अधिकार मांग रहे हैं।

नोट :

मीडिया ट्रायल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि मीडिया एजेंडा संचालित बहस और कंगारू कोर्ट चला रहा है, जो लोकतंत्र के लिये उचित नहीं है।

कंगारू कोर्ट

- "कंगारू कोर्ट/समानांतर न्यायिक आपूर्ति प्रणाली" वाक्यांश का प्रयोग न्यायिक प्रणाली के खिलाफ किया जाता है जहाँ अभियुक्त के खिलाफ निर्णय आमतौर पर पूर्व निर्धारित होता है।
- यह स्व-गठित या छद्म न्यायालय है, जिसे बिना किसी पूर्व चिंतन के निर्णय देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है और आमतौर पर आरोपी व्यक्ति के संदर्भ में फैसला किया जाता है।
  - यह अभिव्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में देखी गई लेकिन इसे पहली बार अमेरिका में वर्ष 1849 के कैलिफोर्निया गोल्ड रश के दौरान दर्ज किया गया था।
- सोवियत संघ में स्टालिन युग के दौरान कंगारू कोर्ट आम धारणा थी, जो सोवियत ग्रेट पर्ज के "मॉस्को ट्रायल" के रूप में प्रसिद्ध।

मीडिया ट्रायल:

- परिचय:
  - मीडिया ट्रायल एक ऐसा वाक्यांश है जो 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर टेलीविजन और समाचार पत्रों के कवरेज के प्रभाव का वर्णन करने हेतु कानून की अदालत में किसी फैसले से पहले या बाद में अपराध या बेगुनाही की व्यापक धारणा बनाने के लिये लोकप्रिय है।
  - हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें मीडिया ने आरोपी के खिलाफ मीडिया ट्रायल कर न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया।
- संवैधानिकता:
  - हालाँकि मीडिया ट्रायल शब्द को कहीं भी सीधे तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मीडिया को प्राप्त है।
    - भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

मीडिया ट्रायल के निहितार्थ:

- न्यायिक कामकाज को प्रभावित करता है:
  - न्यायाधीशों के खिलाफ संयुक्त अभियान, विशेष रूप से सोशल मीडिया संचालित और मीडिया ट्रायल न्यायिक कामकाज को प्रभावित करते हैं।
  - न्यायालयों में लंबित मुद्दों पर मीडिया में गैर-सूचित, पक्षपातपूर्ण और एजेंडा संचालित बहस न्याय वितरण को प्रभावित कर रहा है।
- नकली और असली में भेद न कर पाना:
  - नए मीडिया उपकरणों में व्यापक विस्तार की क्षमता है लेकिन वे सही और गलत, अच्छे तथा बुरे एवं असली व नकली के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं।
  - मीडिया ट्रायल मामलों को तय करने में एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता है।
- गलत वर्णन:
  - मीडिया उन घटनाओं का वर्णन करने में सफल रहा है जिन्हें गुप्त रखा जाना चाहिये।
  - मीडिया परीक्षण कथित अभियुक्तों के गलत वर्णन का कारण बना है और इसने उनके कॅरियर को समाप्त करने का काम किया है, केवल इस तथ्य से कि वे आरोपी थे, भले ही उन्हें अभी तक न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो।
- लोकतंत्र के लिये अच्छा नहीं:
  - मीडिया ने अपनी ज़िम्मेदारी का उल्लंघन करते हुए लोकतंत्र को पीछे ले जाने का काम किया है तथा लोगों को प्रभावित किया है और व्यवस्था को क्षति पहुँचाई है।
  - अभी भी प्रिंट मीडिया में कुछ हद तक जवाबदेही है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जवाबदेही शून्य है।
- नफरत और हिंसा भड़काना:
  - पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ जनता की धारणा में हेरफेर कर सकते हैं तथा समाज में विभिन्न समुदायों के बीच नफरत, हिंसा एवं वैमनस्य पैदा कर सकते हैं।
  - वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता का अभाव समाज में सत्य की झूठी प्रस्तुति की ओर ले जाता है जो लोगों की धारणा और राय को प्रभावित करता है।
- एकांतता का अधिकार:
  - वे हमारी निजता पर आक्रमण करते हैं जो अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत एकांतता के अधिकार के उल्लंघन का कारण बनता है।

भारत में मीडिया विनियमन:

- भारत में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का नियंत्रण और विनियमन केबल नेटवर्क अधिनियम, 1995 तथा प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में निहित है। इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

- मीडिया विनियमन के लिये भारत में चार निकाय हैं:
  - भारतीय प्रेस परिषद: इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और भारत मंत समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है।
  - समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण: यह न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
  - प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद: यह सभी गैर-समाचार समान्य मनोरंजन चैनलों से संबंधित शिकायतों को देखने के लिये एक स्व-नियामक निकाय है।
  - न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA): यह निजी टेलीविजन समाचार और समसायिक घटनाओं के ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है।

आगे की राह

- मीडिया को केवल पत्रकारिता के कार्यों में संलग्न होना चाहिये और अदालत की एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये।
- यद्यपि मीडिया एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है और हमें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ लोग समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते है।
- मीडिया को यह समझना चाहिये कि उसकी भूमिका उन मुद्दों को उठाना है जिनका जनता सामना कर रही है। मीडिया उनकी आवाज़ बन सकता है जो अपनी बात नहीं रख सकते। मीडिया को फैसला नहीं सुनाना चाहिये क्योंकि भारत में इस उद्देश्य के लिये न्यायपालिका है।
- मीडिया को अदालत के मामलों में दखल न देकर अपनी नैतिकता, सामाजिक ज़िम्मेदारी और विश्वसनीयता को बनाए रखना चाहिये।

मसौदा चिकित्सा उपकरण विधेयक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित औषधि चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक, 2022 का मसौदा जारी किया, जो मौजूदा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा अन्य कई नियमों को प्रतिस्थापित कर देगा।

- यह चिकित्सा उपकरणों के लिये एक अलग विनियमन बनाने पर केंद्रित है, जो नैदानिक परीक्षण या जाँच के दौरान आने वाली चोट और मृत्यु के लिये जुर्माने और कारावास का प्रावधान करता है और ई- फार्मेसियों के विनियमन का प्रयास करता है।

चिकित्सा उपकरण:

- चिकित्सा उपकरण उद्योग इंजीनियरिंग और चिकित्सा का एक अनूठा मिश्रण है। इसमें उन मशीनों का निर्माण करना शामिल है जिनका उपयोग जीवन बचाने के लिये किया जाता है।
- चिकित्सा उपकरणों में सर्जिकल उपकरण, डायग्नोस्टिक उपकरण जैसे- कार्डिएक इमेजिंग, सीटी स्कैन, एक्स-रे, मॉलिक्यूलर इमेजिंग, एमआरआई और हाथ से प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों सहित लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट जैसे- वेंटिलेटर आदि के साथ-साथ इम्प्लांट्स एवं डिस्पोज़ल तथा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग शामिल हैं।

मसौदा विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

- नैदानिक परीक्षण और जाँच हेतु प्रावधान:
  - उत्तराधिकारी को मुआवज़ा: यह लोगों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को नैदानिक परीक्षणों और दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों की जाँच के दौरान चोट लगने या मौत होने पर मुआवज़े का प्रावधान करता है।
    - यह मसौदा जाँचकर्त्ताओं पर परीक्षण के कारण आने वाली किसी भी प्रकार के भी चोट के लिये चिकित्सकीय प्रबंधन की जिम्मेदारी भी आरोपित करता है।
  - दंड एवं जुर्माना: मुआवज़े का भुगतान नहीं करने पर कारावास का प्रावधा, और मुआवज़े की राशि को दोगुना करने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है।
  - नैदानिक परीक्षणों का निषेध: यह केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति के बिना दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के नैदानिक परीक्षण या नैदानिक जाँच को प्रतिबंधित करता है।
    - यदि निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तो यह जाँचकर्त्ताओं और परीक्षण या जाँच के प्रायोजकों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान करता है।
- मेडिकल डिवाइसेस टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड: ड्राफ्ट बिल में मौजूदा ड्रग टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड की तर्ज पर मेडिकल डिवाइसेस टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड बनाने का प्रावधान है, जिसमें इन उपकरणों की इंजीनियरिंग का तकनीकी ज्ञान रखने वाले और उद्योग के सदस्य होंगे।
  - स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा बोर्ड में परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन एवं बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोमैटिरियल्स और पॉलिमर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे।

संबंधित मुद्दे:

- मसौदा मुख्य रूप से ई-फार्मेसी से जुड़े मुद्दों तथा वे मौजूदा नियमों का उल्लंघन कैसे करते हैं, से संबंधित है:
- वर्ष 1940 के कानून में ऑनलाइन फ़ार्मेसी के नियमन का शायद ही कोई प्रावधान है।
  - वर्तमान में ये सभी ऑनलाइन फार्मेसियाँ कानून के दायरे से बाहर हैं, इनमें से ज़्यादातर के पास दुकानों या भंडारण इकाइयों के लाइसेंस हैं।

- वे बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएँ देती हैं।
- उल्लंघन के मामले में नियामक प्राधिकरणों को पता नहीं है कि इन कंपनियों के खिलाफ कानून के किस प्रावधान के तहत मुकदमा दायर करना है।
- कभी-कभी ये कंपनियाँ किसी दूसरे राज्य से लाइसेंस प्राप्त कर अन्य राज्य में काम करती थीं।

भारत के चिकित्सा उपकरण उद्योग की वर्तमान स्थिति:

- परिचय:
  - भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग के मौजूदा बाज़ार का आकार 11 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के उभरते क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
  - भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) शामिल हैं जो अभूतपूर्व पैमाने पर बढ़ रहे हैं।
  - चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पिछले 3 वर्षों में 15% की CAGR के साथ लगातार बढ़ रहा है।
  - भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग वृद्धि के लिये तैयार है और वर्ष 2025 तक इस क्षेत्र के बाज़ार का आकार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।
  - ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड सेटअप दोनों के लिये स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। मज़बूत FDI अंतर्वाह भारतीय बाज़ार में वैश्विक अभिकर्त्ताओं के भरोसे को दर्शाता है।
- पहल:
  - चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:
    - चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और कैंसर देखभाल उपकरणों, रेडियोलॉजी तथा इमेजिंग उपकरणों, एनेस्थेटिक्स उपकरणों, प्रत्यारोपण आदि जैसे चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्रों में बड़े निवेश को आकर्षित करने हेतु एक वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है।
  - चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना:
    - चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के आधार को मज़बूत करना और घरेलू बाज़ार में चिकित्सा उपकरणों के लिये एक मज़बूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
    - विश्व स्तरीय मानक परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये योजना के तहत अनुदान घरेलू उत्पादन हेतु गति का निर्माण करेगा और भारत में चिकित्सा उपकरणों की मूल्य शृंखला को मज़बूत करेगा।
    - इसके अतिरिक्त, इनके परिणामस्वरूप निर्माण की लागत में उल्लेखनीय रूप से कमी आने की उम्मीद है, जिससे देश में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर पहुँच और क्षमता में वृद्धि होगी।
  - वर्ष 2014 में 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत चिकित्सा उपकरणों को एक 'सनराइज़ सेक्टर' के रूप में मान्यता दी गई है।

विधेयक की आवश्यकता

- वर्तमान में देश में बेचे जाने वाले लगभग 80% चिकित्सा उपकरण, विशेष रूप से उच्च श्रेणी के उपकरणों का आयात किया जाता है।
- अंतरिक्ष में भारतीय अभिकर्त्ताओं ने अब तक आमतौर पर कम लागत वाले उत्पादों, जैसे उपभोग्य एवं डिस्पोजेबल पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे विदेशी कंपनियों को उच्च मूल्य का हिस्सा मिल रहा है।
- इसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की आयात निर्भरता को 80% से घटाकर लगभग 30% करना है और वर्ष 2047 तक चिकित्सा उपकरणों के लिये शीर्ष पाँच वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक बनना है।
- इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों पर भारत के प्रति व्यक्ति खर्च को भी बढ़ाना है।
  - भारत में 47 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति खपत के वैश्विक औसत की तुलना में 3 अमेरिकी डॉलर पर चिकित्सा उपकरणों पर सबसे कम प्रति व्यक्ति खर्च है जो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की प्रति व्यक्ति खपत 415 अमेरिकी डॉलर एवं जर्मनी की 313 अमेरिकी डॉलर की तुलना में काफी कम है।

आगे की राह

- ई-फार्मेसियों को विनियमित करने के लिये मौजूदा नियमों, कानून में अधिक सरलता से बदलाव करने की आवश्यकता है।
- बड़ी फार्मा कंपनियों के खिलाफ निवारक उपायों की ज़रूरत है क्योंकि नैदानिक परीक्षण के लिये नियम तो हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं है।
- यदि कोई समस्या पाई जाती है तो दवाओं या उपकरणों को वापस करने का भी प्रावधान होना चाहिये।
- पहुँच में वृद्धि और आवश्यक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग पर बल देना चाहिये।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

बढ़ती आबादी और तीव्र शहरीकरण के कारण भारतीय शहरों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste-MSW) के उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई है।

- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि संगठित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की भागीदारी शहरों में कम है, क्योंकि अपर्याप्त धन, कम क्षेत्रीय विकास और स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन व्यवसायों के बारे में जानकारी की कमी है।
- इसलिये भारत सहित कई विकासशील देशों में अपशिष्ट संग्रह और वस्तु पुनर्चक्रण गतिविधियाँ मुख्य रूप से असंगठित अपशिष्ट क्षेत्र द्वारा की जाती हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में असंगठित क्षेत्र की भूमिका:

- परिचय:
  - असंगठित अपशिष्ट संग्रहकर्त्ताओं में ऐसे व्यक्ति, संघ या कचरा-व्यापारी शामिल हैं जो पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की छँटाई, बिक्री और खरीद में शामिल हैं।
    - कचरा बीनने वाला व्यक्ति असंगठित रूप से अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत से पुन: प्रयोज्य और पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रह तथा पुनर्प्राप्ति में लगा हुआ है, जो सीधे या बिचौलियों के माध्यम से पुनर्चक्रणकर्त्ताओं को अपशिष्ट की बिक्री करता है।
  - यह अनुमान है कि असंगठित अपशिष्ट अर्थव्यवस्था दुनिया भर में लगभग 0.5% - 2% शहरी आबादी को रोज़गार देती है।
- चुनौतियाँ:
  - न्यूनतम आय वाले रोज़गार:
    - असंगठित क्षेत्र को अक्सर आधिकारिक तौर पर अनुमोदित, मान्यता प्राप्त और स्वीकार नहीं किया जाता है, जबकि वे पुनर्चक्रण मूल्य शृंखला में अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करने, छाँटने, प्रसंस्करण, भंडारण और व्यापार करके शहरों के अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रथाओं में योगदान करते हैं।
  - स्वास्थ्य चुनौतियाँ:
    - असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग अपशिष्ट के ढेर के पास रहतें हैं एवं अस्वच्छ तथा अस्वस्थ परिस्थितियों में काम करतें हैं।
    - श्रमिकों के पास पीने के जल या सार्वजनिक शौचालय तक पहुँच नहीं है।
    - उनके पास दस्ताने, गमबूट और एप्रन जैसे उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPI) नहीं हैं।
    - निम्न स्तर का जीवनयापन और काम करने की स्थिति के कारण उनमें कुपोषण, एनीमिया और तपेदिक आम हैं।
  - सामाजिक उपचार:
    - उन्हें समाज में गंदे और अवांछित तत्त्वों के रूप में माना जाता है, साथ ही उन्हें शोषक सामाजिक व्यवहार से निपटना पड़ता है।
    - असंगठित अपशिष्ट-श्रमिकों के विभिन्न स्तरों की मज़दूरी और रहने की स्थिति बहुत भिन्न होती है।
  - अन्य:
    - इस क्षेत्र में बाल श्रम काफी प्रचलित है और जीवन प्रत्याशा कम है।
    - अपशिष्ट बीनने वाले किसी भी श्रम कानून के दायरे में नहीं आते हैं।
    - नतीजतन उन्हें सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा बीमा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।

ठोस अपशिष्ट

- परिचय:
  - ठोस अपशिष्ट में ठोस या अर्द्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थागत अपशिष्ट, खानपान और बाज़ार अपशिष्ट एवं अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, सड़क पर झाड़ू लगाना, सतही नालियों से हटाया या एकत्र किया गया गाद, बागवानी अपशिष्ट, कृषि तथा डेयरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट आदि शामिल हैं।
- भारत की स्थिति:
  - अकेले शहरी भारत में प्रतिदिन लगभग 15 मिलियन टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
  - अनुमान है कि देश में सालाना लगभग 62 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से 5.6 मिलियन प्लास्टिक अपशिष्ट और 0.17 मिलियन बायोमेडिकल कचरा है।
    - इसके अलावा खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन प्रतिवर्ष 7.90 मिलियन टन है और 15 लाख टन ई-अपशिष्ट है।
  - अपशिष्ट की मात्रा वर्ष 2031 तक 165 मिलियन टन और वर्ष 2050 तक 436 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है।
- अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियाँ:
  - भारत में बढ़ते शहरीकरण के परिणामस्वरूप अति-उपभोक्तावाद की स्थिति है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक अपशिष्ट उत्पादन होता है।

- जैविक खेती और खाद बनाना भारतीय किसान के लिये आर्थिक रूप से आकर्षक नहीं है, क्योंकि रासायनिक कीटनाशकों पर भारी सब्सिडी दी जाती है तथा खाद का विपणन कुशलता से नहीं किया जाता है।
- नगर निगमों/शहरी स्थानीय निकायों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी के परिणामस्वरूप ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और प्रबंधन की खराब स्थिति है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की मुख्य विशेषताएँ

- कचरे को निम्नलिखित प्रकार से तीन श्रेणियों में अलग करने की जिम्मेदारी इसके उत्पादक की है:
  - गीला (बायोडिग्रेडेबल)।
  - सूखा (प्लास्टिक, कागज़, धातु, लकड़ी आदि)।
  - घरेलू खतरनाक अपशिष्ट (डायपर, नैपकिन, खाली कंटेनर आदि) तथा अलग किये गए कचरे को अधिकृत कचरा बीनने वालों या कचरा संग्रहकर्ता या स्थानीय निकायों को सौंपना।
- अपशिष्ट उत्पादकों को करना होगा भुगतान:
  - कचरा संग्रहणकर्त्ताओं को 'उपयोगकर्त्ता शुल्क'।
  - लिटरिंग और नॉन-सेग्रीगेशन के लिये 'स्पॉट फाइन'।
- डायपर, सैनिटरी पैड जैसे इस्तेमाल किये गए सैनिटरी अपशिष्ट को निर्माताओं या इन उत्पादों के ब्रांड मालिकों द्वारा प्रदान किये गए पाउच में या उपयुक्त रैपिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटा जाना चाहिये और इसे सूखे अपशिष्ट/गैर-जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट के लिये कूड़ादान (Bin) में रखा जाना चाहिये।
- स्वच्छ भारत में साझेदारी की अवधारणा पेश की गई है।
  - थोक और संस्थागत उत्पादक, बाज़ार संघों, कार्यक्रम आयोजकों, होटल और रेस्तराँ को स्थानीय निकायों के साथ साझेदारी में अपशिष्ट को अलग करने, व्यवस्थित करने तथा प्रबंधन के लिये सीधे ज़िम्मेदार बनाया गया है।
- टिन, काँच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि जैसे डिस्पोज़ेबल उत्पादों के निर्माता या ब्रांड मालिक जो ऐसे उत्पादों को बाज़ार में पेश करते हैं,अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु स्थानीय अधिकारियों आवश्यक वित्तीय प्रदान करेंगे।
- बायो-डिग्रेडेबल अपशिष्ट को जहाँ तक संभव हो परिसर के भीतर कंपोस्टिंग या बायो-मीथेनेशन के माध्यम से संसाधित, उपचारित तथा निपटाया जाना चाहिये।
  - अवशिष्ट कचरा स्थानीय प्राधिकरण के निर्देशानुसार कचरा संग्रहकर्त्ता या एजेंसी को दिया जाएगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये सरकार की पहल:

- वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल:
  - वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PMSTIAC) के नौ वैज्ञानिक मिशनों में से एक है।
  - इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने, सामग्रियों का पुनर्चक्रण करने और कचरे के उपचार हेतु प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती करना है।
- राष्ट्रीय जल मिशन:
  - इसका उद्देश्य एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल का संरक्षण करना, अपव्यय को कम करना तथा राज्यों के बाहर भीतर जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है।
- अपशिष्ट से ऊर्जा:
  - एक अपशिष्ट-से-ऊर्जा या ऊर्जा-से-अपशिष्ट संयंत्र औद्योगिक प्रसंस्करण के लिये नगरपालिका एवं औद्योगिक ठोस अपशिष्ट को बिजली और/या गर्मी में परिवर्तित करता है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम, 2016:
  - यह प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे को फैलने से रोकने और अन्य उपायों के बीच स्रोत पर कचरे का अलग भंडारण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने पर ज़ोर देता है।

आगे की राह

- असंगठित श्रमिक:
  - दशकों से कचरा बीनने वाले या 'रैग-पिकर्स' (Rag-Pickers) खतरनाक एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में कार्य करते हुए हमारी फेंकी हुई चीज़ों से अपनी आजीविका प्राप्त करते रहे हैं।
    - इसमें पानी, स्वच्छता एवं स्वच्छ जीवन और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के व्यावसायिक खतरों को कम करने के लिये संग्रह, पृथक्करण तथा PPE की छँटाई हेतु अनिवार्य पहचान पत्र तक पहुँच से संबंधित बुनियादी प्रावधान शामिल होने चाहिये।
  - कचरा बीनने वालों को शहर में निर्दिष्ट संग्रह और संघनन स्टेशनों (स्थानांतरण स्टेशन, सामग्री वसूली सुविधाओं) का उपयोग करने की अनुमति देकर औपचारिक रूप से पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं के पृथक्करण के लिये किया जाना चाहिये।
- भागीदारी:
  - सरकार को कचरा बीनने वाले संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करनी चाहिये, जिसका उल्लेख SWM 2016 नियमों में भी किया गया है।
    - कचरा बीनने वालों की पहचान करने, उन्हें संगठित करने, प्रशिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

नोट :

- कचरे को आर्थिक अवसर के रूप में देखना:
  - ऊर्जा उत्पादन:
    - अपशिष्ट का गैसीकरण: बायोगैस संयंत्रों के लिये कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाने वाला ठोस अपशिष्ट।
  - पुनर्चक्रण सामग्रियाँ:
    - पृथक्करण के चरण में पुनर्चक्रण एक अच्छा आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है।
    - भारत द्वारा अपनाए गए चक्रीय अर्थव्यवस्था से 40 लाख करोड़ रुपए (अनुमानित) का वार्षिक लाभ हो सकता है।
  - आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति:
    - ई-कचरे के प्रसंस्करण से तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि कीमती धातुओं का निष्कर्षण संभव हो सकता है।

फ्रीबी कल्चर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या चुनाव अभियानों के दौरान तर्कहीन फ्रीबीज़ (मुफ्त उपहार) वितरित करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।

- इसने तर्कहीन चुनावी फ्रीबीज़ पर अंकुश लगाने में वित्त आयोग की विशेषज्ञता का उपयोग करने का भी उल्लेख किया है।
- भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, क्या ऐसी नीतियाँ आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं या राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव एक ऐसा प्रश्न है जिस पर राज्य के मतदाताओं को विचार करना और निर्णय लेना है।

फ्रीबीज़:

राजनीतिक दल लोगों के वोट को सुरक्षित करने के लिये मुफ्त बिजली/पानी की आपूर्ति, बेरोज़गारों, दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और महिलाओं को भत्ता, साथ-साथ गैजेट जैसे- लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि की पेशकश करने का वादा करते हैं।

राज्यों को कर्जमाफी या मुफ्त बिजली, साइकिल, लैपटॉप, टीवी सेट आदि के रूप में मुफ्त उपहार देने की आदत हो गई है।

- लोकलुभावन वादों या चुनावों को ध्यान में रखकर किये जाने वाले ऐसे कुछ खर्चों पर निश्चय ही प्रश्न उठाए जा सकते हैं।
  - लेकिन यह देखते हुए कि पिछले 30 वर्षों से देश में असमानता बढ़ रही है, सब्सिडी के रूप में आम आबादी को किसी प्रकार की राहत प्रदान करना अनुचित नहीं माना जा सकता, बल्कि वास्तव में अर्थव्यवस्था के विकास पथ पर बने रहने के लिये यह आवश्यक है।

फ्रीबीज़ की आवश्यकता:

- विकास को सुगम बनाना: ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कुछ व्यय, परिव्यय के समग्र लाभ के रूप में होते हैं जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोज़गार गारंटी योजनाएँ, शिक्षा के लिये समर्थन और विशेष रूप से महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधा के लिये किया गया परिव्यय।
- अल्प विकसित राज्यों को मदद: गरीबी से पीड़ित आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर के विकास वाले राज्यों को इस तरह की नि:शुल्क सुविधाएँ जरूरत/मांग परआधारित होती हैं और इस क्रम में उनका उत्थान करने के लिये उन्हें सब्सिडी प्रदान करना अपरिहार्य हो जाता है।
- अपेक्षाओं की पूर्ति: भारत जैसे देश में जहाँ राज्यों में विकास का एक निश्चित स्तर होता है (अथवा नहीं होता है), चुनाव के अवसर पर किये गए लोकलुभावन वायदे से जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति की जाती है।

फ्रीबीज़ की कमियाँ:

- समष्टि अर्थव्यवस्था के लिये अस्थिर: फ्रीबीज़ समष्टि अर्थव्यवस्था की स्थिरता के बुनियादी ढाँचे को कमजोर करते हैं, फ्रीबीज़ की राजनीति व्यय प्राथमिकताओं को विकृत करती है और यह परिव्यय किसी-न-किसी रूप में सब्सिडी पर केंद्रित रहता है।
- राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव: नि:शुल्क उपहार देने से अंतत: सरकारी खजाने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और भारत के अधिकांश राज्यों में मज़बूत वित्तीय व्यवस्था नहीं है, अक्सर राजस्व के मामले में संसाधन बहुत सीमित होते हैं।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ: चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से तर्कहीन मुफ्त का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, सभी को समान अवसर की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है, तथा चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को नष्ट करता है।
- पर्यावरण से दूर: जब मुफ्त बिज़ली दी जाएगी, तो इससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होगा और अक्षय ऊर्जा प्रणाली से ध्यान भी विचलित हो जाएगा।

आगे की राह

- मुफ्त के आर्थिक प्रभावों को समझना: यह इस बारे में नहीं है कि फ्रीबीज़ कितने सस्ते हैं बल्कि लंबे समय में अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य के लिये ये कितने महंगे हैं।.
  - इसके बजाय हमें लोकतंत्र और सशक्त संघवाद के माध्यम से दक्षता के लिये प्रयास करना चाहिये जहाँ राज्य अपने अधिकार का उपयोग नवीन विचारों और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिये कर सकें तथा जिनका अन्य राज्य अनुकरण कर सकते हैं।

- सब्सिडी और मुफ्त में अंतर: आर्थिक अर्थों में मुफ्त के प्रभावों को समझने और इसे करदाता के पैसे से जोड़ने की ज़रूरत है।
  - सब्सिडी और मुफ्त में अंतर करना भी आवश्यक है क्योंकि सब्सिडी के उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ हैं जो मांगों से उत्पन्न होते हैं।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस

चर्चा में क्यों?

वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है।

- वर्ष 2022 की थीम "ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज़र टू यू" (Bringing hepatitis care closer to you) है।
- इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और समुदायों तक पहुँचाने की आवश्यकता को रेखांकित करना है, ताकि उपचार और देखभाल की बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित की जा सकें।

हेपेटाइटिस:

- परिचय:
  - हेपेटाइटिस शब्द यकृत की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है- किसी भी कारण से यकृत कोशिकाओं में होने वाली जलन या सूजन।
  - यह तीव्र भी हो सकता है (यकृत की सूजन जिस बीमारी की वजह से होती है उनमें पीलिया, बुखार, उल्टी आदि शामिल हैं) यकृत की सूजन छह महीने से अधिक समय तक भी रहती है, लेकिन अनिवार्य रूप से इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है।
- कारण:
  - आमतौर पर यह A, B, C, D और E सहित "हेपेटोट्रोपिक" (यकृत निर्देशित) वायरस के एक समूह के कारण होता है।
  - अन्य वायरस भी इसका कारण हो सकते हैं, जैसे कि वैरिकाला वायरस जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है ।
    - SARS-CoV-2, Covid-19 पैदा करने वाला वायरस भी यकृत को नुकसान पहुँचा सकता है।
  - अन्य कारणों में ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग, यकृत में वसा का निर्माण (फैटी लीवर हेपेटाइटिस) या एक ऑटोइम्यून प्रक्रिया शामिल है जिसमें एक व्यक्ति का शरीर एंटीबॉडी बनाता है जो यकृत (ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस) पर हमला करता है।
  - हेपेटाइटिस एकमात्र संचारी रोग है जिसकी मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है।
- उपचार:
  - हेपेटाइटिस A और E स्व-सीमित रोग (self-limiting diseases) हैं (अर्थात् अपने आप दूर हो जाते हैं) और इसके लिये किसी विशिष्ट एंटीवायरल दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है।
  - हेपेटाइटिस B और C के लिये प्रभावी दवाएँ उपलब्ध हैं।
- वैश्विक परिदृश्य:
  - लगभग 354 मिलियन लोग हेपेटाइटिस B और C से पीड़ित हैं।
  - दक्षिण-पूर्व एशिया में हेपेटाइटिस के वैश्विक रुग्णता बोझ का 20% है।
  - सभी हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों में से लगभग 95% सिरोसिस तथा हेपेटाइटिस B और C वायरस की वजह से होने वाले यकृत कैंसर के कारण होती हैं।
- भारतीय परिदृश्य:
  - वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस A और E के कारण होता है, जो अभी भी भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है।
  - भारत में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और अनुमानित 40 मिलियन पुराने HVB संक्रमित लोगों के लिये "मध्यवर्ती से उच्च स्थानिकता" है, जो अनुमानित वैश्विक भार का लगभग 11% है।
  - भारत में क्रोनिक HBV संक्रमण का प्रसार लगभग 3-4% जनसंख्या पर है।
- चुनौतियाँ:
  - स्वास्थ्य सेवाओं तक अक्सर समुदायों की पहुँच नहीं होती है क्योंकि वे आमतौर पर केंद्रीकृत/विशेषीकृत अस्पतालों में उच्च कीमत पर उपलब्ध होती हैं जिन्हें सभी द्वारा वहन नहीं किया जा सकता है।
  - देर से निदान या उचित उपचार की कमी के कारण लोगों की मौत हो जाती है। ऐसें में प्रारंभिक निदान, रोकथाम और सफल उपचार दोनों ही मामलों में आवश्यक है।

- दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस वाले लगभग 10% लोग ही अपनी स्थिति के प्रति सजग हैं और उनमें से केवल 5% लोग इलाज करवा रहे हैं।
- हेपेटाइटिस सी से ग्रसित अनुमानित 10.5 मिलियन लोगों में से केवल 7% ही अपनी स्थिति के प्रति सजग हैं, जिनमें से लगभग पाँच में से एक का इलाज चल रहा है।

हेपेटाइटिस हेतु वैश्विक लक्ष्य:

- परिचय:
  - वैश्विक लक्ष्य 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करना है।
- लक्ष्य की प्राप्ति:
  - वर्ष 2025 तक हमें हेपेटाइटिस बी और सी के नए संक्रमणों को 50% तक एवं यकृत कैंसर से होने वाली मौतों को 40% तक कम करना होगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हेपेटाइटिस बी और सीपीड़ित 60% लोगों का निदान किया जाए और उनमें से आधे लोगों को उचित उपचार मिले।
  - क्षेत्र के सभी देशों में राजनीतिक प्रतिबद्धता बढ़ाने की आवश्यकता है और:
    - हेपेटाइटिस के लिये निरंतर घरेलू वित्तपोषण सुनिश्चित करना।
    - कीमतों को और कम करके दवाओं एवं निदान तक पहुँच में सुधार करना।
    - जागरूकता प्रसार के लिये संचार रणनीतियों का विकास करना।
    - HIV में विभेदित और जन-केंद्रित सेवा वितरण विकल्पों का अधिकतम उपयोग के लिये सेवा वितरण में सुधार करना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण के अनुरूप लोगों की ज़रूरतों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार सेवाएँ प्रदान करना।
    - परिधीय स्वास्थ्य सुविधाओं, समुदाय-आधारित क्षेत्रों और अस्पताल से परे स्थानों पर हेपेटाइटिस देखभाल का विकेंद्रीकरण रोगियों को उनके घरों के करीब इलाज़ की सुविधा प्रदान करेगा।
  - WHO द्वारा वायरल हेपेटाइटिस, एचआईवी और यौन संचारित संक्रमण (STI) के निदान हेतु वर्ष 2022-2026 के लिये एकीकृत क्षेत्रीय कार्ययोजना विकसित की जा रही है।
    - यह क्षेत्र के लिये उपलब्ध सीमित संसाधनों का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित करेगा तथा देशों को रोग-विशिष्ट दृष्टिकोण के बजाय व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिये मार्गदर्शन करेगा।

आगे की राह

- स्वच्छ भोजन और उचित व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ-साथ साफ पानी एवं स्वच्छता हमें हेपेटाइटिस A और E से बचा सकती है।
- हेपेटाइटिस B और C को रोकने के उपायों में जन्म की खुराक सहित हेपेटाइटिस B टीकाकरण के साथ-साथ सुरक्षित रक्त, सुरक्षित सेक्स और सुरक्षित सुई के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- नई और शक्तिशाली एंटीवायरल दवाओं के साथ-साथ हेपेटाइटिस B को रोकने के लिये सुरक्षित और प्रभावी टीके मौजूद हैं जिनका उपयोग क्रोनिक हेपेटाइटिस B के प्रबंधन और हेपेटाइटिस C के अधिकांश मामलों के इलाज में किया जा सकता है।
  - प्रारंभिक निदान और जागरूकता अभियानों के साथ इन हस्तक्षेपों में वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में 4.5 मिलियन समय पूर्व होने वाली मौतों को रोकने की क्षमता है।

नोट:

- हेपेटाइटिस बी को भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत शामिल किया गया है। जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी (Hib), खसरा, रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस (JE), रोटावायरस डायरिया के कारण ग्यारह (हेपेटाइटिस B को छोड़कर) वैक्सीन-रोकथाम योग्य बीमारियों यानी तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, निमोनिया और मेनिनजाइटिस के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है।
- बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस बी को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाले पहले चार देश बन गए हैं।
- हाल ही में 'COBAS 6800' नामक एक स्वचालित कोरोनावायरस परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया था जो वायरल हेपेटाइटिस B और C का भी पता लगा सकता है।
- यह ध्यान दिया जा सकता है कि केवल चार बीमारियों जैसे HIV-एड्स (1 दिसंबर), टीबी (24 मार्च), मलेरिया (25 अप्रैल), हेपेटाइटिस के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) आधिकारिक तौर पर रोग-विशिष्ट वैश्विक जागरूकता दिवसों का समर्थन करता है।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 पारित किया, जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) के लिये वैधानिक ढाँचा तैयार करने का प्रयास करता है।

- केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसे पहली बार दिसंबर, 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था।
- यह विधेयक खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करेगा क्योंकि यह उन्हें अपना पक्ष रखने के लिये पर्याप्त जगह प्रदान करेगा, खासकर जब वे डोपिंग रोधी आरोपों का सामना कर रहे हों।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

- डोपिंग का निषेध:
  - विधेयक एथलीटों, एथलीट सपोर्ट कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को खेल में डोपिंग में शामिल होने से रोकता है।
- उल्लंघन के परिणाम:
  - डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप खिलाडी को अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें पदक, अंक और पुरस्कार की जब्ती, निर्धारित अवधि के लिये किसी प्रतियोगिता या कार्यक्रम में भाग लेने की अयोग्यता, वित्तीय प्रतिबंध आदि शामिल हैं।
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी हेतु वैधानिक समर्थन:
  - विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को वैधानिक निकाय के रूप में गठित करने का प्रावधान करता है।
  - इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक करेगा। एजेंसी के कार्यों में शामिल हैं:
    - डोपिंग रोधी गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनकी निगरानी करना।
    - डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की जाँच।
    - डोपिंग रोधी अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- खेल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड (National Board for Anti-Doping in Sports):
  - डोपिंग रोधी विनियमन और डोपिंग रोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर सरकार को सिफारिशें करने के लिये विधेयक खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना करता है।
  - बोर्ड एजेंसी की गतिविधियों की निगरानी करेगा और उसे निर्देश जारी करेगा।
- डोप परीक्षण प्रयोगशालाएँ:
  - मौजूदा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को प्रमुख डोप परीक्षण प्रयोगशाला माना जाएगा।
  - केंद्र सरकार और अधिक राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित कर सकती है।

विधेयक का महत्त्व:

- डोपिंग से लड़ने में एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने के अलावा विधेयक एथलीटों को समयबद्ध न्याय प्राप्त करने का प्रयास करता है।
- यह खेलों के लिये अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने हेतु भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का भी एक प्रयास है।
- यह विधेयक डोपिंग रोधी निर्णय के लिये एक मज़बूत, स्वतंत्र तंत्र स्थापित करने में मदद करेगा।
- यह विधेयक नाडा और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) के कामकाज को कानूनी मान्यता देगा।

विधेयक से संबद्ध मुद्दे:

- महानिदेशक की योग्यता विधेयक में निर्दिष्ट नहीं हैं और नियमों के माध्यम से अधिसूचित करने के लिए छोड़ दी गई हैं।
- केंद्र सरकार दुर्व्यवहार या अक्षमता या "ऐसे अन्य आधार" पर महानिदेशक को पद से हटा सकती है।
- इन प्रावधानों को केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ने से महानिदेशक की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
  - यह विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अधिदेश के विरुद्ध भी है कि ऐसे निकायों को अपने संचालन में स्वतंत्र होना चाहिये।
- बिल के तहत बोर्ड के पास अनुशासन पैनल और अपील पैनल के सदस्यों को उन आधारों पर हटाने का अधिकार है जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किये जाएगे और बिल में निर्दिष्ट नहीं हैं।
- इसके अलावा उन्हें सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। यह इन पैनलों के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावित कर सकता है।

डोपिंग और संबंधित एजेंसियाँ:

- परिचय:
  - प्रदर्शन बढ़ाने के लिये खिलाडियों द्वारा कुछ निषिद्ध पदार्थों का सेवन।
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA):
  - राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) को भारत में डोप मुक्त खेलों के लिये एक जनादेश के साथ 24 नवंबर, 2005 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था।
  - इसका प्राथमिक उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा डोपिंग एवं इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
  - नाडा के पास इसके लिये आवश्यक अधिकार और ज़िम्मेदारी है:
    - डोपिंग नियंत्रण में योजना, समन्वय, कार्यान्वयन, निगरानी और सुधार की वकालत करना;
    - अन्य प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और अन्य डोपिंग रोधी संगठनों आदि के साथ सहयोग करना।

- वाडा:
  - नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) की स्थापना की गई थी।
  - खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2005) द्वारा WADA को मान्यता दी गई है।
  - WADA की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और देशों में एंटी-डोपिंग नियमों को विकसित करना, सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करना है।
  - यह विश्व डोपिंग रोधी संहिता (वाडा कोड) और उसके मानकों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, डोपिंग की घटनाओं की जाँच करने, डोपिंग पर शोध करने, खिलाड़ियों व संबंधित कर्मियों को डोपिंग रोधी नियमों के बारे में शिक्षित करने का कार्य करता है।

मानव-पशु संघर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी कि मानव- वन्यजीव संघर्षों की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

मानव- वन्यजीव संघर्ष

- परिचय:
  - मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) उन संघर्षों को संदर्भित करता है जब वन्यजीवों की उपस्थिति या व्यवहार मानव हितों या ज़रूरतों के लिये वास्तव में या प्रत्यक्ष रूप से खतरों का कारण बनता है जिसके कारण लोगों, जानवरों, संसाधनों तथा आवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- कारण:
  - प्राकृतिक वास का नुकसान।
  - जंगली जानवरों की आबादी में वृद्धि।
  - जंगली जानवरों को खेत की ओर आकर्षित करने वाले फसल पैटर्न बदलना।
  - वन क्षेत्र से जंगली जानवरों का भोजन और चारे के लिये मानव-प्रधान भू-भागों में आना-जाना।
  - वनोपज के अवैध संग्रहण के लिये मनुष्यों का वनों की ओर आना-जाना।
  - आक्रामक विदेशी प्रजातियों आदि की वृद्धि के कारण आवास का क्षरण।
- प्रभाव:
  - जान गँवाना।
  - जानवर और इंसान दोनों को चोट लगना।
  - फसलों और कृषि भूमि को नुकसान।
  - जानवरों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि।
- संबंधित डेटा:
  - 2018-19 और 2020-21 के बीच देश भर में बिजली के करंट से 222 हाथियों की मौत हो गई।
  - इसके अलावा वर्ष 2019 और 2021 के बीच अवैध शिकार के चलते 29 बाघ मारे गए, जबकि 197 बाघों की मौत की जाँच की जा रही है।
  - जानवरों के साथ मानव के संघर्ष के दौरान हाथियों ने तीन वर्षों में 1,579 मनुष्यों को मार डाला– वर्ष 2019-20 में 585, 2020-21 में 461 और 2021-22 में 533।
    - 332 मौतों के साथ ओडिशा सबसे ऊपर है, इसके बाद 291 के साथ झारखंड और 240 के साथ पश्चिम बंगाल है।
  - जबकि वर्ष 2019 से 2021 के बीच बाघों ने रिज़र्व में 125 इंसानों को मार डाला।
    - इनमें से लगभग आधी मौतें महाराष्ट्र में हुई है।

संघर्ष से निपटने के लिये की गई पहल:

- मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) के प्रबंधन के लिये सलाह: यह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (SC-NBWL) की स्थायी समिति द्वारा जारी किया गया है।
  - ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना: परामर्श में वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार समस्याग्रस्त जंगली जानवरों से निपटने के लिये ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है।
  - बीमा प्रदान करना: HWC के कारण फसल क्षति के लिये मुआवज़े हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऐड-ऑन कवरेज का उपयोग करना।
  - चारा बढ़ाना: वन क्षेत्रों के भीतर चारे और जल स्रोतों को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
  - सक्रिय उपाय करना: स्थानीय/राज्य स्तर पर अंतर-विभागीय समितियों को निर्धारित करना, पूर्व चेतावनी प्रणाली को अपनाना, बाधाओं का निर्माण, टोल-फ्री हॉटलाइन नंबरों के साथ समर्पित सर्कल-वार नियंत्रण कक्ष, हॉटस्पॉट की पहचान आदि।
  - तत्काल राहत प्रदान करना: पीड़ित/परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से का भुगतान।

आगे की राह

- मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिये सबसे व्यापक तरीके शमन के रूप में खोजे जाते हैं या वन्यजीवों को उच्च घनत्व मानव आबादी या कृषि वाले क्षेत्रों से बाहर रखना है।
- जनता के बीच शिक्षा और जागरूकता के प्रसार की आवश्यकता है ताकि उन्हें मानव-पशु संघर्ष के बारे में जागरूक किया जा सके, जिससे संघर्ष को रोकने के लिये दीर्घकालिक स्थायी समाधान विकसित होगा।
- यह सुनिश्चित करना कि मनुष्यों और जानवरों के पास जीवन-निर्वाह के लिये पर्याप्त जगह है यह मानव-वन्यजीव संघर्ष समाधान का आधार है।
- जंगली भूमि और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन जंगली और शहरी क्षेत्रों के बीच बफर ज़ोन बनाना भी महत्त्वपूर्ण है।

स्टार्टअप्स

चर्चा में क्यों?

सरकार के विभिन्न सुधारों और पहलों से भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी आई है।

स्टार्टअप्स:

- परिचय:
  - स्टार्टअप शब्द एक कंपनी के संचालन के पहले चरण को संदर्भित करता है। स्टार्टअप एक या एक से अधिक उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं जो एक ऐसे उत्पाद या सेवा का विकास करना चाहते हैं जिसकी बाज़ार में मांग है।
  - ये कंपनियाँ आमतौर पर उच्च लागत और सीमित राजस्व के साथ शुरू होती हैं, यही वजह है कि वे उद्यम पूंजीपतियों जैसे विभिन्न स्रोतों से पूंजी की मांग करती हैं।
- भारत में स्टार्टअप्स की वृद्धि :
  - उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्टअप को मान्यता दी है जो 56 विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं।
    - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एनालिटिक्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित क्षेत्रों में 4,500 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की गई है।
  - इस दिशा में निरंतर सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2016 के 471 से बढ़कर वर्ष 2022 में 72,993 हो गई है।

स्टार्टअप-इंडिया योजना का भारत के स्टार्टअप्स के विकास में योगदान:

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए विभिन्न कार्यक्रमों ने स्टार्टअप्स के विकास को सुगम बनाया है:

- स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान: इसमें सरलीकरण, मार्गदर्शन, वित्तीय समर्थन, प्रोत्साहन और उद्योग शिक्षाविद, साझेदारी एवं इनक्यूबेशन जैसे क्षेत्रों में विस्तारित 19 घटक शामिल हैं।
  - कार्य योजना ने देश में एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये परिकल्पित सरकारी सहायता, योजनाओं और प्रोत्साहनों की नींव रखी।
- स्टार्टअप इंडिया हब: यह भारत में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों के लिये एक-दूसरे को खोजने, जोड़ने और संलग्न करने हेतु अपनी तरह का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
  - ऑनलाइन हब स्टार्टअप, निवेशक, फंड, सलाहकार, शैक्षणिक संस्थान, इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर, कॉर्पोरेट, सरकारी निकायों को मेज़बानी प्रदान करता है।
- 3 साल के लिए आयकर छूट: 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप्स के निगमन के बाद से 10 वर्षों में से लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिये आयकर से छूट दी गई है।
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS): इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- भारतीय स्टार्टअप के लिये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पहुँच: स्टार्टअप इंडिया ने 15 से अधिक साझेदार देशों (ब्राजील, स्वीडन, रूस, पुर्तगाल, यूके, फिनलैंड, नीदरलैंड, सिंगापुर, इज़रायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, क्रोएशिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात) के साथ परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता हेतु स्टार्टअप के लिये सॉफ्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किये हैं।,

स्टार्टअप्स को हैंडहोल्डिंग प्रदान करने वाले अन्य कारक:

- सरकारी योजनाएँ :
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने सफल स्टार्टअप में विचारों और नवाचारों (ज्ञान-आधारित एवं प्रौद्योगिकी-संचालित) को पोषित करने के लिये नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन (NIDHI) नामक एक अम्ब्रेला कार्यक्रम शुरू किया था।
  - स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये युवा और महत्त्वाकांक्षी इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स (PRAYAS) कार्यक्रम को बढ़ावा देना और उसे तेज़ी से शुरू किया गया था।

- जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा:
    - जैव प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिये जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी फर्मों को बढ़ावा देता है तथा उनका पोषण करता है।
- रक्षा क्षेत्र:
    - रक्षा उत्पादन विभाग ने उद्योगों, R&D संस्थानों और शिक्षाविदों को शामिल करके तथा उन्हें R&D के लिये अनुदान प्रदान कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, रक्षा एवं एयरोस्पेस में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिये रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (iDEX) कार्यक्रम शुरू किया।
- अटल नवाचार मिशन (AIM):
    - अटल नवाचार मिशन के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप को इनक्यूबेट करने के लिये अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AIC) की स्थापना की है।
    - इसने राष्ट्रीय महत्त्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने वाले प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों के साथ स्टार्टअप्स को सीधे सहायता देने के लिये अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC) कार्यक्रम भी शुरू किया है।
- विदेशी मुद्रा प्रवाह की भूमिका:
    - भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष रूप से प्रमुख तकनीकी कंपनियों जैसे फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से विदेशी मुद्रा का प्रवाह घरेलू बाज़ार की अपार संभावनाओं का संकेत देता है।
- प्रौद्योगिकी की भूमिका:
    - नए तकनीकी उपकरणों के साथ स्टार्टअप समुदाय व्यापक बाज़ार अंतराल को समाप्त करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, रोबोटिक्स आदि जैसे नए युग की तकनीकों का लाभ उठा रहा है।

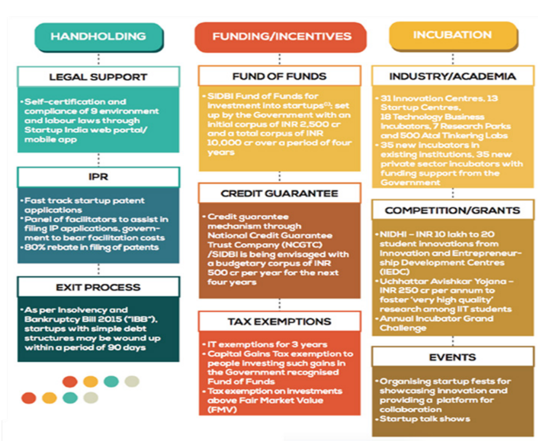

आगे की राह

- स्टार्टअप्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि कई उद्यमी अपने परिवार और सामाजिक वातावरण द्वारा अपने शौक को पूरा करने से हतोत्साहित होते रहते हैं तथा नौकरी एवं जीवन शैली का चयन (जो अधिक स्थिरता प्रदान करने के लिये देखा जाता है) करने के लिये दबाव में होते हैं।
- अवसर की इच्छा रखने वाले को अधिक पुरस्कृत किया जाना चाहिये और असफलता को नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिये।
    - इसके अलावा पूर्वाग्रहों को तोड़ना बढ़ती विविधता की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, जो सफल होने के लिये आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- देश के निर्माताओं, जोखिम उठाने वाली कंपनियों और फंडिंग एजेंसियों को घरेलू पूंजी की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अनुकूल माहौल बनाने की ज़रूरत है।
    - नवाचार को प्रोत्साहित करने और उभरते व्यापार मॉडल को समर्थन देने वाले उपयुक्त नियमों को तैयार कर नियामकों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने बताया कि देश ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है, जिसमें 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की कुल प्रजनन दर 2.1 या उससे कम है।

- वर्ष 2012 और 2020 के बीच भारत में आधुनिक गर्भ निरोधक उपायों से 1.5 करोड़ से अधिक युगल लाभान्वित हुए जो इनके उपयोग में हुई वृद्धि को दर्शाता है।
- सरकार ने भारत परिवार नियोजन 2030 विज़न दस्तावेज़ का भी अनावरण किया।

प्रतिस्थापन प्रजनन क्षमता:

- प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर (TFR) को प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता कहा जाता है।
    - प्रति महिला 2.1 बच्चों से कम TFR - इंगित करता है कि एक पीढ़ी स्वयं को प्रतिस्थापित करने के लिये लिये पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं कर रही है, अंततः जनसंख्या में समग्र रूप से कमी आई है।
    - कुल प्रजनन दर एक महिला के संपूर्ण जीवनकाल में प्रसव करने वाली उम्र की महिला से पैदा या पैदा होने वाले कुल बच्चों की संख्या को संदर्भित करती है।

नोट :

- भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) वर्ष 2015-16 के 2.2 से घटकर वर्ष 2019-21 में 2.0 हो गई है, जो जनसंख्या नियंत्रण उपायों की महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के पाँचवें दौर की रिपोर्ट से भी पता चलता है।

भारत परिवार नियोजन 2030 विज़न:

- केंद्र बिंदु:
    - बच्चे पैदा करने की रणनीति, जागरूकता कार्यक्रमों में पुरुष भागीदारी की कमी, प्रवास और गर्भ निरोधकों तक पहुँच की कमी को प्राथमिकताओं के रूप में पहचाना गया है।
- गर्भ निरोधक:
    - आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर:
        - प्रवासी विवाहित पुरुषों की बड़ी संख्या:
        - बिहार में 35 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 24 प्रतिशत।
        - आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर में कमी ज़्यादातर गर्भ निरोधक तैयारियों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच के कारण गर्भ निरोधकों की खरीद में असमर्थता और महिलाओं द्वारा गर्भ निरोधक को खरीदने के बारे में सामाज में व्याप्त संकोच की प्रवृत्ति के कारण भी होता है।
        - निवासी पुरुषों की संख्या:
        - बिहार में 47 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 36 प्रतिशत।
    - यद्यपि विवाहित किशोरों और युवतियों में आधुनिक गर्भ निरोधकों का उपयोग बढ़ा है, लेकिन यह अपेक्षाकृत रूप से कम है।
        - विवाहित महिलाओं और युवतियों ने बताया कि गर्भनिरोधक गोलियों की की पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नही हो पाती है।
    - कई ज़िलों में 20% से अधिक महिलाओं की शादी वयस्क होने से पहले ही हो जाती है।
        - इनमें बिहार के 17, पश्चिम बंगाल के 8, झारखंड के 7, असम के 4, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के दो-दो ज़िले शामिल हैं।
        - इन ज़िलों में आधुनिक गर्भ निरोधकों का कम उपयोग देखा गया है।
    - इस दृष्टि से आधुनिक गर्भ निरोधकों को उपलब्ध कराने के लिये निजी क्षेत्र का उपयोग करना भी योजना में शामिल है।
        - निजी क्षेत्र द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों के वितरण में 45% और कंडोम के वितरण में 40% का योगदान दिया जाता है। इसके साथ ही इंजेक्शन जैसे अन्य प्रतिवर्ती गर्भ निरोधकों एवं अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (IUCD) में क्रमशः 30% और 24% का योगदान है।

प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन में गिरावट का कारण:

- महिला सशक्तीकरण:
    - नवीनतम आँकड़े प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, विवाह की आयु और महिला सशक्तीकरण से संबंधित कई संकेतकों पर महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हैं, इन सभी ने टीएफआर में कमी लाने में योगदान दिया है।
- गर्भनिरोधक:
    - वर्ष 2012 और 2020 के बीच भारत ने आधुनिक गर्भ निरोधकों के उपयोग के लिये 1.5 करोड़ से अधिक अतिरिक्त उपयोगकर्त्ताओं शामिल किया जिससे इनके उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- रिवर्सिबल स्पेसिंग:
- नई 'रिवर्सिबल स्पेसिंग' (बच्चों के बीच अंतर) विधियों की शुरुआत, नसबंदी के परिणामस्वरूप मज़दूरी मुआवज़ा प्रणाली और छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देने जैसी कार्यवाहियों ने पिछले कुछ वर्षों में बेहतर प्रदर्शन किया है।
- सरकारी पहल:
- मिशन परिवार विकास:
- सरकार ने सात उच्च फोकस वाले राज्यों में 3 और उससे अधिक के टीएफआर वाले 146 उच्च प्रजनन क्षमता वाले ज़िलों में गर्भ निरोधकों एवं परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिये वर्ष 2017 में 'मिशन परिवार विकास' शुरू किया।
- राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (NFPIS):
- यह योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई थी, इस योजना के तहत नसबंदी के बाद मृत्यु, जटिलता और विफलता की स्थिति के लिये ग्राहकों का बीमा किया जाता है।
- नसबंदी करने वालों के लिये मुआवज़ा योजना:
- इस योजना के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 से नसबंदी कराने वाले लाभार्थी और सेवा प्रदाता (टीम) को मुआवज़ा प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण:

- परिचय:
    - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey- NFHS) संपूर्ण भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाने वाला एक बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है।
- आयोजन:
    - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने सर्वेक्षण के लिये समन्वय एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) मुंबई को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

नोट :

- IIPS सर्वेक्षण कार्यान्वयन के लिये कई क्षेत्रीय संगठनों (FO) के साथ सहयोग करता है।

- उद्देश्य:
  - NFHS के प्रत्येक क्रमिक चरण के दो विशिष्ट लक्ष्य हैं:
    - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों द्वारा नीति एवं कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर आवश्यक डेटा प्रदान करना।
    - उभरते महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मुद्दों पर जानकारी प्रदान करना।
  - सर्वेक्षण निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत की राज्य और राष्ट्रीय स्तर की जानकारी प्रदान करता है:
    - प्रजनन
    - शिशु एवं बाल मृत्यु दर
    - परिवार नियोजन का अभ्यास
    - मातृ और शिशु स्वास्थ्य
    - प्रजनन स्वास्थ्य
    - पोषण
    - रक्ताल्पता
    - स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग एवं गुणवत्ता।
- NFHS - 5 रिपोर्ट:
  - NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 (2019-20) के बीच राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (TFR) 2.2% से घटकर 2.0% हो गई है।
  - भारत में केवल पाँच राज्य ऐसे हैं जो 2.1 की प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं। ये राज्य हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर।

आगे की राह:

- हालाँकि भारत ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है, फिर भी प्रजनन आयु वर्ग में एक महत्त्वपूर्ण आबादी ऐसी है जिसे हस्तक्षेप प्रयासों के केंद्र में रखा जाना चाहिये।
- भारत का ध्यान परंपरागत रूप से आपूर्ति पक्ष यानी प्रदाताओं और वितरण प्रणालियों पर रहा है, लेकिन अब समय मांग पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने का है जिसमें परिवार, समुदाय और समाज शामिल हैं।
- आपूर्ति पक्ष के स्थान पर मांग पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन संभव है।

कॉफी संवर्द्धन विधेयक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने कॉफी बोर्ड के कामकाज को आधुनिक बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और घरेलू बाज़ार के विकास का समर्थन करने के लिये कॉफी संवर्द्धन विधेयक पेश किया है।

नए विधेयक के संदर्भ में:

- परिचय:
  - इसका उद्देश्य भारतीय कॉफी बोर्ड के कामकाज का आधुनिकीकरण करना है।
  - यह कॉफी बोर्ड के कई कार्यात्मक क्षेत्रों को संबोधित करेगा, जैसे- उत्पादन, अनुसंधान, विस्तार और गुणवत्ता सुधार, कॉफी को बढ़ावा देने तथा उत्पादकों के कौशल विकास के लिये समर्थन।
  - ऐसी कई गतिविधियों को मूल रूप से कॉफी बोर्ड के अधिदेश में शामिल नहीं किया गया था जिन्हें अब इसके कार्यों और शक्तियों में शामिल करने की आवश्यकता है।
- महत्त्व:
  - कॉफी उद्योग के विस्तार के साथ उत्पादन से लेकर उपभोग तक कॉफी मूल्य शृंखला के सभी क्षेत्रों में रोज़गार और व्यावसायिक उद्यमिता के अवसरों का सृजन होगा।
  - इसके अलावा उपभोक्ताओं को अन्य देशों की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी प्राप्त होगी।
  - यह बागानों, प्रसंस्करण इकाइयों और कॉफी समुदायों में श्रमिकों के हितों की भी रक्षा करेगा।
  - यह पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (RCMC) की मौजूदा पाँच साल की वैधता को एक बार के निर्यातक पंजीकरण में के साथ बदलने और निदान इकाइयों के एक बार पंजीकरण सहित दस्तावेज़ीकरण एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाकर व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देगा।
    - पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिये विधेयक में एक समयबद्ध प्रक्रिया होगी।

पुराने कानून को बदलने की ज़रूरत:

- पहले का अधिनियम लगभग 80 वर्ष पुराना था और आज के समय में अप्रचलित हो गया था।
  - इसके प्रावधान उस समय के लिये प्रासंगिक थे।
- इसके अलावा वर्तमान में कई अनावश्यक नियम और कानून हैं जो विशेष रूप से कॉफी के विपणन से संबंधित हैं।
- विगत 10 वर्षों में कॉफी उगाने, विपणन और उपभोग करने के तरीके में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है।

भारत में कॉफी उत्पादन की वर्तमान स्थिति:

- भारत वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन के लगभग 3% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष 10 कॉफी उत्पादक देशों में शामिल है।
- भारत दो प्रकार की कॉफी का उत्पादन करता है: अरेबिका और रोबस्टा।

- हल्के सुगंधित स्वाद के कारण अरेबिका का बाज़ार मूल्य रोबस्टा कॉफी की तुलना में अधिक है।
- अनुकूल पारिस्थिक वातावरण:
    - कॉफी के पौधों को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि वर्षा 150 से 250 सेमी तक चाहिये होती है।
        - यह ठंढ, बर्फबारी, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के उच्च तापमान और तेज़ धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है तथा आमतौर पर इसे छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है।
    - कॉफी का उत्पादन मुख्यत: भारत के दक्षिणी भाग में होता है।
        - कर्नाटक भारत में कुल कॉफी के लगभग 70% हिस्से का उत्पादन करता है।
- प्रमुख उत्पादक राज्य:
    - कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में होता है।
- निर्यात:
    - खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के आँकड़ों के अनुसार, भारत कॉफी का आठवाँ सबसे बड़ा निर्यातक है।

भारतीय कॉफी बोर्ड:

- कॉफी बोर्ड कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा (4) के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। बोर्ड मंप अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं।
- बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाज़ार आसूचना, बाहरी और आंतरिक संवर्द्धन तथा कल्याणकारी उपायों के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- इसका मुख्यालय बंगलूरू में है।
- बालेहोन्नूर (कर्नाटक) में भी कॉफी बोर्ड का एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है।

कृषि जनगणना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने "ग्यारहवीं कृषि जनगणना (2021-22)" की शुरुआत की।

- इस गणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश को व्यापक पैमाने पर लाभ होगा।

कृषि जनगणना:

- परिचय:
    - कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है, जिसका आयोजन कोविड - 19 महामारी के कारण इस बार देर से किया जा रहा है।
    - संपूर्ण जनगणना का संचालन तीन चरणों में किया जाता है और डेटा संग्रह के लिये परिचालन स्वामित्त्व को सूक्ष्म स्तर पर एक सांख्यिकीय इकाई के रूप में देखा जाता है।
        - तीन चरणों में एकत्रित कृषि जनगणना के आँकड़ों के आधार पर, विभाग अखिल भारतीय और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर पर विभिन्न मापदंडों पर रुझानों का विश्लेषण करते हुए तीन विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
        - ज़िला/तहसील स्तर की रिपोर्ट संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की जाती है।
    - कृषि जनगणना अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर विभिन्न कृषि मापदंडों पर जानकारी का मुख्य स्रोत है, जैसे कि परिचालन जोतों की संख्या और क्षेत्र, उनका आकार, वर्ग-वार वितरण, भूमि उपयोग, किरायेदारी तथा फसल पैटर्न आदि।
- ग्यारहवीं जनगणना:
    - कृषि जनगणना कार्य अगस्त 2022 में शुरू होगा।
    - यह पहली बार है कि कृषि जनगणना के लिये डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा, ताकि डेटा समय पर उपलब्ध हो सके।
    - इसमे समाविष्ट हैं:
        - भूमि शीर्षक रिकॉर्ड और सर्वेक्षण रिपोर्ट जैसे डिजिटल भूमि अभिलेखों का उपयोग।
        - स्मार्टफोन/टैबलेट का उपयोग करके एप/सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा का संग्रह।
        - चरण-I के दौरान गैर-भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों के सभी गाँवों की गणना, जैसा कि भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों में किया गया है।
        - प्रगति और प्रसंस्करण की वास्तविक समय की निगरानी।
    - अधिकांश राज्यों ने अपने भूमि अभिलेखों और सर्वेक्षणों को डिजिटल कर दिया है, जिससे कृषि जनगणना के आँकड़ों के संग्रह में और तेज़ी आएगी।
    - डिजिटल भूमि अभिलेखों के उपयोग और डेटा संग्रह के लिये मोबाइल एप के उपयोग से देश में परिचालन जोतों का एक डेटाबेस तैयार किया जा सकेगा।

डिजिटल कृषि:

- परिचय:
  - डिजिटल कृषि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तथा डेटा पारिस्थितिकी तंत्र है जो सभी के लिये सुरक्षित, पौष्टिक और किफायती भोजन प्रदान करते हुए खेती को लाभदायक, टिकाऊ बनाने के लिये समय पर लक्षित सूचना एवं सेवाओं के विकास और वितरण का समर्थन करता है।
  - उदाहरण:
    - जैव प्रौद्योगिकी कृषि पारंपरिक प्रजनन तकनीकों सहित उपकरणों की एक श्रृंखला है, जो उत्पादों को बनाने या संशोधित करने के लिये जीवित जीवों, या जीवों के कुछ हिस्सों को संशोधित कर देती है; इसमें पौधों या जानवरों में सुधार या विशिष्ट कृषि उपयोगों के लिये सूक्ष्मजीवों का विकास शामिल है।
    - परिशुद्ध कृषि (PA) एक ऐसा दृष्टिकोण है जहाँ कृषि वानिकी, अंतर - फसल, फसल चक्र इत्यादि जैसी पारंपरिक खेती तकनीकों की तुलना में बढ़ी हुई औसत उपज प्राप्त करने के लिये कृषि निर्गतों का सटीक मात्रा में उपयोग किया जाता है। यह डिजिटल कृषि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर आधारित है।
    - डेटा मापन, मौसम निगरानी, रोबोटिक्स/ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि के लिये डिजिटल और वायरलेस प्रौद्योगिकियाँ।
- लाभ:
  - कृषि मशीनरी स्वचालन:
    - यह आदानों को ठीक करने की अनुमति देता है और शारीरिक श्रम की मांग को कम करता है।
  - रिमोट सैटेलाइट डेटा:
    - रिमोट सैटेलाइट डेटा और इन-सीटू सेंसर सटीकता में सुधार करते हैं तथा फसल की वृद्धि एवं भूमि या पानी की गुणवत्ता की निगरानी की लागत को कम करते हैं।
    - स्वतंत्र रूप से उपलब्ध और उच्च गुणवत्ता वाली उपग्रह इमेजरी कई कृषि गतिविधियों की निगरानी की लागत को नाटकीय रूप से कम करती है। यह सरकारों को अधिक लक्षित नीतियों की ओर बढ़ने की अनुमति दे सकती है जो किसानों को पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर भुगतान (या दंडित) करती है।
  - ट्रैसेबिलिटी टेक्नोलॉजीज़ एंड डिजिटल लॉजिस्टिक्स:
    - ये सेवाएँ उपभोक्ताओं को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हुए कृषि-खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने की क्षमता प्रदान करती हैं।
  - प्रशासनिक उद्देश्य:
    - पर्यावरण नीतियों के अनुपालन की निगरानी के अलावा डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ कृषि के लिये प्रशासनिक प्रक्रियाओं के स्वचालन और विस्तार या सलाहकार सेवाओं के संबंध में विस्तारित सरकारी सेवाओं के विकास को सक्षम बनाती हैं।
  - भूमि अभिलेखों का रखरखाव:
    - प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में जोत से संबंधित डेटा को उचित रूप से टैग और डिजिटाइज़ किया जा सकता है।
    - यह न केवल बेहतर लक्ष्यीकरण में मदद करेगा बल्कि अदालतों में भूमि विवादों के मुकदमों की संख्या को भी कम करेगा।

डिजिटल कृषि के लिये सरकार की पहल:

- एग्रीस्टैक:
  - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 'एग्रीस्टैक' के निर्माण की योजना बनाई है, जो कि कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों का एक संग्रह है। यह किसानों को कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में एंड टू एंड सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक एकीकृत मंच का निर्माण करेगा
- डिजिटल कृषि मिशन:
  - कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉक चेन, रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक, ड्रोन व रोबोट के उपयोग जैसी नई तकनीकों पर आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक के लिये यह पहल शुरू की गई है।
- एकीकृत किसान सेवा मंच (UFSP):
  - यह कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, एप्लीकेशन और टूल्स का एक संयोजन है जो देश भर में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न सार्वजनिक और निजी आईटी प्रणालियों की निर्बाध अंत:क्रियाशीलता को सक्षम बनाता है।
  - UFSP निम्नलिखित भूमिका निभाता है:
    - यह कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है (जैसे ई भुगतान में UPI)।
    - सेवा प्रदाताओं (सार्वजनिक और निजी) तथा किसान सेवाओं के पंजीकरण को सक्षम बनाता है।
    - सेवा वितरण प्रक्रिया के दौरान आवश्यक विभिन्न नियमों और मान्यताओं को लागू करता है।
    - सभी लागू मानकों, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (Application Programming Interface-API) और प्रारूपों के भंडार के रूप में कार्य करता है।

नोट :

- किसानों को व्यापक स्तर पर सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के बीच डेटा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना।
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A):
  - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इस योजना को वर्ष 2010-11 में 7 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों तक समय पर कृषि संबंधी जानकारी पहुँचाने के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग के माध्यम से भारत में तेज़ी से विकास को बढ़ावा देना है।
  - वर्ष 2014-15 में इस योजना का विस्तार शेष सभी राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया था।
- अन्य डिजिटल पहलें: किसान कॉल सेंटर, किसान सुविधा एप, कृषि बाज़ार एप, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) पोर्टल आदि।

आगे की राह

- नीति निर्माताओं को संभावित लाभों, लागतों और जोखिमों पर विचार करने तथा बाज़ार की विफलता, प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने की आवश्यकता है ताकि हस्तक्षेप को लक्षित कर सार्वजनिक हितसुनिश्चित किया जा सके।
- यह समझना कि प्रौद्योगिकी नीति के विभिन्न घटकों में कैसे मदद कर सकती है ताकि सरकारी निकायों का कौशल विस्तार, प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण में निवेश या अन्य अभिकर्त्ताओं (सरकारी और गैर-सरकारी दोनों) के साथ साझेदारी को सक्षम बनाया जा सके।
- उपग्रह इमेजिंग, मृदा स्वास्थ्य सूचना, भूमि रिकॉर्ड, फसल प्रतिरूपण तथा आवृत्ति, बाज़ार डेटा तथा अन्य के लिये देश में मज़बूत डिजिटल बुनियादी ढाँचे के निर्माण की आवश्यकता है।
- डेटा दक्षता को डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM), डिजिटल स्थलाकृति, भूमि उपयोग और भूमि कवर, मृदा मानचित्र आदि के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।

विस्थापित बच्चों हेतु संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित एजेंसियों ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए बच्चों की सुरक्षा के लिये पहली बार वैश्विक नीति ढाँचा प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर प्रभाव:

- जलवायु परिवर्तन मौजूदा पर्यावरणीय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थितियों के बीच विभाजन की स्थिति पैदा कर रहा है जो लोगों के स्थानांतरित होने का निर्णय लेने में योगदान दे रहा है।
  - आने वाले वर्षों में लाखों और बच्चों को स्थानांतरित होने के लिये मज़बूर किया जा सकता है।
- अकेले वर्ष2020 में मौसम संबंधी प्रभावों के बाद लगभग 10 मिलियन बच्चे विस्थापित हो गए।
- इसके अतिरिक्त दुनिया के 2.2 बिलियन बच्चों में से लगभग आधे या लगभग एक बिलियन लड़के और लड़कियाँ 33 देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के उच्च जोखिम में रहते हैं।
- इसके अलावा चरम जलवायु जैसे बढ़ते समुद्र के स्तर, तूफान, वनाग्नि, खराब फसलें अधिक-से-अधिक बच्चों और परिवारों को अपने घरों से दूर कर रही हैं।
  - दुनिया भर में प्रवासी बच्चे ज़ेनोफोबिया के खतरनाक स्तर, कोविड -19 महामारी के सामाजिक आर्थिक परिणामों और आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुँच का सामना कर रहे हैं।
  - विस्थापित बच्चों को दुर्व्यवहार, तस्करी और शोषण का अधिक खतरा होता है।
    - उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच खोने की अधिक संभावना है तथा उन्हें अक्सर जल्दी शादी एवं बाल श्रम के लिये मजबूर किया जाता है।

विस्थापित बच्चों हेतु संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश:

- ये दिशा-निर्देश प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IOM), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF), जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की एक संयुक्त पहल है।
  - दिशा-निर्देश आंतरिक और साथ ही सीमा पार प्रवास दोनों को कवर करते हैं।
- इसमें नौ सिद्धांतों का एक समूह है जो उन बच्चों की अनूठी कमज़ोरियों को संबोधित करता है जिन्हें समाप्त कर दिया गया है।
  - सिद्धांत बाल अधिकारों पर अभिसमय पर आधारित हैं और मौजूदा परिचालन दिशा-निर्देशों तथा रूपरेखाओं द्वारा सूचित किये जाते हैं।
- ये नौ सिद्धांत इस प्रकार हैं:
  - अधिकार-आधारित दृष्टिकोण
  - बच्चे के सर्वोत्तम हित
  - जवाबदेही
  - जागरूकता और निर्णय लेने में भागीदारी
  - पारिवारिक एकता
  - रक्षा, सुरक्षा और संरक्षण
  - शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच
  - गैर भेदभाव
  - राष्ट्रीयता

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय:

- वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों का अभिसमय अपनाया गया।
- अभिसमय के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में मान्यता दी जाती है।
- यह अभिसमय प्रत्येक बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है।
  - इसमें शिक्षा का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, बलात्कार एवं यौन शोषण सहित मानसिक या शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार जैसे विषय शामिल हैं।
- यह दुनिया की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मानवाधिकार संधि है।

दिशा-निर्देशों की आवश्यकता:

- जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आगे बढ़ने वाले बच्चों की जरूरतों और अधिकारों को संबोधित करने के लिये वर्तमान में कोई वैश्विक नीतिगत ढाँचा नहीं है।
  - जहाँ बच्चों से संबंधित प्रवास नीतियाँ मौजूद हैं, वे जलवायु और पर्यावरणीय कारकों पर विचार नहीं करते हैं, और जहाँ जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियाँ विद्यमान हैं, वे आमतौर पर बच्चों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं।
- जलवायु आपातकाल का मानव गतिशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है और आगे भी इसकी संभावना विद्यमान है।
  - इसका प्रभाव हमारे समुदायों के विशेष वर्गों जैसे कि बच्चों पर सबसे गंभीर होगा।
  - ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियों को विकसित करने के लिये राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज समूहों हेतु एक रूपरेखा के रूप में काम करेंगे।

जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव:

- बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक:
  - यह बच्चों के आवश्यक सेवाओं तक पहुँच के आधार पर जलवायु और पर्यावरणीय आपदाओं, जैसे कि चक्रवात और हीटवेव के साथ-साथ उन आपदाओं के प्रति उनकी भेद्यता के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है।
  - यह बच्चों के दृष्टिकोण से जलवायु जोखिम का पहला व्यापक विश्लेषण है।
- नोट्रे डेम ग्लोबल एडाप्टेशन इनिशिएटिव (ND-GAIN) इंडेक्स:
  - सूचकांक से पता चलता है कि बच्चे जलवायु परिवर्तन का परिणाम भुगतते हैं क्योंकि यह उनके अस्तित्व, सुरक्षा, विकास और भागीदारी के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।
  - बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के अन्य संभावित प्रभाव में अनाथ होना, तस्करी, बाल श्रम, शिक्षा और विकास के अवसरों की हानि, परिवार से अलग होना, बेघर होना, भीख माँगना, आघात, भावनात्मक व्यवधान, बीमारियाँ आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- जबकि नए ढाँचे में नए कानूनी दायित्व शामिल नहीं हैं, वे प्रमुख सिद्धांतों को शामिल करते हैं और उनका लाभ उठाते हैं जिनकी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून में पुष्टि की जा चुकी है, इसे दुनिया भर की सरकारों द्वारा अपनाया गया है।
- इसके अलावा दुनिया भर की सरकारों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में अपनी नीतियों की समीक्षा करने और अभी ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित कर सकें कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाले बच्चों को वर्तमान व भविष्य में संरक्षित किया जा सके।
  - इन सिद्धांतों द्वारा सूचित समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक साथ काम कर सरकारें, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस कदम पर बच्चों के अधिकारों और कल्याण की बेहतर रक्षा कर सकते हैं।

विस्थापित बच्चों हेतु संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित एजेंसियों ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए बच्चों की सुरक्षा के लिये पहली बार वैश्विक नीति ढाँचा प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर प्रभाव:

- जलवायु परिवर्तन मौजूदा पर्यावरणीय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थितियों के बीच विभाजन की स्थिति पैदा कर रहा है जो लोगों के स्थानांतरित होने का निर्णय लेने में योगदान दे रहा है।
  - आने वाले वर्षों में लाखों और बच्चों को स्थानांतरित होने के लिये मज़बूर किया जा सकता है।
- अकेले वर्ष2020 में मौसम संबंधी प्रभावों के बाद लगभग 10 मिलियन बच्चे विस्थापित हो गए।
- इसके अतिरिक्त दुनिया के 2.2 बिलियन बच्चों में से लगभग आधे या लगभग एक बिलियन लड़के और लड़कियाँ 33 देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के उच्च जोखिम में रहते हैं।
- इसके अलावा चरम जलवायु जैसे बढ़ते समुद्र के स्तर, तूफान, वनाग्नि, खराब फसलें अधिक-से-अधिक बच्चों और परिवारों को अपने घरों से दूर कर रही हैं।

- दुनिया भर में प्रवासी बच्चे ज़ेनोफोबिया के खतरनाक स्तर, कोविड -19 महामारी के सामाजिक आर्थिक परिणामों और आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुँच का सामना कर रहे हैं।
- विस्थापित बच्चों को दुर्व्यवहार, तस्करी और शोषण का अधिक खतरा होता है।
  - उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच खोने की अधिक संभावना है तथा उन्हें अक्सर जल्दी शादी एवं बाल श्रम के लिये मजबूर किया जाता है।

विस्थापित बच्चों हेतु संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश:

- ये दिशा-निर्देश प्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IOM), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF), जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की एक संयुक्त पहल है।
  - दिशा-निर्देश आंतरिक और साथ ही सीमा पार प्रवास दोनों को कवर करते हैं।
- इसमें नौ सिद्धांतों का एक समूह है जो उन बच्चों की अनूठी कमज़ोरियों को संबोधित करता है जिन्हें समाप्त कर दिया गया है।
  - सिद्धांत बाल अधिकारों पर अभिसमय पर आधारित हैं और मौजूदा परिचालन दिशा-निर्देशों तथा रूपरेखाओं द्वारा सूचित किये जाते हैं।
- ये नौ सिद्धांत इस प्रकार हैं:
  - अधिकार-आधारित दृष्टिकोण
  - बच्चे के सर्वोत्तम हित
  - जवाबदेही
  - जागरूकता और निर्णय लेने में भागीदारी
  - पारिवारिक एकता
  - रक्षा, सुरक्षा और संरक्षण
  - शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच
  - गैर भेदभाव
  - राष्ट्रीयता

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय:

- वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों का अभिसमय अपनाया गया।
- अभिसमय के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में मान्यता दी जाती है।
- यह अभिसमय प्रत्येक बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है।
  - इसमें शिक्षा का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, बलात्कार एवं यौन शोषण सहित मानसिक या शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार जैसे विषय शामिल हैं।
- यह दुनिया की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मानवाधिकार संधि है।

दिशा-निर्देशों की आवश्यकता:

- जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आगे बढ़ने वाले बच्चों की जरूरतों और अधिकारों को संबोधित करने के लिये वर्तमान में कोई वैश्विक नीतिगत ढाँचा नहीं है।
  - जहाँ बच्चों से संबंधित प्रवास नीतियाँ मौजूद हैं, वे जलवायु और पर्यावरणीय कारकों पर विचार नहीं करते हैं, और जहाँ जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियाँ विद्यमान हैं, वे आमतौर पर बच्चों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं।
- जलवायु आपातकाल का मानव गतिशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है और आगे भी इसकी संभावना विद्यमान है।
  - इसका प्रभाव हमारे समुदायों के विशेष वर्गों जैसे कि बच्चों पर सबसे गंभीर होगा।
  - ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियों को विकसित करने के लिये राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज समूहों हेतु एक रूपरेखा के रूप में काम करेंगे।

जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव:

- बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक:
  - यह बच्चों के आवश्यक सेवाओं तक पहुँच के आधार पर जलवायु और पर्यावरणीय आपदाओं, जैसे कि चक्रवात और हीटवेव के साथ-साथ उन आपदाओं के प्रति उनकी भेद्यता के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है।
  - यह बच्चों के दृष्टिकोण से जलवायु जोखिम का पहला व्यापक विश्लेषण है।
- नोट्रे डेम ग्लोबल एडाप्टेशन इनिशिएटिव (ND-GAIN) इंडेक्स:
  - सूचकांक से पता चलता है कि बच्चे जलवायु परिवर्तन का परिणाम भुगतते हैं क्योंकि यह उनके अस्तित्व, सुरक्षा, विकास और भागीदारी के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।
  - बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के अन्य संभावित प्रभाव में अनाथ होना, तस्करी, बाल श्रम, शिक्षा और विकास के अवसरों की हानि, परिवार से अलग होना, बेघर होना, भीख माँगना, आघात, भावनात्मक व्यवधान, बीमारियाँ आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- जबकि नए ढाँचे में नए कानूनी दायित्व शामिल नहीं हैं, वे प्रमुख सिद्धांतों को शामिल करते हैं और उनका लाभ उठाते हैं जिनकी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून में पुष्टि की जा चुकी है, इसे दुनिया भर की सरकारों द्वारा अपनाया गया है।

- इसके अलावा दुनिया भर की सरकारों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में अपनी नीतियों की समीक्षा करने और अभी ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित कर सकें कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाले बच्चों को वर्तमान व भविष्य में संरक्षित किया जा सके।
  - इन सिद्धांतों द्वारा सूचित समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक साथ काम कर सरकारें, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस कदम पर बच्चों के अधिकारों और कल्याण की बेहतर रक्षा कर सकते हैं।

गूगल स्ट्रीट व्यू: राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति

चर्चा में क्यों ?

गूगल स्ट्रीट व्यू को राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (NGP), 2021 के दिशा-निर्देशों के तहत भारत के दस शहरों में लॉन्च किया गया है।

- NGP, 2021 भारतीय कंपनियों को मैप संबंधी आँकड़े एकत्र करने और दूसरों को लाइसेंस देने की सुविधा देती है।

गूगल स्ट्रीट व्यू:

- परिचय:
  - गूगल स्ट्रीट व्यू, शहर की सड़कों पर घूमने वाले डेटा संग्राहकों द्वारा वाहनों या बैकपैक्स पर लगे विशेष कैमरों का उपयोग करके कैप्चर किये गए स्थान का 360-डिग्री दृश्य है।
  - फिर छवियों को 360-डिग्री दृश्य बनाने के लिये एक साथ किया जाता है जिसे उपयोगकर्त्ता स्थान का विस्तृत दृश्य प्राप्त करने के लिये उपयोग कर सकते हैं।
    - यह एप का उपयोग करके या वेब व्यूअर के रूप में एंड्रॉइड और आईओएस पर देखने के लिये उपलब्ध है।
- प्रतिबंध:
  - भारत में सरकारी संपत्तियों, रक्षा प्रतिष्ठानों और सैन्य क्षेत्रों जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिये सड़क दृश्य/स्ट्रीट व्यू की अनुमति नहीं है।
  - इसका मतलब है कि दिल्ली जैसी जगह पर छावनी क्षेत्र स्ट्रीट व्यू की सीमा से बाहर होगा।
- स्ट्रीट व्यू के साथ समस्याएँ:
  - पिछले कुछ वर्षों में स्ट्रीट व्यू के संबंध में बहुत सारी गोपनीयता और अन्य मुद्दों को उठाया गया है।
  - इनमें से बहुत से लोगों के चेहरे और अन्य पहचाने जाने योग्य पहलुओं, जैसे कार नंबर प्लेट और घर का नंबर, कैमरे द्वारा विभिन्न तरीकों से कैप्चर किये जा रहे हैं तथा उनका दुरुपयोग किया जाता हैं।
  - विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों के संबंध में इस तरह के दृश्य उपलब्ध होने से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी बढ़ गई हैं।
  - गूगल को भारत, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों में स्थानीय अधिकारियों के साथ समस्याएँ हैं।

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2021:

- परिचय:
  - राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2021 भू-स्थानिक क्षेत्र को उदार बनाती है और सार्वजनिक वित्त के उपयोग से उत्पन्न डेटासेट का लोकतंत्रीकरण करती है।
  - यह नीति नागरिकों और उद्यमों को देश के विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये भू-स्थानिक डेटा एवं सूचना का उपयोग करने तथा सुरक्षा हितों की रक्षा करने हेतु सशक्त बनाने का प्रयास करती है।
  - यह भू-स्थानिक ज्ञान सृजन, कौशल सेट और विशेषज्ञता आदि को प्रोत्साहित करके देश के साथ-साथ विश्व स्तर पर भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का प्रावधान करती है।
- मुख्य विशेषताएँ:
  - भारतीय सर्वेक्षण स्थलाकृतिक आँकड़ों को व्यापक रूप से और आसानी से सुलभ बनाएगा।
  - राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (2012) के अनुसार सार्वजनिक धन का उपयोग करके उपलब्ध भू-स्थानिक डेटा संबंधी जानकारी साझा की जाएगी।
  - भू-स्थानिक डेटा के भंडारण स्वरूपों को मानकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा ताकि यह एक इंटरऑपरेबल मशीन द्वारा पढ़े जाने के रूप में उपलब्ध हो सके।
  - भू-स्थानिक डेटा शिक्षा के लिये एक मानकीकृत पाठ्यक्रम विकसित किया जाएगा।
  - सर्वेक्षणकर्त्ताओं जैसे पेशेवरों की प्रथाओं की समीक्षा करने और भू-स्थानिक शिक्षा में पाठ्यक्रमों के पूरा होने पर व्यक्तियों को प्रमाणित करने हेतु एक प्रमाणित निकाय का गठन किया जाएगा।
- आवश्यकता:
  - विभिन्न सरकारी एजेंसियाँ अक्सर भू-स्थानिक डेटा का डिजिटलीकरण और संग्रहण का कार्य करती हैं। अक्सर प्रयासों का दोहराव तब होता है जब कई एजेंसियां ऐसे डेटा को संग्रहीत करती हैं तो संसाधनों की बर्बादी होती है।
  - भू-स्थानिक डेटा भंडारण और प्रसार के प्रारूपों को मानकीकृत करके इस अपव्यय को कम करने की आवश्यकता है

- यद्यपि लगभग 200 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में भू-स्थानिक शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन इसके पाठ्यक्रम में कोई मानकीकरण नहीं है।
- व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों सहित गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा भू-स्थानिक डेटा तक पहुँच प्रतिबंधित है।
- सरकार द्वारा साझा किया गया डेटा अक्सर मशीन द्वारा पठनीय नहीं होता है।

भारत में भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति:

- सांख्यिकी:
  - भारतीय भू-स्थानिक अर्थव्यवस्था का मूल्य वर्तमान में 38,972 करोड़ रुपए है जिसमे लगभग 4.7 लाख लोग कार्यरत हैं।
  - वर्ष 2021 में भू-स्थानिक बाज़ार में रक्षा और खुफिया (14.05%) क्षेत्र, शहरी विकास (12.93%) एवं यूटिलिटीज़ सेगमेंट,(11%) का वर्चस्व रहा जिसका कुल भू-स्थानिक बाज़ार में 37.98% का योगदान था।
- क्षेत्र का महत्त्व:
  - एक संभावित क्षेत्र: 'भारत भू-स्थानिक अर्थ रिपोर्ट-2021' के अनुसार, इस क्षेत्र में वर्ष 2025 के अंत तक 12.8% की दर से 63,100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की क्षमता है।
  - रोज़गार: अमेज़न, ज़ोमेटो जैसी निजी कंपनियाँ अपने वितरण कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इस तकनीक का उपयोग करती हैं, जिससे आजीविका सृजन में मदद मिलती है।
  - योजनाओं का क्रियान्वयन: गति शक्ति कार्यक्रम जैसी योजनाओं को भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है।
  - मेक इन इंडिया: इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से भारतीय कंपनियाँ गूगल मैप्स के भारतीय संस्करण की तरह स्वदेशी एप विकसित कर सकती हैं।
  - भूमि अभिलेखों का प्रबंधन: प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बड़ी संख्या में जोत से संबंधित डेटा को उचित रूप से टैग और डिजिटाइज़ किया जा सकता है।
    - यह न केवल बेहतर लक्ष्यीकरण में मदद करेगा बल्कि न्यायालयों में भूमि विवादों की संख्या को भी कम करेगा।
  - संकट प्रबंधन: कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दौरान भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का काफी बेहतरीन प्रयोग किया गया था।
  - इंटेलीजेंट मैप और मॉडल: भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग इंटेलीजेंट मैप और मॉडल बनाने हेतु किया जा सकता है, जिसे STEM (विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित) के अनुप्रयोग में वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु अंत:क्रियात्मक रूप से या सामाजिक जाँच एवं नीति-आधारित अनुसंधान की वकालत करने हेतु उपयोग किया जा सकता है।

सामाजिक न्याय

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022

असंगठित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा

चर्चा में क्यों?

श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि 28 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और सरकार असंगठित श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ तैयार कर रही है।

- यह भी बताया गया है कि भारत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दोहराव से बचने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों (SSAs) पर बातचीत कर रहा है।

सामाजिक सुरक्षा समझौत (SSA):

- SSA भारत और बाह्य देश के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है जिसे सीमा पार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये बनाया गया है।
- यह समझौता 'दोहरे कवरेज' से बचने का प्रावधान करता है और सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों देशों के श्रमिकों के साथ व्यवहार की समानता सुनिश्चित करता है।
- अलगाव या दोहरे कवरेज के उन्मूलन के तहत किसी भी SSA देश में रोज़गार हेतु जाने वाले कर्मचारियों को एक निर्दिष्ट अवधि (प्रत्येक SSA के लिये विशिष्ट) के लिये उस देश में सामाजिक सुरक्षा योगदान प्रदान करने से छूट दी गई है यदि वे अपने मूल देश में सामाजिक सुरक्षा योगदान करना जारी रखते हैं।
- भारत ने बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, लक्जमबर्ग के ग्रैंड डची, फ्रांँस, डेनमार्क, कोरिया, नीदरलैंड, हंगरी, फिनलैंड, स्वीडन, चेक गणराज्य, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और पुर्तगाल के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते (SSA) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा:

- परिचय:
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसे वंचितों को लाभ पहुँचाने, व्यक्ति को एक न्यूनतम आय का आश्वासन देने और किसी भी अनिश्चितता से व्यक्ति की रक्षा करने के लिये बनाया गया है।
- प्रावधान:
  - भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल एवं आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिये पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार।
  - किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण से परे परिस्थितियों में बेरोज़गारी, बीमारी, विकलांगता, विधवापन, वृद्धावस्था या आजीविका की कमी की स्थिति में आय के अधिकार की सुरक्षा।

सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता:

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों को उनके रोज़गार की अल्पकालिक प्रवृत्ति और औपचारिक कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों में कमी के कारण कोविड-19 महामारी के कारण सबसे अधिक हानि हुई है।
  - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में थे, जो कि 465 मिलियन श्रमिकों में से 419 मिलियन हैं।
- इसके अलावा भारत में कोविड-19 संकट पहले से मौजूद उच्च और बढ़ती बेरोज़गारी की पृष्ठभूमि में आया है।
- असंगठित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की नौकरियों के नुकसान, बढ़ती बेरोज़गारी, ऋणग्रस्तता, पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा पर परिणामी प्रभाव एक लंबी अवधि तक अपूर्णीय क्षति पहुँचाने की क्षमता रखते हैं।
- भारत विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में कार्यबल का स्थिर अनौपचारिकीकरण देख रहा है, जो गिग इकॉनमी के विकास को रेखांकित करता है, जबकि इस अनौपचारिकीकरण ने अतिरिक्त आय-सृजन के अवसर प्रदान किये हैं, अनौपचारिकता ने अनिश्चितता वाले रोज़गार को बढ़ावा दिया है।
- अनौपचारिक क्षेत्र के आधे से भी कम श्रमिकों की पहुँच जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसे किसी भी प्रकार के जोखिम संरक्षण तक है।

भारत में अनौपचारिक श्रमिकों की वर्तमान स्थिति:

- ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत 27.69 करोड़ श्रमिकों में से 94% से अधिक की मासिक आय 10,000 रुपए या उससे कम है और नामांकित कार्यबल का 74% से अधिक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित है।
  - सामान्य श्रेणी के श्रमिकों का अनुपात 25.56% है।
- आँकड़ों से पता चला है कि पंजीकृत असंगठित श्रमिकों में से 94.11% की मासिक आय 10,000 रुपए या उससे कम है, जबकि 4.36% की मासिक आय 10,001 रुपए और 15,000 रुपए के बीच है।

असंगठित श्रमिकों से संबंधित पहल:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):
  - यह एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है जो प्रतिवर्ष नवीनीकृत होती है और किसी भी कारण से हुई मौत के लिये बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):
  - यह एक वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है जो प्रतिवर्ष नवीनीकृत होती है और दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिये बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY):
  - PMJAY विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है जो पूर्णत: सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM):
  - PM-SYM श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है एवं भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सामुदायिक सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- अटल पेंशन योजना:
- यह योजना मई 2015 में सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP):
  - ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि NSAP के तहत बुजुर्ग, गरीब, विकलांग और विधवाओं की मासिक पेंशन मौजूदा 200 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए की जाए।
- गरीब कल्याण रोज़गार अभियान:
  - यह योजना वापस लौटे प्रवासी कामगारों और ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाती है और उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान करती है जो कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण अपने गृह राज्यों में लौट आए हैं।

आगे की राह

- जबकि इन योजनाओं द्वारा दिये जाने वाले अतिरिक्त लाभों से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मदद मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा संहिता में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तरह असंगठित श्रमिकों हेतु न्यूनतम सतही-स्तरीय प्रावधानों को औपचारिक और मानकीकृत करने की आवश्यकता है।
- श्रम मंत्रालय को PLFS को समय पर पूरा करने का मुद्दा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के समक्ष उठाना चाहिये।
- एक व्यापक योजना और रोडमैप की आवश्यकता है ताकि महामारी के कारण रोज़गार की बिगड़ती स्थिति और संगठित क्षेत्र में रोज़गार बाज़ार में बढ़ती असमानताओं को दूर किया जा सके।
- असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा इस क्षेत्र को औपचारिक रूप देना इसकी उत्पादकता बढ़ाना, मौजूदा आजीविका को मज़बूत करने, नए अवसर पैदा करने और सामाजिक सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने से कोविड-19 के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।

भारत में कुपोषण को रोकना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिये लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिये निर्धारित लक्ष्य:

- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग और अल्प पोषण (कम वज़न के प्रसार) को प्रतिवर्ष 2% कम करने का लक्ष्य है।
- 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण से बचाव एवं इसमें कुल 6 प्रतिशत यानी प्रतिवर्ष 2%की दर से कमी लाना।
- 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत यानी प्रतिवर्ष 3%की दर से कमी लाना ।
- 15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत यानी प्रतिवर्ष 3% की दर से कमी लाना।
  - एनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमे शरीर में रक्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिये लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता अपर्याप्त होती है।
- NFHS -5 रिपोर्ट में इस पर प्रकाश डाला गया है जिसमें जनसंख्या के प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तृत जानकारी शामिल है, जैसे:
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, शिशु और बाल मृत्यु दर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और रक्ताल्पता, रुग्णता तथा स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तीकरण आदि।

NFHS-5 के निष्कर्ष:

- अविकसित बच्चों पर डेटा:
  - मेघालय में अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक (46.5%) है, इसके बाद बिहार (42.9%) का स्थान है।
  - महाराष्ट्र में 25.6% चाइल्ड वेस्टिंग/बच्चों में निर्बलता सबसे अधिक हैं, इसके बाद गुजरात (25.1%) का स्थान है।
  - झारखंड में 15 से 49 वर्ष के बीच की महिलाओं का उच्चतम प्रतिशत (26%) है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स (BMI) सामान्य से कम है।
- अन्य निष्कर्ष:
  - कुल प्रजनन दर (TFR) प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या, NFHS -4 और 5 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है।
  - समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर (CPR) देश में 54% से बढ़कर 67% हो गई है।
  - भारत में संस्थागत जन्म 79% से बढ़कर 89% हो गया है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, स्टंटिंग/बौनापन 4% से घटकर 35.5% हो गया है, वेस्टिंग 21.0% से घटकर 19.3% हो गया है और कम वज़न 35.8% से घटकर 32.1% हो गया है।
  - महिलाएँ (15-49 वर्ष) जिनका बॉडी मास इंडेक्स (BMI) सामान्य से कम है, NFHS-4 में 22.9% से घटकर NFHS-5 में 18.7% हो गया है।

कुपोषण और संबंधित पहल:

- परिचय:
  - कुपोषण वह स्थिति है जो तब विकसित होती है जब शरीर विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्त्वों से वंचित हो जाता है, जिससे उसे स्वस्थ ऊतक और अंग के कार्य को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
  - कुपोषण उन लोगों में होता है जो या तो कुपोषित हैं या अधिक पोषित हैं।
- पहल:
  - पोषण अभियान: भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक "कुपोषण मुक्त भारत" सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) या पोषण अभियान शुरू किया है।
  - एनीमिया मुक्त भारत अभियान: इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया, मिशन का उद्देश्य एनीमिया की वार्षिक दर को एक से तीन प्रतिशत अंक तक कम करना है।
  - मध्याह्न भोजन (MDM) योजना: इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना है, जिसका स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: इसका उद्देश्य अपनी संबद्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमज़ोर लोगों के लिये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे भोजन तक पहुँच कानूनी अधिकार बन जाए।
  - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिये बेहतर सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किये जाते हैं।
  - समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना: इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और अन्य सेवाएँ प्रदान करना है।

आगे की राह

- वित्तीय प्रतिबद्धताएँ बढ़ाना:
  - महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में उनके सतत् विकास एवं जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये निवेश बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है।
- परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण:
  - भारत को पोषण कार्यक्रमों पर परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।
  - पोषण की दृष्टि से कमज़ोर समूहों (इसमें बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएँ, विशेष आवश्यकता वाले और छोटे बच्चे शामिल हैं) के साथ सीधा जुड़ाव होना चाहिये तथा प्रमुख पोषण सेवाओं और हस्तक्षेपों के अंतिम-मील वितरण को सुनिश्चित करने में योगदान करना चाहिये।
- बुनियादी शिक्षा और सामान्य जागरूकता:
  - विभिन्न अध्ययन माताओं की शिक्षा और बच्चों के बीच पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के साथ बेहतर अनुपालन को एक मज़बूत संबंध के रूप में रेखांकित करते हैं।
  - हमें युवा आबादी के लिये प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ सुनिश्चित करना चाहिये; पोषण व स्वास्थ्य उस परिणाम के लिये आधारभूत तत्त्व हैं।
- कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन:
  - कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन तथा प्रणालीगत एवं आधारभूत चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक प्रक्रिया की स्थपाना की जानी चाहिये।
  - प्रभावी नीतिगत निर्णयों पर विचार-विमर्श करने, योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने और राज्यों में पोषण की स्थिति की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

वाई-3023 दूनागिरि

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड (GRSE) द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17ए के वाई-3023 युद्धपोत दूनागिरि का उद्घाटन किया।

Y-3023:

- 'दूनागिरि' प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट्स का चौथा जहाज़ है।
- इसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है।
- 'दूनागिरि' पूर्ववर्ती 'दूनागिरि', लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट का पुनर्निर्माण है, यह अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान विभिन्न चुनौतीपूर्ण संचालन और बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में शामिल रहा।

प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स:

- परिचय:
  - प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स P17 फ्रिगेट्स (शिवालिक क्लास) के फॉलोऑन हैं जिसमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार एवं संवेदक के साथ प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है।
  - भारतीय नौसेना के लिये पी-17 A के तहत सात युद्धपोत (Frigates)- चार मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स (MDL) मुंबई में और तीन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड (GRSE) कोलकाता में बनाए जाएंगे जो उन्नत स्टील्थ क्षमता से लैस होंगे।
- विशेषताएँ:
  - P-17A की मुख्य उन्नत स्टील्थ विशेषताएँ विशेष संरचना और आकार के उपयोग के माध्यम से प्राप्त जहाज़ के छोटे रडार क्रॉस-सेक्शन से संबंधित हैं जो रडार तरंग परावर्तन को कम करता है।
  - P17A युद्धपोतों में बेहतर उत्तरजीविता, समुद्री रखरखाव, स्टील्थ और जहाज़ की गतिशीलता के लिये नई डिज़ाइन अवधारणाओं को शामिल किया गया है।
  - एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता जहाज़ के प्रोपेलर, ऑपरेटिंग मशीनरी जैसे डीज़ल जेनरेटर आदि से निकलने वाले कम ध्वनिक शोर के संबंध में है, यह अन्य जहाज़ों पर सोनार की उपस्थिति का पता लगाने में सहायता करता है।
    - इस तरह की स्टील्थ विशेषताएँ संचालन के दौरान किसी भी प्रतिकूल वातावरण में जहाज़ की उत्तरजीविता में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- जहाज़ पर हथियार प्रणाली:
  - पी-17A जहाज़ों के मुख्य हथियार और सेंसर सूट में ब्रह्मोस SSM, LRSAM (फॉरवर्ड एंड आफ्ट कॉन्फिगरेशन) के साथ MF स्टार रडार, स्वदेशी सोनार तथा ट्रिपल ट्यूब हैवी टॉरपीडो लॉन्चर शामिल हैं।
  - प्रोजेक्ट 17A के तहत पहले तीन जहाज़:
    - आईएनएस नीलगिरि
    - आईएनएस हिमगिरि
    - आईएनएस उदयगिरि

xtएनआईआरएफ रैंकिंग 2022

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF), रैंकिंग 2022 का 7वाँ संस्करण जारी किया है।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क:

- लॉन्च: 'राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क' (NIRF) को सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित किया गया था।
  - यह देश में उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) को रैंक प्रदान करने के लिये भारत सरकार का पहला प्रयास है।
  - वर्ष 2018 में देश भर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिये 'राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क' में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया था।
- पाँच मापदंडों पर मूल्यांकन:
  - शिक्षण, शिक्षा और संसाधन (Teaching, Learning and Resources-TLR)
  - अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (Research and Professional Practices-RP)
  - स्नातक परिणाम (Graduation Outcomes-GO)
  - आउटरीच और समावेशिता (Outreach and Inclusivity-OI)
  - समकक्ष अनुभूति (Peer Perception)

- श्रेणियाँ: कुल 11 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है- समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, कॉलेज, चिकित्सा, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और अनुसंधान।
- लॉन्च करने का कारण: क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा विकसित रैंकिंग पद्धति में व्यक्तिपरकता ने भारत को शंघाई रैंकिंग की तर्ज पर भारतीय HEI के लिये अपनी रैंकिंग प्रणाली शुरू करने हेतु प्रेरित किया।
    - NIRF की दीर्घकालिक योजना इसे अंतर्राष्ट्रीय लीग टेबल (International League Table) बनाने की है।
- वर्ष 2022 में भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या: NIRF रैंकिंग में 7,000 से अधिक संस्थानों ने भाग लिया।

रैंकिंग 2022 की मुख्य विशेषताएँ:

- समग्र रूप से IIT-मद्रास, IISc- बंगलूरू और IIT-बॉम्बे देश के शीर्ष तीन उच्च शिक्षा संस्थान हैं।
- विश्वविद्यालय: IISc- बंगलूरू विश्वविद्यालय की श्रेणी में सबसे ऊपर है।
- कॉलेज: मिरांडा कॉलेज ने लगातार छठे वर्ष कॉलेजों में पहला स्थान बरकरार रखा है, उसके बाद हिंदू कॉलेज, दिल्ली और प्रेसीडेंसी कॉलेज चेन्नई का स्थान है।
- अनुसंधान संस्थान: IISc- बंगलूरू को IIT- मद्रास के बाद सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान का दर्जा दिया गया है।
- इंजीनियरिंग: इंजीनियरिंग संस्थानों में आईआईटी-मद्रास नंबर वन पर रहा है।
- प्रबंधन: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), अहमदाबाद को प्रबंधन के क्षेत्र में पहला तथा IIM-बंगलूरू को दूसरा स्थान मिला है।
- चिकित्सा: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली लगातार पाँचवें वर्ष चिकित्सा में शीर्ष स्थान पर रहा है।
- फार्मेसी: जामिया हमदर्द फार्मेसी के क्षेत्र में लगातार चौथी बार सूची में सबसे ऊपर है।
- आर्किटेक्चर: IIT रुड़की आर्किटेक्चर में दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है।
- कानून (लॉ): नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरू ने लगातार पाँचवें वर्ष कानून में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।
- डेंटल: सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज़, चेन्नई को पहली रैंक मिली है।

सोडियम-आयन बैटरी

हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन (यूएस) के वैज्ञानिकों ने एक विद्युतअपघट्य (Electrolyte) विकसित किया है जो सोडियम आयन बैटरी को व्यावसायिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

- जल्द ही सोडियम-आधारित बैटरी तकनीक, लिथियम-आधारित बैटरी के एक विकल्प के रूप में स्थान ले सकती है।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएँ:

- अध्ययन में पाया गया कि परिवेशी तापमान सॉलिड-स्टेट सोडियम-सल्फर बैटरी तकनीक का उपयोग नए विद्युतअपघट्य की मदद से ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिये किया जा सकता है।
- नई संरचनात्मक और संरचनागत डिज़ाइन पद्धतियाँ सुरक्षित, कम लागत वाली, ऊर्जा-सघन, लंबे समय तक चलने वाली सॉलिड-स्टेट सोडियम बैटरियों के निर्माण के लिये एक नया प्रतिमान स्थापित करती हैं।

सोडियम आयन बैटरी:

- यह रिचार्जेबल बैटरी हैं जिसे बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोड के बीच सोडियम आयन संचलन की आवश्यकता होती है, तथा इन बैटरियों में सोडियम कैथोड के रूप में कार्य करता है।

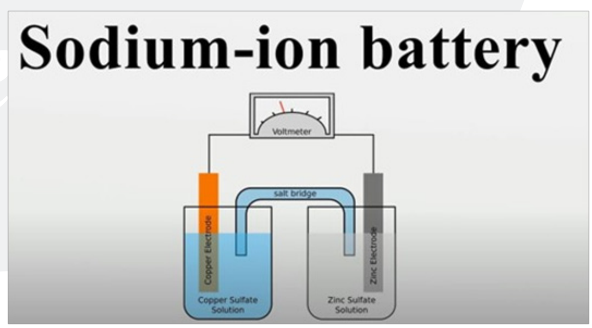

लिथियम-आयन संबंधी चुनौतियाँ:

- लिथियम-आयन निकासी हेतु खनन प्रथाओं ने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है।
- यह हानिकारक रसायन उत्सर्जित करता है जो आगे नदियों और उसके पारिस्थितिकी तंत्र में फैल जाते हैं।
- यह पुर्नप्रयोग लायक नहीं है क्योंकि इसकी पुनर्चक्रण प्रक्रिया बहुत महँगी है।

सोडियम-आयन का महत्त्व:

- लिथियम समकक्षों की तुलना में इसका उत्पादन करना सस्ता है क्योंकि इन्हें बनाने के लिये आवश्यक कच्चे माल की प्रचुरता है।

नोट :

- वे ऊर्जा सघन, ज्वलनशील और ठंडे तापमान में अच्छी तरह से काम करते हैं।
- इसके अलावा वे प्रति यूनिट वज़न में अधिक ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं, यह उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे बड़े अनुप्रयोगों के लिये उपयुक्त बना सकता है।
- इसमें बैटरी के गर्म होने की संभावना कम होती है जबकि लिथियम-आयन बैटरी में आग लग सकती है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

गुजरात में केवल चार फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) बची हैं।

- वर्ष 2018 की गणना के अनुसार, भारत में 150 से कम GIB हैं, जिनमें से 122 राजस्थान में हैं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:

- परिचय:
  - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB), राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है।
  - यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है, जो चरागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है।
  - इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है।
- खतरा:
  - बिजली लाइनों से टकराव/इलेक्ट्रोक्यूशन, शिकार (अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित), आवास का नुकसान और व्यापक कृषि विस्तार आदि के परिणामस्वरूप यह पक्षी खतरे में है।
- सुरक्षा की स्थिति:
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
  - वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट-1
  - प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): परिशिष्ट-I
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:- अनुसूची 1
- GIB की सुरक्षा के लिये किये गए उपाय:
  - प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम:
    - इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के वन्यजीव आवास का एकीकृत विकास (IDWH) के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत रखा गया है।
  - नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान:
    - वर्तमान में इसे संरक्षण एजेंसियों (Conservation Agencies) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - संरक्षण प्रजनन सुविधा:
    - जून 2019 में MoEFCC, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा जैसलमेर में डेज़र्ट नेशनल पार्क में एक संरक्षण प्रजनन सुविधा स्थापित की है।
    - कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की आबादी में वृद्धि करना है जिसके लिये चूज़ों को जंगल में छोड़ा जाना है।
  - प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:
    - राजस्थान सरकार ने इस प्रजाति के प्रजनन बाड़ों के निर्माण और उनके आवासों पर मानव दबाव को कम करने के लिये एवं बुनियादी ढाँचे के विकास के उद्देश्य से 'प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 'लॉन्च किया है।
  - पर्यावरण अनुकूल उपाय:
    - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित वन्यजीवों पर पॉवर ट्रांसमिशन लाइनों (Power Transmission Lines) और अन्य पॉवर ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (Power Transmission Infrastructures) के प्रभावों को कम करने के लिये पर्यावरण के अनुकूल उपायों का सुझाव देने हेतु टास्क फोर्स का गठन।

किल स्विच

हाल ही में 'उबर फाइल्स' से पता चलता है कि कंपनी ने संवेदनशील डेटा को नष्ट करने के लिये कथित तौर पर किल स्विच तैनात किये थे, जिन्हें पुलिस और अधिकारियों द्वारा वैध रूप से एक्सेस किया जा सकता था।

किल स्विच क्या है ?

- किल स्विच एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग किसी डिवाइस या प्रोग्राम को बंद या अक्षम करने के लिये किया जाता है।

- विनिर्माण क्षेत्र में उन्हें असेंबली लाइनों में क्षति को रोकने या किसी श्रमिक के जीवन को बचाने के लिये संचालन/ऑपरेशन पर अंकुश लगाने के लिये तैनात किया जाता है।
- ये डिजिटल दुनिया में एक समान उद्देश्य की पूर्ति करते हैं लेकिन हार्डवेयर के बजाय अधिकांशत: सॉफ्टवेयर आधारित होते हैं।
- किल स्विच का उद्देश्य आमतौर पर किसी मशीन या डेटा की चोरी को रोकना या किसी आपात स्थिति में मशीनरी को बंद करना होता है।

भारतीय संदर्भ:

- उबर के एक ड्राइवर द्वारा चलती गाड़ी में बलात्कार किये जाने के बाद 'उबर' को दो महीने के लिये सस्पेंड कर दिया गया था।
- इसके बाद नियामक अधिकारियों ने कंपनी में कई प्रकार की विसंगतियाँ देखीं जैसे:
  - वैट (मूल्य वर्धित कर) रिटर्न उल्लंघन।
  - भारतीय अधिकारियों के लिये डेटा तक पहुँच को रोकना।
  - कंपनी के संचालन की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं और भारतीय संचालन नीदरलैंड मुख्यालय से किये जा रहे हैं।

डिजी यात्रा

हाल ही में "डिजी यात्रा" (DIGI YATRA) परियोजना पर चर्चा हेतु नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) की सलाहकार समिति की बैठक हुई।

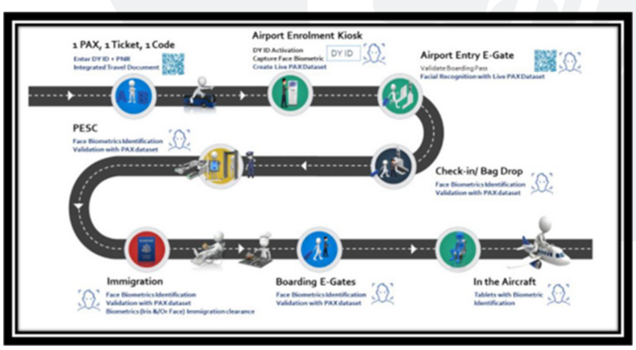

डिजी यात्रा क्या है?

- परिचय:
  - चेहरा पहचान प्रणाली (FRT) केआधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित, निर्बाध यात्रा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये इस परियोजना पर विचार किया गया है।
  - इस परियोजना का मूल विचार यह है कि कोई भी यात्री बिना किसी कागज़ के या बिना कोई संपर्क किये विभिन्न चेक पॉइंट से गुज़र सके। इसके लिये उसके चेहरे के फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे उसकी पहचान स्थापित होगी जो सीधे उसके बोर्डिंग पास से जुड़ी होगी।
  - यह एक विकेंद्रीकृत मोबाइल वॉलेट आधारित पहचान प्रबंधन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जो कि सस्ता भी है और डिजी यात्रा के कार्यान्वयन में गोपनीयता/डेटा सुरक्षा मुद्दों को भी संबोधित करता है।
- डिजी यात्रा फाउंडेशन:
  - इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत वर्ष 2019 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया था।
  - इस फाउंडेशन को डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (DYCE) निर्मित करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
  - डिजी यात्रा फाउंडेशन एक अखिल भारतीय इकाई और यात्री आईडी सत्यापन प्रक्रिया का संरक्षक होगा।
  - यह भारत में विमानन हितधारकों के बीच आम सहमति भी विकसित करेगा।
  - यह स्थानीय हवाई अड्डा प्रणालियों के अनुपालन और दिशा-निर्देशों के मानदंडों को भी परिभाषित करेगा।
- क्रियान्वयन:
  - पहले चरण में डिजी यात्रा को अगस्त 2022 में वाराणसी और बंगलूरू के दो हवाई अड्डों पर तथा अगले वर्ष में मार्च तक पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली एवं हैदराबाद के पाँच हवाई अड्डों पर शुरू करने का प्रस्ताव है।
  - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) उन हवाई अड्डों की पहचान करेगा जहाँ डिजी यात्रा को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

डिजी यात्रा का उद्देश्य:

- यात्री अनुभव को बढ़ाना और सभी हवाई यात्रियों को सरल एवं आसान अनुभव प्रदान करना।
- "डिजिटल फ्रेमवर्क" का उपयोग करके मौजूदा बुनियादी ढाँचे के माध्यम से बेहतर थ्रूपुट प्राप्त करना।
- कम लागत में संचालन।
- वर्तमान मैनुअल प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करना और बेहतर दक्षता लाना।
- सुरक्षा मानकों को बढ़ाना और मौजूदा सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार करना।
- सरकार द्वारा जारी आधार जैसी एक मज़बूत सत्यापन योग्य डिजिटल "आईडी" के साथ "डिजी यात्रा" प्रणाली का रोलआउट।

विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011

उपभोक्ता मामले विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिये अनुपालन बोझ को कम करने और इनके व्यापार को सुगम बनाने हेतु विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम 2011 में संशोधन किया है।

- इससे पहले लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज़), नियम 2011 के नियम 5 को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये छोड़ दिया गया था।
  - नियम 5 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पैक के आकार को निर्धारित करते हुए अनुसूची II को परिभाषित करता है।

संशोधन:

- इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को एक वर्ष की अवधि के लिये क्यूआर (त्वरित प्रतिक्रिया) कोड के माध्यम से कुछ अनिवार्य घोषणाओं को घोषित (यदि पैकेज में ही घोषित नहीं किया गया है) करने की अनुमति देता है।
  - विकल्प एक साल के लिये दिया गया है क्योंकि सरकार पायलट आधार पर पहली बार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की कोशिश कर रही है और प्रतिक्रिया के आधार पर इसे बढ़ाने का फैसला करेगी।
- हालाँकि उद्योग को पैकेज पर ही अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), फोन नंबर और ई-मेल पता जैसे अनिवार्य विवरण घोषित करने होंगे।
  - क्यूआर कोड के माध्यम से अतिरिक्त अनिवार्य घोषणाएँ जैसे निर्माता का पता, वस्तु का सामान्य नाम, वस्तु का आकार और आयाम व ग्राहक सेवा की अनुमति है।
- इससे पहले, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों सहित सभी पूर्व-पैक वस्तुओं के पैकेज पर लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज़), नियम 2011 के अनुसार सभी अनिवार्य घोषणाओं को घोषित करना आवश्यक है।

विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम 2011:

- यह भारत में पहले से पैक की गई वस्तुओं को नियंत्रित करता है और अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी वस्तुओं की बिक्री से पहले कुछ लेबलिंग आवश्यकताओं को अनिवार्य करता है।
- कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का मुख्य उद्देश्य वज़न और उपायों के मानकों को स्थापित करना तथा लागू करना, वज़न, उपायों, अन्य सामानों में व्यापार व वाणिज्य को विनियमित करना है जो वज़न, माप या संख्या और किसी भी अन्य मामले से जुड़े हुए हैं, जो बेचे या वितरित किये जाते हैं।
  - अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिये कानूनी माप विज्ञान के निदेशक की नियुक्ति कर सकती है।
  - राज्य सरकार अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिये कानूनी माप विज्ञान नियंत्रक नियुक्त कर सकती है।
- संबंधित पहल:
  - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
  - खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम मसौदा
  - उपभोक्ता कल्याण कोष
  - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद
  - उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021
  - उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020
  - राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

जागृति शुभंकर

हाल ही में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सशक्त बनाने हेतु उपभोक्ता मामलों के विभाग (DOCA) द्वारा जागृति नाम का शुभंकर लॉन्च किया गया है।

जागृति:

- इसे उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिये उपयोग किया जाएगा जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा।

- यह विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा जैसे:
  - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान
  - हॉलमार्किंग
  - राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915
  - वज़न और माप अधिनियम के प्रावधान
  - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय
  - शिकायत निवारण पर उपभोक्ताओं द्वारा प्रशंसापत्र

जागृति शुभंकर का महत्त्व:

- अभियान में डिजिटल और मल्टीमीडिया चैनलों की उपस्थिति बढ़ाने के अलावा यह उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाएगा।
- इसे विभिन्न मीडिया अभियानों में टैगलाइन "जागो ग्राहक जागो" के साथ दिखाया जाएगा।

संकटग्रस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये एक शब्दावली

हाल ही में अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़कर चार दशक के शीर्ष स्तर पर पहुँच गई। सरकार की ओर से जारी आँकड़ों के अनुसार, जून 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले की तुलना में 9.1 फीसदी बढ़ गई।

- कई अमेरिकी पर्यवेक्षकों ने यह तर्क दिया है कि यील्ड कर्व कि स्थिति में अमेरिकी केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के लिये सॉफ्ट-लैंडिंग हासिल करने में सक्षम नहीं होगा।
- रिवर्स करेंसी वॉर की शुरुआत का पूर्वानुमान भी लगाया गया है।

बॉण्ड यील्ड व्युत्क्रमण

(Bond Yield Inversion)

- बॉण्ड:
  - बॉण्ड: यह धन उधार लेने का एक साधन है। किसी देश की सरकार या एक कंपनी द्वारा धन का सृजन करने के लिये बॉण्ड जारी किया जा सकता है।
  - बॉण्ड यील्ड बॉण्ड के कूपन (ब्याज़) भुगतान से निवेशक को प्राप्त लाभ है।
  - आमतौर पर सरकारी बॉण्ड यील्ड अर्थव्यवस्था में जोखिम-मुक्त ब्याज़ दर को समझने का एक अच्छा तरीका है।
- यील्ड कर्व:
  - यील्ड कर्व अलग-अलग समयावधि में बॉण्ड (समान क्रेडिट रेटिंग के साथ) से यील्ड का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है।
  - दूसरे शब्दों में यदि कोई अमेरिकी सरकार के अलग-अलग अवधि के बॉण्ड लेता है और उन्हें उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली यील्ड के अनुसार प्रबंध करता है, तो उसे यील्ड कर्व मिलेगा।
- बॉण्ड यील्ड व्युत्क्रमण:
  - सामान्य परिस्थितियों में:
    - किसी भी अर्थव्यवस्था में ऊपर की ओर झुकी हुई यील्ड कर्व होगी।
    - जैसे ही कोई लंबी अवधि के लिये उधार देता है या लंबी अवधि के बॉण्ड खरीदता है तो उसे अधिक प्रतिफल मिलता है।
    - यदि कोई लंबी अवधि के लिये पैसे की साझेदारी कर रहा है, तो रिटर्न अधिक मिलेगा।
    - जब निवेशक अर्थव्यवस्था के बारे में आश्वस्त महसूस करते हैं तो वे लंबी अवधि के बॉण्ड से पैसा निकालते हैं और इसे शेयर बाज़ारों जैसे अल्पकालिक जोखिम वाले परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं।
    - बॉण्ड बाज़ार में लंबी अवधि के बॉण्ड की कीमतें गिरती हैं और उनकी यील्ड (प्रभावी ब्याज़ दर) बढ़ जाती है।
    - ऐसा इसलिये होता है क्योंकि बॉण्ड की कीमतें और बॉण्ड यील्ड विपरीत रूप से संबंधित हैं।
  - संदिग्ध परिस्थितियाँ:
    - हालाँकि जब निवेशकों को संदेह होता है कि अर्थव्यवस्था संकट की ओर बढ़ रही है, तो वे अल्पकालिक जोखिम वाली संपत्तियों (जैसे शेयर बाज़ार) से पैसा निकालते हैं और उन्हें लंबी अवधि के बॉण्ड में निवेश करतें हैं।
    - इससे लंबी अवधि के बॉण्ड की कीमतें बढ़ती हैं और उनका प्रतिलाभ गिरता है।

सॉफ्ट लैंडिंग:

- अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही कठोर मौद्रिक प्रक्रिया में न केवल मुद्रा आपूर्ति को कम करना शामिल है बल्कि पैसे की लागत (यानी ब्याज़ दर) में वृद्धि करना भी शामिल है।
  - अमेरिकी फेडरल रिज़र्व मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये ऐसा कर रहा है।
- जब कोई केंद्रीय बैंक मंदी के बिना अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, तो इसे सॉफ्ट-लैंडिंग कहा जाता है यानी किसी को नुकसान नहीं होता है।
  - लेकिन जब केंद्रीय बैंक की कार्रवाई मंदी लाती है, तो इसे हार्ड-लैंडिंग कहा जाता है।

रिवर्स करेंसी वॉर:

- अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की आक्रामक रूप से ब्याज़ दरें बढ़ाने की कार्रवाई का एक दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका में निवेश करने के लिये अधिक-से-अधिक निवेशक आकर्षित हो रहे हैं।
  - इसने बदले में डॉलर को अन्य सभी मुद्राओं की तुलना में मज़बूत बना दिया है क्योंकि येन, यूरो, युआन आदि की तुलना में डॉलर की अधिक मांग है।
- डॉलर के मुकाबले अन्य देशों की स्थानीय मुद्रा की सापेक्ष कमज़ोरी उनके निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाती है।
  - उदाहरण के लिये चीनी या भारतीय निर्यातक को अधिक बढ़ावा मिलता है।
  - अतीत में अमेरिका ने अन्य देशों पर अपनी मुद्रा में हेरफेर करने (डॉलर के मुकाबले इसे कमज़ोर रखने) का आरोप लगाया है ताकि वे अमेरिका के खिलाफ व्यापार अधिशेष का लाभ उठा सकें।
  - इसे करेंसी वॉर या मुद्रा युद्ध कहा जाता है।

INS सिंधुध्वज

हाल ही में भारतीय नौसेना ने 35 साल तक सेवा में रहने के बाद 'किलो क्लास पनडुब्बी' (Kilo class submarine) INS सिंधुध्वज को विशाखापत्तनम में सेवा से मुक्त कर दिया।

- वर्तमान में नौसेना के साथ सेवा में शामिल केवल 15 पारंपरिक पनडुब्बियाँ हैं।

INS सिंधुध्वज की मुख्य विशेषताएँ:

- परिचय:
  - इसे जून 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
  - यह 10 'किलो क्लास पनडुब्बियों' में से एक थी, जिसे भारत ने वर्ष 1986 और 2000 के बीच रूस (पूर्व सोवियत संघ सहित) से खरीदा था।
  - इस पनडुब्बी को इस बात का श्रेय जाता है क्योंकि इसने कई चीजे पहली बार कीं, जैसे- स्वदेशी सोनार USHUS, स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली रुक्मणी और MSS, जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और स्वदेशी टॉरपीडो फायर कंट्रोल सिस्टम का परिचालन इसी पर हुआ था।
  - सिंधुध्वज ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल और कार्मिक स्थानांतरण का काम भी सफलतापूर्वक किया था।
  - यह एकमात्र पनडुब्बी थी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नवाचार के लिये रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था।

वर्तमान परिदृश्य:

- भारतीय नौसेना के बेड़े में अब सात रूसी किलो क्लास पनडुब्बियाँ, चार जर्मन HDW पनडुब्बियाँ, चार फ्राँसीसी स्कॉर्पीन पनडुब्बियाँ और स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत शामिल हैं।
- इसके अलावा स्कॉर्पीन श्रेणी की अंतिम दो पनडुब्बियाँ परीक्षण और आउटफिटिंग के विभिन्न चरणों में हैं।
- प्रोजेक्ट-75I के तहत छह उन्नत पनडुब्बियों का निर्माण कार्य जारी है लेकिन इसमें देरी हो रही है।
  - प्रोजेक्ट-75I में अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपए है।

एनआईआईओ संगोष्ठी 'स्वावलंबन'

हाल ही में प्रधानमंत्री ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (NIIO) संगोष्ठी 'स्वावलंबन' के दौरान 'स्प्रिंट चैलेंजेज़' का अनावरण किया।

- 'स्प्रिंट (SPRINT) (आई-डीईएक्स, एनआईआईओ और टीडीएसी के माध्यम से आरएंडडी में पोल-वॉल्टिंग का समर्थन) चैलेंजेज़' का उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का महत्त्व:

- रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भरता के कई अवसरों के साथ एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया क्योंकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था और सामरिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।
- विशाल मानव संसाधन, प्रतिभाशाली पूल और भारतीय सशस्त्र बलों की बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण आवश्यकताओं के चलते इसमें विकास की अपार संभावनाएँ हैं।
- रक्षा क्षेत्र रोज़गार के अवसर पैदा कर और आयात के बोझ को कम करके राजकोष की बचत के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगा।
  - एयरोस्पेस और नेवल शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री सहित रक्षा उद्योग का आकार 85,000 करोड़ रुपए (2020-21) अनुमानित किया गया था।

- वर्तमान रूस-यूक्रेन संघर्ष भी आत्मनिर्भरता के महत्त्व को दर्शाता है। एक मज़बूत और सुसज्जित सेना किसी भी बाहरी और आंतरिक जोखिम से देश को प्रतिरक्षा प्रदान कर सकती है।
  - निजी क्षेत्र, MSME और स्टार्ट-अप की सक्रिय भागीदारी के साथ रक्षा क्षेत्र में नवाचार को iDEX पहल और 'प्रौद्योगिकी विकास कोष' के तहत कई परियोजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।
    - 'मेक इन इंडिया' पहल के एक हिस्से के रूप में रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिये प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF) की स्थापना की गई है।
  - भारतीय नौसेना ने 'क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास' (सागर) की दृष्टि के अनुरूप न केवल भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिये बल्कि अपने मित्र देशों की भी आवश्यक क्षमताओं का विकास किया है।

नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन

- लॉन्च:
  - प्रौद्योगिकी से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया।
- उद्देश्य:
  - आत्मनिर्भर भारत के विज़न को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना।
  - यह अंतिम उपयोगकर्त्ताओं के लिये अकादमिक और उद्योग के साथ बातचीत करने हेतु समर्पित संरचनाएँ स्थापित करेगा।
- संरचना: NIIO त्रिस्तरीय संगठन है।
  - नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद (N-TAC) नवाचार और स्वदेशीकरण के जुड़वाँ पहलुओं को एक साथ लाएगा और शीर्ष स्तर के निर्देश प्रदान करेगा।
  - N-TAC के तहत कार्य समूह परियोजनाओं को लागू करेगा।
  - त्वरित समय सीमा में उभरती विघटनकारी प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिये प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल (TDAC) बनाया गया है।

अन्य संबंधित पहल:

- प्रथम नकारात्मक स्वदेशीकरण
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची
- रक्षा क्षेत्र में नई FDI नीति
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020
- रक्षा औद्योगिक गलियारे
- रक्षा नवाचार संगठन
- डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज

ग्रीन पिट वाइपर

हाल ही में विश्व साँप दिवस (16 जुलाई, 2022) पर ग्रीन पिट वाइपर के ज़हर को निष्क्रिय करने के लिये प्रभावी एंटीवेनम विकसित करने पर सहमति बनी।

ग्रीन पिट वाइपर से संबंधित चिंताएँ:

- हालाँकि ग्रीन पिट वाइपर रसेल वाइपर से अधिक घातक नहीं है, लेकिन यह काटते समय हेमोटॉक्सिक ज़हर को छोड़ता है, जो शरीर में रक्त के थक्के बनने से रोकता है; परिणामस्वरूप आंतरिक रक्तस्राव होता है।
- इसके अलावा भारत में उपलब्ध एंटीवेनम से ग्रीन पिट वाइपर के ज़हर को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है।
  - पूर्वोत्तर भारत में अब तक दर्ज किये गए 64 में से 15 विषैले साँपों में मोनोकल्ड कोबरा, बैंडेड करैत, काला करैत, ग्रेट ब्लैक करैत, माउंटेन पिट वाइपर और रेडनेक कीलबैक शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में सर्पदंश के अधिकांश मामलों में ग्रीन पिट वाइपर की विभिन्न प्रजातियाँ शामिल हैं, जिसमें अन्य विषैले साँप भी पाए जाते है
- सर्पदंश की मानकीकृत रिपोर्टिंग का अभाव है।
  - वर्तमान उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, इसमें 1.4 मिलियन से अधिक मामले हैं जिसके परिणामस्वरूप सालाना 1,25,000 मौतें होती हैं।

पिट वाइपर:

- पिट वाइपर, वाइपर की कोई भी प्रजाति (सबफैमिली क्रोटालिने) जिसमें दो जंगम (नुकीले डंक) के अलावा आँख और नथुने के बीच एक गर्मी-संवेदनशील अंग होता है जो इसे शिकार करने में सहायता करता है।

- पिट वाइपर रेगिस्तान से लेकर वर्षा वनों तक में पाए जाते हैं।
- ये स्थलीय, वृक्षीय या जलीय हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रजातियाँ अंडे देती हैं और अन्य प्रजातियाँ जीवित बच्चों को जन्म देती हैं।
- विषैले पिट वाइपर प्रजातियों में हंप-नोज्ड पिट वाइपर, मैंग्रोव पिट वाइपर और मालाबार पिट वाइपर शामिल हैं।
- रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर भारत में पाई जाने वाली दो सबसे ज़हरीली वाइपर प्रजातियाँ हैं जो भारत के चार सबसे ज़हरीले एवं सबसे घातक साँपों के सदस्य हैं।
  - भारत में ज़्यादातर सर्पदंश की घटनाएँ इन्हीं प्रजातियों के कारण होती हैं।

कोविड-19 के लिये अपशिष्ट जल निगरानी

हाल ही में हैदराबाद और बंगलूरु में एक अध्ययन किया गया है ताकि वायरस के बारे में जानकारी एकत्र करने के एक कुशल और आसान तरीके के रूप में कोविड -19 के लिये अपशिष्ट जल आधारित निगरानी की जाँच की जा सके।

अध्ययन के बारे में:

- इस अध्ययन का उद्देश्य एक ऐसा प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रिया को विकसित करना था, जिसे शोधकर्त्ता ऐसे उद्योगों को सौंप सकें जो सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्य कर करें।
- हैदराबाद में अध्ययन लगभग एक वर्ष की अवधि तक किया गया था और लगभग 2.5 लाख की आबादी का डेटा प्राप्त किया था।
  - शोधकर्त्ताओं ने नालों के अनुपचारित जल में वायरल घनत्व में अस्थायी गतिशीलता का पता लगाया, जो जुलाई से नवंबर 2020 तक लगातार अपने उच्च स्तर पर था।
  - फरवरी 2021 में कोविड-19 के मामलों में मामूली वृद्धि ने दूसरी लहर का संकेत दिया था, जिसकी शुरुआत मार्च 2021 में हुई थी।
  - नालों से एकत्र किये गए नमूने:
    - अवलोकन के बाद शोधकर्त्ताओं ने पाया कि अधिकांश विषाणु मल के नमूनों से आते हैं।
- इस समूह ने बंगलुरु में अपशिष्ट जल के नमूनों का भी अध्ययन किया है।
  - इन्होंने शहर भर में लगे 28 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से पानी का नमूना लिया।
    - एक STP में अपशिष्ट जल को एकत्र किया जाता है, उसे उपचारित किया जाता है और फिर बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसलिये उपचार से पहले इसके नमूने एकत्र किये जाते हैं।

अपशिष्ट जल की निगरानी के लाभ:

- वायरल लोड के बढ़ने या घटने के रुझान का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है।
- किसी एक व्यक्ति के नमूने पर RT-PCR में (जहाँ परीक्षण परिणाम जल्दी आ सकता है) नमूने का अनुक्रम विश्लेषण करने में कुछ सप्ताह लगते हैं।
  - अपशिष्ट जल निगरानी में हजारों लोगों के वायरस योगदान को अनुक्रमण कर रहे हैं।
- डेंगू, जीका या टीबी का कारण बनने वाले अलग-अलग वायरस के रूप में नए रूपों को पहले से ही देखा जा सकता है।
  - इससे स्वास्थ्य विभाग को महामारी से निपटने के लिये तैयार रहने में मदद मिलेगी।
    - अध्ययन रोगाणुरोधी प्रतिरोध जीन की निगरानी कर सकते हैं और नागरिक अधिकारियों को बता सकते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक्स विफल हो रहे हैं।
- अन्य प्रकार के कोविड-19 निगरानी के विपरीत अपशिष्ट जल निगरानी उन लोगों पर निर्भर नहीं करती है जिनके पास स्वास्थ्य देखभाल जैसे- बीमार होने पर स्वास्थ्य देखभाल की मांग करने वाले लोग, या कोविड-19 परीक्षण तक की पहुँच है।

तरंगा हिल-अंबाजी- आबू रोड

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तरंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंज़ूरी दी।

मुख्य बिंदु:

- परिचय:
  - नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116.65 किलोमीटर होगी।
  - यह परियोजना वर्ष 2026-27 तक पूरी हो जाएगी। परियोजना निर्माण के दौरान लगभग 40 लाख मानव दिवसों के लिये प्रत्यक्ष रोज़गार पैदा करेगी।
  - यह मार्ग राजस्थान के सिरोही ज़िले और गुजरात के बनासकांठा तथा मेहसाणा ज़िलों से होकर गुज़रेगी।
- महत्त्व :
  - यह कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और गतिशीलता में सुधार करेगी जिससे इस क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।
  - चूँकि यह महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को जोड़ती है , इसलिये यह लाखों भक्तों को आसान यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी।
  - यह कृषि और स्थानीय सामानों की तीव्र आवाजाही की सुविधा भी प्रदान करेगी, गुजरात और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगी।

- यह मौजूदा अहमदाबाद-आबू रोड रेलवे लाइन के लिये वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी।

तीर्थ स्थल:

- अंबाजी गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर स्थल है, जो 51 शक्तिपीठों में शामिल है।
  - यहाँ प्रतिवर्ष गुजरात के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों और विदेशों से लाखों भक्त आते हैं। इसलिये यह रेल लाइन इन लाखों भक्तों के लिये आसान यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी।
- इसके अलावा तरंगा हिल स्थित अजीतनाथ जैन मंदिर (24 पवित्र जैन तीर्थंकरों में से एक) के दर्शन करने वाले श्रद्धालु भी इस रेल लाइन से काफी लाभान्वित होंगे।
  - तरंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड के बीच यह नई रेलवे लाइन इन दो महत्त्वपूर्ण धार्मिक खेलों को रेलवे के मुख्य नेटवर्क से जोड़ेगी।

यूरो - डॉलर समानता

हाल ही में यूरो और अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग समान हो गई है , इसका अर्थ है कि एक अमेरिकी डॉलर से विदेशी मुद्रा बाज़ार में एक यूरो खरीदा जा सकता है।

- वर्ष की शुरुआत के बाद से यूरो में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 12% की गिरावट आई है और आगे भी इसमें गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है।

मुद्रा विनिमय दर:

- बाज़ार अर्थव्यवस्था में किसी भी मुद्रा की कीमत आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है।
  - विदेशी मुद्रा बाज़ार में किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति केंद्रीय बैंक नीति, आयात एवं विदेशी परिसंपत्ति की स्थानीय मांग जैसे विभिन्न कारकों से निर्धारित होती है।
  - दूसरी ओर किसी देश की मुद्रा की मांग, केंद्रीय बैंक नीति, निर्यात एवं घरेलू परिसंपत्ति की विदेशी मांग जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है।

यूरो के मूल्य में गिरावट के प्रमुख कारक:

- यू.एस. फेडरल रिज़र्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीतियों में विचलन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो के महत्त्वपूर्ण मूल्यह्रास के पीछे प्राथमिक कारण है।
- जून 2022 में अमेरिका में मुद्रास्फीति चार दशक के उच्च स्तर 9.1% पर पहुँच गई है, जबकि यूरोज़ोन में मुद्रास्फीति उसी महीने के दौरान अपने उच्चतम स्तर 8.6% पर पहुँच गई है।
  - अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने अमेरिकी मुद्रा आपूर्ति वृद्धि को धीमा करने के लिये इस वर्ष ब्याज़ दरों में वृद्धि करके बढ़ती कीमतों पर प्रतिक्रिया दी है।
  - ECB नीति को सख्त करने में बहुत कम आक्रामक रहा है, हालाँकि कुछ यूरोपीय देशों में मुद्रास्फीति की दर 22% जितनी अधिक है।
    - यह यूरो के मूल्य को डॉलर के मुकाबले फिसलने करने का कारण बना है क्योंकि मुद्रा कम-से-कम डॉलर की आपूर्ति के मुकाबले बाज़ार में यूरो की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है।
- यूक्रेन पर रूस का आक्रमण और रूस के खिलाफ आगामी कार्रवाइयों के मद्देनज़र ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता से यूरो का मूल्य प्रभावित हुआ है।
  - यूरोप को अब सीमित ऊर्जा आपूर्ति को आयात करने के लिये अधिक यूरो खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसने बदले में यू.एस. डॉलर के मुकाबले यूरो के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

यूरो-डॉलर पर समान अर्थव्यवस्था का प्रभाव:

- व्यवसाय:
  - यूरो क्षेत्र के बाहर निर्यात करने वाली कंपनियाँ यूरो की गिरावट से लाभान्वित होती हैं क्योंकि डॉलर में परिवर्तित होने पर उनकी कीमतें अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो जाती हैं।
    - इसके विपरीत यूरो में बाहर से आयात करने वाली कंपनियों को नुकसान होगा क्योंकि उन्हें आयात के लिये अधिक यूरो का भुगतान करना होगा।
  - स्थानीय शिल्पकारों के मामले में जो कि कच्चे माल और ऊर्जा पर निर्भर हैं, लेकिन बहुत कम निर्यात करते हैं, कमज़ोर यूरो लागत में वास्तविक वृद्धि का कारण बन सकता है।

- विकास और ऋण:
    - यूरो के मूल्य में गिरावट एकल मुद्रा क्षेत्र के बाहर कीमतों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाती है, सैद्धांतिक रूप से विदेशों में यूरोपीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देती है।
        - लेकिन यूक्रेन में युद्ध के मद्देनज़र वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से सकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है, खासकर जर्मनी जैसे निर्यात-उन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में।
    - डॉलर मूल्यवर्ग के ऋण जारी करने वाले देशों के लिये डॉलर के मुकाबले यूरो के मूल्य में गिरावट से ऋण चुकौती की लागत बढ़ जाती है।
- केंद्रीय बैंक:
    - मुद्रास्फीति को बढ़ावा देकर यूरो की गिरावट यूरोपीय केंद्रीय बैंक को ब्याज़ दरों को और तेज़ी से बढ़ाने के लिये प्रेरित कर सकती है।
        - यह जुलाई 2022 में 11 वर्षों में पहली बार उधार लेने की लागत को सख्त करने की तैयारी कर रहा है।

विंडफॉल टैक्स

वैश्विक मंदी की आशंका के बीच कच्चे तेल की कीमतों में कमी के साथ भारत सरकार ने डीज़ल एवं विमानन टरबाइन ईंधन (Aviation Turbine Fuel- ATF) पर हाल ही में लगाए गए उपकरों और शुल्कों में कटौती की है तथा पेट्रोल के निर्यात पर उपकर हटा दिया है।

करों में कटौती:

- विंडफॉल टैक्स:
    - विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अचानक बड़े मुनाफे पर लगाया गया उच्च कर दर है।
- करों में कमी:
    - पेट्रोल के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर के बराबर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हटा दिया गया है।
    - डीज़ल निर्यात पर शुल्क पहले के 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 11 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।
    - घरेलू रिफाइनरियों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के बराबर पर बेचे जाने वाले घरेलू कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (या विंडफॉल टैक्स) के माध्यम से उपकर को 23,250 रुपए प्रति टन से घटाकर 17,000 रुपए प्रति टन कर दिया गया है।
    - ATF पर निर्यात शुल्क को 2 रुपए घटाकर 4 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है।

सरकार द्वारा बढ़ाई गई ड्यूटी:

- सरकार ने 1 जुलाई, 2022 को देश में ईंधन की कमी के मुद्दे को हल करने के लिये पेट्रोल और डीज़ल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया।
- जून 2022 से देश भर के ईंधन पंपों द्वारा ईंधन की कमी की शिकायत की जा रही थी जिसके कारण उन्हें बंद कर दिया गया है।
    - ईंधन की कमी के परिणामस्वरूप सरकार ने शुल्क बढ़ा दिया।
        - इस कदम ने देश में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध होने के प्रति आश्वस्त किया है और सरकार ने तेल विपणन कंपनियों से कहा कि वे ईंधन पंपों को खुला रखें।

वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें:

- वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई थी और घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों को अप्रत्याशित लाभ हो रहा था।
    - निजी तेल विपणन कंपनियाँ अधिक लाभ के लिये बाहरी देशों में पेट्रोल और डीज़ल का निर्यात कर रही थीं।
- खुदरा दुकानों पर ईंधन की कमी इसलिये उत्पन्न हुई थी क्योंकि तेल विपणन कंपनियाँ नुकसान पर माल बेचने को तैयार नहीं थीं क्योंकि कच्चे तेल में बढ़ोतरी और रुपए में गिरावट के बावजूद कीमतों में वृद्धि नहीं हुई थी।
    - इन दो कारणों से तेल विपणन कंपनियों को डीज़ल पर 20-25 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 10-15 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हुआ था।
- पिछले पखवाड़े में अमेरिकी और समग्र वैश्विक मंदी के कारण अंतर-महाद्वीपीय विनिमय पर ब्रेंट बेंचमार्क अनुबंध में 12% से अधिक की गिरावट आई है, जिसने सरकार द्वारा लगाए गए ड्यूटी की समीक्षा करने के लिये प्रेरित किया है।

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह

हाल ही में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का शत-प्रतिशत लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जिसमें सभी बर्थ सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित हो रहे थे।

लैंडलॉर्ड बंदरगाह:

- इस मॉडल में सार्वजनिक रूप से शासित बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय और एक लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करता है, जबकि निजी कंपनियाँ बंदरगाह का संचालन करती हैं जिसमें मुख्य रूप से कार्गो-हैंडलिंग गतिविधियाँ शामिल हैं।
- इस मॉडल में बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह का स्वामित्व अपने पास रखता है, जबकि बुनियादी ढाँचे को निजी फर्मों को पट्टे पर दे दिया जाता है, जो स्वयं उस बंदरगाह को अधिरचना प्रदान करते हैं और उसे बनाए रखते हैं तथा कार्गो के संचालन के लिये अपने स्वयं के उपकरण स्थापित करते हैं।

- बदले में लैंडलॉर्ड बंदरगाह को निजी संस्था से राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होता रहता है।

सर्विस पोर्ट मॉडल:

- सर्विस पोर्ट मॉडल में बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह की गतिविधियों का प्रशासन और संचालन करता है।
- बंदरगाह संचालन में नौवहन सेवाएँ, गोदाम सुविधाएँ, क्रेन और कुशल कर्मचारी/मज़दूर उपलब्ध कराना शामिल है। बुनियादी ढाँचे का निर्माण, अधिरचना और कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बंदरगाह प्राधिकरण की ज़िम्मेदारी होती है।
- यदि पत्तन बंदरगाह जनहित में कार्य करता है तो भी बंदरगाह का पूर्ण स्वामित्व राज्य या सरकार के पास रहता है।
- ज़्यादातर मामलों में सर्विस पोर्ट मॉडल अक्षमता के कारण नुकसान पर चलते हैं। चूँकि बंदरगाह राज्य से संबंधित है और बंदरगाह प्राधिकरण के पास इसका संचालन नियंत्रण है,इसलिये श्रमिक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं।

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (JNP):

- परिचय:
  - यह नवी मुंबई में स्थित है, जो भारत में प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है, साथ ही भारत के प्रमुख बंदरगाहों में कुल कंटेनरीकृत कार्गो वॉल्यूम का लगभग 50% है।
  - इसे वर्ष 1989 में अधिकृत किया गया था और इसके संचालन के तीन दशकों में JNP थोक कार्गो टर्मिनल (Bulk-Cargo Terminal) से देश का प्रमुख कंटेनर बंदरगाह बन गया है।
- संक्षिप्त अवलोकन:
  - यह देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में से एक है और शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों (लॉयड्स लिस्ट टॉप 100 पोर्ट्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार) में 26वें स्थान पर है।
  - अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ JNP सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है, उपयोगकर्त्ता के अनुकूल वातावरण, साथ ही रेल और सड़क मार्ग से भीतरी इलाकों तक उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है।
  - यह वर्तमान में 9000 बीस-फुट समकक्ष इकाइयों (Twenty-Foot Equivalent Units TEU) क्षमता वाले जहाज़ों को संभाल रहा है और यह उन्नयन के साथ 12200 TEU क्षमता वाले जहाज़ों को भी संभाल सकता है।

पीपीपी मॉडल:

- परिचय:
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी में एक सरकारी एजेंसी और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच सहयोग शामिल होता है जिसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क, पार्क तथा कंवेंसन सेंटर्स जैसे परियोजनाओं को वित्त, निर्माण एवं संचालित करने के लिये किया जा सकता है।
- भारतीय परिप्रेक्ष्य:
  - पत्तन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये पीपीपी को एक प्रभावी साधन माना जाता है। पीपीपी के तहत अब तक 55,000 करोड़ रुपए की 86 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी जा चुकी है।
  - पीपीपी आधार पर प्रमुख परियोजनाओं में गोदी, मशीनीकरण, तेल जेट्टी का विकास, कंटेनर जेट्टियों का विकास, कंटेनर टर्मिनल के ओ-एंड-एम का विकास, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल के ओ-एंड-एम का विकास, पीपीपी प्रणाली के गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का वाणिज्यीकरण, पर्यटन परियोजनाओं का विकास, जैसे बंदरगाहों, द्वीपों का विकास, ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।
  - कार्गो के परिमाण में भी बढ़ोतरी की आशा है, जिसके मद्देनज़र यह बढ़ोतरी वर्ष 2020 के 1.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020 तक दोगुनी हो जाएगी। संभावना है कि पीपीपी या अन्य संचालकों द्वारा प्रमुख बंदरगाहों पर माल की लदाई-उतराई का प्रतिशत वर्ष 2030 तक 85 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा।

हट्टी समुदाय

हाल ही में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के तान-गिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने पर विचार कर रही है।

हट्टी समुदाय:

- हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है, जिसे कस्बों में 'हाट' नामक छोटे बाज़ारों में घरेलू सब्जियाँ, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की परंपरा से यह नाम मिला है।

- हट्टी समुदाय में पुरुष आमतौर पर समारोहों के दौरान एक विशिष्ट सफेद टोपी पहनते हैं।
- यह समुदाय सिरमौर से गिरि और टोंस नामक दो नदियों द्वारा विभाजित हो जाता है।
  - टोंस इसे उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र से विभाजित करती है
  - वर्ष 1815 में जौनसार बावर क्षेत्र के अलग होने तक उत्तराखंड के ट्रांस-गिरी क्षेत्र और जौनसार बावर में रहने वाले हट्टी कभी सिरमौर की शाही रियासत का हिस्सा थे।
- ट्रांस-गिरी और जौनसार बावर में समान परंपराएँ हैं तथा अंतर्जातीय-विवाह आम बात है।
- हट्टी समुदायों के बीच एक कठोर जाति व्यवस्था है- भट और खश उच्च जातियाँ हैं, जबकि बधोई उनसे नीची जाति है। अंतर्जातीय विवाह अब परंपरागत रूप से सख्त नहीं रहे हैं।
  - हट्टी समुदाय 'खुंबली' नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित है, जो हरियाणा के खाप पंचायत की तरह सामुदायिक मामलों को देखती है।
  - पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बावजूद खुंबली की शक्ति को कोई चुनौती नहीं मिली है
- सिरमौर और शिमला क्षेत्रों की लगभग नौ विधानसभा सीटों पर उनकी अच्छी उपस्थिति है।
  - भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की कुल आदिवासी आबादी 3,92,126 है, जो राज्य की कुल आबादी का 5.7% है।

उनकी मांगें:

- जनजातीय दर्जा:
  - वे वर्ष 1967 से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जब उत्तराखंड के जौनसार बावर में रहने वाले लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया गया था, जिसकी सीमा सिरमौर ज़िले से लगती है।
- चुनौतियाँ:
  - स्थलाकृतिक नुकसान के कारण हिमाचल प्रदेश के कामरौ, संगरा और शिलियाई क्षेत्रों में रहने वाले हट्टी शिक्षा तथा रोज़गार दोनों में पिछड़ गए हैं।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति:

- परिचय:
  - 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को "बहिष्कृत" और "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पिछड़ी जनजाति" कहा जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में "पिछड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधियों को बुलाया।
  - संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है, इसलिये वर्ष 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में किया गया था।
  - हालाँकि संविधान का अनुच्छेद 366 (25) केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिये प्रक्रिया प्रदान करता है: "अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
    - 342(1): राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में, जबकि राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जनजातियों या जनजातीय समुदायों के हिस्से या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है।
  - 705 से अधिक जनजातियाँ हैं जिन्हें अधिसूचित किया गया है। सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय ओडिशा में पाए जाते हैं।
  - संविधान की पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिये प्रावधान करती है।
  - छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
- कानूनी प्रावधान:
  - अस्पृश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
  - पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
  - अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- संबंधित पहल:
  - भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED)
  - जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन
  - विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह
  - प्रधानमंत्री वन धन योजना

- संबंधित समितियाँ:
    - शाशा समिति (2013)
    - भूरिया आयोग (2002-2004)
    - लोकुर समिति (1965)

भारत-जापान समुद्री अभ्यास

हाल ही में अंडमान सागर में जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास (MPX) आयोजित किया गया।

- भारत और जापान के बीच अन्य समुद्री अभ्यास:
    - जापान-भारत समुद्री अभ्यास (JIMEX)
    - मालाबार अभ्यास (भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया)

भारत-जापान समुद्री अभ्यास:

- परिचय:
    - इस अभ्यास का उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, जहाज़रानी और संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
    - यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में दोनों नौसेनाओं के बीच चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।
    - दोनों देश समुद्री संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में हिंद महासागर क्षेत्र में नियमित अभ्यास करते आ रहे हैं।
- प्रतिभागी:
    - आईएनएस सुकन्या: भारतीय नौसेना का एक अपतटीय गश्ती जहाज़
        - सुकन्या श्रेणी के गश्ती जहाज़ बड़े, अपतटीय गश्ती जहाज़ हैं।
        - कोरिया टैकोमा द्वारा तीन प्रमुख जहाज़ों का निर्माण किया गया था, जो अब हंजिन समूह का हिस्सा है।
        - सुकन्या वर्ग के जहाज़ों का नाम भारतीय महाकाव्यों की उल्लेखनीय महिलाओं के नाम पर रखा गया है।
        - सुकन्या वर्ग के पास बड़े पतवार हैं, हालाँकि वे हल्के हथियारों से लैस हैं क्योंकि उनका उपयोग मुख्य रूप से भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अपतटीय गश्त के लिये किया जाता है।
    - जे. एस. समीदारे जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के मुरासेम वर्ग के विध्वंसक है।
        - जे.एस. समीदारे (DD-106) जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (JMSDF) के मुरासामे-श्रेणी के विध्वंसक का छठा जहाज़ है।
- गतिविधियाँ:
    - ऑपरेशनल इंटरैक्शन के हिस्से के रूप में इसमें सीमैनशिप गतिविधियाँ, विमान संचालन और सामरिक युद्धाभ्यास शामिल हैं।

भारत के अन्य समुद्री अभ्यास:

- थाईलैंड:
    - भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती (भारत-थाई CORPAT)
- युनाइटेड किंगडम:
    - कोंकण - शक्ति
- इंडोनेशिया:
    - समुद्र शक्ति
- सिंगापुर:
    - सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX)
- कतर:
    - जायरे-अल-बहर

काराकोरम विसंगति

हाल ही में एक अध्ययन में इस बात की जाँच की गई कि दक्षिण-मध्य एशिया के काराकोरम रेंज के हिमनद अन्य स्थानों के हिमनदों की तरह जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्यों नहीं हुए हैं।

- अध्ययनकर्त्ताओं ने काराकोरम विसंगति नामक इस घटना को पश्चिमी विक्षोभ (WDs) की हालिया पुनरुत्पति के लिये उत्तरदायी माना है।

काराकोरम विसंगति:

- 'काराकोरम विसंगति' को हिमालय की अन्य निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं और दुनिया की अन्य पहाड़ी श्रृंखलाओं में हिमनद के पीछे हटने के विपरीत केंद्रीय काराकोरम में ग्लेशियरों की स्थिरता या असंगत वृद्धि के रूप में जाना जाता है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- यह पहली बार हुआ है कि जब कोई अध्ययन उस महत्त्व को सामने लाया है जो संचय अवधि के दौरान उस पश्चिमी विक्षोभ- वर्षा की मात्रा को बढ़ाता है जो क्षेत्रीय जलवायु विसंगति को संशोधित करने में भूमिका निभाता है।
    - पिछले अध्ययनों ने वर्षों से विसंगति को स्थापित करने और बनाए रखने में तापमान की भूमिका पर प्रकाश डाला है।
- पश्चिमी विक्षोभ (WDs) सर्दियों के दौरान इस क्षेत्र के लिये बर्फबारी का प्राथमिक कारक है।
- अध्ययन से पता चलता है कि ये कुल मौसमी हिमपात के लगभग 65% और कुल मौसमी वर्षा के लगभग 53% के लिये उत्तरदायी हैं, अत: ये नमी के सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- इसके अलावा, पिछले दो दशकों में काराकोरम को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा की तीव्रता में लगभग 10% की वृद्धि हुई है, जो क्षेत्रीय विसंगति को बनाए रखने में उसकी भूमिका को और अधिक महत्त्वपूर्ण बनाता है।

काराकोरम श्रेणी:

- काराकोरम एशिया के केंद्र में पर्वत शृंखलाओं के एक परिसर का हिस्सा हैं, जिसमें पश्चिम में हिंदूकुश, उत्तर-पश्चिम में पामीर, उत्तर-पूर्व में कुनलुन पर्वत और दक्षिण-पूर्व में हिमालय शामिल हैं।
- काराकोरम अफगानिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के कुछ हिस्सों को कवर करता है।

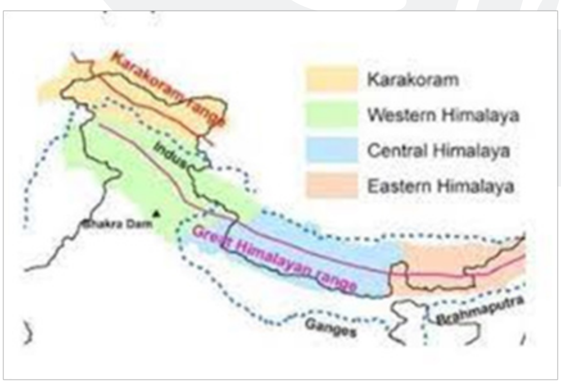

हिमालय के ग्लेशियरों का महत्त्व:

- हिमालय के ग्लेशियरों का भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से उन लाखों निवासियों के लिये जो अपनी दैनिक जल आवश्यकताओं के लिये इन बारहमासी नदियों पर निर्भर करते हैं, बहुत महत्त्व है।
- ये ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण तेज़ी से कम हो रहे हैं। आने वाले दशकों में जल संसाधनों पर दबाव कम करना बहुत ज़रूरी है।

फेमा और पीएमएलए

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के 4,913 मामलों की तुलना में वर्ष 2019-20 और वर्ष 2021-22 के बीच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम/फेमा (FEMA) और PMLA के तहत 14,143 मामले दर्ज किये हैं।

- वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक धनशोधन और विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले देखे गए।

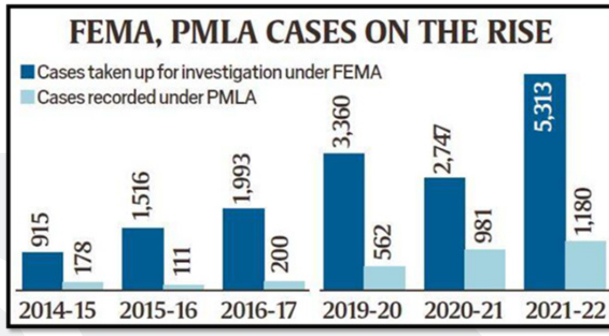

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999:

- भारत में विदेशी मुद्रा लेन-देन के प्रशासन के लिये कानूनी ढाँचा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 द्वारा प्रदान किया गया है।
- FEMA जो कि 1 जून, 2000 से प्रभावी हुआ, के तहत विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन-देन को पूंजी या चालू खाता लेन-देन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
    - चालू खाता लेन-देन :
        - निवासी द्वारा किये गए सभी लेन-देन जिनके कारण उसकी संपत्ति या देनदारियों (भारत के बाहर आकस्मिक देनदारियों सहित) में कोई परिवर्तन न हो, को चालू खाता लेन-देन के अंतर्गत रखा जाता है।
        - उदाहरणार्थ- विदेशी व्यापार के संबंध में भुगतान, विदेश यात्रा, शिक्षा आदि के संबंध में व्यय।
    - पूंजी खाता लेन-देन:
        - इसमें वे लेन-देन शामिल हैं जो भारत के निवासी द्वारा किये जाते हैं जिससे भारत के बाहर उसकी परिसंपत्ति या देनदारियाँ बदल जाती हैं (या तो बढ़ जाती है या घट जाती है)।
        - उदाहरण: विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश, भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण आदि।
- निवासी भारतीय:
    - 'भारत में निवासी व्यक्ति' को FEMA, 1999 की धारा 2(v) में परिभाषित किया गया है:
        - कुछ अपवादों को छोड़कर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहने वाला व्यक्ति।

- भारत में पंजीकृत या निगमित कोई भी व्यक्ति या निकाय, कॉर्पोरेट।
- भारत में कार्यालय, शाखा या एजेंसी जो भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है।
- भारत के बाहर एक कार्यालय, शाखा या एजेंसी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण भारत के निवासी के पास है

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002:

- यह धनशोधन से निपटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल तत्त्व है।
- इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।
- PMLA (संशोधन) अधिमियम, 2012:
  - इसमें 'रिपोर्टिंग इकाई' की अवधारणा शामिल है जिसमें एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ आदि शामिल होंगे।
  - PMLA, 2002 में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान था, लेकिन संशोधन अधिनियम में इस ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है।
  - इसमें गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी कुर्की और ज़ब्ती का प्रावधान किया गया है।

मोनार्क तितली

हाल ही में प्रवासी मोनार्क तितलियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा जारी रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया गया है।

मोनार्क तितली:

- परिचय:
  - यह डैनॉस प्लेक्सिपस तितली की एक उप-प्रजाति है जो पूरे अमेरिका प्रवास के दौरान लगभग 4,000 किलोमीटर की यात्रा करती है।
  - यह सबसे अधिक पहचानी जाने वाली तितली प्रजाति है जो आवश्यक परागण और वैश्विक खाद्य प्रणाली को बनाए रखने जैसी विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करती है।
  - प्रजातियों की एक छोटी आबादी ऑस्ट्रेलिया, हवाई और भारत जैसे देशों में भी पाई जाती है।
- मुद्दे:
  - पिछले दशक में महाद्वीप में उनकी आबादी में 23-72% की गिरावट आई है।
  - पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से प्रवास करने वाली तितलियों की जनसंख्या में वर्ष 1996-2014 के बीच 84% तक गिरावट आई है।
  - वे एक अनूठा जीवन जीते हैं क्योंकि वे केवल एक विशेष पौधे द मिल्कवीड में प्रजनन करते हैं लेकिन किसानों द्वारा इस पौधे को काटने से इनकी आबादी में कमी आई है।
    - इसके अलावा किसान मिल्कवीड पौधों से खरपतवारों को हटाने के लिये भी व्यापक रूप से खरपतवार नाशक दवाओं का उपयोग करते हैं।
    - खरपतवारनाशी को खरपतवार नाशक या कीटनाशकों के रूप में जाना जाता है जिनका उपयोग अवांछित पौधों को हटाने के लिये किया जाता है।
  - कानूनी और अवैध कटाई तथा वनों की कटाई से कृषि एवं शहरी विकास के लिये जगह उपलब्ध होती है, जो इसके आवास के विनाश का कारण बनती है।
  - बार-बार आने वाले तूफान और अधिक तीव्र सूखे की स्थिति फूलों के चक्र को बाधित करती हैं, जिसके कारण लाखों तितलियाँ मर जाती हैं।

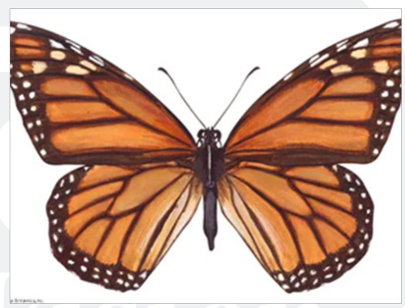

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN):

- यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिये एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी।
- यह पर्यावरण, वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन और भागीदारी भी करता है तथा राष्ट्रीय संरक्षण कानून, नीतियों एवं प्रथाओं को लागू करने में मदद करता है, साथ ही दुनिया भर में हज़ारों क्षेत्रीय परियोजनाओं का संचालन या प्रबंधन करता है।
- इसकी सदस्यता में 140 से अधिक देशों के 1,000 से अधिक सरकारी और गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं।
- यह संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट को बनाए रखता है, जो हज़ारों पौधों और जानवरों की प्रजातियों के विलुप्त होने के मौजूदा जोखिम का एक व्यापक मूल्यांकन है।
- IUCN को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है।
- IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी मूल्यांकन की गई प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को परिभाषित करती है। यह प्रजातियों को नौ श्रेणियों में सूचीबद्ध करता है।

नोट :

- मूल्यांकन नहीं किया गया (NE) से विलुप्त (Extinct-EX)।
- गंभीर रूप से लुप्तप्राय (CR), लुप्तप्राय (EN) और संवेदनशील(VU) प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा माना जाता है।

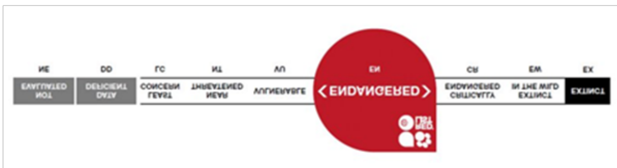

कारगिल विजय दिवस

26 जुलाई, 2022 को कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

- यह दिन कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को समर्पित है।

कारगिल युद्ध:

- परिचय:
  - 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद कई सैन्य संघर्ष हुए थे।
    - वर्ष 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किये जिससे तनाव और बढ़ गया तथा अंत में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ।
  - कारगिल युद्ध, जिसे कारगिल संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 1999 के मई-जुलाई के बीच जम्मू और कश्मीर के कारगिल (अब लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश में एक ज़िला) ज़िले में नियंत्रण रेखा (LoC) पर लड़ा गया था जिसमें भारत को जीत मिली थी।
- ऑपरेशन विजय:
  - वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान ने शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर मुद्दे को पारस्परिक रूप से हल करने के लिये लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किये।
  - हालाँकि पाकिस्तानी सैनिकों ने ऑपरेशन बद्र के तहत नियंत्रण रेखा (LOC) के भारतीय पक्ष की ओर घुसपैठ करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि सियाचिन में भारतीय सैनिकों को पराजित कर दिया जाएगा।
    - जबकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू करके जवाब दिया।
  - 3 मई, 1999 को पाकिस्तान ने यह युद्ध तब शुरू किया जब उसने लगभग 5,000 सैनिकों के साथ कारगिल के चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र में उच्च ऊँचाई पर घुसपैठ की और उस पर कब्ज़ा कर लिया।
  - जब भारत सरकार को इस विश्वासघात की जानकारी मिली तो भारतीय सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्ज़ा करने वाले घुसपैठियों को वापस खदेड़ने के लिये 'ऑपरेशन विजय' शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक:

- इसका उद्घाटन वर्ष 2019 में किया गया, यह इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है।
- इसमें मुख्य तौर पर चार संकेंद्रित वृत्त शामिल हैं, जिनका नाम है:
  - अमर चक्र' या अमरता का चक्र,
  - 'वीरता चक्र' या वीरता का चक्र,
  - 'त्याग चक्र' या बलिदान का चक्र,
  - 'रक्षक चक्र' या सुरक्षा का चक्र।
- राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का प्रस्ताव पहली बार 1960 के दशक में बनाया गया था।
- स्मारक उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये:
  - 1962 में भारत-चीन युद्ध
  - वर्ष1947, 1965 और 1971 में भारत-पाक युद्ध
  - श्रीलंका में भारतीय शांति सेना संचालन 1987-90
  - वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध
- राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उन सैनिकों को भी याद करता है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, मानवीय सहायता आपदा राहत (HADR) संचालन, आतंकवाद विरोधी अभियान और कम तीव्रता वाले संघर्ष संचालन (एलआईसीओ) में भाग लिया तथा सर्वोच्च बलिदान दिया।

हिम तेंदुआ

हाल ही में, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ के तहत भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग (Zoological Survey of India) द्वारा किये गए एक अध्ययन में हिम तेंदुए, साइबेरियन आइबेक्स और नीली भेड़ द्वारा आवास के उपयोग के बीच संबंध पर प्रकाश डाला गया।

- इसका उद्देश्य यह जाँचना था कि हिंसक जानवर (Predators) अपनी शिकार प्रजातियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति में निवास स्थान का उपयोग किस प्रकार करता है।

हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन:

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की सहायता अनुदान योजना है, इसके माध्यम से भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने में पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों एवं उनके संबंधों की समग्र समझ के माध्यम से आवश्यक ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य है।
- अंतिम लक्ष्य देश के लिये दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के हेतु जीवन की गुणवत्ता में सुधार और क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखना है।
- चूँकि मिशन विशेष रूप से भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) को लक्षित करता है, NMHS के अधिकार क्षेत्र में 10 हिमालयी राज्य (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड) तथा दो राज्य (असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी ज़िले) आंशिक रूप से शामिल हैं।
- लक्ष्यों में शामिल हैं:
  - प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत् प्रबंधन को बढ़ावा देना;
  - पूरक और/या वैकल्पिक आजीविका और क्षेत्र के समग्र आर्थिक कल्याण में वृद्धि;
  - क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करना और रोकना;
  - क्षेत्र में मानव और संस्थागत क्षमताओं तथा ज्ञान एवं नीतिगत वातावरण में वृद्धि करना,
  - जलवायु-अनुकूल मूल बुनियादी ढाँचे और बुनियादी सेवाओं के विकास को मज़बूत, हरा-भरा करना तथा बढ़ावा देना।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएँ:

- अध्ययन में पाया गया कि हिम तेंदुए का पता लगाने की संभावना अधिक थी यदि साइट का उपयोग इसकी शिकार प्रजातियों, यानी आइबेक्स और नीली भेड़ द्वारा किया जाता था।
- जबकि, शिकार प्रजातियों के मामले में जब शिकारी (हिम तेंदुआ) मौजूद था और उसका पता लगाया गया था, तब पता लगाने की संभावना कम थी।
- इसके अलावा, हमारे परिणामों ने सुझाव दिया कि दोनों प्रजातियों की अपेक्षा से एक साथ पता लगाने की संभावना कम थी।
- अध्ययन के अनुसार, आवास चर जैसे- बंजर क्षेत्र, घास के मैदान, ढलान और पानी से दूरी हिम तेंदुए और इसकी शिकार प्रजातियों दोनों के लिये आवास उपयोग के प्रमुख चालक थे।
- हिम तेंदुए जैसे शिकारी ब्लू शीप और साइबेरियन आइबेक्स जैसे शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, जिससे घास के मैदानों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है।
  - हिम तेंदुओं की लंबे समय तक अनुपस्थिति ट्रॉफिक कैस्केड का कारण बन सकती है क्योंकि आबादी के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की संभावना है, जिससे वनस्पति आवरण का ह्रास होगा।
- स्पीति घाटी के पारिस्थितिकी तंत्र में हिम तेंदुए और इसकी शिकार प्रजातियों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिये प्रजातियों के बीच संबंधों के बारे में ज्ञान बेहतर संरक्षण और प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने के लिये उपयोगी होगा।

हिम तेंदुआ:

- परिचय:
  - वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा अनकिया (Panthera Uncia)
  - शीर्ष शिकारी: हिम तेंदुआ खाद्य शृंखला में शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी स्थिति के कारण पहाड़ के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के एक संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- सुरक्षा स्थिति:
  - हिम तेंदुए को IUCN की विश्व संरक्षण प्रजातियों की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है।
  - इसके अलावा यह लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट-I में भी सूचीबद्ध है।
  - यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध है।
- आवास:
  - मध्य एशिया के पहाड़ी परिदृश्य में उनका एक विशाल लेकिन खंडित वितरण है, जो हिमालय के विभिन्न हिस्सों जैसे- लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को कवर करता है।

- खतरा:
  - हस्ताक्षरकर्त्ता देशों में जानवरों के शरीर के अंगों (फर, हड्डियों और मांस) का अवैध व्यापार के कारण इन्हें काफी अधिक खतरा है।

भारत में संरक्षण के प्रयास:

- भारत सरकार ने हिम तेंदुए की पहचान उच्च हिमालय की एक प्रमुख प्रजाति के रूप में की है।
- भारत वर्ष 2013 से वैश्विक हिम तेंदुआ एवं पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण (GSLEP) कार्यक्रम का हिस्सा है।
- हिमालय संरक्षक: यह अक्तूबर 2020 में हिम तेंदुओं की रक्षा के लिये शुरू किया गया एक सामुदायिक स्वयंसेवक कार्यक्रम है।
- वर्ष 2019 में 'स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट' पर फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया गया, जो इसकी आबादी की निगरानी के लिये बहुत उपयोगी है।
- सिक्योर हिमालय: वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) के तहत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने ऊँचाई पर स्थित जैवविविधता के संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर स्थानीय समुदायों की निर्भरता को कम करने के लिये इस परियोजना का वित्तपोषण किया।
- हिम तेंदुआ परियोजना: यह परियोजना वर्ष 2009 में हिम तेंदुओं और उनके निवास स्थान के संरक्षण के लिये एक समावेशी एवं सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई थी।
- हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पद्मजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है।

हैज़ा

शोधकर्त्ताओं ने हैजा पैदा करने वाले बैक्टीरिया में रोगाणुरोधी प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट की पहचान की है।

निष्कर्ष:

- हैजा जीवाणु के दो सौ से अधिक सेरोग्रुप ज्ञात हैं, जिनमें से केवल O1 और O139 जीनोम ही संक्रमण फैलाते हैं तथा महामारी का कारण बनते हैं।
  - शोधकर्त्ताओं ने O139 के जीनोम का अध्ययन किया और O1 के जीनोम से होने वाली मौतों के कारणों का पता लगाया।
- O139 में दो प्रमुख जीनोमिक विकासवादी परिवर्तन हुए, पहला हैजा विष के एक प्रकार से संबंधित है और दूसरा रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से होने वाली हानि से संबंधित है।
- हैजा के विष जीन और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पोर्टफोलियो में दो मुख्य संशोधन थे।
- O139 की AMR क्षमता में कमी के साथ इसने संभावित रूप से O1 के मुकाबले अपना प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ खो दिया।

हैजा:

- परिचय:
  - यह एक जानलेवा संक्रामक रोग है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा है।
  - हैजा एक तीव्र, अतिसार की बीमारी है जो विब्रियो कोलेरी जीवाणु से आँत के संक्रमण के कारण होती है।
  - संक्रमण अक्सर हल्का या लक्षणों के बिना होता है, लेकिन कभी-कभी गंभीर हो सकता है।
- लक्षण:
  - डायरिया
  - उल्टी
  - पैर में ऐंठन
- संक्रमण:
  - दूषित जल पीने या दूषित भोजन खाने से व्यक्ति को हैजा हो सकता है।
  - सीवेज और पीने के पानी के अपर्याप्त उपचार वाले क्षेत्रों में रोग तेज़ी से फैल सकता है।
- वैक्सीन:
  - वर्तमान में तीन- डुकोरल, शंचोल और यूविचोल-प्लस हैजा के टीके (OCV) हैं।
  - सभी तीन टीकों को पूर्ण सुरक्षा के लिये दो खुराक की आवश्यकता होती है।

सिफारिशें:

- निरंतर निगरानी आवश्यक है क्योंकि यह देखना आवश्यक है कि क्या कोई सीरोटाइप और सेरोग्रुप समय के साथ एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्राप्त कर रहे हैं या नहीं।
- सर्वोत्तम सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि टीकों और उपचारों का नियमित रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जाए ताकि किसी भी नए विकसित होने वाले वैरिएंट्स की दक्षता का पता लगाया जा सके।

एमआईएसटी पनडुब्बी केबल प्रणाली

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) की मंज़ूरी के लिये MIST (म्याँमार/मलेशिया-भारत-सिंगापुर ट्राँज़िट) पनडुब्बी केबल प्रणाली की सिफारिश की।

- यह मुंबई में स्थापित होने वाला 17वाँ ऐसा ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम होगा जिसके वर्ष 2023 में सेवा हेतु उपलब्ध होने की उम्मीद है।

म्याँमार/मलेशिया-भारत-सिंगापुर ट्राँज़िट (MIST):

- MIST अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल संचार नेटवर्क है, जो भारत को म्याँमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे अन्य एशियाई देशों के साथ जोड़ने के लिये समुद्र के नीचे स्थापित किया जाता है।
- यह चेन्नई से होते हुए मुंबई से सिंगापुर को जोड़ने वाली समुद्र के नीचे 8,100 किमी. लंबा ट्रांसनेशनल फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम है।
- यह केबल प्रणाली मुंबई में वर्सोवा बीच पर समाप्त हो जाएगी।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री केबल प्रणाली के तहत कुल लंबाई में से 523.50 किलोमीटर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में लगभग 12 समुद्री मील और महाराष्ट्र की CRZ सीमा में 202.06 किलोमीटर केबल बिछाई जाएगी।

परियोजना का महत्त्व:

- MIST केबल सिस्टम एशिया में सुरक्षित, विश्वसनीय, मज़बूत और सस्ती दूरसंचार सुविधाएँ प्रदान करेगा।
- यह भारत और अन्य एशियाई देशों जैसे- म्याँमार, थाईलैंड, मलेशिया एवं सिंगापुर के बीच दूरसंचार संपर्क को बढ़ावा देगा।
- यह वैश्विक संचार के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण परियोजना है और इसका मुंबई के तटीय पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।
- चेन्नई तट पर अंतर्राष्ट्रीय केबल लैंडिंग की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इससे विभिन्न हितधारकों के परस्पर संघर्ष में भी कमी आएगी।

आगामी परियोजनाएँ :

- रिलायंस जियो इंफोकॉम इंडिया-एशिया एक्सप्रेस (IAX), भारत को मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड से जोड़ती है।
- भारत-यूरोप एक्सप्रेस (IEX) सऊदी अरब और ग्रीस के माध्यम से भारत को इटली से जोड़ती है।
- दूरसंचार प्रदाताओं के संघ के स्वामित्व वाली SeaMeWe-6 परियोजना भारत, बांग्लादेश, मालदीव के माध्यम से सिंगापुर को फ्राँस से जोड़ेगी।
- अफ्रीका-2 केबल कई अफ्रीकी देशों द्वारा भारत को यूनाइटेड किंगडम से जोड़ेगी।

पनडुब्बी संचार केबल:

- यह महासागर और सागर के हिस्सों में दूरसंचार संकेतों को प्रसारित करने के लिये भूमि आधारित स्टेशनों के बीच समुद्र तल पर बिछाई गई केबल है।
- आधुनिक पनडुब्बी केबल फाइबर-ऑप्टिक तकनीक का उपयोग करती है।
- ऑप्टिकल फाइबर तत्त्व आमतौर पर जहाँ केबल बिछाई जानी है वहाँ पर प्लास्टिक की परतों के साथ लेपित होते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त सुरक्षात्मक ट्यूब में निहित होते हैं।
- उपग्रहों की तुलना में पनडुब्बी केबल्स के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना अधिक विश्वसनीय, लागत प्रभावी और अधिक क्षमता वाला है।

ऑप्टिकल फाइबर:

- ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल अवसंरचना की रीढ़ है; डेटा पतले फाइबर के लंबे स्ट्रैंड के माध्यम से यात्रा करने वाले प्रकाश-स्पंदों (Light Pulses) द्वारा प्रेषित होता है।
- फाइबर कम्युनिकेशन में संचरण के लिये धातु के तारों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें सिग्नल कम हानि के साथ यात्रा करते हैं।
    - ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection- TIR) के सिद्धांत पर कार्य करता है।
- प्रकाश की किरणों का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा संचारित करने के लिये किया जा सकता है (बिना मोड़ के लंबे सीधे तार के मामले में)।
    - यदि तार में मोड़ हो तो ऑप्टिकल केबलों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वे सभी प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़ते हों (TIR का उपयोग कर)।

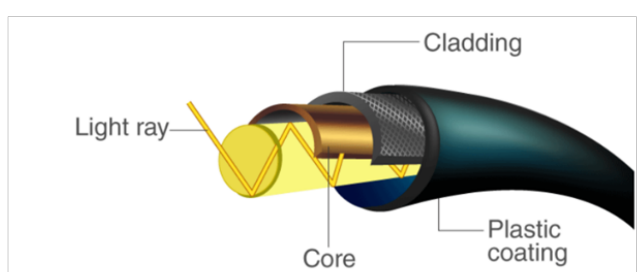

लाइट-मेंटल्ड अल्बाट्रॉस

हाल ही में अंटार्कटिक महासागर की स्थानिक प्रजाति अल्बाट्रॉस को तमिलनाडु में देखा गया।

खोज:

- वह स्थान जहाँ अल्बाट्रॉस को देखा गया था, वह पाक खाड़ी का हिस्सा है और मन्नार की खाड़ी के पास भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर एक 'महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र' है।
- रामेश्वरम द्वीप के पाक खाड़ी की ओर से दर्ज यह रिकॉर्ड महत्त्वपूर्ण है, और एक बार जब ये अंटार्कटिक पक्षी एशिया में चले जाते हैं तो शोधकर्त्ताओं नई चुनौतियाँ का सामना करते हैं।
- यह खोज शोधकर्त्ताओं को प्रसिद्ध और स्थापित मार्गों एवं स्थलों से दूर पक्षियों के प्रवास की तलाश करने हेतु प्रोत्साहित करती है।
- चूँकि पक्षी की दर्ज की गई निकटतम साइट रामेश्वरम से लगभग 5,000 किमी दूर है, इसलिये वायुमंडलीय दबाव में बदलाव अल्बाट्रॉस के भारतीय तट पर उतरने के कारणों में से एक हो सकता है।

लाइट-मेंटल्ड अल्बाट्रॉस:

- वैज्ञानिक नाम: फोबेट्रिया पल्पब्रेट
- परिचय:
  - इसके अलावा इसे ग्रे- मेंटल्ड अल्बाट्रॉस या लाइट-मेंटल्ड सूटी अल्बाट्रॉस के रूप में जाना जाता है।
  - लाइट- मेंटल्ड अल्बाट्रॉस अपना अधिकांश जीवन उड़ने में बिताते हैं। एक किशोर अल्बाट्रॉस प्रजनन से पूर्व समुद्र में कई वर्ष बिता सकता है।
  - व्यापक रूप में समुद्री क्षेत्र में जीवन बिताने के साथ लाइट-मेंटल्ड अल्बाट्रॉस, दक्षिणी महासागर में एक परिध्रुवीय वितरण को बनाए रखता है।

- बनावट:
  - सिर के चारों ओर गहरा रंग और पीठ एवं पंखों के सिरे पर हल्के राख (Ash) का रंग की संरचना।
  - आँख के ठीक ऊपर सफेद पट्टी की उपस्थिति।
- जनसंख्या:
  - वर्ष 1998 के एक अनुमान के अनुसार, दुनिया भर में इनकी 21,600 प्रजनन जोड़ियाँ मौजूद थीं।
- संरक्षण:
  - IUCN रेड लिस्ट: निकट संकटग्रस्त

स्वदेश दर्शन योजना

हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (SD2.0) के रूप में संशोधित किया है, जिसका उद्देश्य गंतव्यों पर स्थायी और ज़िम्मेदार बुनियादी ढाँचा विकसित करना है।

स्वदेश दर्शन योजना:

- परिचय:
  - इसे वर्ष 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिये शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पंद्रह विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है- बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेज़र्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, जनजातीय सर्किट, वन्यजीव सर्किट।
  - यह केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषित है और केंद्र एवं राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण हेतु तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कॉर्पोरेट क्षेत्र की कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (CSR) पहल के लिये उपलब्ध स्वैच्छिक वित्तपोषण का लाभ उठाने के प्रयास किये जाते हैं।
- महत्त्व:
  - स्वदेश दर्शन और PRASAD (तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्द्धन अभियान) योजनाओं के तहत पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - इस योजना के तहत परियोजनाओं निधियों की उपलब्धता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने, योजना दिशा-निर्देशों का पालन करने और पूर्व में जारी धन के उपयोग के अधीन स्वीकृत किया जाता है।

- उद्देश्य:
  - पर्यटन को आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन के प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित करना।
  - नियोजित और प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन क्षमता वाले सर्किट विकसित करना।
  - पहचान किये गए क्षेत्रों में आजीविका उत्पन्न करने के लिये देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा देना।
  - सर्किट/गंतव्यों में विश्व स्तरीय स्थायी बुनियादी ढाँचे को विकसित करके पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ाना।
  - समुदाय आधारित विकास और गरीब समर्थक पर्यटन दृष्टिकोण का पालन करना।
  - आय के बढ़ते स्रोतों, बेहतर जीवन स्तर और क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदायों में पर्यटन के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना।
  - उपलब्ध बुनियादी ढाँचे, राष्ट्रीय संस्कृति और देश भर में प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट स्थलों के संदर्भ में विषय-आधारित सर्किटों के विकास की संभावनाओं एवं लाभों का पूरा उपयोग करना।
  - आगंतुक अनुभव/संतुष्टि को बढ़ाने के लिये पर्यटक सुविधा सेवाओं का विकास करना।

स्वदेश दर्शन योजना 2.0:

- 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 नामक नई योजना का उद्देश्य पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर "आत्मनिर्भर भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- स्वदेश दर्शन 2.0 एक वृद्धिशील परिवर्तन नहीं है, बल्कि स्थायी और ज़िम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिये स्वदेश दर्शन योजना को एक समग्र मिशन के रूप में विकसित करने हेतु पीढ़ीगत बदलाव है।
- यह पर्यटन स्थलों के सामान्य और विषय-विशिष्ट विकास के लिये बेंचमार्क एवं मानकों के विकास को प्रोत्साहित करेगी ताकि राज्य परियोजनाओं की योजना तैयार करने एवं विकास करते समय बेंचमार्क तथा मानकों का पालन किया जा सके।
- योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिये निम्नलिखित प्रमुख विषयों की पहचान की गई है।
  - संस्कृति और विरासत
  - साहसिक पर्यटन
  - पारिस्थितिकी पर्यटन
  - कल्याण पर्यटन
  - एमआईसीई पर्यटन
  - ग्रामीण पर्यटन
  - तटीय पर्यटन
  - परिभ्रमण- महासागर और अंतर्देशीय।

परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

हाल ही में लोकसभा ने परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया, जो हिमाचल प्रदेश और नगालैंड में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के लिये परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 में संशोधन करने का प्रयास करता है।

परिवार न्यायालय एक्ट 1984:

- पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना:
  - पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 को पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के लिये अधिनियमित किया गया था ताकि सुलह को बढ़ावा दिया जा सके और विवाह तथा पारिवारिक मामलों एवं संबंधित विवादों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति:
  - राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सहमति से एक या अधिक व्यक्तियों को परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकती है।
- समाज कल्याण एजेंसियों का संघ:
  - राज्य सरकार निम्नलिखित के लिये पारिवारिक न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है:
    - समाज कल्याण में लगे संस्थान या संगठन।
    - परिवार के कल्याण को बढ़ावा देने में पेशेवर रूप से लगे व्यक्ति।
    - समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति।
    - कोई अन्य व्यक्ति जिसका परिवार न्यायालय के साथ जुड़ाव इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम होगा।

परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक:

- यह 15 फरवरी, 2019 से हिमाचल प्रदेश राज्य में और 12 सितंबर, 2008 से नगालैंड राज्य में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिये प्रावधान करना चाहता है।
- यह परिवार न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ होने से पहले हिमाचल प्रदेश और नगालैंड की राज्य सरकारों और उन राज्यों के परिवार न्यायालय द्वारा किये गए उक्त अधिनियम के तहत सभी कार्यों को पूर्वव्यापी रूप से मान्यता प्रदान करने के लिये एक नई धारा 3ए सम्मिलित करना चाहता है।

- विधेयक के अनुसार, परिवार न्यायालय के जज की नियुक्ति के सभी आदेश और अधिनियम के तहत ऐसे जज की पोस्टिंग, प्रमोशन या ट्रांसफर भी दोनों राज्यों में मान्य होंगे।

संशोधन की आवश्यकता:

- 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित और कार्यरत कुल 715 परिवार न्यायालय हैं, जिनमें से हिमाचल प्रदेश राज्य में तीन परिवार न्यायालय और नगालैंड राज्य में दो परिवार न्यायालय शामिल हैं।
- हालाँकि हिमाचल और नगालैंड के लिये इन राज्यों में उक्त अधिनियम को लागू करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में पारिवार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की कमी के मुद्दे को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।
    - यह कहा गया था कि चूँकि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में परिवार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के लिये कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, ऐसे न्यायालय अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य कर रहे हैं और उक्त अधिनियम के तहत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई शुरू से ही शून्य प्रतीत होती है। (स्थापना का कोई कानूनी प्रभाव न होना)।
- नगालैंड में भी परिवार न्यायालय का संचालन वर्ष 2008 से बिना किसी कानूनी अधिकार के किया जा रहा था।

निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES)

हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES) पहल के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिये राज्यों को 206 करोड़ रुपए जारी किये हैं।

- TIES के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान 27 निर्यात बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी गई है।

निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES):

- परिचय:
    - केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2017 में निर्यात योजना (TIES) के लिये व्यापार बुनियादी ढाँचा शुरू किया।
        - वर्ष 2015 में निर्यात और विकास के लिये बुनियादी ढाँचा तैयार करने तथा सहायता (ASIDE) योजना से राज्यों के अलग होने के बाद राज्य सरकारें लगातार निर्यात बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु केंद्र से समर्थन का अनुरोध कर रही थीं।
- उद्देश्य:
    - निर्यात की वृद्धि के लिये उपयुक्त बुनियादी ढाँचे के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करना।
- कार्य क्षेत्र:
    - इस योजना का लाभ राज्यों द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण निर्यात लिंकेज जैसे- सीमा बाज़ार, भूमि, सीमा शुल्क केंद्र, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला, कोल्ड चेन, व्यापार संवर्द्धन केंद्र, निर्यात वेयरहाउसिंग तथा पैकेजिंग, SEZ एवं बंदरगाहों/हवाई अड्डे, कार्गो टर्मिनल के साथ बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये लिया जा सकता है।
- वित्तीय सहायता की सीमा:
    - बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये केंद्र सरकार की सहायता अनुदान सहायता के रूप में होगी, आमतौर पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लगाई जा रही इक्विटी या परियोजना में यह कुल इक्विटी के 50% से अधिक नहीं होगी।
        - उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख संघ शासित प्रदेशों सहित) यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है।
- उन परियोजनाओं की नकारात्मक सूची जिन पर इस योजना के तहत विचार नहीं किया जाएगा:
    - ऐसी परियोजनाएँ जो टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT जैसी क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत आती हैं।
    - सामान्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ जैसे राजमार्ग, बिजली आदि।
    - सामान्य बुनियादी ढाँचागत परियोजनाएँ जैसे राजमार्ग, बिजली आदि।
    - ऐसी परियोजनाएँ जहाँ अत्यधिक निर्यात लिंकेज स्थापित नहीं किया जा सकता है।

स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर अभियान

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर अभियान के तहत देश भर में 75 समुद्र तटों को 75 दिनों में साफ करने के लिये तटीय सफाई अभियान शुरू किया है।

स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर अभियान:

- परिचय:
    - यह दुनिया में अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में लोग भाग ले रहे हैं।
    - अभियान का समापन "अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस" (17 सितंबर 2022) पर होगा।
        - इस दिवस का उद्देश्य महासागरों, समुद्र तटों पर कूड़े के संचय तथा इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है।
    - विश्व स्तर पर "अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस" प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है।
    - इस अभियान के माध्यम से, लोगों के बीच बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि कैसे प्लास्टिक का उपयोग समुद्री जीवन को नष्ट कर रहा है।
    - इस अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने और समुद्र तट की सफाई गतिविधि में स्वैच्छिक भागीदारी हेतु आम लोगों को पंजीकरण करने हेतु एक मोबाइल एप "इको मित्रम" लॉन्च किया गया है।
- उद्देश्य:
    - भारत के पूरे समुद्र तट पर स्वच्छता अभियान चलाना।
    - समुद्री कूड़े में कमी लाना।
    - प्लास्टिक का प्रयोग कम-से-कम करना।
    - स्रोत पर कचरे के पृथक्करण और अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।

स्वच्छ महासागर का महत्त्व:

- महासागर पोषण का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर दुनिया के सबसे गरीब देशों के लोगों के लिये।
- बड़ी संख्या में लोग प्रोटीन के लिये मछली जैसे प्राथमिक खाद्य स्रोतों पर निर्भर हैं, मत्स्य पालन और जलीय कृषि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 540 मिलियन लोगों (दुनिया की आबादी का 8%) की आजीविका का समर्थन करती है।
- अत्यधिक मछली पकड़ने, जैव विविधता की हानि और प्रजातियों की संभावित विलुप्ति ने इन सीमित संसाधनों पर दबाव डाला है। इसकी वजह से अकाल, गरीबी बढ़ने और युद्ध एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- महासागर का स्थायी प्रबंधन वैश्विक समृद्धि और शांति का एकमात्र उपाय है।

संबंधित पहल:

- सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) नीति।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- विश्व महासागर दिवस
- ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट

काली बेन

हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री (भगवंत मान) को सुल्तानपुर लोधी में पवित्र 'काली बेन' (Kali Bein) से एक गिलास पानी पीने के बाद बीमार पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

काली बेन

- परिचय:
    - 'काली बेन' 165 किलोमीटर लंबी एक छोटी नदी (Rivulet) है, जो होशियारपुर से शुरू होकर कपूरथला में ब्यास और सतलुज नदियों के संगम से मिलती है।
    - इसे 'काली बेन' (काली नाला) कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 80 गाँवों और आधा दर्जन छोटे-बड़े शहरों का औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाहित होता है।
        - यदि सफाई परियोजना शुरू न की जाए तो इसके जल पर घनी घास और खरपतवार उग जाते हैं।
- महत्त्व:
    - सिख धर्म और इसके इतिहास में 'काली बेन' का बहुत महत्त्व है।
    - कहा जाता है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव को यहीं ज्ञान प्राप्त हुआ था।
    - जब गुरु नानक देव, सुल्तानपुर लोधी में ठहरे हुए थे, तब वे 'काली बेन' में स्नान करते थे।
    - कहा जाता है कि वह एक दिन पानी में गायब हो गए और इसके तीन दिन बाद पुनः प्रकट हुए थे।
    - इसके बाद उन्होंने जो पहली बात कही वह सिख धर्म का "मूल मंत्र" बन गई।

कोर सेक्टर आउटपुट

जून 2022 में भारत के आठ प्रमुख क्षेत्रों/कोर सेक्टर के उत्पादन में वृद्धि की दर घटकर 12.7% के स्तर पर पहुँच गई, जो कि मई 2022 में 18.1% थी, इसमें कच्चे तेल को छोड़कर सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई थी।

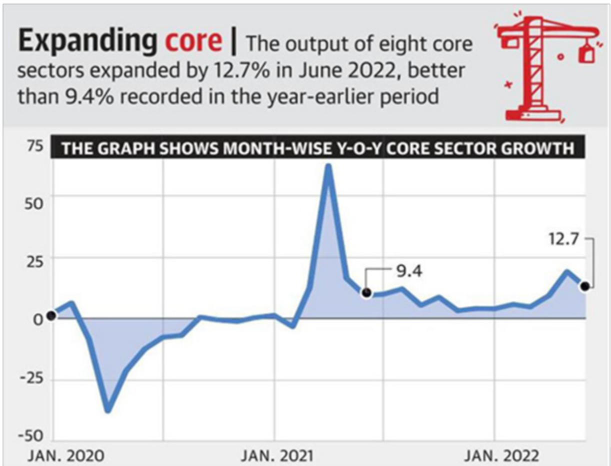

आठ प्रमुख उद्योग क्षेत्र:

- इसमें शामिल हैं:
  - कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली
- परिचय:
  - इनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मदों के भारांक का 40.27 प्रतिशत शामिल है।
  - अपने भारांक के घटते क्रम में आठ प्रमुख उद्योग क्षेत्र हैं:
    - रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक:
  - IIP एक संकेतक है जो किसी निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापता है।
  - यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
  - यह एक समग्र संकेतक है, जो कि निम्न रूप से वर्गीकृत किये गए उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है:
    - व्यापक क्षेत्र:
    - अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली।
    - उपयोग आधारित क्षेत्र:
    - मूलभूत वस्तुएँ, पूंजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ।
  - IIP के लिये आधार वर्ष 2011-2012 है।
- IIP का महत्त्व:
  - इसका उपयोग नीति-निर्माण के लियेवित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक सहित अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
  - IIP त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुमानों की गणना के लिये अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है।

रैपिड फायर

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश में जालौन ज़िले के कैथैरी गाँव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। 297 किलोमीटर लंबे चार लेन के इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर लगभग 14 हज़ार 850 करोड़ रुपए की लागत आई है। बाद में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। यह चित्रकूट ज़िले में भरतकूप के निकट गोंडा गाँव के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से इटावा ज़िले के कुदरैल गाँव तक जाता है जहाँ यह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे में मिल जाता है। यह मार्ग 7 ज़िलों- चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुज़रता है।

संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इससे स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार के अवसर सृजित होंगे। एक्सप्रेस-वे के निकट बांदा और जालौन ज़िलों में औद्योगिक गलियारा बनाने का काम शुरू हो चुका है। सरकार देश के विभिन्न भागों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है, इसी उद्देश्य से सड़क संपर्क में सुधार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी, 2020 को बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य 28 महीनों में पूरा हुआ है।

नई दिल्ली सह-भागिता योजना

11 जुलाई, 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा "नई दिल्ली सह-भागिता" योजना शुरू की गई है। नई दिल्ली सह-भागिता योजना दिल्ली में कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों (RWA) को भागीदार बनाने के लिये शुरू की गई है। इसका उद्देश्य RWAs को प्रोत्साहित करके कर संग्रह में दक्षता और अनुपालन में सुधार करना है। इस योजना के अनुसार, यदि RWA सोसाइटियों या कॉलोनियों में कुल संपत्तियों से 90 प्रतिशत कर संग्रह करने में सक्षम होता है, तो वह अपने क्षेत्रों में कर संग्रह के 10 प्रतिशत हिस्से से विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम होगा। यह कर संग्रह एक लाख रुपए की सीमा के अधीन है। इसके अलावा यदि कॉलोनी स्रोत पर 100 प्रतिशत अपशिष्ट पृथक्करण, गीले कचरे के संयोजन के साथ-साथ सूखे कचरे के पुनर्चक्रण को प्राप्त करने में सक्षम है, तो सरकार भुगतान किये गए कर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी। नई दिल्ली सह-भागिता पहल संपत्ति कर ढाँचे के युक्तिकरण के मुद्दे को संबोधित करती है। यह सामुदायिक भागीदारी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी महत्त्व देती है। नई कर नीति दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ एकरूपता लाने में मदद करेगी।

रानिल विक्रमसिंघे

15 जुलाई, 2022 को श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने गोटबाया राजपक्षे का उत्तराधिकारी चुने जाने तक अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तियाँ संसद को देने के मकसद से संविधान के 19वें संशोधन को बहाल करने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। राजपक्षे ने दिवालिया हो चुके द्वीपीय देश की अर्थव्यवस्था को न संभाल पाने के कारण अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया। वह देश छोड़कर पहले मालदीव और फिर वहाँ से सिंगापुर चले गए हैं। प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने विक्रमसिंघे को श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई। गौरतलब है कि संविधान का वर्ष 2015 में अपनाया गया 19ए संशोधन कार्यवाहक राष्ट्रपति के मुकाबले संसद को अधिक शक्तियाँ देता है। हालाँकि गोटबाया राजपक्षे के नवंबर 2019 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद 19ए को निरस्त कर दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिन (18 जुलाई) को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस' के तौर पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को यह दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 2010 में लिया गया था। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के दौरान नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 27 साल वहाँ की जेलों में बिताए थे। यह दिवस शांति स्थापना, रंगभेद उन्मूलन, मानवाधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता की स्थापना के प्रति नेल्सन मंडेला के सतत् प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। नेल्सन मंडेला को साहस, करुणा, स्वतंत्रता, शांति एवं सामाजिक न्याय के लिये प्रतिबद्धता का वैश्विक प्रतीक माना जाता है। वह 10 मई, 1994 से 14 जून, 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे तथा अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उन लोगों की उपलब्धियों को पहचानने के लिये नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत की जिन्होंने मानवता की सेवा के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया।

रामायण मासम

केरल में 17 जुलाई, 2022 से रामायण मासम शुरू हो रहा है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार यह वर्ष के अंतिम माह कर्कीडकम की शुरुआत का प्रतीक है। रामायण मास के दौरान केरल के हिंदू घरों में पूरे महीने गोधूलि बेला में रामायण के श्लोकों का पाठ किया जाता है। मंदिरों में भी रामायण पाठ का आयोजन होता है। यह मास आयुर्वेदिक उपचार और तीर्थ यात्राओं के लिये अनुकूल माना जाता है। रामायण मासम का समापन 16 अगस्त को होगा। रामायण भारतीय साहित्य का आधार ग्रंथ है। उत्तर भारत में तुलसी रामायण का जो स्थान है, वही केरल में एशुत्तच्छन द्वारा विरचित आध्यात्म रामायण किहिपांट' का है। सोलहवीं सदी में रचित इस लोकप्रिय कृति का पाठ वर्ष में पूरे एक महीने श्रावण (मलयालम

कर्कडकमास) में निरंतरता से किया जाता है। केरल के प्रसिद्ध त्योहार ओणम से पूर्व यह अनुष्ठान संपन्न होता है। श्रीरामचन्द्र जी की वन यात्रा से केरल का भी संबंध माना जाता है। केरल का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान शबरीमला के मार्ग में पंपासर के पास स्थित शबरीपीठ, वनवास काल में राम- शबरी के दर्शन को प्रमाणित करता है। 'मला' शब्द मलयालम में पर्वत के लिये प्रयुक्त होता है।

अनमेन्शनिंग फीचर

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने "अनमेन्शनिंग फीचर" लॉन्च किया है। यह सुविधा यूज़र्स को किसी भी बातचीत से खुद को हटाने की अनुमति देगी। ट्विटर को खरीदने के लिये एलोन मस्क के 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे के वाकआउट पर चल रही हलचल के बीच यह फीचर शुरू किया गया है। ट्विटर अब तक सीमित संख्या में यूज़र्स पर अनमेन्शनिंग फीचर का परीक्षण कर रहा था। अब इसे सबके लिये लॉन्च कर दिया गया है। यह सुविधा यूज़र्स को उन वार्तालापों से खुद को हटाने की अनुमति देगी जिनका वे अब हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। यह अवांछित बातचीत से खुद को हटाकर लोगों की शांति की रक्षा करने में मदद करेगा। यह एक अमेरिकी संचार कंपनी है, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में है। ट्विटर मार्च 2006 में जैक डोर्सी, बिज़ स्टोन, नोआ ग्लास और इवान विलियम्स द्वारा बनाया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था।

गायक भूपिंदर सिंह

जाने-माने पार्श्व गायक भूपिंदर सिंह का 18 जुलाई, 2022 को मुंबई में निधन हो गया। 82 वर्ष के भूपिंदर सिंह ने अपने कॅरियर की शुरुआत आकाशवाणी से की थी और वे दिल्ली दूरदर्शन से भी जुड़े रहे। उन्होंने फिल्मों में कई गीतों को अपनी मधुर आवाज़ दी। उन्हें "मौसम", "सत्ते पे सत्ता", "आहिस्ता आहिस्ता", "दूरियाँ", "हकीकत" और कई अन्य फिल्मों में सुरीले गीतों के लिये याद किया जाता है। इनमें "होके मज़बूर मुझे, उसने भुलाया होगा", "दिल ढूँढ़ता है", "दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता, जैसे कई गीत शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात गायक और संगीतकार भूपिंदर सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है तथा ट्वीट कर कहा कि भूपिंदर सिंह ने दशकों तक यादगार गीतों को अपनी मधुर आवाज़ दी और उनके कार्यों ने लोगों को प्रभावित किया है।

आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने 18 जुलाई, 2022 को दिल्ली में आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता संग्राम के समय के 75 स्टेशनों और 27 रेलगाड़ियों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय रेलवे ने सप्ताह भर चलने वाले समारोह का आयोजन किया है। यह आयोजन 23 जुलाई तक चलेगा। इस अवसर पर अध्यक्ष ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का आयोजन जन भागीदारी और जन आंदोलन के अंतर्गत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें अतीत के स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों और गौरव तथा भविष्य के युवा भारत की महत्त्वाकांक्षाओं को दिखाया जाएगा। इसके लिये 75 रेलवे स्टेशनों और 27 रेलगाड़ियों को चिह्नित किया गया है। इस दौरान 24 राज्यों के इन 75 स्टेशनों पर क्षेत्रीय भाषा में नुक्कड़ नाटक, लाईट एंड सांउड शो, वीडियो फिल्मों के प्रदर्शन के साथ-साथ देशभक्ति के गीतों का प्रसारण किया जाएगा।

अहमदाबाद और केरल

'टाइम मैगज़ीन' द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिये विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची जारी की गई। अहमदाबाद और केरल में घूमने के लिये 50 असाधारण स्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। अहमदाबाद और केरल देश के साथ-साथ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं। केरल अपने समुद्र तटों और बैकवाटर के लिये प्रसिद्ध है तो दूसरी ओर अहमदाबाद साबरमती रिवरफ्रंट और गांधी आश्रम के लिये प्रसिद्ध है। टाइम मैगज़ीन ने दोनों गंतव्यों के लिये प्रोफाइल पेज तैयार किये हैं, जिसमें उनके महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। पत्रिका ने केरल को "इकोटूरिज़्म हॉट स्पॉट" और अहमदाबाद को "उच्च शिक्षा के शहर" के रूप में टैग किया है। केरल के लिये टाइम पत्रिका के प्रोफाइल के अनुसार, यह भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। इसमें कई शानदार समुद्र तट और हरे-भरे बैकवाटर, महल एवं मंदिर हैं। प्रोफाइल के अनुसार, अहमदाबाद भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर है। प्राचीन स्थलों के साथ-साथ यह समकालीन नवाचारों के क्षेत्र में भी अग्रणी है। यही कारण है कि अहमदाबाद को "सांस्कृतिक पर्यटन के लिये मक्का" के रूप में जाना जाता है। शीर्ष 50 की सूची में शामिल अन्य गंतव्य हैं- सियोल, बाली में बुहान, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, आर्कटिक, दोहा, नैरोबी, सियोल, संयुक्त अरब अमीरात में रास अल खैमाह, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जापान में क्यूशू द्वीप, इस्तांबुल, किगाली में रवांडा आदि।

आशीष कुमार

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के नए प्रमुख आशीष कुमार चौहान होंगे। आशीष कुमार चौहान की उम्मीदवारी को 'भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)' ने मंज़ूरी दे दी है। वह NSE के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बनेंगे। वर्तमान में वह बीएसई के एमडी और सीईओ हैं। बीएसई में यह उनका पाँच साल का दूसरा कार्यकाल है। उनका कार्यकाल नवंबर, 2022 में समाप्त होने वाला है। NSE के एमडी और सीईओ विक्रम लिमये के पद से इस्तीफा देने के बाद उनके नाम को मंज़ूरी दे दी गई थी। अब आशीष कुमार चौहान को NSE का कार्यभार संभालने के लिये शेयरधारकों की मंज़ूरी की आवश्यकता होगी।आशीष कुमार चौहान IIT और IIM के पूर्व छात्र हैं। NSE में जाने से पहले उनका कॅरियर IDBI बैंक में शुरू हुआ। उन्होंने वर्ष 1993-2000 के दौरान एनएसई में डेरिवेटिव सेगमेंट के

विकास में काम किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाज़ार है। वर्ष 1992 में निगमित NSE एक परिष्कृत और इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के रूप में विकसित हुआ, जो इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम (Equity Trading Volume) के लिहाज़ से दुनिया में चौथे स्थान पर था। यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने वाला एक्सचेंज है। NSE के पास भारत में सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का नेटवर्क है। NIFTY 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रमुख सूचकांक है। यह सूचकांक ब्लू चिप कंपनियों, सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरल भारतीय प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो व्यवहार को ट्रैक करता है। इसमें NSE पर सूचीबद्ध लगभग 1600 कंपनियों में से 50 शामिल हैं। वर्ष 2021 में यह कारोबार किये गए अनुबंधों की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया।

केरल की अपनी इंटरनेट सेवा

हाल ही में केरल अपनी इंटरनेट सेवा KFON (Kerala Fibre Optic Network) शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दूरसंचार विभाग द्वारा राज्य के सभी निवासियों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने हेतु KFON Ltd को इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) लाइसेंस देने के बाद केरल के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई है। KFON केरल सरकार की पहल है, जिसे राज्य में डिजिटल अंतर को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सरकार के अनुसार, इस परियोजना के तहत बनाया गया बुनियादी ढाँचा केरल में वर्तमान दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होगा। इसका उद्देश्य सभी सेवा प्रदाताओं को उनके संपर्क अंतराल को कम करने के लिये गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच प्रदान करने हेतु कोर नेटवर्क अवसंरचना का निर्माण करना है। सभी सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में विश्वसनीय, सुरक्षित और स्केलेबल इंटरनेट प्रदान किया जाएगा, साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने हेतु इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, सिस्टम ऑपरेटरों तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी को बढ़ावा जाएगा।

जेद्दा शिखर सम्मेलन

सऊदी अरब के जेद्दा शहर में जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 जुलाई, 2022 को संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका के नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान नेताओं ने देशों के बीच साझा ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में देशों के संयुक्त सहयोग को बढ़ावा देना है। सम्मेलन के दौरान खाड़ी देशों के नेताओं ने मध्य पूर्व क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी में अमेरिका द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका को सही ठहराया। नेताओं ने एक समृद्ध और शांतिपूर्ण मध्य-पूर्व के लिये अपने संयुक्त दृष्टिकोण को भी दोहराया तथा क्षेत्र में सुरक्षा एवं स्थिरता की रक्षा के लिये सभी आवश्यक उपाय करने पर ज़ोर दिया। नेताओं ने सहयोग और एकीकरण के आपसी क्षेत्रों को विकसित करने, अच्छे पड़ोसी एवं आपसी सम्मान के सिद्धांतों पर टिके रहने के साथ-साथ खतरों से निपटने के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था और UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) का समर्थन करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान सतत् विकास के लिये देशों के बीच संयुक्त परियोजनाओं के निर्माण की प्रतिबद्धता को भी नवीनीकृत किया गया। सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संयुक्त टास्क फोर्स 153 और टास्क फोर्स 59 की स्थापना का स्वागत किया। दोनों टास्क फोर्स की स्थापना संयुक्त रक्षा समन्वय को मज़बूत करने, संयुक्त नौसेना रक्षा में सुधार करने और समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने के लिये की गई है।

व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस

हिमाचल प्रदेश, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से जोड़ा जाएगा। इस मैकेनिज़्म के ज़रिये इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। 9,423 से अधिक वाहनों को पंजीकृत कर ERSS के साथ जोड़ा गया है। इस तंत्र के तहत अब पुलिस और परिवहन दोनों ही विभाग वाहनों की निगरानी कर सकते हैं। इस प्रणाली का शुभारंभ मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला के पीटरहॉफ में किया। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिये पैनिक बटन की सुविधा का भी शुभारंभ किया। इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर से युक्त व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है। जब संकट के समय इस पैनिक बटन को दबाया जाता है, तो यह सैटेलाइट के ज़रिये 112 पर सिग्नल भेजेगा। इसके बाद सिस्टम संकट में पड़े व्यक्ति को जोड़ेगा और पुलिस को सतर्क करेगा। इस निगरानी केंद्र या कमांड कंट्रोल सेंटर से वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटनाओं का आसानी से पता लगाने में मदद मिलेगी। महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये वाहन की आवाज़ाही की निगरानी करना आसान होगा। यह अभिनव पहल राज्यों में सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाएगी।

सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिये राष्ट्रीय मानक

18 जुलाई, 2022 को केंद्र सरकार ने सिविल सेवकों की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से "सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिये राष्ट्रीय मानक" (National Standards for Civil Service Training Institutions) का अनावरण किया। NSCSTI को क्षमता निर्माण आयोग के मुख्यालय में लॉन्च किया गया। इसके साथ ही भारत सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिये राष्ट्रीय स्तर के

मानक बनाने हेतु एक अनूठा मॉडल लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लॉन्च इवेंट के दौरान राष्ट्रीय मानकों के लिये एक वेब पोर्टल और एप्रोच पेपर का भी अनावरण किया गया। क्षमता निर्माण आयोग को सिविल सेवकों के लिये मिशन कर्मयोगी के एक भाग के रूप में बनाया गया था। इस आयोग में संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ तथा वैश्विक पेशेवर शामिल हैं। यह वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं को तैयार करने एवं निगरानी के साथ-साथ सरकार में मौजूद मानव संसाधनों का ऑडिट करने में मदद करेगा। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "मिशन कर्मयोगी" (Mission Karmayogi) राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (National Programme for Civil Services Capacity Building- NPCSCB) को शुरू करने की मंज़ूरी प्रदान की। कार्यक्रम का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी तथा प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिये तैयार करना है।

शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले

शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण के हिस्से के रूप में चेन्नई में आयोजित की जा रही मशाल रिले 21 जुलाई, 2022 को केरल पहुँचेगी। कावारत्ती से कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचने के बाद ग्रैंड मास्टर विष्णु प्रसन्ना (जो शतरंज के लिये प्रसिद्ध है) मशाल को त्रिशूर ज़िले के मरोंटीचल गाँव ले जाएंगे, जहाँ राज्य के राजस्व मंत्री के. राजन मशाल ग्रहण करेंगे और इसे निहाल सरीन को सौंपेंगे। 22 जुलाई को मशाल को राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम ले जाया जाएगा, जहाँ से यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति के लिये रवाना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मशाल रिले का समापन 27 जुलाई को चेन्नई के पास महाबलीपुरम में होगा। 44वाँ शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 9 अगस्त तक चेन्नई में किया जाएगा। वर्ष 1927 से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेज़बानी भारत में पहली बार और एशिया में हो 30 साल बाद हो रही है। 189 देशों के भाग लेने के साथ यह किसी भी शतरंज ओलंपियाड में सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) शतरंज के खेल का शासी निकाय है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। यह एक गैर-सरकारी संस्थान के रूप में गठित है। इसे वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी।

पूर्वोत्तर भारत

बैंकॉक के सेंट्रल वर्ल्ड में भारतीय दूतावास द्वारा ट्रेंड एमएमएस ऑफ इंडिया के सहयोग से 29 जुलाई से 31 जुलाई, 2022 तक पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ राज्य आते हैं। इनमें असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। इस उत्सव का पहला संस्करण फरवरी 2019 में आयोजित किया गया था। इससे पूर्वोत्तर के भारतीय व्यापारी समूदाय के लिये व्यापार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। विशेषकर पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में व्यापार को बढ़वा मिला है। इस वर्ष के पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने पर अधिक बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच आदान-प्रदान के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। तीन दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन 29 जुलाई, 2022 को किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह इस उत्सव के मुख्य अतिथि होंगे।

विश्व मस्तिष्क दिवस

दुनिया भर में मस्तिष्क स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 जुलाई को 'विश्व मस्तिष्क दिवस' का आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि यह दिवस 22 जुलाई, 1957 को 'वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी' की स्थापना के उपलक्ष में मनाया जाता है। 22 सितंबर, 2013 को 'वर्ल्ड कॉन्ग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी' की 'पब्लिक अवेयरनेस एंड एडवोकेसी कमेटी' ने प्रतिवर्ष 22 जुलाई को 'विश्व मस्तिष्क दिवस' अथवा 'वर्ल्ड ब्रेन डे' के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके पश्चात् 22 जुलाई, 2014 को पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। विश्व मस्तिष्क दिवस-2022 की थीम "सभी के लिये मस्तिष्क स्वास्थ्य"(Brain Health for all) है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसा रोग है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही माइलिन (वसायुक्त पदार्थ जो तंत्रिका तंतुओं के चारों और स्थित होता है तथा आवरण के रूप में काम करता है), तंत्रिका तंतुओं तथा शरीर में माइलिन का निर्माण करने वाली विशेष कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाती है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, विशेष रूप से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और दृष्टि से संबंधित नसों को प्रभावित करती है। हालाँकि यह बीमारी पश्चिम के देशों में अधिक प्रचलित रही है, लेकिन हाल के दिनों में भारत में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। 20-40 वर्ष आयु वर्ग के वयस्क, विशेष रूप से महिलाएँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस की चपेट में आती हैं। भारत में जागरूकता बढ़ाने, बड़े पैमाने पर इस महामारी के संबंध में अध्ययन करने, समर्पित मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लीनिक खोलने, इष्टतम पुनर्वास आदि जैसी अन्य सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है।

व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा

हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने "व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा" शुरू की है। इससे SBI ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी और ग्राहकों के लिये बैंकिंग आसान हो जाएगी क्योंकि इससे SBI एप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ग्राहक खाते की शेष राशि की जाँच और व्हाट्सएप पर मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकेंगे। यह बैंक और ग्राहकों के बीच आसान डेटा ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करेगा। SBI कॉर्पोरेट ग्राहकों एवं एग्रीगेटर्स हेतु

एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) बैंकिंग भी शुरू करेगा। इस प्रणाली के तहत API का उपयोग बैंक और क्लाइंट सर्वर के बीच संवाद करने के लिये किया जाता है। जुलाई 2017 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से मंज़ूरी मिलने के बाद वर्ष 2020 में व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान सेवाओं की शुरुआत की थी।

राष्ट्रीय प्रसारण दिवस

प्रतिवर्ष 23 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) ने बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण सेवाएँ वर्ष 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे की पहल के तहत शुरू हुईं थीं। वर्ष 1930 में ब्रिटिश सरकार ने रेडियो प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया और उसने भारतीय राज्य प्रसारण सेवा (ISBS) शुरू की। IBC, जो कि एक निजी संस्था थी, को ब्रिटिश सरकार द्वारा देश में दो रेडियो स्टेशन संचालित करने की अनुमति दी गई थी। मई 1932 में IBC को स्थायी रूप से भारतीय राज्य प्रसारण सेवा (ISBS) के रूप में बदल दिया गया। बाद में 8 जून, 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा (ISBS) को ऑल इंडिया रेडियो (AIR) में परिवर्तित कर दिया गया तथा वर्ष 1957 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है और इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो की सेवा में देश भर में स्थित 414 स्टेशन शामिल हैं और देश के लगभग 92% क्षेत्र और देश की लगभग 99.19% आबादी तक इसकी पहुँच है। आकाशवाणी पर 23 भाषाओं एवं 146 बोलियों में प्रसारण किया जाता है, प्रसारित भाषाओं के संदर्भ में सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधता के मामले में यह दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है।

देश का पहला हर घर जल ज़िला

मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल ज़िला बन गया है। बुरहानपुर के सभी 254 गाँवों में लोगों को नल से पीने का साफ जल मिल रहा है। 15 अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय ज़िले में सिर्फ 36.5 प्रतिशत घरों में नल से जल उपलब्ध था। कोविड महामारी सहित विभिन्न बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद पंचायत प्रतिनिधियों, जल समिति और ज़िले के अधिकारियों के लगातार प्रयासों से मात्र 34 महीनों में ज़िले के सभी 1,01,905 घरों में नल से जल उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2019 में लॉन्च इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक 'कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन' (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। यह मिशन 'जल शक्ति मंत्रालय' के अंतर्गत आता है तथा मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है; पानी की गुणवत्ता की निगरानी एवं परीक्षण के साथ-साथ सतत् कृषि को भी बढ़ावा देता है। यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग; पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूसर जल उपचार और इसके पुन: उपयोग को भी सुनिश्चित करता है।

चीतों के लिये भारत-नामीबिया समझौता

भारत और नामीबिया ने भारत में चीतों को फिर से लाने के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर 20 जुलाई, 2022 को हस्ताक्षर किये। 8 चीतों (4 नर और 4 मादा) के अगस्त 2022 में भारत पहुँचने की संभावना है। उन्हें मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। समझौते का उद्देश्य भारत में चीतों के संरक्षण एवं बहाली को बढ़ावा देना है, जहाँ वे अब विलुप्त प्रजातियाँ हैं। भारत-नामीबिया समझौता ज्ञापन के एक हिस्से के रूप में दोनों देश जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण शासन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। भारत ने प्रतिवर्ष 8 से 10 चीतों को देश में लाने की योजना बनाई है। अगले पाँच वर्षों में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों से कुल 50 चीतों को भारत में स्थानांतरित किया जाएगा। चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति को पाँच मिलियन से अधिक वर्षों से मियोसीन युग में देखा गया। चीता दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला भूमि स्तनपायी भी है जो अफ्रीका एवं एशिया में पाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकी चीता 'सुभेद्य' (Vulnerable) तथा एशियाई चीता 'अति संकटग्रस्त' (Critically Endangered) श्रेणी में है।

नीरज चोपड़ा

अमेरिका के यूजीन में भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्द्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज ने 24 जुलाई, 2022 को अमेरिका में अयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में 88.13 मीटर दूरी के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चेक गणराज्य के याकूब वालडेश को कांस्य पदक मिला। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 19 वर्ष बाद दूसरी बार पदक जीता है। इससे पहले महिलाओं की लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में कांस्य पदक जीता था।

163वाँ आयकर दिवस

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा देश भर में इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 24 जुलाई, 2022 को 163वाँ आयकर दिवस मनाया गया। 24 जुलाई, 1860 को ब्रिटिश शासन द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई के लिये सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था। वर्ष 1963 में 'केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963' (Central Board of Revenue Act, 1963) के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के

नोट :

अधीन दो संस्थाओं- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxation) तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Customs) का गठन किया गया था, ये दोनों ही संस्थाएँ 'सांविधिक निकाय' (Statutory Body) हैं। CBDT. प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ-साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों का प्रशासन करता है। वहीं CBEC भारत में सीमा शुल्क (custom duty), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty), सेवा कर (Service Tax) तथा नारकोटिक्स (Narcotics) के प्रशासन के लिये उत्तरदायी नोडल एजेंसी है।

हरमोहन सिंह यादव

25 जुलाई, 2022 को समाजसेवी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि है। हरमोहन सिंह यादव ने किसानों, पिछडे वर्गों और समाज के अन्य वंचित वर्गो के हित के लिये जीवन भर प्रयास किया। वे लंबे समय तक राजनीति में भी सक्रिय रहे। उन्होंने विधान परिषद सदस्य, विधायक, राज्यसभा सदस्य और अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष के रूप में काम किया। अपने पुत्र सुखराम सिंह के सहयोग से उन्होंने कानपुर और उसके आसपास अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरमोहन सिंह यादव को वर्ष 1984 के दंगों के दौरान सिख समुदाय के अनेक सदस्यों की जान बचाने के लिये वर्ष 1991 में शौर्यचक्र से भी सम्मानित किया गया था।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022

हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जूरी ने 22 जुलाई, 2022 को वर्ष 2020 के विजेताओं की घोषणा की जिसमें सोरारई पोटरू (Soorarai Pottru) ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। सोरारई पोटरू ने चार सबसे बड़े पुरस्कारों में से तीन जीते हैं, सोरारई पोटरू के अभिनेता सूर्या और अजय देवगन को फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिये संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवॉर्ड मिला है। वहीं अपर्णा बालमुरली को सोरारई पोटरू के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। यह देश में सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है। फिल्म समारोह निदेशालय भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और भारतीय पैनोरमा के साथ यह पुरस्कार प्रदान करता है। पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किये जाते हैं। इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

कारगिल विजय दिवस

देश में 26 जुलाई, 2022 को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई, 1999 को कारगिल युद्ध (Kargil War) में विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस (Kargil Vijay Diwas) मनाया जाता है। इस वर्ष कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगाँठ है। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई के बीच कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हुए सशस्त्र संघर्ष को ही कारगिल युद्ध (Kargil War) कहा जाता है। यह लगभग 60 दिनों तक चला तथा 26 जुलाई, 1999 को समाप्त हुआ था। इस युद्ध को जीतने के लिये भारतीय सेना ने दुर्गम बाधाओं, दुश्मन के इलाकों, विपरीत मौसम एवं अन्य कठिनाइयों का सामना करते हुए विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में भारतीय सेना के बहुत से जवान शहीद और घायल हुए। यह दिवस सेना के अदम्य साहस एवं बलिदान के सम्मान में मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई, 2022 को गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFACA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे। यह प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिये एकीकृत नियामक है। इस प्राधिकरण के मुख्यालय भवन को एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक की बढ़ती प्रतिष्ठा और संरचना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी भारत इंटरनेशनल बुलियन का भी शुभारंभ करेंगे।

फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट

हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम ज़िले के पद्मनाभम मंडल में पायलट आधार पर "फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट" लागू करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। यह परियोजना 15 अगस्त, 2022 से लागू होगी। "फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट" के अंतर्गत वार्ड और ग्राम सचिवालयम में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के एक डॉक्टर को उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर उन रोगियों के पास जाएंगे, जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल की आवश्यकता है। हालाँकि इससे पहले ANM आशा कार्यकर्त्ता और मिड-लेवल हेल्थ प्रोवाइडर (MLHPs) घर-घर जाकर उन लोगों की पहचान करेंगे जिन्हें डॉक्टर की सेवाओं की आवश्यकता है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा पहले से ही PHC में कार्यरत कर्मचारियों हेतु पदमनाभम मंडल में आशा कार्यकर्त्ताओं, MLHP और ANM को प्रशिक्षित करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं।

36वाँ राष्ट्रीय खेल

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिये 22 जुलाई को गुजरात ओलंपिक संघ (GOA) और गुजरात राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्तूबर, 2022 तक गुजरात में किया जाएगा, जिसमें सभी 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश शामिल होंगे। इसमें कुल 36 खेल शामिल हैं जो राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में सर्वाधिक हैं। इन खेलों के लिये ध्येय वाक्य (टैगलाइन) 'सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स' है। इस साल योगासन और मल्लखंभ को खेलों की सूची में जोड़ा गया है। इस प्रकार यह भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देगा। उद्घाटन समारोह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और भावनगर में आयोजित किये जाएंगे। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लिये एक लोगो भी लॉन्च किया गया। लोगो में गुजरात के दो स्थायी और गौरवपूर्ण प्रतीकों- सरदार वल्लभभाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गिर एशियाई शेर को दर्शाया गया है। राष्ट्रीय खेलों का अंतिम संस्करण वर्ष 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय खेलों का 2022 संस्करण सात वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाएगा।

डॉ. सुशोभन बंद्योपाध्याय

गरीबों के मसीहा और एक रुपए वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री डॉ. सुशोभन बंद्योपाध्याय का 26 जुलाई, 2022 को कोलकाता में निधन हो गया। डॉ. बंद्योपाध्याय पिछले कुछ महीनों से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वे 84 वर्ष के थे। डॉ. सुशोभन पिछले 57 वर्षों से पश्चिम बंगाल के बोलपुर में एक रुपए फीस लेकर गरीबों का इलाज कर रहे थे। वर्ष 2020 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. सबसे अधिक रोगियों का इलाज करने के लिये इसी वर्ष उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। वे बोलपुर से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं।

झारखंड पर्यटन नीति

हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र को पुन: स्थापित करने के उद्देश्य से 'झारखंड पर्यटन नीति' का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य झारखंड में पर्यटन क्षेत्र को नवीनीकृत कर बढ़ावा देना है। इस नीति के अंतर्गत नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने और पारसनाथ, देवघर, इटखोरी तथा मधुबन सहित कई स्थानों के सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा नीति के तहत झारखंड में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से धार्मिक पर्यटक इकाई स्थापित की जाएगी। साथ ही खाद्य उत्सव एवं अंतर-राज्यीय संस्कृति विनिमय कार्यक्रम और सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, इस कार्यक्रम में जीवंत व विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन, वार्षिक साहसिक खेलों का आयोजन तथा खेलकूद प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी।

इंदरमीत गिल

हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को विश्व बैंक (World Bank) का मुख्य अर्थशास्त्री (World Bank Chief Economist) घोषित गया है। वह इस पद पर अमेरिकी अर्थशास्त्री कारमेन रेनहार्ट (Carmen Reinhart) का स्थान लेंगे। इंदरमीत गिल की नियुक्ति 1 सितंबर, 2022 को होगी। मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर वे व्यापक आर्थिक असंतुलन, ग्रोथ, गरीबी, इंस्टीट्यूशंस, कनफ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर सरकारों के साथ काम करेंगे। वर्तमान समय में गिल वर्ल्ड बैंक में इक्विटेबल ग्रोथ (Equitable Growth), फाइनेंस और इंस्टीट्यूशंस के वाइस-प्रेसिडेंट(Finance and Institutions Vice President) हैं। वह विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। उनसे पहले कौशिक बसु ने वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम किया था। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इसके वरिष्ठ अर्थशास्त्री होते हैं। उन्हें विश्व बैंक की समग्र अंतर्राष्ट्रीय विकास रणनीति और आर्थिक अनुसंधान एजेंडे को बौद्धिक नेतृत्व एवं दिशा प्रदान करने का काम सौंपा गया है, यह कार्य देश, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रदान किया जाता है। वह विश्व बैंक की वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्य होते हैं तथा आर्थिक मुद्दों पर अध्यक्ष एवं प्रबंधन को सलाह देते हैं। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जो कम आय और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को परियोजनाएँ शुरू करने के लिये ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है। पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) को सामूहिक रूप से विश्व बैंक कहा जाता है।

राष्ट्रमंडल खेल 2022

28 जुलाई, 2022 से राष्ट्रमंडल खेल 2022 ब्रिटेन में शुरू हो रहे हैं। इसका उद्घाटन समारोह बर्मिंघम में होगा। 72 देशों के पाँच हज़ार से अधिक एथलीट 19 प्रतिस्पर्द्धाओं में 280 पदकों के लिये मुकाबला करेंगे। भारत के दल में 215 सदस्य हैं और वे 16 प्रतिस्पर्द्धाओं में हिस्सा लेंगे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में किया गया था, जहाँ 11 देशों ने छह खेलों और 59 कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये 400 एथलीटों को भेजा था। वर्ष 1930 से हर चार वर्ष बाद (द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वर्ष 1942 और वर्ष 1946 को छोड़कर) इन खेलों का आयोजन किया जाता है।

आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप 2025

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अनुसार, भारत वर्ष 2025 के ICC महिला एकदिवसीय विश्व कप की मेज़बानी करेगा। परिषद ने 26 जुलाई, 2022 को वर्ष 2024 से वर्ष 2027 तक ICC महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिये चार देशों का चयन किया है। ये देश भारत,

नोट :

बांगलादेश, इंग्लैंड और श्रीलंका हैं। बांगलादेश वर्ष 2024 में महिला टी-20 विश्व कप प्रतियोगिता का मेज़बान होगा, जबकि इसका वर्ष 2026 का संस्करण इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। वहीं श्रीलंका वर्ष 2027 के महिला टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि वह प्रतियोगिता के लिये क्वालीफाई करे। मेज़बान देशों का चयन ICC बोर्ड की उपसमिति की देखरेख में संचालित बोली प्रक्रिया के ज़रिये किया गया। समिति में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली भी शामिल थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) देश में क्रिकेट के लिये राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। बोर्ड तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है और इसका गठन दिसंबर 1928 में किया गया था। यह राज्य क्रिकेट संघों का संघ है तथा राज्य संघों के प्रतिनिधि निर्धारित समय पर BCCI के अधिकारियों का चुनाव करते हैं। BCCI भारतीय क्रिकेट को पोषित करता है एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की भागीदारी सुनिश्चित करता है। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस

प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया के बाघों की आबादी के समक्ष आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने हेतु मनाया जाता है। वे संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के अति आवश्यक प्राणी है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) के अनुसार, जैसा कि बाघ शीर्ष शिकारी है, इसलिये वह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में वर्ष 2010 में पहला विश्व बाघ दिवस मनाया गया था जिसमें टाइगर क्षेत्र वाले कुल 13 देशों ने वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने का वैश्विक लक्ष्य तय किया था। बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है। बाघ एक अनूठा जानवर है जो किसी स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी विविधता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक खाद्य श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता है और जंगली जानवरों (मुख्य रूप से बड़े स्तनपायी) की आबादी को नियंत्रण में रखता है। इस प्रकार बाघ शिकार द्वारा शाकाहारी जंतुओं और उस वनस्पति के मध्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिस पर वे भोजन के लिये निर्भर होते हैं।

हर घर ऊर्जा उत्सव

हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित कर ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिये प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के शाहपुर में आयोजित ऊर्जा उत्सव उज्ज्वल भारत-उज्ज्वल भविष्य-पॉवर@2047 को भेजे संदेश में मुख्यमंत्री ने राज्य भर में कार्यक्रम के विस्तार पर ज़ोर दिया। शाहपुर में ऊर्जा उत्सव भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के सिलसिले में आयोजित किया गया। हालाँकि महाराष्ट्र देश में ऊर्जा क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है। इसके साथ ही सरकार ने प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला किया है जिससे एक करोड़ 66 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को फायदा होगा, वहीं केंद्र सरकार ने तटीय ज़िलों के लिये भूमिगत केबल लगाने की योजना बनाई है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) परिषद

भारतीय विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन (SCO) परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिये 28 जुलाई को उज़्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पर गए हैं। इस बैठक में 15 और 16 सितंबर को समरकंद में होने वाली राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की तैयारियों पर चर्चा होगी। इस अवसर पर वे SCO संगठन के विस्तार और साझा हितों वाले क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। SCO में भारत, कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान तथा उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया इसके पर्यवेक्षक देश हैं। SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को बनाए रखना है। इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था तथा यह वर्ष 2003 में लागू हुआ। इस संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मज़बूत करना, राजनैतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना तथा लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव-अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है।

सौभाग्य

जम्मू-कश्मीर में सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में बिजली पहुंचाई गई। इसके अलावा दूरदराज़ और दुर्गम क्षेत्रों के उन ग्रामीण घरों में जहाँ बिजली उपलब्ध नहीं है, सोलर फोटो वोल्टाइक आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम प्रदान किया है। इसके तहत अब तक साढ़े तीन लाख से अधिक घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। आज़ादी के 74 साल बाद पहली बार उधमपुर ज़िले के ग्राम सद्दाल और डोडा जिले के गनौरी-ताँता में ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाई गई है। बिजली कनेक्शनों को जारी करने के लिये 'ग्राम ज्योतिदूत', 'ऊर्जा विस्तार' जैसे मोबाइल एप तैयार किये गए हैं। सभी ज़िलों में विद्युत मंत्रालय की 'सौभाग्य रथ' योजना भी चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य एक निश्चित समयावधि में देश के सभी घरों तक बिजली पहुँचाना था। इस योजना को सितंबर 2017 में आरंभ किया गया था और इसे दिसंबर 2018 तक पूरा किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी समयावधि को बढ़ा दिया गया है।

BSNL और BBNL का विलय

हाल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड

नोट :

(BBNL) के भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के साथ विलय की ने मंज़ूरी दी है। BSNL की संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास होगा। BSNL के पास वर्तमान में 6.83 लाख किलोमीटर से अधिक का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क उपलब्ध है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का उपयोग करते हुए भारत की 1.85 लाख ग्राम पंचायतों में 67 लाख किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। हालाँकि BSNL के साथ BBNL के विलय की घोषणा पहली बार अप्रैल 2022 में की गई थी। BBNL विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है, जिसे भारतनेट परियोजना को लागू करने हेतु स्थापित किया गया था। BSNL दूरसंचार विभाग के स्वामित्व में काम करता है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अक्तूबर, 2000 को की गई थी। यह देश में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली वायरलेस दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जिसे भारतनेट के नाम से भी जाना जाता है, सरकार के स्वामित्व में है जो ब्रॉडबैंड अवसंरचना प्रदान करती है। इसे संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग द्वारा स्थापित किया गया है।

डॉ. सी. नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार

भारत के उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में प्रख्यात उड़िया लेखिका डॉ. प्रतिभा रे को डॉ. सी. नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया। उड़िया भाषा की चर्चित लेखिका डॉ. रे के उपन्यास और लघु कथाओं को काफी सराहा गया है तथा उनमें महत्त्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है। उन्हें वर्ष 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, वर्ष 2007 में पद्मश्री एवं वर्ष 2022 में पद्मभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने तेलुगू भाषा एवं साहित्य में डॉ. सी. नारायण रेड्डी के 'अमूल्य योगदान' को याद करते हुए कहा कि उनके लेखन ने बड़ी तादाद में तेलुगू लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। डॉ. रेड्डी के महाकाव्य 'विश्वम्भरा' का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह मनुष्य और प्रकृति के बीच के जटिल संबंधों का खूबसूरती से वर्णन करता है। इसके लिये उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कार्यक्रम में तेलंगाना सरकार में कृषि मंत्री, पुरस्कार विजेता डॉ. रे, प्रख्यात तेलुगू लेखिका वोल्गा (ललिता कुमारी), डॉ. सी. नारायण रेड्डी के परिवार के सदस्य एवं अन्य लोगों ने भाग लिया।

दृष्टि The Vision